सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

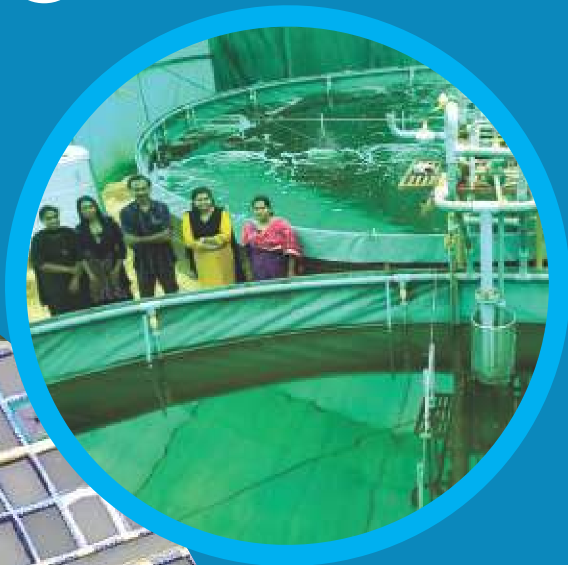

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

1.	मत्स्यपालन विभाग – एक अवलोकन	1
2.	मात्स्यिकी क्षेत्र की गाथा	13
3.	मत्स्यपालन विभाग की प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम	21
	3.1 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना	21
	3.2 प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना	31
	3.3 मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि	33
	3.4 पशुपालक और मत्स्यपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड	34
	3.5 की गई प्रमुख पहल	35
	3.6 आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम	37
4.	मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संगठन	63
	4.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	63
	4.2 तटीय जल कृषि प्राधिकरण	86
	4.3 सेंट्रल इंस्टीटयूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, बैंगलुर	105
	4.4 केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान	109
	4.5 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	126
	4.6 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट)	139
5.	व्यापार संबंधी मामले	151
6.	अनुसूचित जाति उप–योजना और जन जातीय उप–योजना	153
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण	155
8.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	159
9.	मत्स्यपालन विभाग का लेखा प्रबंधन	167
10.	अनुबंध - I	184
11.	अनुबंध - II	185
12.	संक्षिप्ति	187

अध्याय 1

मत्स्यपालन विभाग – एक अवलोकन

1.1 संगठनात्मक संरचना

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन दो विभाग आते हैं। एक मत्स्यपालन विभाग और दूसरा पशुपालन और डेयरी विभाग है। मत्स्यपालन विभाग को पूर्ववर्ती पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 5 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 1/21/21/2018–कैब द्वारा अलग किया गया और इस प्रकार मत्स्यपालन विभाग अस्तित्व में आया।

इस विभाग का प्रभार माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के पास है। उनकी सहायता के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के दो राज्य मंत्री है। मत्स्यपालन विभाग के सचिव, प्रशासनिक अध्यक्ष हैं।

सचिव (मत्स्यपालन विभाग) को विभाग के दो प्रभागों के संयुक्त सचिव अर्थात संयुक्त सचिव,अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और संयुक्त सचिव,समुद्री मात्स्यिकी सहायता प्रदान करते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा **अनुलग्नक–I** में दिया गया है।

1.1.1 कार्य

यह विभाग अंतर्देशीय, समुद्री और तटीय मात्स्यिकी के साथ–साथ अपनी चार अधीनस्थ संस्थाओं, एक स्वायत्त निकाय और एक नियामक संस्था सहित मात्स्यिकी संस्थाओं के विकास के लिए नीतियों और योजनाओं को तैयार करने संबंधी विषयों के लिए जिम्मेदार है। विभाग राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मत्स्यपालन क्षेत्र से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में परामर्श देता है। गतिविधियां जिनपर विभाग को फोकस है, निम्नलिखित है–

क. मीठे और खारे जल में जलकृषि का विस्तार

ख. समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का संरक्षण और संसाधनों को टिकाऊ बनाना

ग. मैरीकल्चर (समुद्री कृषि), सी–वीड कल्टीवेशन, केज कल्चर, रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ऑरनामेंटल फिशरीस, कोल्ड वॉटर फिशरीस और मात्स्यिकी व्यापार को बढ़ावा देना

घ. मछुआरा महिलाओं सहित मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

ङ. मात्स्यिकी इन्फ्रस्ट्रक्चर का विकास

च. अंतर्देशीय मात्स्यिकी का विकास

छ. जलीय संगरोध नेटवर्क की स्‍िापना

ज. जीआईएस आदि के माध्यम से जल निकायों की मैपिंग

यह विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मात्स्यिकी संबंधी नीतियों, कार्य– रणनीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण, कानूनों, विनियमों और प्रावधानों से संबंधित मसौदा तैयार करने तथा उनके पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन के दायित्व का भी निर्वहन करता है।

1.1.2 आवंटित विषयों की सूची इस प्रकार हैः

क. ऐसे उद्योग, जिन पर संघ का नियंत्रण संसद द्वारा विधि द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित किया गया है, जहां तक उनका संबंध मत्स्य चारा और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस सीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में मत्स्यपालन विभाग के कार्य मांग तैयार करने और लक्ष्य निर्धारण करने से आगे नहीं हैं।

ख. मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और समुद्री जल सीमा से आगे) तथा इससे संबंधित गतिविधियों का संवर्धन और विकास जिनमें इनफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मार्क्रेटिंग, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल हैं।

ग. मछुआरों और मछुआरा समुदायों का कल्याण और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना

घ. मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और सहयोग

ङ. मात्स्यिकी सांख्यिकी

च. प्राकृतिक आपदाओं के कारण फिश स्टॉक को होने वाले नुकसान से संबंधित मामले

छ. मत्स्य स्टॉक आयात का विनियमन, संगरोध और प्रमाणन

ज. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई

झ. मत्स्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या संचारी रोगों या कीटों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने की रोकथाम के संबंध में कानून

ञ. राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मात्स्यिकी विकास योजना को वित्तीय सहायता के पैटर्न के संबंध में कानून

ट. मत्स्य स्टॉक का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार तथा उनमें होने वाली बीमारियों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास

ठ. मत्स्य स्टॉक का बीमा

1.2 विभाग के अधीन कार्यरत अधीनस्थ कार्यालय / मात्स्यिकी संस्थान

मत्स्यपालन विभाग के नियंत्रणधीन चार संस्थान/अधीनस्थ कार्यालय हैं। ये संस्थान हैं (i) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुंबई (ii) केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सीफनेट), कोच्चि (iii) राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, (निफेट) कोच्चि और (iv) केंद्रीय मात्स्यिकी तटीवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान,(साईसेफ) बेंगलुरु। इन चार संस्थानों के अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग के अधीन दो स्वायत्त निकाय हैं, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद और तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सीएए), चेन्नई। इन संस्थानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:

1.2.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई

भारत सरकार ने भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) की स्थापना वर्ष 1946 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की थी, जिसे सामान्य तौर पर डीप सी फिशिंग स्टेशन (डीएसएफएस) के रुप में जाना जाता था और , जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मत्स्यन के विकास के माध्यम से खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देना था। प्रारंभ में इस संस्थान ने एक वेस्सल 'एस.टी.मीना' के साथ अपनी गतिविधियों की शुरुआत की। यह एक माइन स्वीपर जिसे ट्रॉलर में बदल दिया गया। इस डीप सी फिशिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य मत्स्यन के लिए उपयुक्त स्थलों की खोज करना तथा गहरे समुद्र में मत्स्यन कर्मियों को प्रशिक्षण देना था।

डीएसएफएस के विशाल कार्य को देखते हुए, भारत सरकार ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर ऐसे कई स्टेशन स्थापित किए हैं। इस प्रकार भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र/एक्सक्लूसिव इकॉनामिक जोन (ईईजेड) और इसके आसपास के क्षेत्रों में मात्स्यिकी संसाधनों को टिकाऊ रुप से उपयोग में लाने और समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी के साथ भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण,भारत में नोडल मात्स्यिकी संस्थान के रुप में उभर कर समाने आया है।

वर्तमान में एफएसआई गहरे समुद्र में स्थित डिमर्सल संसाधनों, तटीय पेलाजिक संसाधनों, महासागरीय टूना संसाधनों का सर्वेक्षण करता है और अधिवास प्रबंधन और अधिवास जोखिम का आकलन, कोरल रीफ पारिस्थितिकी प्रणालियों(इकोसिस्टम) में अन्वेषण और अनुसंधान सहित अन्य गतिविधियां संचालित करता है।

1.2.2 केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सीफनेट), कोच्चि

केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) देश में अपने प्रकार का एकमात्र राष्ट्रीय संस्थान है, जो मर्चेंट शिपिंग (संशोधन) अधिनियम, 1987 में निर्धारित पावर फिशिंग वेसल्स के स्किपर्स, मेट्स, इंजीनियर्स, इंजन ड्राइवर्स जैसे तकनीकी एवं प्रमाणित कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सिफनेट तटीय प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान करने तथा फिशिंग वेस्सल्स के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी जनशक्ति विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिनमें मत्स्यन प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषय, समुद्री विज्ञान,समुद्री इंजीनियरिंग शामिल है और इन पाठ्यक्रमों से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और केंद्र/राज्य सरकार के विभागों के अधीन विभिन्न संगठनों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों को लाभ हुआ है।इस समय संस्थान महासागरीय टूना के लिए गहरे समुद्र में फिशिंग पर मछुआरों के कौशल विकास प्रशिक्षण,और जिम्मेदार तरीके से मत्स्यन पद्धति पर विशेष बल दे रहा है और अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से समुद्री प्रदूषण के विनाशकारी प्रभावों और उपायों के बारे में जानकारी दे रहा है।

1.2.3 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (निफेट), कोच्चि

राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (निफेट),जो इससे पूर्व इंटीग्रेटेड फिशरीस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, की स्थापना वर्ष 1972 में पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों के सर्वांगीण विकास की देखरेख के लिए की गई थी। निफेट का लक्ष्य न्यूनतम पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान और अधिकतम पोस्ट हार्वेस्ट मत्स्य उपयोग के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उपयोगी अनुसंधान के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी को अपग्रेड किया जाता है जिसमें नवीन प्रक्रिया ,उत्पाद तथा पैकेजिंग विकसित करके उपभोक्ताओं की निरन्तर बढ़ती मांग तथा उनकी बदलती जरुरतों की पूर्ति की जाती है। परामर्श, प्रशिक्षण, उत्पादों के लोकप्रियकरण और उपभोक्ता प्रतिक्रिया सर्वेक्षण आदि के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रचार– प्रसार का लक्ष्य हासिल किया जाता है।

1.2.4 केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (साईसेफ), बेंगलुरु

केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (साईसेफ), बेंगलुरु की स्थापना संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ/यूएन) के सहयोग से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फिशिंग हार्बर के निवेश– पूर्व सर्वेक्षण (पीआईएसएफएच) के लिए जनवरी, 1968 में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय तट पर उपयुक्त स्थलों पर फिशिंग हार्बर विकसित करने तथा मेकेनाईज्ड फिशिंग वेस्सल्स के लिए फिशिंग हार्बर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंजीनियरी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता की जांच करना और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संभाव्य रिपोर्ट तैयार करना था।

एफएओ/यूएन सहायता बंद होनो के पश्चात, इस संस्थान को जनवरी 1974 से 2 साल की अवधि के लिए स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एसआईडीए) से उपकरण और विशेषज्ञ परामर्श सेवाओं के रूप में तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। अगस्त 1983 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान (सी.आई.सी.ई.एफ.) कर दिया गया।अगस्त 1983 से उत्तरवर्ती वर्षों में तकनीकी विशेषज्ञता को और अधिक विकसित किया गया। संस्थान भारतीय तट के साथ तटीय जलकृषि फार्मों के विकास के लिए जलकृषि इंजीनियरिंग की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहा है। संस्थान को तटीय जलकृषि फार्मों के विकास के लिए 1986 से 1991 तक यू.एन.डी.पी/ एफ.ए.ओ से एक्विपमेन्टस और कंसल्टेंटस की सहायता प्राप्त हुई। यह संस्थान समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच करने में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1.3 स्वायत्त और नियामक निकाय

विभाग के स्वायत्त एवं नियामक निकायों का विवरण नीचे दिया गया है:

1.3.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एनएफडीबी) की स्थापना सितंबर 2006 में की गई थी, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इस संगठन को भारत में मात्स्यिकी और जल कृषि के प्रचार और विकास के लिए जाना जाता है और यह प्रौद्योगिकी उन्नयन, जल कृषि में प्रजातियों के की विविध क़िस्मों पर कार्य, नई और उन्नत मत्स्य किस्मों के प्रसार, सी–वीड कल्टीवेशन के संवर्धन, ऑरनामेंटल फिशरीज, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए विभिन्न आवश्यकता–आधारित परियोजनाओं के माध्यम से हितधारकों, मुख्य रूप से मछुआरों को समर्पित रूप से प्रोत्साहित करता है।

पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ जैसी योजनाओं के प्रचार और कार्यान्वयन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्यपालन विभागों और हितधारकों के लिए एनएफ़डीबी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, कमियों की पहचान करता है और गतिविधियों को लागू करने में सलाहकार/तकनीकी निकाय और आउटरीच विस्तार सेवा प्रदाता की भूमिका निभाता है। एनएफडीबी ने मत्स्य की हैंडलिंग, संरक्षण और मार्केटिंग में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए इन्फ्रस्ट्रक्चर सुविधाओं को प्रोत्साहित करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, मछुआरों की आजीविका में सुधार करने, मात्स्यिकी में उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने, बीमा सहायता प्रदान करने और बाजार मूल्य नियमितीकरण के लिए ई–ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने, मत्स्य की खपत बढ़ाने के लिए मत्स्य महोत्सव, आउटडोर और डिजिटल अभियान जैसी आउटरीच

गतिविधियों का आयोजन करने में एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय भूमिका निभाई है। यह वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

1.3.2 तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की स्थापना तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 22 दिसंबर, 2005 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा की गई थी। इस प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में और संबंध विषयों में या इससे जुड़े कार्यकलापों में 'तटीय जलकृषि' गतिविधियों को विनियमित करना है। इस प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए नियम बनाने, जलकृषि फार्मों और हैचरी का पंजीकरण करने, उनके पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए उनका निरीक्षण करने, प्रदूषण पैदा करने वाले तटीय जलकृषि फार्मों को हटाने या ध्वस्त करने, तटीय जलकृषि इनपुट के लिए मानक निर्धारण के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इन नियंत्रणों और उपायों के माध्यम से, सीएए का उद्देश्य पर्यावरणीय रुप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलकृषि को सुगम बनाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त,राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत संस्थान नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स को–आपरेटिव लिमिटेड (फिशकोपफेड) नई दिल्ली में स्थित है।

1.3.3 राष्ट्रीय मात्स्यिकी सहकारी संघ लिमिटेड

राष्ट्रीय मात्स्यिकी सहकारी संघ लिमिटेड (फिशकोपफेड) मात्स्यिकी सहकारिता का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और भारतीय मात्स्यिकी सहकारी आंदोलन की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना अखिल भारतीय मत्स्य सहकारी संघ के रूप में 1980 में की गई थी और वर्ष 1982 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड कर दिया गया।

फिशकोपफेड अपने स्वयं के अनुमोदित उपनियमों और मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसायटी (एम.एस.सी.ए अधिनियम 2002) के प्रावधानों से शासित है।

फिशकोफेड का उद्देश्य देश में मछुआरों को सेवा प्रदान करना एवं उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह सहकारी प्रयासों के माध्यम से भारत में मत्स्यन उद्योग को सुविधाजनक बनाकर उसे समन्वित और प्रोत्साहित करता है।

1.4 उन्नत और टिकाऊ मत्स्य उत्पादन के लिए शुरु की गई प्रमुख पहलें

इस क्षेत्र की क्षमता को पहचानते हुए, नीली क्रांति(ब्लू रेवोल्यूशन) की उपलब्धियों को मजबूत करने और क्षेत्र पर केंद्रित ध्यान देने के लिए, मत्स्यपालन विभाग वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक पांच साल की अवधि के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू कर रहा है। मई 2020 में भारत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ पीएमएमएसवाई को मंजूरी दी, जिसमें 9,407 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश, 4,880 करोड़ रुपये का राज्य अंश और 5,763 करोड़ रुपये का लाभार्थी योगदान शामिल है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, पीएमएमएसवाई के तहत 1,200.85 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश के साथ कुल 2,310.18 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बजट अनुमान 2024–25 में, विभाग को कुल 12,500.85 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 2,616.44 करोड़ रुपये के बजट को संशोधित कर कुल 1,666.47 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिसमें योजना और गैर–योजना घटकों के लिए आवंटन शामिल है। घटकवार, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और 2024–25 के लिए व्यय **अनुबंध–II** में दर्शाया गया है।

इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, नवाचार और आधुनिक तकनीक का समावेश, पोस्ट हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, ट्रेसेबिलिटी, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण अंतराल (गैप्स) को दूर करना है। मत्स्य पालन क्षमता का टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्यपालन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक विशाल करने को सुविधाजनक बनाने, उच्च आय उत्पन्न करने और संगठित तरीके से क्षेत्र के विकास और विस्तार में तेजी लाने के लिए, लाभार्थी–उन्मुख घटकों/गतिविधियों को मंजूरी देने और लागू करने की मंशा से "क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण" अपनाया जा रहा है। पीएमएमएसवाई का लक्ष्य 2024–25 तक मछुआरों, मत्स्य किसानों और मत्स्य श्रमिकों की आय को दोगुना करना है और 2024–25 तक लगभग 9 प्रतिशत की औसत

वार्षिक वृद्धि (2018–19 के दौरान 7 प्रतिशत से अधिक) के साथ मत्स्य उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तक बढ़ाना है (2018–19 में 13.75 एमएमटी से अधिक) । पीएमएमएसवाई का लक्ष्य जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टेयर (राष्ट्रीय औसत 3 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक) तक बढ़ाना, महत्वपूर्ण मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, पोस्ट हारवेस्ट नुकसान को कम करना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, निर्यात आय को दोगुना करके 1,00,000 करोड़ रुपये करना और संबंधित स्वास्थ्य लाभ के साथ घरेलू मछली की खपत में वृद्धि करना, अन्य स्रोतों (राज्य, निजी आदि) से मात्स्यिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और मात्स्यिकी क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। पीएमएमएसवाई के तहत ध्यान दिए जा रहे कुछ 'महत्वपूर्ण' क्षेत्र इस प्रकार हैं:

क. सी वीड फ़ारमिंग सहित समुद्री कृषि

ख. सजावटी और मनोरंजक मत्स्यपालन

ग. गुणवत्ता वाले बीज

घ. गहरे समुद्र और महासागरीय संसाधनों को इष्टतम रूप से हारवेस्ट करना

ङ. ठंडे पानी में मत्स्यपालन

च. खारे/क्षारीय क्षेत्रों के उत्पादक उपयोग द्वारा जलीय कृषि का विकास

छ. जलाशयों का एकीकृत विकास

ज. नई प्रजातियों आदि के माध्यम से प्रजातियों की विविधता को बढ़ाना

उत्पादकता बढ़ाने और पोस्ट हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को कम करने के उद्देश्य से, योजना के तहत कई उप–गतिविधियों/घटकों की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य के लिए, तालाबों में उच्च घनत्व वाली जलीय कृषि, री सरक्यूलेट्री एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायोफ्लोक, केज कल्चर, नैनो–फीड लाइव फीड टेक्नोलोजी, ब्लॉक चेन, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता संरक्षण और विपणन आदि सहित उत्पादन और पोस्ट हारवेस्ट प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों को अपनाने द्वारा "प्रति बूंद अधिक फसल" का प्रयास है । योजना के तहत खेती के क्षेत्र के विस्तार, विविध प्रजातियों को लाने पर ध्यान केंद्रित करने, खेती योग्य प्रजातियों के गुणवत्ता वाले ब्रूड और बीज और प्रजाति–विशिष्ट फ़ीड की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए सहायता देने के प्रावधान किए गए हैं।

ये प्रावधान पर्याप्त संख्या में ब्रूड बैंक, हैचरी, बीज पालन इकाइयों, विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त या प्रतिरोधी बीज, आनुवंशिक रूप से बेहतर ब्रूड स्टॉक और फ़ीड मिलों की स्थापना को दिशा देते हैं।

क्षेत्र के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 2018–19 में 7,522.48 करोड़ रुपये के फंड के साथ मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) नामक एक समर्पित कोष बनाया गया था। पहचान की गई मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को ब्याज सबवेंशन के माध्यम से मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान किया जाता है। 2018–19 से 2022–23 की अवधि के दौरान, विभिन्न मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 5,801.06 करोड़ रुपए की निवेश लागत वाली कुल 136 मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2023–24 में, भारत सरकार ने पहले से स्वीकृत 7,522.48 करोड़ रुपये के फंड और 939.48 करोड़ रुपये के बजटीय सपोर्ट से 2025–26 तक तीन साल के लिए मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के विस्तार को मंजूरी दी है ।

वर्ष 2018–19 में, भारत सरकार ने केसीसी की सुविधा का विस्तार मत्स्यपालन और पशुपालन किसानों तक की ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में किसानों को सहायता दी जा सके । इससे मत्स्यपालन और पशुपालन किसानों को जानवरों, मुर्गी पालन, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों और मछली पकड़ने की गतिविधि के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। केसीसी के तहत कवर किए गए मात्स्यिकी संबंधित कार्यशील पूंजी घटकों में बीज, चारा, जैविक और अकार्बनिक उर्वरक, चूना / अन्य सॉइल कंडीशनर, हारवेस्टिंग और मारकेटिंग शुल्क, ईंधन / बिजली शुल्क, श्रम, पट्टा किराया आदि के लिए आवर्ती लागतें शामिल हैं।

1.5 जन शिकायत प्रकोष्ठ

जनता की शिकायतों को देखने के लिए विभाग में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए और इसे अपग्रेड करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है। जन शिकायतों को देखने के लिए नोडल अधिकारी निदेशक (प्रशासन) हैं और अपीलीय प्राधिकारी संयुक्त सचिव (प्रशासन) हैं। डीएआरपीजी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, शिकायतों के गहन विश्लेषण, सीपीजीआरएएम (सीपीग्राम) संस्करण 7.0 के सार्वभौमीकरण, अंतिम संबंधित सक्षम अधिकारी तक शिकायत की ऑटो रुटिंग आदि और लोक शिकायत अधिकारियों के रूप में योजना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए है। लोक शिकायत अधिकारियों को 30 दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए जागरूक किया गया है। 1 अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2024 तक विभाग में लोक शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

पिछला शेष	उक्त अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	प्राप्त कुल शिकायतें	उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	शेष शिकायतें
28	365	393	377	16

1.6 अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/दिव्यांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) के लिए संपर्क अधिकारी

विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों को सख्ती के साथ लागू करने के लिए प्रयास करता है। वर्तमान में, आरक्षण पर सरकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए विभाग में कोई समर्पित प्रकोष्ठ नहीं है। हालाँकि, आरक्षण नीति के अनुसार भर्ती संबंधी आरक्षण मामलों की देखभाल के लिए विभाग में अनुसूचित जातियों (एससी) / अनुसूचित जनजातियों (एसटी) / अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

1.7 सतर्कता अनुभाग

सतर्कता प्रभाग द्वारा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलें/अनुशासनात्मक मामले संसाधित किए जाते हैं। अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों और सतर्कता अधिकारियों के साथ ओरिएंटेशन विचार विमर्श जैसे विभिन्न निवारक सतर्कता उपाय किए गए हैं। वर्ष 2024 के दौरान मत्स्यपालन विभाग ने चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण, एफएसआई के बेस कार्यालय और सिफनेट इकाई के लिए चेन्नई में तथा विशाखापत्तनम स्थित एफएसआई के बेस कार्यालय, सिफनेट और निफैट इकाइयों के लिए विशाखापत्तनम में निवारक सतर्कता पर कार्यशालाएं आयोजित कीं, जिनमें विभाग के संगठन की सभी स्थानीय इकाइयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों की निगरानी करते हैं। विभाग में 28 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2024 तक "राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा संस्कृति" विषय पर 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। 31 दिसंबर, 2024 तक विभाग में कोई भी सतर्कता मामला लंबित नहीं था।

1.8 राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

मई 2022 में विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है तथा इस अनुभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न गतिविधियों की सक्रियता से शुरुआत की ।

संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.का.स.) का गठन किया गया है। बैठकों में विभाग में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की जा रही है तथा प्राप्त सुझावों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, हिंदी में पत्राचार तथा फाइलों पर हिंदी में नोटिंग का प्रतिशत काफी सुधार हुआ है। संसदीय राजभाषा समिति (द्वितीय उप–समिति) ने 07 जनवरी 2025 को पुदुच्चेरी में सीएए, चेन्नई तथा 9 जनवरी 2025 को तिरुवनंतपुरम में निफेट, कोच्चि का निरीक्षण किया तथा इन कार्यालयों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। विभाग में 14 से 28 सितंबर 2024 तक 'राजभाषा हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान, विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिताएँ जैसे कि निबंध लेखन, हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग, तस्वीर क्या बोलती है, हिंदी में उचित स्लोगन के साथ चित्रकला प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं और विभाग के अधिकारियों ने इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मत्स्यपालन विभाग के सचिव ने राजभाषा पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग से प्रशासनिक शब्दों की शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी) खरीदी की गई और विभाग के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को सौंपी गई। कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें अधिकारियों को अनुपालन के लिए सरकार की विभिन्न राजभाषा नीतियों, अधिनियम, नियमों और अन्य निर्देशों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त,अन्य कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न हिंदी ई–टूल्स पर प्रशिक्षण और व्यावहारिक अभ्यास दिया गया, जिससे वे हिंदी भाषा में कंप्यूटर पर काम कर सकें। हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी और राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी का संदेश सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया गया।

1.9 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विभाग में एक समिति मौजूद है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। 2024 के दौरान विभाग में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की दो शिकायतें हैं, जिनकी जांच की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ ऑनलाइन शिकायतों के लिए विभाग की वेबसाइट पर (SHE-Box) उपलब्ध कराया गया है।

1.10 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभाग ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इसी प्रकार, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के लिए आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अलग–अलग सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल या अन्य माध्यम से प्राप्त आरटीआई आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित सीपीआईओ को ऑनलाइन अग्रेषित किया गया । वर्ष 2024–25 (1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर, 2024) के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों का विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिया गया है:

विवरण	कुल प्राप्ति	सूचना दी गई	अस्वीकृत सूचना	अन्य पीए को ट्रान्सफर की गई	कार्रवाई के लिए लंबित
आरटीआई आवेदन	178	117	9	35	17
आरटीआई अपील	33	24	0	0	9

1.11 न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के लिए कुशल निर्णय लेना एक मूलभूत आवश्यकता है। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने/कारोबार में सुगमता लाने एवं आर्थिक विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में गति और दक्षता लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तदनुसार, न्यूनतम सरकार,

अधिकतम शासन के उद्देश्य से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें प्रस्तुतीकरण के चैनलों को कम करना, उचित स्तरों पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेस्क अधिकारी प्रणाली का उपयोग, केंद्रीय रजिस्ट्री इकाइयों का डिजिटलीकरण और यथासंभव प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के बीच फाइलों और आवतियों के निर्बाध अंतरण के लिए ई–ऑफिस को संस्करण 7.0 में अपग्रेड किया गया है। विभाग के कर्मचारियों को ऑनलाइन ई–एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूर्ति दावे, आईपीआर, छुट्टी, अग्रिम जैसी कई सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

सचिव (मत्स्यपालन विभाग) स्तर पर लंबित मामलों की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है। ई–समीक्षा पोर्टल के माध्यम से महत्वपूर्ण विकास पर मासिक रिपोर्ट और प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण, केंद्रीय राज्य सहयोग, और कैबिनेट और कैबिनेट समिति के निर्णयों जैसे विभिन्न मुद्दों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

1.12 क्षमता निर्माण उपाय

विभाग के कर्मचारियों को क्षमता निर्माण आयोग के आईई–गॉट प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है और अधिकांश कर्मचारियों ने 19 अक्टूबर से 25 अक्तूबर, 2024 तक आयोजित राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान आई–गॉट पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों पर 4 घंटे का प्रशिक्षण लिया है। विभाग के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार कर ली गई है और क्षमता निर्माण आयोग के परामर्श से अनुमोदित करा लिया गया है तथा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

*****

राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा और पुरस्कार वितरण समारोह

मत्स्यपालन विभाग
गैलरी
2024–25

एक पेड़ माँ के नाम अभियान
असोला भाटी वाइल्डलाईफ सेंचुरी, नई दिल्ली 28.09.2024

संविधान दिवस 2024

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

कृषि भवन एवं चन्द्रलोक बिल्डिंग में स्वच्छता अभियान

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

गणतन्त्र दिवस

योग दिवस

अध्याय 2

मात्स्यिकी क्षेत्र की गाथा

2.1 भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र – वर्तमान परिदृश्य

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान 8 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल अनुमानित मत्स्य उत्पादन 18.40 मिलियन मीट्रिक टन रहा जिसमें 13.91 मिलियन मीट्रिक टन अन्तर्देशीय क्षेत्र से और 4.49 मिलियन मीट्रिक टन समुद्री क्षेत्र से है। विगत पांच वर्षों में मात्स्यिकी क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.30% रही है । मात्स्यिकी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 2022–2023 में स्थिर कीमतों पर कुल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में मात्स्यिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 1,65,075 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कुल राष्ट्रीय जीवीए का लगभग 1.12 प्रतिशत और कृषि जीवीए का 7.26 प्रतिशत है। मात्स्यिकी और जलकृषि लाखों लोगों के लिए खाद्य, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र ने वर्ष 2021–22 से 2022–2023 के दौरान 7.58% (स्थिर मूल्य : 2011–12) की प्रभावशाली वृद्धि दर दिखाई है ।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, समुद्री उत्पादों का निर्यात 1.78 एमएमटी रहा और लगभग 2.67% (मात्रा में) की प्रभावशाली औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 60523.89 करोड़ रुपए (यूएसडी : 7.38 बिलियन) मूल्य का रहा।

भारत जल कृषि के माध्यम से मत्स्य का एक प्रमुख उत्पादक भी है और चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन देश के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत है और उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर भी उच्च रही है। मत्स्य उत्पादन 2000–01 में 5.66 एमएमटी से बढ़कर 2011–12 में 8.67 एमएमटी और 2023–24 में 18.40 एमएमटी हो गया है।

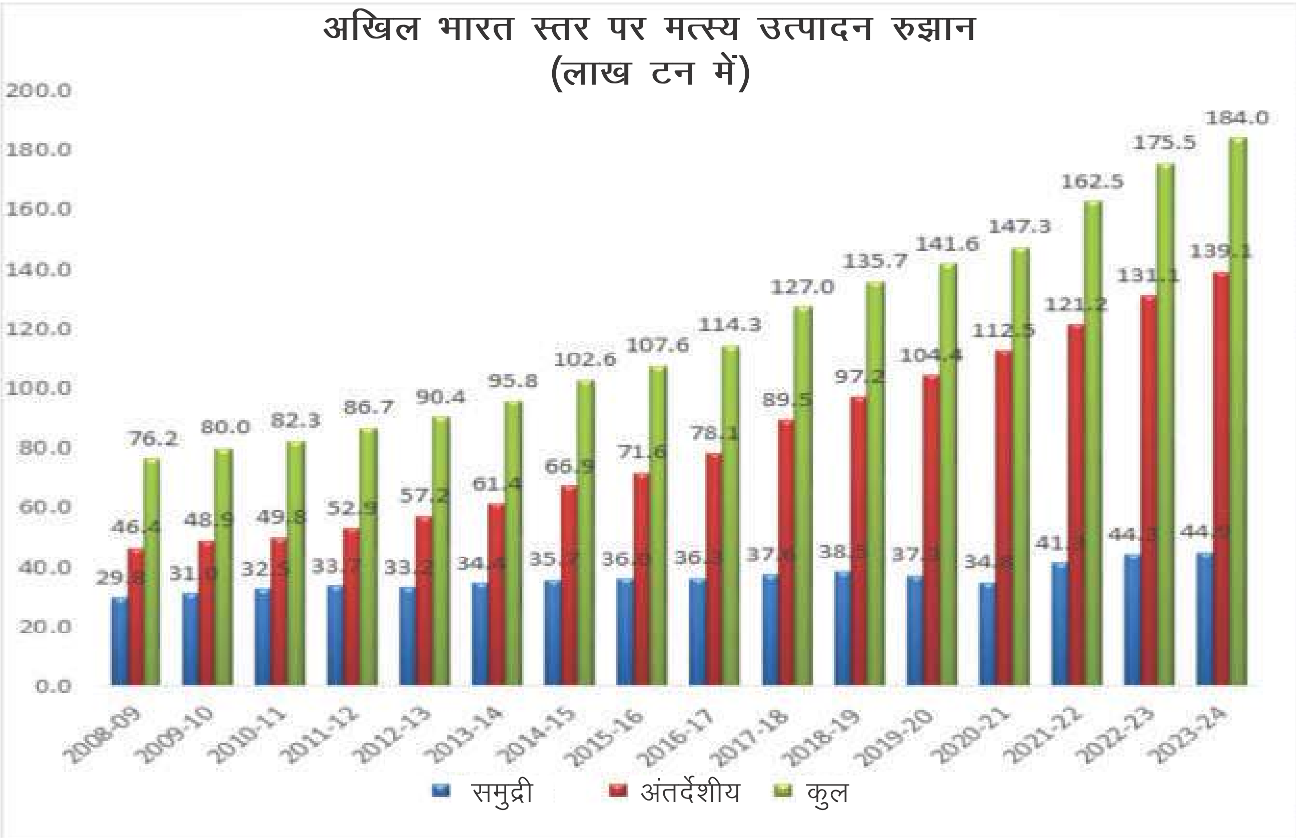

एनिमल प्रोटीन का एक सस्ता और समृद्ध स्रोत होने के कारण मत्स्य सेवन भूख मिटाने और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। इस क्षेत्र में अपने निर्यात को दोगुना करने की अपार क्षमता है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से सतत, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से इसके विकास में तेजी लाने के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र पर निरंतर और केंद्रित ध्यान दिया जा रहा है ।

विगत ढाई दशकों के दौरान अंतर्देशीय मात्स्यिकी में कैप्चर फिशरीज से जलीय कृषि की ओर बदलाव देखा गया है। अंतर्देशीय मात्स्यिकी में मीठे पानी की जलीय कृषि की हिस्सेदारी 1980 के मध्य में 34 प्रतिशत थी, जो हाल के वर्षों में बढ़कर लगभग 75 प्रतिशत हो गई है।

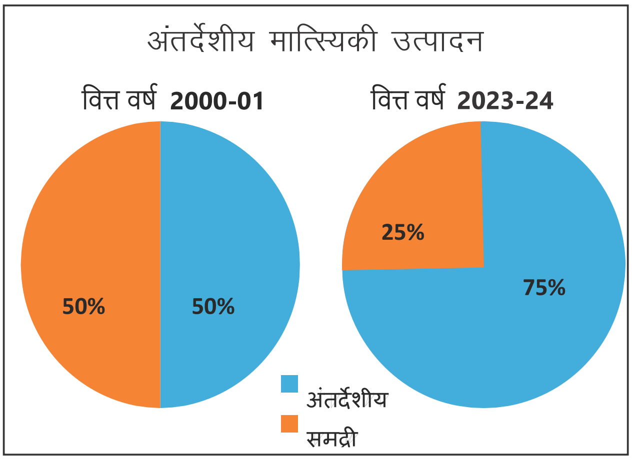

2.2 भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र

भारत में मात्स्यिकी की गाथा हडप्पा सभ्यता से आरंभ होती है। मत्स्य, मत्स्य व्यापार तथा मछुआरा समुदाय के संदर्भ संगम काल (पहली से चौथी शताब्दी ईसवी) के गीतों में मिलते हैं। वर्ष 1897 में बनाए गए 'भारतीय मात्स्यिकी अधिनियम' के माध्यम से भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र की भूमिका और इसके महत्व को मान्यता मिली। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास की आधारशिला रखी गई और देश में मात्स्यिकी के विकास और संरक्षण के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी की रूपरेखा तैयार की गई है। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को मत्स्य और मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए नियम / कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया ।

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) ने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ मात्स्यिकी योजना का खाका खींचा, जिसमें समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी, दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की गईं :

क. देशी जलयानों का यांत्रिकरण या नई यांत्रिक नौकाओं का शुभारंभ

ख. फिशिंग हार्बर सुविधाओं का विकास

ग. मछुआरों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति किया जाना

घ. विपणन गतिविधियों का विकास

ङ. आइस तथा कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान किया जाना और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना

च. मदर शिप क्रियाकलाप का आरंभ

छ. पर्स–सेनर और ट्रॉलर जैसे बड़े विद्युत चालित जहाजों द्वारा अपतटीय मत्स्यन का प्रावधान

ज. मत्स्यन योग्य नए सागरीय क्षेत्र का सर्वेक्षण और संग्रहण

झ. फ्राई का संग्रहण

इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 2019 में मत्स्यपालन विभाग का सृजन किया गया जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को गतिशीलता प्रदान करना तथा इस पर विशेष ध्यान देना है। इसके पश्चात, जून 2019 में एक स्वतंत्र मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय का सृजन किया गया ।

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से सतत एवं सामाजिक रूप से समानता के आधार पर मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ावा देना, भारतीय मात्स्यिकी की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करना, जलीय संसाधनों तथा आनुवांशिक विविधता का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, मूल्य संर्वधन तथा विपणन में इनफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, लाभप्रद रोजगार और क्षमता सुदृढ़ीकरण द्वारा मछुआरों और जलीय किसान समुदाय का उत्थान करना है ।

चूंकि मत्स्यपालन राज्य का विषय है, अतः एतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में विशेषरूप से मत्स्यन गांवों / तटीय मत्स्यन गांवों, मत्स्यन बन्दरगाहों तथा पत्तनों में राज्यों द्वारा मछुआरा समुदाय के कल्याण तथा उन्हें सहयोग

प्रदान करने के लिए निवेश किया गया है। तथापि, संसाधनों की आवश्यकता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / सलाह और नीतिगत निर्देशों के संबंध में बढ़ती अपेक्षाओं के ध्यानार्थ और मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की मंशा से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है। संयुक्त प्रयासों से मात्स्यिकी एक सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है जो भारत में खाद्य, पोषण, रोजगार, आय और आजीविका प्रदान कर रहा है। पारंपरिक से वाणिज्यिक में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप, मत्स्यपालन क्षेत्र में जो मत्स्य उत्पादन वर्ष 1950–51 में 0.75 मिलियन मीट्रिक टन था, वह वर्ष 2023–24 के दौरान बढ़कर 18.40 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इस क्षेत्र ने प्राथमिक स्तर पर लगभग 28 मिलियन मछुआरों तथा मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान की है और मूल्य श्रृंखला में जुड़े लाखों लोगों को भी आजीविका दी है।

2.3 मात्स्यिकी संसाधन

भारत के पास गहरे समुद्र से लेकर झीलों, तालाबों, नदियों तक मात्स्यिकी संसाधनों की प्रचुरता तथा विविधता है और मत्स्य तथा शैल–फिश प्रजातियों के संदर्भ में यह वैश्विक जैव–विविधता का 10 प्रतिशत से अधिक है । समुद्री मात्स्यिकी संसाधन देश के वृहत तटवर्ती तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव एकोनोमिक ज़ोन (ई. ई.जेड.)) और बड़े महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र में फैला हुआ है। अंतदेर्शीय मात्स्यिकी संसाधन नदियों तथा नहरों, झीलों के किनारे बाढ़ जल भराव झीलें, तालाबों, जलाशयों, खारे जल, लवणीय / क्षारीय प्रभावित क्षेत्रों आदि के रूप में उपलब्ध है।

2.3.1 समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी संस्थान

देश के समुद्री संसाधनों में 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, 0.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र और 8,118 किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्र शामिल है। भारतीय सागरों में समुद्री मात्स्यिकी क्षमता का आकलन 5.31 मिलियन मीट्रिक टन किया गया है जिसमें लगभग 43.3 प्रतिशत डिमर्सल, 49.5 प्रतिशत पेलेजिक, 4.3 प्रतिशत महासागर में पाए जाने वाले, 1.1 प्रतिशत अंतर्देशीय संसाधन तथा 1.8 प्रतिशत अन्य संसाधन शामिल हैं ।

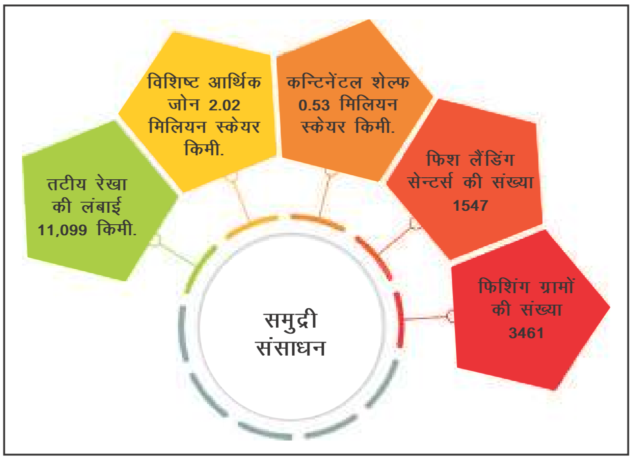

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, देश में समुद्री जल कृषि मुख्यतः मस्सल, एडिबल आयस्टर्स तथा पर्ल ओयस्टर्स जैसे बाइवल्व मोलस्क और कुछ हद तक सी वीड तक सीमित थी । विगत दशक के दौरान, सी केज फ़ार्मिंग से संबन्धित प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया और इन गतिविधियों की फारवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज, दोनों के लिए विकास योजनाओं की परिकल्पना की गई ताकि इन गतिविधियों को देश में सी–फूड उत्पादन में प्रमुख योगदानकर्ता बनाया जा सके ।

किन्तु अपेक्षित क्षमता के अनुरूप लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है । इन विशाल अंतर्देशीय संसाधनों में 0.195 मिलियन किलोमीटर नदियां तथा नहरे, 1.2 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ जल भराव झीलें, 2.45 मिलियन हेक्टेयर तालाब और टैंक तथा 3.15 मिलियन हैक्टेयर के जलाशय शामिल हैं।

'मात्स्यिकी विषय" भारत के संविधान की राज्य सूची (अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के तहत प्रविष्टि 21) में सूचीबद्ध है; हालांकि, केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। अंतर्देशीय क्षेत्र कुल मिलाकर पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि समुद्री क्षेत्र केंद्र और तटीय राज्य सरकारों के बीच एक साझा जिम्मेदारी है । तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बेस लाईन से 12 समुद्री मील (नौटिकल माईल्स) (22 किमी) तक की दूरी तक फैले समुद्री जल में मात्स्यिकी के विकास, प्रबंधन और विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (ईईजेड) में मात्स्यिकी विकास एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जो समुद्र में 12 नौटिकल माईल्स से आगे और 200 नौटिकल माईल्स तक का समुद्री क्षेत्र है ।

2.3.2 खाराजल या नदी का मुहाना जल निकाय (रिवर माउथ), अन्य ऐसे स्त्रोत हैं जिनमें ज्वार भाटा प्रभावों (टाईडल इफेक्ट्स) के कारण खारापन घटता बढ़ता रहता है। खारे जल निकायों में फिनफिश और शैलफिश, दोनों के पालन की असीम संभावना है। सीबाश, पर्ल स्पोट और झींगा जैसी मूल्यवान मत्स्य की कृषि बड़े पैमाने पर की जा सकती है। भारत में 1.24 मिलियन हेक्टेयर खाराजल क्षेत्र है जो सभी समुद्री तटीय राज्यों/संघ राज्यों में फैला हुआ है लेकिन इसमें खारेजल का केवल 15% हिस्सा ही व्यावसायिक फार्मिंग के लिए विकसित किया गया है। इसमें कुछ हद तक झींगा, ओएस्टर, मसल्स, क्रैब, लोबस्टार सीबास, ग्रुपर्स, मुलैट्स, मिल्क फिश, कोबिया, सिल्वर पोम्पानों, पर्लस्पाट, ऑरनामेंटल मछलियां और सी वीड की ही फार्मिंग की जा रही है। तटीय जल कृषि क्षेत्र को टिकाऊ रूप से विकसित करने के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.) 2 कि.मी. की हाई टाइड लाइन के भीतर खाराजल क्षेत्र में इन मात्स्यिकी गतिविधियों का विनियमन कर रहा है ।

2.3.3 समुद्री मात्स्यिकी में की गई विशेष गतिविधियाँ

समुद्री शैवाल कृषि (सी–वीड कल्टीवेशन) संभावित क्षेत्रों में से एक है, जिससे तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए समुद्री कृषि के लिए नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होने और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लंबी तटरेखा और एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन (ईईजेड) के साथ, भारत में समुद्री शैवाल की खेती और समुद्री शैवाल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बहुत गुंजाइश है। समुद्री शैवाल की लगभग 844 प्रजातियाँ बताई गई हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रजातियाँ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

विभाग और एनएफडीबी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्यमियों के साथ संयुक्त हस्तक्षेप के माध्यम से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नीति और इन्फ्रास्ट्रचर में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना, खेती के लिए अनुकूल स्थानों की पहचान के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, उपयुक्त खेती प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान हस्तांतरण, जर्मप्लाज्म आयात, आसानी से सुलभ समुद्री शैवाल बीज बैंकों की स्थापना आदि जैसे केंद्रित हस्तक्षेपों को विभाग द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है।

आर्टिफिश्यल रीफ्स (एसीआर), एक ऐसी तकनीक है जो समुद्री जीवन के लिए एक ठोस आधारशिला प्रदान करता है, मछलियाँ इन आर्टिफिश्यल रीफ्स की ओर आकर्षित होती हैं और वे इन आर्टिफिशियल रीफ्स पर पाए जाने वाले एलगे और अन्य जीवों का उपभोग करती हैं। अप्रयुक्त क्षेत्रों में उत्पादन और मात्स्यिकी क्षमता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में एआर का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिश्यल रीफ्स का मुख्य उद्देश्य मछलियों को बसेरा प्रदान करना, जैव विविधता को बढ़ाना, किशोर (जुवेनाईल) और परिपक्व (मैचुयर) जलीय जीवों को आश्रय प्रदान करके जलीय जीवों की आबादी को बढ़ाना, एलगे और मोलस्क कल्चर के लिए नए आधार प्रदान करना, मत्स्य जीवन चक्र और कनेक्टिविटी को विनियमित करने के लिए संभाव्य समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) नेटवर्क स्थापित करना, प्रोफेशनल और रेक्रीयेशनल फिशेरीस को बढ़ाना, गोताखोरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र तैयार करना और तटीय गतिविधियों का प्रबंधन करने, संघर्षों को कम करने और अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक माध्यम प्रदान करना है। विभाग उपयुक्त स्थानों पर तटीय बेल्ट में आर्टिफिश्यल रीफ्स स्थापित करने के लिए विशेष परियोजनाएं चला रहा है।

2.3.4 अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधन

अंतर्देशीय मात्स्यिकी में शानदार रूप से वृद्धि हुई है, हालाँकि इसकी क्षमता के संदर्भ में वृद्धि की दर अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हुई है। विशाल अंतर्देशीय संसाधनों में 0.195 मिलियन किमी नदियाँ और नहरें, 1.2 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ के मैदान की झीलें, 2.45 मिलियन हेक्टेयर तालाब और टैंक और 3.15 मिलियन हेक्टेयर जलाशय शामिल हैं।

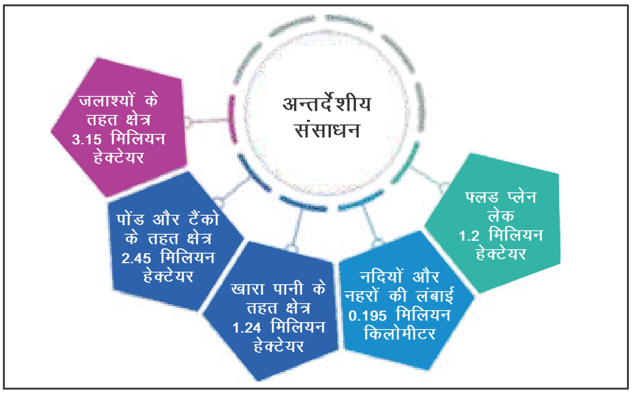

पर्यावरण के अनुकूल और गहन जलीय कृषि तकनीकों को अपनाना, रोग प्रतिरोधी और तेजी से वृद्धि वाली मत्स्य किस्मों पर शोध, बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए ई—कॉमर्स और मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूत करना और निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश में वृद्धि से देश के अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

2.3.5 मीठे पानी की जलीय कृषिः भारत में नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों, जलाशयों, अपलैंड झीलों और बाढ़ के मैदानों के रूप में समृद्ध और विविध अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि संसाधन हैं, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 5.8 प्रतिशत से अधिक हिस्से को कवर करते हैं और अनादि काल से लोगों की आजीविका, आय और पोषण में सहायता प्रदान करते हैं। ये जल निकाय दुनिया के सबसे समृद्ध और विविध मत्स्य जीवों में से एक हैं, जिसमें 326 वर्ग से संबंधित 1035 मत्स्य प्रजातियां शामिल हैं, जो दुनिया भर में दर्ज कुल 30,700 मत्स्य प्रजातियों में से हैं। अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, लिंग सशक्तीकरण, सांस्कृतिक सेवाओं, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और जैव विविधता के लिए अनिवार्य है। अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समानता लक्ष्य अंतर्देशीय संसाधनों से सतत आर्थिक, जैविक और सामाजिक लाभ उत्पन्न करना है।अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समग्र रूप से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वैज्ञानिक प्रजनन और बेहतर जलीय कृषि तकनीकों के कारण भारत के अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रमुख प्रजातियों में इंडियन मेजर कार्प (कैटला, रोहू, मृगल), एग्जोटिक कार्प (सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प), कैटफिश (पंगासियस, मागुर) और शेलफिश (झींगा और स्कैम्पी) शामिल हैं। हैचरी आधारित सीड उत्पादन और आनुवंशिक रूप से उन्नत मत्स्य किस्मों ने जलीय कृषि उपज को बढ़ावा दिया है। बायोफ्लोक और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) सतत मत्स्यपालन के लिए अच्छी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं। यह क्षेत्र लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत मत्स्य और समुद्री खाद्य निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जिसमें जलीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है।

अंतर्देशीय खुले जल निकाय जैसे जलाशय, झीलें, नदियाँ, बील आदि मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे जलाशय में केज कल्चर, रिवर रेंचिंग, नदी और जलाशय के मछुआरों को नावों और जालों के रेप्लेसमेंट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, जलाशयों और आर्द्रभूमि में फिंगरलिंग्स का भंडारण, अंतर्देशीय खुले जल संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए जलाशयों का एकीकृत विकास।

2.3.6 जलाशयः भारत में 3.15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जलाशय हैं, जो उन्हें अंतर्देशीय मात्स्यिकी विकास के लिए एक विशाल संसाधन बनाते हैं, इसलिए भारत के कुल अंतर्देशीय मात्स्यिकी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने, खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लाखों छोटे पैमाने के मछुआरे अपनी आजीविका के लिए जलाशयों पर निर्भर हैं, जबकि जलाशयों में समुदाय— आधारित मात्स्यिकी रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हैं।

जलाशय मत्स्य भंडारण और प्रबंधन के लिए एक नियंत्रित और स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं, जो सुविधा नदियों में नहीं हैं । बड़े जलाशय केज कल्चर में सहायता प्रदान करते हैं, और ये तिलापिया, पंगेसियस और इंडियन मेजर कार्प जैसी प्रजातियों की उच्च घनत्व वाले मत्स्यपालन के अनुकूल हैं।

जलाशय विभिन्न देशी मत्स्य प्रजातियों के लिए आवास के रूप में काम करते हैं, जिनमें संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियाँ भी शामिल हैं। वे प्राकृतिक नदी प्रणालियों का अत्यधिक उपयोग किए बिना स्थायी मात्स्यिकी को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे मत्स्यपालन के लिए पानी के तापमान और उपलब्धता को विनियमित करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बफर सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। कृषि के साथ जलाशय मात्स्यिकी जैसे एकीकृत दृष्टिकोण (जैसे, चावल—मत्स्यपालन) स्थिरता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं।

जबकि कई राज्यों में मात्स्यिकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जलाशय पट्टे, भंडारण और सहकारी प्रबंधन की

नीतियां हैं, उन्हें अक्सर उनकी अप्रयुक्त क्षमता के कारण 'स्लीपिंग जाइंट्स' के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, जाँच, नियंत्रण और निगरानी को बढ़ाकर और निरंतर सामुदायिक भागीदारी के द्वारा इस उत्पादन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। उचित वैज्ञानिक प्रबंधन से मत्स्य उत्पादकता में वर्तमान निम्न स्तर से वृद्धि होगी। सर्वोत्तम जलीय कृषि पद्धति को अपनाने और उसका अनुपालन करने तथा जलाशयों के एकीकृत विकास से, मात्स्यिकी के लिए जलाशयों के बढ़े हुए उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र से समझौता किए बिना मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

2.3.7 वेटलैंड और बील: वेटलैंड और बील भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्ट्म) हैं। वे मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने, आजीविका सहायता प्रदान करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वेटलैंड्स में देश भर में फैले बील, ऑक्सबो झील और बाढ़ के मैदान के वेटलैंड शामिल हैं। ये जल निकाय विविध देशी मत्स्य प्रजातियों को सहायता प्रदान करते हैं, जिनमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण आईएमसी, हिल्सा और मागुर जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं। कई बील सेल्फ–रिकर्युटमेंट सिस्टम हैं जहाँ मछलियाँ स्वाभाविक रूप से प्रजनन करती हैं, जिससे निरंतर मत्स्य की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

वेटलैंड्स और बील में मात्स्यिकी हजारों पारंपरिक मछुआरों को रोजगार प्रदान करती है, खासकर असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। वेटलैंड्स में प्राकृतिक पोषक चक्र होते हैं, जो कृत्रिम जल निकायों की तुलना में उच्च मत्स्य उत्पादकता को सहायता प्रदान करते हैं। वेटलैंड्स और बील प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, अतिरिक्त मानसून के पानी को अवशोषित करते हैं और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। वे शुष्क मौसम के दौरान पानी को बनाए रखकर सूखे से निपटने में सहायता करते हैं, जिससे साल भर मत्स्य की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

वेटलैंड्स का उपयोग एकीकृत कृषि मॉडल के लिए किया जा सकता है, जैसे चावल–मत्स्यपालन (बाढ़ वाले धान के खेतों में मत्स्यपालन), बत्तख–मत्स्यपालन, जहाँ बत्तख कीटों को नियंत्रित करने और पानी को उर्वर बनाने में मदद करती हैं और कृषि–मत्स्यपालन प्रणाली, जिसमें सब्जी या पशुधन खेती के साथ जलीय कृषि को जोड़ा जाता है।

इस प्रकार उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्टॉक वृद्धि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके, स्थायी जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए केज और पेन कल्चर पहल और स्थानीय मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए समुदाय–आधारित पट्टे की नीतियों को प्रोत्साहित करके क्षमता का लाभ उठाया जा सकता है।

2.3.8 ठंडे पानी के संसाधन मुख्य रूप से हिमालयी गलियारे जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मध्यम से उच्च ऊंचाई पर स्थित ऊपरी जलधाराओं, नदियों, झीलों और जलाशयों के रूप में वितरित किए जाते हैं। ठंडे पानी की मात्स्यिकी में एग्जोटिक रेनबो ट्राउट जैसी उच्च मूल्य वाली ठंडे पानी की प्रजातियों की व्यावसायिक खेती सफलतापूर्वक की गई है और इसने सराहनीय प्रगति की है।

2.3.9 मिट्टी का लवणीकरण एक पारिस्थितिक खतरा है जो कृषि उत्पादन और कृषक समुदाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। अंतर्देशीय लवणीय क्षेत्रों का लगभग 40 प्रतिशत (92.33 लाख हेक्टेयर) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित है और इसका उपयोग किसी भी कृषि गतिविधि के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार, बंजर भूमि को धन भूमि में बदलने के लिए जलीय कृषि के माध्यम से इन मिट्टी का उत्पादक उपयोग शुरू किया गया है।

चार राज्यों के लवणीय प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य और झींगा पालन पहले ही शुरू किया जा चुका है और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक नया क्षेत्र प्रदान करता है। इस प्रकार चार राज्यों के झींगा किसान अच्छी उत्पादकता दिखाते हुए झींगा पालन को बढ़ावा दे रहे हैं।

पारंपरिक कार्प कल्चर को उच्च मूल्य वाली श्रीम्प कल्चर में विविधीकृत करने तथा एल. वन्नामेई, सी बास और खारे मृदा/जल आदि के लिए अन्य संभावित मत्स्य प्रजातियों जैसी नई प्रजातियों को शामिल करके कार्प कल्चर में मूल्य संवर्धन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। झींगा, केकड़ों और फिन मछलियों की कुछ वाणिज्यिक कल्चर के लिए अब तक हैचरी और सीड उत्पादन तकनीकों को मानकीकृत किया गया है।

2.3.10 देश में मात्स्यिकी के लिए की गई विशेष गतिविधियाँ

ओरर्नमेंटल फिशरीज दुनिया में लगभग 100 मिलियन होबईस्ट (शौकीनों) के साथ दूसरा सबसे लोकप्रिय शौक है। चूँकि भारत का वैश्विक ओर्नामेंटल फिशरीज निर्यात में हिस्सा नगण्य है (0.53% और आयात हिस्सा 0.42%) इसलिए अपार संभावनाओं और अनुकूल वातावरण को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा ओरनामेंटल फिशरीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। संभावित स्रोतों, मत्स्य उत्पादन, विपणन आदि के आधार पर संभावित राज्यों में ओर्नामेंटल फिशरीज के आगे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ओर्नामेंटल वैल्यू चैन के मूल्यांकन और विश्लेषण पर परियोजना शुरू की गई है। ओर्नामेंटल फिशरीज के विकास के लिए पहचाने गए संभावित राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, असम और मणिपुर हैं।

रिवर रेंचिंग स्कीम नदियों में घटते फिश स्टॉक को फिर से भरने के लिए रिवर रेंचिंग स्कीम को प्राथमिकता वाली गतिविधि के रूप में लिया गया है। देशी स्टॉक के सीड रेंचिंग द्वारा नदियों में देशी प्रजातियों का उत्पादन, नदी के किनारे लैंडिंग केंद्रों का उन्नयन और मछुआरों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लक्षित किया जा रहा है। भारत में 14 प्रमुख, 44 मध्यम और कई छोटी नदियाँ हैं जो 2.52 लाख किलोमीटर तक बहती हैं और वर्तमान में 1 लाख टन उत्पादन में योगदान देती हैं।

नदी मात्स्यिकी की क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए, विभाग देशी मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण और रिवर रेंचिंग प्रेक्टिस द्वारा प्राकृतिक उत्पादकता बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नीली क्रांति के तहत रिवर रेंचिंग में 41 संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। गंगा और महानदी नदी प्रणाली की सहायक नदियों और गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और सिंधु नदी में रिवर रेंचिंग को लागू किया जा रहा है।

2.4 ध्यान केन्द्रित किए गए क्षेत्र और भावी उपाय

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता बढ़ाई जाए और मत्स्य उत्पादन के अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाए जैसे एकीकृत मत्स्यपालन, शीतजल मत्स्यपालन, नदी में मत्स्यपालन, कैप्चर फिशेरीस, खारे जल में मत्स्यपालन आदि। अतः हाल ही के उपायों में एकीकृत मत्स्यपालन, कार्प पॉली कल्चर, फ्रेश वॉटर प्रान कल्चर, बहते पानी में मत्स्य कृषि और नदी में मत्स्यपालन के माध्यम से तालाबों और टैंकों में गहन जल कृषि को लक्षित किया गया है।

मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ (सस्टेनेबल) रूप से जल कृषि के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार किया जाना एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है। इस संदर्भ में, परित्यक्त जल स्रोत काफी उपयोगी हो सकते हैं और देश में भावी मत्स्य की मांग की पूर्ति के लिए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकते हैं। इस समय, देश में लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर बील्स और अन्य परित्यक्त जल स्त्रोत हैं। इन जल स्त्रोतों को मत्स्यपालन के दायरे में लाने से मत्स्य उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इन जल स्रोतों में मत्स्यपालन का विस्तार किया जा सकेगा, इस प्रकार मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह फोकस क्षेत्रों में से एक है।

विभाग इस बात से अवगत है कि दीर्घा रूप से, समुद्री और अंतर्देशीय, दोनों क्षेत्रों में टिकाऊ रूप से विकास लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और फीड की उपलब्धता की आवश्यक है। बीज उत्पादन 2014–15 में 39348.7 मिलियन से बढ़कर 2023–24 में 78024.8 हो गया है। क्षेत्र में बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, विभाग ने पिछले दशक के दौरान (ब्लू रेवोल्यूशन और पीएमएमएसवाई के तहत) जल कृषि मूल्य श्रृंखला में परिवर्तन लाने के लिए 1408 हैचरियों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस प्रकार, देश भर में ब्रूड बैंक और हैचरी की स्थापना करना विभाग के लिए एक प्राथमिक क्षेत्र है।

उत्पादकता में सुधार लाने की मंशा से इस क्षेत्र में जिम्मेदार जलीय कृषि, जल रोगों की रोकथाम और प्रबंधन, जैविक खेती, और प्रेरित प्रजनन, अन्य चुनौतियां हैं जिनपर कार्य किया जा रहा है।

एक क्षेत्र जिस पर जोर दिया जा रहा है, वह है फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण, जिसके अन्तर्गत निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हार्बर की स्वच्छता सुविधाओं में सुधार लाया जा रहा है। आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट द्वारा नीलामी हॉल का सुधार, मत्स्य पैकिंग हॉल के साथ ट्रक पार्किंग एरिया का निर्माण, स्वच्छता तथा जलापूर्ति संबंधी सुविधाओं में सुधार, विद्युतीकरण और ड्रेनेज प्रणाली में सुधार, वार्फ बैक–अप एरिया की रीसरफेसिंग, मौजूदा भवनों का आधुनिकीकरण, फिंगर जेट्टी का निर्माण, मौजूदा आरसीसी जेट्टी का नवीकरण, वार्फ फ्रंटेज एरिया

की रि–फ्लोरिंग, टॉवर लाइटिंग ढांचे का नवीकरण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निर्माण, चिल्ड फिश स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण तथा आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग प्लांट, फ्लोटिंग डोक/स्लीप वे/स्लीप लिफ्ट/ड्राई डॉक का निर्माण तथा कृषि–निर्यात प्रबंधन आदि गतिविधियों की परिकल्पना की गई है।

*****

अध्याय 3

मत्स्यपालन विभाग की प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम

3.1 प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

नीली क्रांति (ब्लू रेवोल्यूशन) की उपलब्धियों को समेकित करने और इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019—20 के अपने केंद्रीय बजट में एक नई योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" की घोषणा की। एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में चिंता वाली कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करना, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, पोस्ट—हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन में सुधार करना और आधुनिक मूल्य श्रृंखला और ट्रेसबिलिटी को बढ़ावा देना, सुदृढ़ मत्स्य प्रबंधन और मछुआरों के कल्याण के लिए रूपरेखा तैयार करना है। एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मात्स्यिकी की संभावनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया है ।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे कार्यान्वयन योग्य योजना बनाने के लिए और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए एक उपाय के रूप में राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को प्रारंभ से शामिल किया गया है । सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मत्स्यपालन गतिविधियों की स्थिति के आकलन और मूल्यांकन के बाद ही यह योजना तैयार की गई है । कार्यान्वयन करते समय सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक कार्य रीतियों पर पहुंचने और लक्ष्यों की मात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए गहन चर्चा की गई थी ।

3.1.1 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य:

क. स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मात्स्यिकी क्षेत्र की संभावनाओं का उपयोग

ख. भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना

ग. वैल्यू चैन का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार

घ. मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगुना करना और रोजगार का सृजन

ङ. राष्ट्रीय और कृषि सकल मूल्य वर्धन (जी वी ए) और निर्यात में योगदान बढ़ाना

च. मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा

छ. सशक्त मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा

विज़न

"पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र जो स्थायित्व के साथ जिम्मेदार तरीके से मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि एवं कल्याण में तथा देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है"

मिशन

तालाबों में हाई डैन्सिटि एक्वाकल्चर, री सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टेम (आरएएस), बायो फ्लोक्क, केज कल्चर, लाईव फीड टेक्नोलोजी, ब्लॉक चेन, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता संरक्षण और विपणन आदि प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और इन्हें अपनाने को प्रोत्साहित करना।

3.1.2 प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का घटक

पीएमएमएसवाई दो अलग–अलग घटकों के साथ एक समग्र योजना है। अर्थात् (क) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) और (ख) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) । केंद्र प्रायोजित योजना को आगे निम्नलिखित तीन व्यापक शीर्षों के अंतर्गत गैर–लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप–घटकों गतिविधियों में विभाजित किया गया है:

क. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

ख. इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट – हार्वेस्ट प्रबंधन

ग. मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा

पीएमएमएसवाई को कुल 20,050 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित निवेश पर मंजूरी दी गई है जिसमें 9,407 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश, 4, 880 करोड़ रुपए का राज्य अंश और 5,763 करोड़ रुपए का लाभार्थी योगदान शामिल है ।

3.1.2.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना

पीएमएमएसवाई की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत पूरी परियोजना/इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी (अर्थात 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण) और जहां भी प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख यानी व्यक्तिगत/समूह गतिविधियां होंगी उनका संचालन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) सहित केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय सहायता, सामान्य श्रेणी के लिए इकाई/परियोजना लागत का 40 प्रतिशत होगी और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /महिला श्रेणी के लिए 60 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी । इसमें वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए 1,720 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत शामिल विभिन्न घटक / गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:–

क) आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम (जेनेटिक इमप्रूवमेंट प्रोग्राम्स) और नूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर (एन बी सी)

ख) नवाचार और अभिनव परियोजनाएं / गतिविधियाँ, स्टार्टअप, इन्क्यूबेटरों और पायलट परियोजनाओं सहित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

ग) प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण

घ) जलीय संगरोध सुविधाएं

ङ) केंद्र सरकार और इसकी संस्थाओं के फिशिंग हारबर्स का आधुनिकीकरण

च) एनएफडीबी, मात्स्यिकी संस्थानों और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के नियामक प्राधिकारियों को सहयोग और राज्य मत्स्यपालन विकास बोर्ड को आवश्यकतानुसार सहायता ।

छ) सरकार के स्वामित्व वाले ड्रेजर टीएसडी सिंधुराज सहित मात्स्यिकी संस्थानों के लिए प्रशिक्षण पोतों और सर्वेक्षण के लिए सहायता

ज) रोग की मॉनिटरिंग और सरवेलेन्स

झ) मत्स्य डेटा संग्रहण, मछुआरों के सर्वेक्षण और मात्स्यिकी डेटाबेस को मजबूत बनाना

ञ) समुद्र में समुद्री मछुआरों की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सपोर्ट

ट) मत्स्य किसान उत्पादक संगठन / कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस)

ठ) प्रमाणन, मान्यता, ट्रेसबिलिटी और लेबलिंग

ड) पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय (दोनों केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों के व्यय को पूरा करने के लिए)

3.1.2.2 केंद्र प्रायोजित योजना

पीएमएमएसवाई की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक को आगे गैर–लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप घटकों में विभाजित किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 18,330 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यापक घटक / गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं ।

केन्द्र प्रायोजित योजना घटक के रूप में प्रस्तावित गतिविधियां ।

3.1.3 केंद्र प्रायोजित घटक के फंडिंग पैटर्न

केंद्र प्रायोजित घटक (सीएसएस) के अंतर्गत, व्यक्तिगत/समूह गतिविधियों उप–घटकों/ गतिविधियों हेतु राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक के अंतर्गत गतिविधियों में केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना इकाई की लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी और अनुसूचित जाति / अनु॰ जनजाति महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत तक सीमित होगी। सरकारी वित्तीय

सहायता को निम्नलिखित अनुपात में केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझा किया जाएगा ।

क. उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यः केंद्रीय अंश 90 प्रतिशत और राज्य का अंश 10 प्रतिशत ।

ख. अन्य राज्यः केंद्रीय अंश 60 प्रतिशत और राज्य का अंश 40 प्रतिशत ।

ग. केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना) 100 प्रतिशत केंद्रीय अंश (केंद्र शासित प्रदेश का कोई शेयर नहीं)

राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले केंद्र प्रायोजित घटक (सी.एस.) के अंतर्गत गतिविधियों/गैर–लाभार्थी उन्मुख उप–घटकों हेतु संपूर्ण परियोजना / इकाई लागत को निम्न विवरण अनुसार केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साझा किया जाएगाः

क. उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यः केंद्रीय अंश 90 प्रतिशत और राज्य का अंश 10 प्रतिशत ।

ख. अन्य राज्यः केंद्रीय अंश 60 प्रतिशत और राज्य का अंश 40 प्रतिशत ।

ग. केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना) : 100 प्रतिशत केंद्रीय अंश

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत " मत्स्यन प्रतिबंध /मंदी की अवधि" के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े और सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए "आजीविका और पोषण संबंधी सहायता" के बारे में साझा फंडिंग पैटर्न नीचे संक्षेप में प्रस्तुत है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	फंडिंग पैटर्न	अंशदान
(i)	(ii)	(iii)
सामान्य राज्य	50:50 केंद्र और सामान्य राज्य	केंद्र शेयर 1500 रु. +राज्य शेयर 1500 रु. +लाभार्थी 1500 रु. =4500/–रु.– प्रति वर्ष
उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य	80:20 केंद्र और उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य	केंद्र शेयर 2400 रु. + राज्य शेयर 600 रु. +लाभार्थी शेयर 1500 रु. =4500/– प्रतिवर्ष
केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 % केंद्रीय अंश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना)	केंद्र शेयर 3000/– रु. +लाभार्थी शेयर 1500 रु. =4500/– प्रतिवर्ष

3.1.4 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का परिणाम

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में 5 साल (2020 दृ 2025) की अवधि में स्थायी आधार पर सालाना लगभग 9 % की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना तभी संभव हो सकता है जब 2024–25 के अंत तक उत्पादन का लक्ष्य 22 एमएमटी होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के परिणामस्वरूप, निर्यात आय दोगुनी होकर 100000 /– करोड़ रुपए और 5 वर्षों में मात्स्यिकी क्षेत्र में लगभग 55 लाख का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में आगे जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टर तक बढाने, घरेलू मत्स्य खपत बढ़ाने और अन्य स्रोतों से मात्स्यिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का उद्देश्य हैं । फिशिंग वेसल्स के लिए बीमा योजना पहली बार प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही है। वर्ष 2015–19 के दौरान उत्पादन (वास्तविक और निर्धारित लक्ष्य) तथा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अनुसार लक्ष्य नीचे ग्राफ में दिया गया है ।

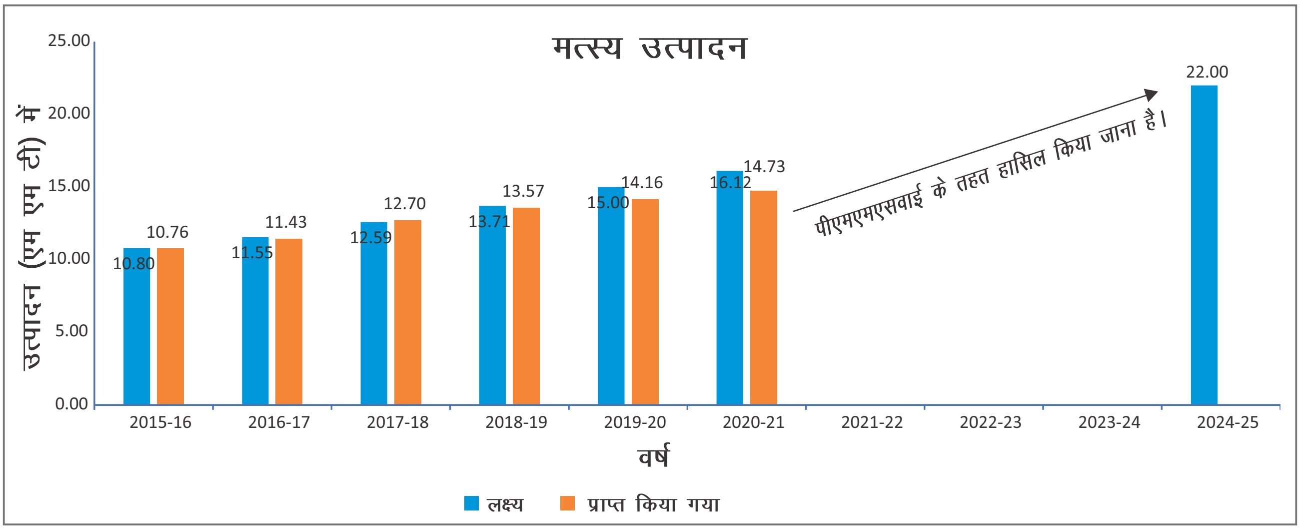

3.1.5 परियोजनाओं को अनलॉक करने के लिए रणनीति

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि विकास के लिए कार्यक्रम और रणनीतियां इस क्षेत्र के लिए पहचाने गए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई हैं। जहां भी संभव हो, 'क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण' पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें योजना के अंतर्गत परिकल्पित संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण पर समान रूप से मजबूत फोकस के साथ उपयुक्त बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज शामिल हैं।

3.1.6 मात्स्यिकी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण

विभिन्न उत्पादनोन्मुख गतिविधियों का एकीकरण जैसे: (i) हैचरी की स्थापना करके गुणवत्ता वाले फिश सीड का उत्पादन (ii) स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से लागत प्रभावी फ़ीड का उत्पादन (iii) व्यवहार्य जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की उपलब्धता (iv) पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं का निर्माण (v) जहां वाणिज्यिक जलीय कृषि की जाती है, वहां आस–पास विपणन सुविधाएं मत्स्य उत्पादन को बढ़ाएंगी और उद्यमियों और प्रगतिशील मत्स्य किसानों के बीच समूह बनाकर क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से अच्छे जलीय कृषि अभ्यास (जीएपी) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(क) तालाब जलकृषि (पॉण्ड एक्वाकल्चर): यह देश में जलकृषि की सबसे आम विधि और मत्स्य उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। अर्ध गहन से गहन जलकृषि के माध्यम से मौजूदा तालाबों और टैंक संसाधनों का प्रभावी उपयोग विभाग की प्राथमिकता वाली गतिविधियों में से एक है।

(ख) आर्द्रभूमि और जलाशयों में कल्चर आधारित मत्स्यपालन: जब खुले पानी की प्रणाली में फिश हारवेस्ट पूरी तरह या मुख्य रूप से आर्टिफिशियल रिक्रूटमेन्ट (स्टॉकिंग) पर निर्भर करती है, तो इसे कल्चर आधारित मात्स्यिकी कहा जाता है। जलाशयों में कल्चर आधारित मात्स्यिकी / कल्चर बेस्ड फिशरीस (सीबीएफ) और केज फ़ार्मिंग जैसी कृषि तकनीक के विभिन्न तरीकों के माध्यम से जलाशय मत्स्यन प्रबंधन में इन दिनों गति आई है क्योंकि यह देश के बढ़ते मानव संसाधन के लिए रोजगार पैदा करने में साबित सिद्ध हुई है। आर्द्रभूमि सबसे अधिक उत्पादक जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक है, जो समृद्ध जैव विविधता को सहायता प्रदान करती है और मीठे पानी की मछलियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन और प्रजनन स्थल हैं। इसके अलावा, बाढ़ के मैदानी आर्द्रभूमि उत्पादन और आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आर्द्रभूमि और जलाशय में देशी प्रजातियों के फिंगरलिंग्स की स्टॉकिंग, एक्स–सीटू फिंगरलिंग उत्पादन के लिए पर्याप्त पालन स्थान विकसित करने और फ्लोटिंग केज और पेन में इन–सीटू सीड उत्पादन द्वारा जलाशय और आर्द्रभूमि से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा।

(क) मत्स्य बीज उत्पादन: जलीय कृषि और कृषि आधारित मत्स्यपालन के लिए गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज एक प्रमुख आवश्यकता है। आईसीएआर–केंद्रीय मीठा जल जीवपालन अनुसंधान संस्थान (सीआईएफए) और आईसीएआर–राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर) के तकनीकी सहयोग से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के अच्छे गुणवत्ता वाले ब्रूडर

के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा एक राष्ट्रीय मीठे पानी के मत्स्य ब्रूड बैंक की स्थापना की गई है। बीज उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विचार किए जाने वाले अन्य मुद्दे प्रत्येक राज्य में ब्रूड बैंकों की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण ब्रूड को बनाए रखने और उन्हें रखने के साथ–साथ नर्सरी पालन के लिए हैचरी का उन्नयन हैं। प्रयोगशाला से किसानों के खेतों तक प्रजनन और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ख) फीड आधारित जलकृषि का संवर्द्धनः लक्षित उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए एक्सट्रूडेड फीड आधारित जलकृषि को लोकप्रिय बनाने के अलावा मत्स्य फीड मिलों का विकास और मौजूदा फीड मिलों से फीड उत्पादन को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) कल्चर वाली विभिन्न प्रजातियों को समाहित करनाः भारत में मीठे पानी की जलीय कृषि कार्प–केंद्रित है, अतः विदेशी प्रजातियों और विविध प्रजातियों को शुरू करना जो देशी प्रजातियों और इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव डाले बिना मत्स्य उत्पादन में अपना योगदान दे सकें।

(घ) स्पेसिफिक पैथोजन फ्री (एसपीएफ) श्रिम्प सीड के लिए अतिरिक्त इनफ्रास्ट्रक्चरः श्रिम्प ब्रूड मल्टीप्लीकेशन सेन्टर्स (बीएमसी) वे सुविधाएं हैं जो न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनएमबी) से विशिष्ट रोगजनक मुक्त / (ङ) स्पेसिफिक पैथोजन फ्री (एसपीएफ) पोस्ट लार्वा (पीएल) प्राप्त करते हैं और सख्त जैव सुरक्षा और रोग निगरानी के अंतर्गत हैचरी को आपूर्ति के लिए वयस्क ब्रूड स्टॉक तक पीएल का पालन करते हैं। श्रिम्प सीड की आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए अधिक बीएमसी और हैचरी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वे क्षेत्र जिन्हें संबंधित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), और सागरमाला आदि के साथ अभिसरण के लिए मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीति स्तर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।

3.1.7 जलीय जीव रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम/नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम फॉर एक्वूयाटिक एनिमल डीसीसेज़ (एनएसपीएएडी)

मात्स्यिकी और जलीय कृषि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। जलीय कृषि में शानदार वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति मत्स्य आपूर्ति एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। विगत कुछ वर्षों में जलीय कृषि क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि देखी जा रही है, हालाँकि, बीमारियाँ जलीय कृषि के विकास में बड़ी बाधा हैं। बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए जलीय जीवों की बीमारियों की निगरानी ज़रूरी है, जिससे उनके प्रभाव को कम किया जा सके।

जलीय कृषि प्रथाओं की गहनता और विविधीकरण द्वारा जलीय कृषि के विकास में रोग के प्रकोप के साथ–साथ नए क्षेत्रों में रोगजनकों का प्रसार महत्वपूर्ण खतरा है। राष्ट्रीय स्तर की रोग निगरानी देश में रोग की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है । जलीय जीवों के मामले में, यह जलीय जीव रोगों के प्रसार के जोखिम को नियंत्रित करने और कम करने के प्रयासों के बेहतर रूप से लक्षित करता है, रोग आपात स्थिति की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है, अधिक विशिष्ट आकस्मिक योजना की सुविधा देता है और देश के जलीय जीव स्वास्थ्य की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को मजबूत करता है।

जलीय जीव रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम/नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम फॉर एकूयाटिक एनिमल डीसीसेज़ (एनएसपीएएडी) की शुरुआत अप्रैल, 2013 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलीय जीव रोगों की निगरानी और उनके प्रसार पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई थी। यह प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन और अंततः स्थायी जलीय कृषि के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलीय जीवों में व्यापार से जुड़े रोगजनकों के हस्तांतरण के जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक रूप से सटीक और लागत प्रभावी जानकारी प्रदान करना और उत्पादन क्षमता में सुधार करना है । कार्यक्रम का अन्य उद्देश्य उन्नत नैदानिक तकनीकों के माध्यम से नए और बाहर से आए संक्रामक रोगों का तेजी से पता लगाना है । यह एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र या एक विशिष्ट आबादी के भीतर चिंता के रोगों से मुक्ति को प्रमाणित करने में भी मदद करता है और हमारे जल चर के निर्यात को बढ़ावा देता है। मार्च, 2022 तक चरण –1 में यह कार्यक्रम देश के 31 चिन्हित सहयोगी केंद्रों को नेटवर्क मोड में शामिल

करके 19 चयनित राज्यों और जलीय कृषि महत्व के 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिसमें आईसीएआर मत्स्य संस्थान, मत्स्यपालन कॉलेज, राज्य मत्स्यपालन विभाग और अन्य संबंधित सहयोगी भागीदार शामिल हैं।

जलीय जीव रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सहायता प्रदान की जा रही है। दूसरे चरण में कार्यक्रम को 59 केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया, जिसमें राज्य के सभी मत्स्यपालन विभाग और सभी एनएसपीएएडी सहयोगी केंद्र शामिल हैं, जिसमें 10 आईसीएआर अनुसंधान संस्थान, राज्य केंद्रीय मात्स्यिकी / कृषि / पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 15 मात्स्यिकी महाविद्यालय (सीओएफएस) शामिल हैं। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 तक तीन साल की अवधि के लिए दूसरे चरण में एनएसपीएएडी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष की सभी चार तिमाहियों के लिए त्रैमासिक जलीय जीव रोग रिपोर्ट को एनएसपीएएडी से सृजित इनपुट के आधार पर संकलित किया गया था और एशिया के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय प्रतिनिधि और एशिया प्रशांत में एक्वाकल्चर संेटर नेटवर्क को प्रस्तुत किया गया था।

उन्मूलन और बीमारियों के उनकी रोकथाम के लिए बीमारियों का जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र–स्तर पर रोग रिपोर्टिंग प्रणाली के न होने के कारण जलीय कृषि में बीमारियों के कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। इसलिए, एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो किसानों, क्षेत्र–स्तरीय अधिकारियों और मत्स्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जोड़ सके। किसान–आधारित रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत करने और देश में जलीय जीव रोगों की रिपोर्टिंग में सुधार करने के उद्देश्य से, विभाग ने रिपोर्ट फिश डिजीज (एआरएफडी) ऐप लॉन्च किया, जो निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख पहलों में से एक है। इस ऐप का उपयोग किसानों को किसान–आधारित रिपोर्टिंग में सुधार करने, वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने और बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता करने के लिए किया जाता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। साथ ही, मत्स्य रोग रिपोर्टिंग ऐप का मत्स्य रोग प्रबंधन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे रोग की जल्दी पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया, सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह मत्स्य की आबादी, उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र पर मत्स्य रोगों के नकारात्मक प्रभावों को कम करके जलीय कृषि प्रणालियों की स्थिरता और सुदृढ़ता में योगदान देगा।

यह परिकल्पना की गई है कि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर रोगों का पता लगाने और नियंत्रण करने की क्षमता में वृद्धि करेगा, और जलीय जीव रोगों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार देश में जलीय कृषि का सतत विकास होगा।

3.1.8 जलीय जीव स्वास्थ्य और संगरोध निदेशालय (डीएएएचक्यू)

संगरोध का अर्थ है अज्ञात या संदिग्ध स्वास्थ्य स्थिति वाले जलीय जीवों को सुरक्षित सुविधाओं में इस तरह से बंद करना कि न तो वे और न ही उनमें पाए जाने वाले कोई रोगाणु बाहरी वातावरण में जा सकें। इस सिद्धांत का पालन करने के लिए पूर्वी तट चैन्नई और पश्चिमी तट मुम्बई में एक जलीय जीव संगरोध इकाई और रोग निदान प्रयोगशाला (डीडीएल) की स्थापना करने के उद्देश्य से मत्स्यपालन विभाग में जलीय जीव स्वास्थ्य और संगरोध निदेशालय (डीएएएचक्यू) की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेन्नई में एएक्यूयू और डीडीएल के लिए, तमिलनाडु के चेन्नई के कांचीपुरम जिले के पडप्पई में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। परामर्शदात्री सेवाएं नियुक्त कर दी गई हैं और सीपीडब्ल्यूडी ने आंतरिक सुविधा का लेआउट प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें जलापूर्ति, वातन प्रणाली, ईटीपी के साथ जल निकासी प्रणाली, जल उपचार संयंत्र के लिए विस्तृत ड्राइंग के साथ–साथ सुविधा के लिए जैव–सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है। पश्चिमी तट के लिए मुंबई के आसपास एएक्यूयू और डीडीएल की स्थापना के लिए, विभाग ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक स्थलों का प्रारंभिक निरीक्षण किया है। उक्त सुविधाओं के लिए भूमि के हस्तांतरण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलीय जीवों और उनके उत्पादों के लिए देश में जलीय संगरोध सुविधाओं की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर देश में लगभग 5 जलीय संगरोध सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक एक्यूएफ के लिए इकाई

लागत डीपीआर के अनुसार होगी और परियोजना के लिए ऊपरी सीमा 20 करोड़ रुपए होगी।

3.1.9 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की उपलब्धियां

उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, इनफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के संदर्भ में मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला सहित विविध कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मत्स्यपालन क्षेत्र में सुधार लाना और मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि लाना है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन मुख्य है, जो देश में कुल उत्पादन का लगभग 75% योगदान देता है। इसे पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए, पीएमएमएसवाई प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतर्देशीय मत्स्यपालन का विस्तार, गहनता और विविधीकरण कर रहा है और नए मीठे पानी की हैचरी और ब्रूड बैंक स्थापित कर रहा है, नए पालन और विकसित तालाबों का निर्माण कर रहा है, जलाशयों में केज और पेन का निर्माण कर रहा है, ठंडे पानी की मत्स्यपालन विकसित कर रहा है। पीएमएमएसवाई के केंद्र समर्थित और केंद्र प्रायोजित घटकों के अंतर्गत देश के 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।

पीएमएमएसवाई भूमि और पानी के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्यपालन को बढ़ावा दे रहा है। विभाग विगत 4 वर्षों (2020–21 से 2024–25) में 1,236 करोड़ रुपए का निवेश करके बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी और रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) जैसी उन्नत आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। 636.00 करोड़ रुपए के निवेश से जलाशयों में समुद्री केजों और पेन कल्चर की स्थापना की योजना लागू की जा रही है।

देश में लगभग 5,701 बड़े बांध हैं और 32 लाख हेक्टेयर से अधिक को कवर करते हुए कई मध्यम और छोटे जलाशय हैं। ये जलाशय स्लीपिंग जाइंट हैं और पीएमएमएसवाई एकीकृत जलाशयों (इंटीग्रेटेड रिसर वोएर्स) के विकास द्वारा उनकी क्षमता से लाभान्वित होने का लक्ष्य बना रहा है। विभाग ने जलाशयों और जल निकायों में 20,000 केज स्थापित किए हैं, जो 2025 तक 60,000 मीट्रिक टन का अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन करेगा।

भारत की जलीय कृषि निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से झींगा (श्रिम्प) के खारे पानी की जलीय कृषि की सफलता के कारण है। भारत में खारे पानी की जलीय कृषि के लिए उपयुक्त 11.86 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है। हालांकि केवल 1.84 लाख हेक्टेयर (15.5%) क्षेत्र का उपयोग खारे पानी की जलीय कृषि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत में 2.73 लाख हेक्टेयर लवणीय / क्षारीय मिट्टी है, जिसमें से केवल 726 हेक्टेयर (0.27%) का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विभाग वाणिज्यिक मत्स्य पालन के लिए अप्रयुक्त खारा दृ क्षारीय कृषि और खारे जल निकाय की क्षमता का से लाभान्वित होने के लिए प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, क्षेत्र के विस्तार को वेस्ट–लैंड से वैल्थ लैंड में परिवर्तित करके क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में क्षारीय और लवणीय मिट्टी वाले अंतर्देशीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तदनुसार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में झींगा जलीय कृषि के अंतर्गत अतिरिक्त 4,000 हेक्टेयर खारा क्षेत्र लाने के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 526 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

भारत के हिमालयी क्षेत्रों में बड़ी नदियां, सहायक नदियां, पहाड़ी धाराएँ, झील और जलाशय जैसे विविध जलीय संसाधनों की व्यापक पहाड़ी श्रृंखलाएं और जंगल विदयमान है। इस तरह के विशाल और विविध ठंडे जल संसाधनों के साथ, हिमालयी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वदेशी फिश जर्मप्लाज्म और इस क्षेत्र के लिए स्थानिक प्रजातियों को संजोया है। अधिक ऊंचाई पर ट्राउट, विशेष रूप से रेनबो प्रजाति, स्नो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट के साथ–साथ महसीर और विदेशी कार्प जैसे "लो वॉल्यूम, हाई वैल्यू स्पीशीस" के विकास के लिए एक बहुत अधिक गुंजाइश है। ठंडे पानी की मात्स्यिकी के विकास के उद्देश्य से हम ठंडे पानी की मात्स्यिकी के लिए 852 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। हम पूरे ठंडे पानी की मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करने के तरीके तलाश रहे हैं ताकि इसकी वास्तविक क्षमता का पता लगाया जा सके।

ऑरनामेंटल फिश कीपिंग, दुनिया में फोटोग्राफी के बाद दूसरा सबसे आम शौक है। यह जलीय कृषि का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक घटक है, जो सौंदर्य संबंधी आवश्यकताओं और पर्यावरण के रखरखाव में योगदान देता है। ऑरनामेंटल और रिक्रिएशनल फिशरीस को

प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 1 लाख ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और जीवंत अवसर पैदा करने के लिए 576.00 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। पीएमएमएसवाई उत्पादन इकाइयों की स्थापना, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी प्रजातियों की शुरुआत, प्रजनन तकनीक का आयात, और उद्यमियों को तकनीकी विपणन और रसद सहायता प्रदान करके ऑरनामेंट फिशरीस में सहायता कर रहा है।

समुद्री शैवाल (सी–वीड) कृषि एक ऐसे क्षेत्र के रूप उभर रहा है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन को बदलने, बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और आय में विविधता लाने की क्षमता है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, देश में समुद्री शैवाल (सी–वीड) उत्पादन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 5 वर्षों में 11.2 लाख टन वजन के साथ समुद्री शैवाल कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की परिकल्पना की गई है। समुद्री शैवाल (सी–वीड) की कृषि के विकास के लिए 640 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री शैवाल (सी–वीड) सीड बैंक, नर्सरी, टिश्यू कल्चर यूनिट, प्रोसेसिंग और मारके टिंग यूनिट्स आदि स्थापित की जाएंगी । समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 127 करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना, लक्षद्वीप में समुद्री शैवाल क्लस्टर के विकास के लिए अधिसूचना, उपयुक्त स्थानों पर खेती के लिए 1.12 लाख राफ्ट और मोनोलाइन ट्यूब नेट की मंजूरी और वाणिज्यिक स्तर पर समुद्री शैवाल की खेती के लिए गुजरात के कच्छ में मात्स्यिकी संस्थान और निजी उद्यमी के साथ एक पायलट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

पोस्ट– हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के उद्देश्य से, मत्स्यपालन विभाग कुशल लॉजिस्टिक समाधान, फिशिंग हारबर्स के आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ फिश लैंडिंग केंद्र और सहायक इकाइयों के साथ मत्स्य परिवहन सुविधा, आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज में सप्लाई चेन गैप्स को मजबूत कर रहा है। पीएमएमएसवाई ने मत्स्यपालन के आधुनिकीकरण और विकास के लिए 3,340 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। किसानों को मूल्यवर्धन और बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए उद्यमिता मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विभाग ने संपूर्ण मत्स्य उत्पादन के साथ–साथ खपत को बढ़ाने पर ध्यान देने सहित क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। संगठित मत्स्य बिक्री का रीटेल नेटवर्क बनाने के लिए, पीएमएमएसवाई ने अर्बन, पेरी दृ अर्बन और सेमी अर्बन स्थानों में अल्ट्रा दृ मॉडर्न फिश कियोस्क और अन्य मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु रिटेल नेटवर्क स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ–साथ, मछुआरों और मत्स्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी बारगेनिंग की शक्ति को बढ़ाने के लिए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मत्स्यपालन विभाग ने अब तक 544.85 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर कुल 2195 एफएफपीओ की स्थापना के लिए मंजूरी दी है, जिसमें एफएफपीओ के रूप में मौजूदा 2000 मात्स्यिकी सहकारी समितियों का गठन और 195 नए एफएफपीओ शामिल हैं। विभाग ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 225.50 करोड़ रुपए की कुल लागत से 1070 एफएफपीओ की स्थापना के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण सहकारी समिति (एनसीडीसी) को, 100.70 करोड़ रुपए की कुल लागत से 550 एफएफपीओ के लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) को, 100.70 करोड़ रुपये की कुल लागत से 550 एफएफपीओ की स्थापना के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) को और 25 एफएफपीओ की स्थापना के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को 13 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है।

भारतीय जल में समुद्री मात्स्यिकी की अनुमानित क्षमता 5.31 एमएमटी है और पीएमएमएसवाई, फिशिंग वेसेल्स के आधुनिकीकरण और अपग्रेडिंग, डीप सी फिशिंग वेसल्स की खरीद, बोट रीप्लेसमेन्ट, खुले समुद्र में केज कल्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेंटर, इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल विल्लेजस के विकास के निर्माण द्वारा सतत मत्स्यन (सस्टेनेबल फिशिंग) को बढ़ावा दे रही है ।

यह योजना मछुआरों को मंद और प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका सहायता भी प्रदान करती है और मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा और सेक्यूरिटी कवर प्रदान करती है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मछली पकड़ने के प्रतिबंध और मंद अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में प्रति परिवार 4,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मछुआरों के लिए एक समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) भी शुरू की गई है, जिसमें

मृत्यु और स्थायी शारीरिक अक्षमता के लिए 5.00 लाख रुपए और आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2.5 लाख रुपए और दुर्घटना होने की स्थिति में आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 25,000 रुपए का कुल बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

प्रस्तावित कार्यक्रमों को अपनाने के साथ, पीएमएमएसवाई योजना 9% औसत वार्षिक विकास दर को प्राप्त करने और वर्ष 2025 तक अपने वर्तमान उत्पादन 18.40 लाख मीट्रिक टन से 22 लाख मीट्रिक टन तक करने के लिए तैयार है। यह मछुआरों और मछुआरा समूह के कौशल और क्षमता निर्माण द्वारा धीरे–धीरे मत्स्यपालन के वैज्ञानिक तरीकों की ओर बढ़ते हुए हासिल किया जाएगा।

- **वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 (31 जनवरी, 2025 तक) की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:**

क. अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 23,285.06 हेक्टेयर क्षेत्र

ख. 12,081 रिसक्युलेट्री एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) और 4,205 बायोफ्लोक को मंजूरी दी गई

ग. जलाशयों और अन्य खुले जल निकायों में 55,118 केज और 560.7 हेक्टेयर पेन की स्थापना को मंजूरी दी गई

घ. 895 फिश और स्कैम्पी हैचरी और 10 समुद्री हैचरी की स्थापना को मंजूरी दी गई

ङ खारे–क्षारीय कल्चर के अंतर्गत 3,159.39 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र को मंजूरी दी गई, मीठे पानी के बायोफ्लोक तालाब क्षेत्र के 3,882 हेक्टेयर और खारे पानी के लिए 1,580.86 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र को मंजूरी दी गई

च. ओर्नामेंटल फिश रियरिंग इकाइयों की 2,465 संख्या और इंटीग्रेटिड ओर्नामेंटल फिश की 207 इकाइयों (ब्रीडिंग और रियरिंग) को मंजूरी दी गई

छ. 3617.99 हेक्टेयर क्षेत्र में नए तालाब, 5711 नई रेसवे इकाइयां, 61 ट्राउट हैचरी और ठंडे पानी की मात्स्यिकीके लिए 60 आरएएस

ज. 2307 बाइवाल्व खेती (मसल्स, क्लैम्स, मोती आदि सहित) इकाइयां

झ. समुद्री शैवाल (सी वीड) की खेती के लिए 47,245 राफ्ट और 65,480 मोनोलाइन ट्यूब नेट

ञ. 480 डीप सी फिशिंग वेसेल्स को मंजूरी दी गई और 1,338 मौजूदा फिशिंग वेसेल्स का उन्नयन

ट. 1,525 सी केज

ठ. 19 रोग निदान केंद्र और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, 31 मोबाइल केंद्र और परीक्षण प्रयोगशालाएं और जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 6 जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं

ड. 11 एकीकृत आधुनिक तटीय गांव और आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की 937 इकाइयां

ढ. मछुआरों के लिए 6706 रेप्लेसमेंट बोट्स और जाल

ण. 634 कोल्ड स्टोरेज और 1091 फीड मिल इकाइयों, 21 हॉलसेल फिश मार्केट्स, 202 फिश रिटेल मार्केट और ओर्नामेंटल कियोस्क सहित 6697 फिश कियोस्क को मंजूरी दी गई।

त. 27,189 फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की इकाइयाँ रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड ट्रक, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल और आइस बॉक्स के साथ साइकिल

थ. 27 जलाशयों का एकीकृत विकास,

द. मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए 5,94,538 मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता

ध. विस्तार और सहायता सेवाओं के लिए 2494 सागर मित्र और 102 मत्स्य सेवा केंद्र

सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, शीर्ष अनुसंधान और सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों से अपार समर्थन के साथ, विभाग मात्स्यिकी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्प है।

3.1.10 तिलापिया कल्चर का संवर्द्धन

मत्स्य की बढ़ती मांग को देखते हुए, तिलापिया में भारत के जलीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति बनने की व्यापक संभावनाएं हैं। आनुवंशिक रूप से उन्नत कृषि वाली तिलापिया (जी आई एफ टी) भारत में जलीय कृषि

के लिए मुख्य प्रजातियों में से एक है। यह पसंदीदा मत्स्य बन गई है, क्योंकि यह तेजी से बढ़ रही है और जलीय जीव प्रोटीन का एक किफायती स्त्रोत है। इस प्रजाति की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत की मुख्य कार्प (आई एम पी) तथा अन्य कार्प की तुलना में अधिक है। तिलापिया की यू एस ए, यूरोप, जापान और मध्य पूर्व देशों में निर्यात की अधिक संभावना है। भारत में तिलापिया उत्पादन की वृद्धि पर बल दिए जाने का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका तथा महिलाओं और नौजवानों के रोजगार में वृद्धि करना है। तिलापिया की संभावनाओं का लाभ उठाने की दृष्टि से मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने प्रमुख योजना– प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाए हैं जैसा कि तिलापिया हैचरी की स्थापना, जलाशय केज–कृषि में तिलापिया कृषि, आर.ए.एस. एवं बायोफ्लॉक, आनुवंशिक उन्नत फार्म तिलापिया (जी.आई.एफ.टी.), जी.आई.एफ.टी. सीड उत्पादन के लिए हैचरी की स्थापना। भारत सरकार ने सीमाबद्ध जल संसाधन में तिलापिया कृषि के लिए केवल आनुवंशिक रूप से उन्नत कृषि को ही अनुमति दी है। भारत में तिलापिया कृषि को खुले जल निकायों में करने की अनुमति नहीं है। यह जी.आई.एफ.टी. प्रजाति जलाशय में आर.ए.एस. तथा केज कृषि के लिए एक आदर्श प्रजाति है। इसके अलावा, जी.आई.एफ.टी. कृषि के लिए विद्यमान तालाबों का भी प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, ओडीशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और केरला ऐसे संभावित राज्य हैं, जो तिलापिया उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होंगे।

3.1.11 स्कैंपी कृषि का संवर्द्धन

स्कैम्पी मीठे पानी की जलीय कृषि प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण खेती योग्य देशी प्रजातियों में से एक है, क्योंकि इसकी कीमत अधिक है, आकार बड़ा है, विकास तेजी से होता है, स्वाद अच्छा है और घरेलू और निर्यात बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक है। इसके अलावा, इस प्रजाति को मीठे पानी या थोड़े खारे पानी (<7 पीपीटी) में और मोनोकल्चर या पॉलीकल्चर सिस्टम दोनों में उगाया जा सकता है। हालांकि, सबसे बड़ी समस्या भंडारण के लिए गुणवत्ता वाले सीड की उपलब्धता की कमी थी। किसानों को अज्ञात गुणवत्ता वाले बीजों पर निर्भर रहना पड़ता था, शायद इनब्रेड सीड जो धीमी वृद्धि और खराब जीवित रहने के कारण उत्पादन में कमी लाते हैं। बीमारियों के लगातार प्रकोप से भी किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसलिए, विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत आईसीएआर–सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवॉटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर–सीआईएफए), भुवनेश्वर को मीठे पानी के झींगा मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्गी (स्कैम्पी) के मौजूदा आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम को बढ़ाने और गुणवत्ता और रोग मुक्त स्कैम्पी सीड के उत्पादन के लिए देश में ब्रूडर सीड की मांग को पूरा करने के लिए 4 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एक परियोजना को वित्त पोषित किया है। मौजूदा कार्यक्रम के विस्तार से हर साल उन्नत नस्ल के 120 से 150 फैमिली पैदा होंगे और निजी स्कैम्पी हैचरी को गुणवत्ता और रोग मुक्त ब्रूडर सीड प्रदान किया जाएगा जो गुणक इकाई के रूप में कार्य करेगा और आगे एक्वा किसानों को स्कैम्पी सीड की आपूर्ति करेगा। वर्तमान में आईसीएआर–सीआईएफए ने 113 परिवार फैमिली किए हैं और आठ गुणक हैचरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और गुणवत्ता वाले सीड के उत्पादन के लिए इन हैचरी को प्रजनक सीड की आपूर्ति कर रहा है। विभाग द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित नेशनल फ्रेशवॉटर फिश ब्रूड बैंक (एनएफएफबीबी) में मीठे पानी की मत्स्य के अलावा स्कैम्पी के ब्रूड बैंक की सुविधा का भी प्रावधान है। विभाग ने भूमि से घिरे राज्यों में स्कैम्पी के पॉलीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

3.2 प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना (पीएम–एमकेएसएसवाई)

मात्स्यिकी क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्त्रोत है, जो मत्स्यपालन मूल्य श्रृंखला में 3 करोड़ से अधिक मछुआरों और किसानों को सपोर्ट करता है। नीली क्रांति (ब्लू रेवोल्यूशन) (2015–20), मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) और आत्मनिर्भर भारत के तहत 20,050 करोड़ रुपये के साथ 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) जैसी पहलों ने इनफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादकता और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाया है। हालांकि, विखंडन, सीमित वित्त पहुंच, अकुशल मूल्य श्रृंखलाएं और जलवायु संबंधी कठिनाईयों जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। इन मुद्दों के समाधान के लिए, भारत सरकार ने फरवरी 2024 में प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना

(पीएम–एमकेएसएसवाई) को वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2026–27 तक चार साल की अवधि के लिए वर्तमान चल रही पीएमएमएसवाई के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप–योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। पीएम–एमकेएसएसवाई का अनुमानित परिव्यय 6,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये भारत सरकार (विश्व बैंक से 1,125 करोड़ रुपये का ऋण, एएफडी से 375 करोड़ रुपये का ऋण और पीएमएमएसवाई से 1,500 करोड़ रुपये का समकक्ष वित्त पोषण) से आएंगे और शेष 3,000 करोड़ रुपये लाभार्थियों/निजी क्षेत्र से निवेश के रूप में आने की आशा है। पीएम–एमकेएसएसवाई प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप–योजना है। पीएम–एमकेएसएसवाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सेवाओं को बेहतर रूप से वितरित करने के लिए मत्स्य श्रमिकों की कार्य आधारित डिजिटल पहचान बनाने सहित असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना।
- मत्स्य किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनकी पूंजी की लागत कम करने और उनके संचालन का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यशील पूंजी सहित संस्थागत वित्त तक अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- जलीय कृषि बीमा खरीदने के इच्छुक मत्स्य किसानों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना।
- मूल्य–श्रृंखला दक्षताओं में सुधार करने और निष्पादन अनुदान के माध्यम से नौकरियों का सृजन और रखरखाव करने के लिए मात्स्यिकी और जलीय कृषि सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
- निष्पादन अनुदान के माध्यम से नौकरियों के सृजन और रखरखाव सहित सुरक्षित मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
- मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखलाओं का एकीकरण और समेकन।

पीएम–एमकेएसएसवाई के घटक

- घटक 1–क: मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित करना और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मत्स्यपालन के सूक्ष्म उद्यमों की पहुँच को सुगम बनाना
- घटक 1–ख: जलीय कृषि बीमा को अपनाने में सुविधा प्रदान करना
- घटक 2: मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहयाता प्रदान करना
- घटक 3: मत्स्य और मत्स्य उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और उनका विस्तार करना
- घटक 4: परियोजना प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग

लक्षित लाभार्थी:

पीएम–एमकेएसएसवाई को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नीचे दर्शाए गए लक्षित लाभार्थियों के लिए लागू किया जाएगा:

- मछुआरे, मत्स्य (जलीय कृषि) किसान, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति जो सीधे मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं।
- भारत में पंजीकृत स्वामित्व वाली फर्म, साझेदारी फर्म और कंपनियों, सोसायटियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (एलएलपी), सहकारी समितियों, संघों, ग्राम स्तरीय संगठनों जैसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) और मात्स्यिकी और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में लगे स्टार्टअप के रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यम।
- एफएफपीओ में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी शामिल हैं।
- कोई अन्य लाभार्थी जिसे मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा लक्षित लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

पीएम–एमकेएसएसवाई के तहत, नेशनल फिशरीस डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) को 11 सितंबर, 2024 को माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

बहुत छोटी समयावधि में, पोर्टल ने 17.36 लाख से अधिक पंजीकरणों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) और मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखलाओं के अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हैं। एनएफडीपी के तहत संस्थागत ऋण, सहकारी समितियों को मजबूत बनाने, जलीय कृषि बीमा, निष्पादन अनुदान, ट्रेसिबिलिटी और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए विशिष्ट मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

3.3 मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि/फिशरीस एडं एक्वाकल्चर इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफ़आईडीएफ)

मात्स्यिकी क्षेत्र की इन्फ्रस्ट्रक्चर संबंधी आवश्यकताओँ को पूरा करने की दृष्टि से, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 के दौरान 7522.48 करोड़ रुपए की निधि के साथ मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) नामक एक समर्पित निधि का सृजन किया है, जिसमें 5266.40 करोड़ रुपए नोडल लोनिंग एंटिटीज (एनएलई) द्वारा जुटाए जाएंगे, 1316.60 करोड़ रुपए लाभार्थियों का अंशदान होगा और 939.48 करोड़ रुपए भारत सरकार से बजटीय सहायता होगी । इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि को अगले 3 वर्ष अर्थात 2025–26 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है।

एफआईडीएफ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित पात्र संस्थाओं (एलिजिबल एंटीटीज–ईई) को निर्धारित की गई मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए निम्न नोडल लोनिंग एंटिटीज (एन.एल.ई) 1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड),2.राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) और 3.सभी अनुसूचित बैंक के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करना जारी रखेगा।

एफआईडीएफ के अंतर्गत, नाबार्ड राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए, ऋण उपलब्ध करा रहा है, एनसीडीसी मत्स्य सहकारी समितियों के लिए तथा निजी उद्यमियों/व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत सरकार,एनएलई द्वारा न्यूनतम 5%वार्षिक ब्याज दर पर किफायती वित्त/ऋण प्रदान करने के लिए उन्हें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की मोहलत (मोरटोरियम) सहित अधिकतम 12 वर्ष की चुकौती अवधि के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान करती है।

3.3.1 एफआईडीएफ के तहत मुख्य निवेश गतिविधियां निम्नानुसार हैं

1. फिशिंग हॉर्बर की स्थापना,
2. फिश लैंडिंग केंद्रों की स्थापना,
3. आइस प्लांटों (समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मात्स्यिकी क्षेत्र) का निर्माण,
4. कोल्ड स्टोरेज (समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में) का निर्माण,
5. मत्स्य परिवहन सुविधाएं (समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र),
6. एकीकृत कोल्ड चेन (समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र),
7. आधुनिक मत्स्य बाजार का विकास,
8. ब्रूड बैंकों की सीापना,
9. हैचरी विकसित करना,
10. जलीय कृषि विकसित करना,
11. स्टेट फिश सीड फार्म को आधुनिक बनाना
12. अत्याधुनिक मात्स्यिकी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना,
13. फिश प्रोसेसिंग यूनिट,
14. फिश फ़ीड मिल्स / संयंत्र,
15. जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना,
16. डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ
17. रोग निदान प्रयोगशालाओँ की स्थापना
18. समुद्री कृषि का विकास,
19. जलीय संगरोध सुविधाओं की सीापना,
20. मत्स्य उत्पादन/उत्पादकता/मूल्य संवर्धन निर्धारित कोई अन्य नवीन परियोजनाएँ /गतिविधियाँ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2018–19 से एफआईडीएफ के कार्यान्वयन

अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5801.06 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कुल 136 परियोजना प्रस्तावों/परियोजना को स्वीकृति दी है, जिसमें ब्याज अनुदान के लिए परियोजना लागत 3858.19 करोड़ रुपये तक सीमित है। इस स्वीकृति में 380.98 करोड़ रुपये के निजी लाभार्थियों के प्रस्ताव शामिल हैं जिसमें ब्याज अनुदान के लिए परियोजना लागत 228.32 करोड़ रुपये तक सीमित है।

3.4 पशुपालक और मत्स्यपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)।

वित्त वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा में, सरकार ने पशुपालक और मत्स्यपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की। पशुपालन किसानों और मत्स्यपालकों के लिए केसीसी सुविधा के विस्तार के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने पत्र दिनांक 4 फरवरी, 2019 के माध्यम से जारी किए हैं। मछुआरे, मत्स्य किसान (व्यक्तिगत और समूह/साझेदार/बटाईदार/पट्टेदार किसान), स्व सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह केसीसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

अंतर्देशीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि मछुआरों के लिए, मत्स्य किसान (व्यक्तिगत और समूह/साझेदार/बटाईदार/पट्टेदार किसान), स्व सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह केसीसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। लाभार्थियों के पास मत्स्य पालन से संबंधित किसी भी संपत्ति जैसे तालाब, टैंक, खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, पालन इकाइयां, नाव, जाल और ऐसे अन्य मछली पकड़ने के गियर का स्वामित्व या पट्टे पर होना चाहिए, और मत्स्य पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में लागू आवश्यक प्राधिकरण/प्रमाणन होना चाहिए।

समुद्री मात्स्यिकी के लिए, ऊपर सूचीबद्ध लाभार्थी, जो पंजीकृत मछली पकड़ने के जहाज (फिशिंग वेस्सल / नाव के मालिक हैं या पट्टे पर हैं, उनके पास मुहाना और समुद्र में मछली पकड़ने, मुहाना और खुले समुद्र में मछली के फैनिंग / समुद्री कृषि गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक मछली पकड़ने का लाइसेंस / अनुमति है।

केसीसी के तहत कवर किए गए मत्स्य पालन से संबंधित कार्यशील पूंजी घटकों में बीज, चारा, जैविक और अकार्बनिक उर्वरक, चूना/अन्य सॉइल कंडीशनर, पोस्ट हारवेस्ट और मारकेटिंग शुल्क, ईंधन/बिजली शुल्क, श्रम, पट्टा किराया (यदि पट्टे पर दिया गया जल क्षेत्र) आदि की आवर्ती लागत शामिल है। मत्स्यपालन के लिए, कार्यशील पूंजी में ईंधन, बर्फ, श्रम शुल्क, मूरिंग/लैंडिंग शुल्क आदि की लागत शामिल हो सकती है।

मत्स्य पालन ऋण के लिए केसीसी के तहत ब्याज छूट / इंटरेस्ट सबवेनशन (आईएस) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन / प्रॉम्प्ट रीपेमेन्ट इनसेनटिव (पीआरआई) का लाभ 2 लाख रुपये तक सीमित है। 2025–26 के बजट घोषणा में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत केसीसी ऋण सीमा को 5.00 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

सभी पात्र पशुपालन और डेयरी किसानों और मत्स्य किसानों (एएचडीएफ) को केसीसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से 15 नवंबर 2021 से 31 जुलाई 2022 तक "राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान" का आयोजन किया और बाद में 15 सितंबर, 2022 से शुरू कर 15 मार्च 2023 तक अभियान चला । उक्त अभियान के दौरान, प्राप्त आवेदनों की ऑन–द–स्पॉट जांच के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मेनेजर (एलडीएम) द्वारा समन्वित केसीसी समन्वय समिति द्वारा साप्ताहिक रूप से जिला–स्तरीय केसीसी शिविर आयोजित किए गए थे।

इसके अलावा, सागर परिक्रमा कार्यक्रम I-XII के हिस्से के रूप में, विभाग ने सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में केसीसी पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो तटीय क्षेत्रों के मत्स्य किसानों और मछुआरों को केसीसी कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने में बहुत सफल रहे हैं। 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान अधिकतम संख्या में किसान लाभार्थियों तक केसीसी पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने के साथ एक संशोधित केसीसी सेचुरेशन अभियान, अर्थात् 'घर घर

केसीसी अभियान' शुरू किया गया है। इसके बाद, भारत सरकार ने 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक "विकसित भारत संकल्प यात्रा" नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान भी चलाया है जिसमें मछुआरों के बीच शत प्रतिशत तौर पर जागरूकता पैदा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सूचना प्रसारित करने, जागरूकता बढ़ाने, सेवाओं का विस्तार करने आदि के लिए एक कस्टमाईज़ड मोबाइल "रथ/वैन" तैनात किया गया था।

यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त केसीसी मैनुअल एप्लीकेशन्स को बैंकरों द्वारा किसान ऋण पोर्टल पर डिजिटल किया जा रहा है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है और उनकी निगरानी के अधीन है। यात्रा के दौरान प्राप्त सभी केसीसी आवेदनों को किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज की जानी है, उनकी निगरानी जानी है और स्वीकृत किया जाना है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने सभी एसएलबीसी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीय समन्वयकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्त/निदेशकों और मत्स्यपालन विभाग के तहत छह मात्स्यिकी संस्थानों के प्रमुखों/अधिकारियों साथ एक वरचुयल सम्मेलन भी आयोजित किया है। सभी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि केसीसी मैनुअल आवेदनों को 100% डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाए और सभी पात्र आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया जाए।

सभी पात्र मछुआरों और मत्स्य किसानों को केसीसी का वास्तविक लाभ देने के लिए, मत्स्य पालन विभाग द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय से संपर्क कर 'जनसमर्थ' पोर्टल (.रंदेंउंतजी.पद) में मात्स्यिकी क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करने हेतु प्रयास किए गए और 15 मार्च 2024 को सफलतापूर्वक शामिल किया गया था। अब तक केसीसी फिशरीज के लिए आठ बैंकों (एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, एचडीएफसी, केनरा बैंक, बीओआई, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र) को इस पोर्टल में शामिल किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कुल 176 आवेदन प्राप्त हुए, 53 आवेदन स्वीकृत किये गये तथा केवल एक केसीसी ऋण वितरित किया गया है।

बढ़े हुए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय सेवा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 35,000.00 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.4.1 वर्तमान स्थिति:

17.01.2025 तक केसीसी जारी करने की कुल प्रगति (स्रोत–डीएफएस)

मत्स्यपालन क्षेत्र में केसीसी आवेदनों की कुल संख्या				स्वीकृत राशि
प्राप्त	स्वीकृत	कुल लंबित	अस्वीकृत	
6,44,529	4,50,799	18,337	1,75,393	Rs. 2898.00 crore

3.5 की गई प्रमुख पहल

3.5.1 विभाग ने मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सरवेलेंस में सुधार के लिए फिशिंग वेसेल्स पर ट्रांसपोंडर लगाने की परियोजना के संदर्भ में ट्रांसपोंडर के के लिए इसरो और इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

माननीय प्रधान मंत्री ने पालघर, महाराष्ट्र में 30 अगस्त 2024 को वेस्सल कम्यूनिकेशन और सपपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोलआउट (वीसीएसएस) का शुभारंभ किया। इस परियोजना में 364 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।

वीसीएसएस के नेशनल रोलआउट योजना में सुरक्षित ढांचा स्थापित करने के लिए एक व्यापक नेटवर्क योजना है, जिसमें शामिल हैं :–

I. 1,00,000 ट्रांसपोंडर जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मेकेनाईज़्ड़ और मोटोराईज़्ड़ फिशिंग वेसल्स पर लगाया जाएगा।

ii. INCOIS, हैदराबाद में एक अत्याधुनिक अर्थ स्टेशन और डेटा सेंटर जो निर्बाध संचालन और डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है।

iii. स्ट्रेटेजिक रूप से 73 मॉनिटरिंग स्टेशन स्थित हैं और ये तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानीय रूप से वेस्सेल मॉनिटरिंग और सपोर्ट प्रदान करते हैं।

iv. व्यापक परिचालन प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र एफएसआई, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित हैं ।

v. नेशनल फिशरीस एप्लीकेशन जो रियलक्राफ्ट के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ।

वीसीएसएस द्वारा दिए जाने वाले लाभ:

वीसीएसएस दो–तरफा संचार प्रणाली प्रदान करता है जिससे मछुआरे तट से 200 नौटिकल माईल्स तक मछली पकड़ने के दौरान अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन का उपयोग करके लघु संदेश/एसओएस भेज सकते हैं, जो वास्तविक समय (रियल टाइम) अपडेट प्रदान करता है और नियंत्रण कक्ष, परिवारों, नाव मालिकों आदि के बीच महत्वपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करता है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उपयोगी है क्योंकि यह आवश्यक नाव जानकारी सहित जहाज की गतिविधियों को व्यापक रूप से ट्रैक करता है जो तटीय अधिकारियों को जहाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा ।

मौसम संबंधी डेटा का मूल्यवान स्रोत, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एकीकरण के माध्यम से, मछुआरों को समुद्र की स्थिति, हवा की गति और दिशा, दृश्यता, चक्रवात की जानकारी जैसे श्रेणी, विशिष्ट स्थान आदि पर महत्वपूर्ण मौसम अपडेट प्रदान करता है।

मछुआरों को संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्रों (पोटेन्शियल फिशिंग ज़ोन्स (पीएफजेड) के बारे में 3 दिन पहले सलाह प्रदान करने के लिए ओशनसैट ओबसेरवेशन सेटेलाईट का उपयोग किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय विवादों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बोर्डर लाइन / इंटेरनेशनल मैरीटाईम बार्डर लाईन (आईएमबीएल) के किसी भी अनजाने उल्लंघन से बचने के लिए मछुआरों को सूचित करने के लिए अग्रिम रूप से चेतावनी और अलर्ट भेजता है।

राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा को मजबूत करने और कुशल खोज और बचाव कार्यों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्र में मछुआरों की पहचान करने में समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की मदद करता है।

प्राप्त डेटा तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य क्षेत्राधिकार स्थापित करने और अवैध, असूचित और अनियमित / इल्लीगल, अन रिपोरटेड और अन रेगुलेटेड (आईयूयू) मछली पकड़ने की पहचान करने में मदद कर सकता है। विशिष्ट क्षेत्रों में मछली पकड़ने की गतिविधियों को 'नो फिशिंग' या 'प्रतिबंधित मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों' जैसे नौसेना अड्डों, बंदरगाहों, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों आदि में मात्स्यिकी गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मार्गों की लंबाई निर्धारित कर सकते हैं और ओटोमेटेड रूट स्टोरेज फीचर के माध्यम से डीजल सब्सिडी (यदि कोई हो) प्रदान कर सकते हैं।

इसमें हार्बर को दक्षता से प्रबंधित करने के फीचर है, जैसे फिशिंग वेसेल्स के लिए प्रवेश और निकास पर टोकन प्रणाली, यात्रा के लिए जाने वाले फिशिंग वेसल्स पर मछली पकड़ने वाले दल का विवरण, मछली पकड़ने की ट्रेसबिलिटी स्थापित करना, जो आईयूयू मछली पकड़ने के अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक है।

वीसीएसएस को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है है कि इसके अंतर्गत सभी सुविधाएं क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है ।

जनवरी 2025 की स्थिति अनुसार परियोजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं:

- तटीय क्षेत्रों में 32,542 ट्रांसपोंडर पहुंचाएँ गए हैं ।
- 14,589 ट्रांसपोंडर फिशिंग वेसल्स पर सफलतापूर्वक लगाए गए हैं ।

भारत भर में, व्यापक रूप से समुद्री सुरक्षा सृजित करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है ।

3.5.2 मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए, **मत्स्य पालन क्लस्टर विकास कार्यक्रम** के तहत उत्पादन और प्रसंस्करण समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हज़ारीबाग जिले (झारखंड) में पर्ल कल्चर, मदुरै जिले (तमिलनाडु) में सजावटी मत्स्य पालन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में समुद्री शैवाल की खेती, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना मत्स्य पालन और सोरेंग जिले (सिक्किम) में जैविक मत्स्य पालन के लिए हब—स्पोक मॉडल में अधिसूचित मत्स्य पालन क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं।

3.5.3 समुद्री मात्स्यिकी का सतत विकासः समुद्री मात्स्यिकी को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के समावेशी और टिकाऊ तरीके से विकास के लिए, डेटा—संचालित नीति निर्माण के लिए 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना और तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण द्वारा नई सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) शुरू की गई है। शार्क आबादी के स्थायी और प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत समुद्री प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है।

937 आर्टिफ़िशियल रीफ़्स की स्थापना और सी रेंचिंग द्वारा मत्स्य भंडार का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। समुद्री कूड़े को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ महत्वपूर्ण 'ग्लोलिटर' पार्टनर्शिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके अलावा, रेट्रोफिटेड लिकवीफाईड पेट्रोलियम गैस किट का उपयोग करके फिशिंग वेसल्स पर ऊर्जा कुशल और कम लागत वाले ईंधन का उपयोग किया जा रहा है. इस क्षेत्र में कार्बन सीकवेसटेरींग प्रथाओं का उपयोग करते हुए वोलन्ट्री कार्बन मारकेट (वीसीएम) के लिए एक रूपरेखा लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

3.5.4 केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI) के मंडपम क्षेत्रीय केंद्र को समुद्री शैवाल खेती और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (एक्सेलेन्स सेंटर) के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका लक्ष्य 20,000 समुद्री शैवाल किसानों को लाभ पहुंचाना, पैदावार में सुधार करना और लगभग 5,000 नौकरियां पैदा करना है, जिससे भारत की वैश्विक समुद्री शैवाल उद्योग में पैठ हासिल हो।

3.5.5 मीठे पानी की प्रजातियों के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में आईसीएआर—सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर—सीआईएफए), भुवनेश्वर, ओडिशा और तमिलनाडु के मंडपम में आईसीएआर—सेंट्रल मरीन फिशरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईसीएआर—सीएमएफआरआई) का क्षेत्रीय केंद्र, समुद्री मत्स्य प्रजातियों पर फोकस करते हुए एनबीसी के रूप में कार्य करते हैं ।

3.5.6 मत्स्य पालन स्टार्ट—अप, सहकारी समितियों, एफपीओ और एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए 5 इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। LINAC-NCDC फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (LIFIC) देश का अपनी तरह का पहला, PMMSY के तहत स्वीकृत समर्पित बिजनेस इनक्यूबेटर है, जबकि चार केंद्रों अर्थात् हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), मुंबई में ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन (CIFE), और कोच्चि में ICAR—सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी (CIFT) और असम में गुवाहाटी बायोटेक पार्क को इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3.6 आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

3.6.1 फिशरीस सम्मर मीट 2024

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 जुलाई 2024 को मदुरै, तमिलनाडु में फिशरीस सम्मर मीट 2024 का आयोजन किया। 'फिशरीज समर मीट 2024' का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए मत्स्य किसानों, जल उद्यमियों और मछुआरों द्वारा किए गए योगदान को हाईलाईट करना, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना और क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी ने मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत, 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने वाली 114 करोड़ रु/— की लागत की 312 मात्स्यिकी परियोजनाओं का उदघाटन किया । इस अवसर पर, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और मत्स्यपालन, पशुपालन

और डेयरी मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन की गरिमामयी उपस्थिति थी ।

विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों ने केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह से बातचीत की। लाभार्थियों ने अपने अनुभवों पर चर्चा की, अपने मुद्दों पर प्रकाश डाला और मत्स्यपालन विभाग, (भारत सरकार) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सहायता और पीएमएमएसवाई के तहत वित्तीय सहायता ने उनकी पहल और व्यवसायों को सफल बनाया है ।

3.6.2 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024

भारत सरकार ने चंद्रयान –3 मिशन द्वारा हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि के आलोक में 23 अगस्त को "राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस" घोषित किया, जिसने विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा किया और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर को तैनात किया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धिके स्मरणोत्सव में मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विभिन्न तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, इसरो, आईसीएआर, मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों, मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों और मछुआरा संघों के सहयोग से 13 जुलाई से 17 अगस्त, 2024 तक मात्स्यिकी क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार और प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

इन आयोजनों के एक भाग के रूप में, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने "राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस" के उपलक्ष में 13 अगस्त 2024 को कृषि भवन, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया । इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई और इस अवसर पर, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी सिंह बघेल और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन की गरिमामयी उपस्थिति थी ।

इस कार्यक्रम में मत्स्यपालन विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), अंतरिक्ष विभाग, इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और सीमा सुरक्षा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ–साथ अधीनस्थ कार्यालयों, आईसीएआर मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मात्स्यिकी विभागों के प्रतिनिधियों और मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी भाग लिया।

3.6.3 मात्स्यिकी परियोजनाओं 2024 का शिलान्यास एवं उद्घाटन, पालघर, महाराष्ट्र

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया । इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1,560 करोड़ रुपए के 218 मात्स्यिकी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से वेस्सल कम्युनिकेशन एण्ड सपोर्ट सिस्टम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने फिशिंग हारबर्स के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण, फिश लैंडिंग सेन्टर्स और फिश मारकेट्स के निर्माण सहित महत्वपूर्ण मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मछुआ लाभार्थियों को ट्रांसपोंडर सेट और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए।

इन पहलों से मात्स्यिकी क्षेत्र में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की आशा है।

इस कार्यक्रम में 35,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 600 वीआईपी भी शामिल हुए। इसके अलावा, देश भर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी विभागों, मछुआरों, सागर मित्रों और मात्स्यिकी सहकारी समितियों के अधिकारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।

3.6.4 निर्यात संवर्धन 2024 के लिए हितधारक परामर्श, विशाखापत्तनम

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टनम में झींगा पालन एवं मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मत्स्य निर्यात संवर्धन पर 'हितधारक परामर्श' (स्टेकहोल्डर कनसलटेशन) की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन भी उपस्थित थे।

प्रतिभागियों ने उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा समुद्री खाद्य निर्यात एवं मूल्य श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, सतत (सस्टेनेबल) जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों तथा इनफ्रास्ट्रक्चर विकास पर चर्चा की। परामर्श में वैश्विक समुद्री खाद्य बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन योग्य रणनीति तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे विविध मछलियों, समुद्री शैवाल और समुद्री खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को अधिकतम किया जा सके और देश भर में लाखों मछुआरों, तटीय समुदायों और मत्स्य किसानों की आजीविका के लिए उन्हें सहायता मिल सके ।

3.6.5 पीएमएमएसवाई की चौथी वर्षगांठ

12 सितंबर 2024 को पीएमएमएसवाई की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया:

- मत्स्यपालन विभाग ने नेशनल फिशरीस डेवलपमेंट प्रोग्राम (NFDP) पोर्टल लॉन्च किया, जो मात्स्यिकी हितधारकों की रजिस्ट्री, सूचना, सेवाओं और मात्स्यिकी से संबंधित सहायता के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा; इस अवसर पर पीएम–एमकेएसएसवाई परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए । एनएफडीपी को प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना (पीएम–एमकेएस एसवाई) के तहत बनाया गया है, जो प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत एक उप–योजना है और यह देश भर में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में लगे मत्स्य श्रमिकों और उद्यमों की एक रजिस्ट्री बनाकर विभिन्न हितधारकों को डिजिटल पहचान प्रदान करेगी। एनएफडीपी के माध्यम से संस्थागत ऋण, निष्पादन अनुदान, जलीय कृषि बीमा आदि जैसे विभिन्न लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं ।

- मत्स्यपालन विभाग द्वारा 721.63 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें समग्र जलीय कृषि विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में पांच एकीकृत (इंटीग्रेटेड) एक्वा पार्कों का विकास, बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में दो विश्व स्तरीय फिश मारकेट्स की स्थापना, पोस्ट हारवेस्ट प्रबंधन में सुधार के लिए गुजरात, पुदुच्चेरी और दमन और दीव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तीन स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हारबर्स का विकास, और जलीय कृषि और एकीकृत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब राज्यों में 800 हेक्टेयर खारे क्षेत्र और एकीकृत मत्स्य पालन शामिल हैं।

- पीएमएमएसवाई की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर विभाग द्वारा 'स्वदेशी प्रजातियों के संवर्धन' और 'राज्य मछली के संरक्षण' पर पुस्तिका जारी की गई। 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 22 ने या तो राज्य मछली को अपनाया है या घोषित किया है, 3 ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है और केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपने राज्य पशु घोषित किए हैं, जो समुद्री प्रजातियाँ हैं।

- मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र को त्वरित विकास और आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पाँच एकीकृत एक्वा पार्क / इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स (आईएपी) की स्थापना को मंजूरी दी है। मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में मौजूदा अंतराल (गैप्स) को दूर करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप (इंटरवेनशन) की आवश्यकता के ध्यानार्थ, ये एक्वा पार्क एकीकृत समाधान प्रदान करके इस क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं जो परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं, बर्बादी को कम करते हैं और मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के लिए आय में सुधार करते हैं। सरकार मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए पाँच एकीकृत एक्वा पार्कों में 179.81 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिसका उद्देश्य उत्पादन को इष्टतम करना, 1,400 प्रत्यक्ष और 2,400 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना और बर्बादी को कम करना है।

- तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 तटीय गांवों को क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशिंग विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं । 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, यह पहल बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के बीच मत्स्यन समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा और सामाजिक–आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ (सस्टेनेबल) तरीके से मछली पकड़ने, इनफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और जलवायु–स्मार्ट आजीविका पर ध्यान केंद्रित करेगी। क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशिंग विल्लेजस (सीसीसीआरसीएफवी) की केंद्रीय समिति ने विस्तृत सर्वेक्षण और गैप एनेलिसिस किया और मछली सुखाने वाले यार्ड, प्रसंस्करण केंद्र, मत्स्य बाजार और आपातकालीन बचाव सुविधाओं जैसी सामान्य सुविधाओं सहित आवश्यकता–आधारित सुविधाओं के चयन में मार्गदर्शन प्रदान किया। यह कार्यक्रम समुद्री शैवाल की खेती, आरटिफिशियल रीफ़्स और हरित ईंधन को बढ़ावा देने जैसी पहलों के माध्यम से जलवायु–अनुकूल मात्स्यिकी के लिए उत्तम होगा ।

3.6.6 विश्व खाद्य 2024, भारत

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने स्टॉलों का दौरा किया और सहकारी समितियों, मत्स्य पालन संस्थानों और स्टार्टअप्स से बातचीत की। प्रदर्शनी में सुल्तान सिंह, "फिश बाइट", यूनिवर्सल शेड्यूल कास्ट फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, थारुनी फिश वैल्यू एडेड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उत्तरा फिश, तमिलनाडु स्टेट एपेक्स फिशरीज को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (TAFCOFED), CIFT कोचीन, CMFRI कोचीन, वेट्रीपावई फिशर वुमेन प्रोड्यूसर कंपनी (FFPO)– सिरकाज़ी ब्लॉक, मयिलादुथुराई, NIPHATT- कोचीन और जीलानी मरीन प्रोडक्ट्स के स्टॉल शामिल थे। प्रदर्शित किए गए प्रमुख उत्पादों में विभिन्न प्रसंस्कृत मछली उत्पाद शामिल थे जैसे कि फिश हेड करी, सूखी मछली, फिश फ्राई, फिश फिंगर्स, फिश कटलेट, फिश वेफर्स, फिश पैटीज, फिश मोमोज, फिश टैको, फिश पुट्टो, फिश अचार, फिश बिरयानी, फिश कबाब, योगर्ट फिश, तंदूरी फिश, शाही फिश, पॉमफ्रेट फ्राई, फिश सूफले, ग्रिल्ड फिश, कोटेड उत्पाद और खाने और पकाने के लिए तैयार उत्पाद। समुद्री खाद्य और जलीय कृषि सामग्री जैसे कि स्क्विड, कटलफिश, भारतीय मैकेरल, समुद्र से पकड़ी गई झींगा, और वन्नामी और ब्लैक टाइगर श्रिम्प से विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए ।

3.6.7 ड्रोन प्रदर्शन

मात्स्यिकी में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की दिशा में, 100 किलोग्राम तक के पेलोड वाले मत्स्य और मत्स्य उत्पादों को 10 किलोमीटर की दूरी तक परिवहन के लिए 1.16 करोड़ रुपये की लागत वाले ड्रोन के उपयोग पर एक पायलट अध्ययन 11 सितंबर 2024 को जारी किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य अंतर्देशीय मत्स्यपालन की निगरानी और प्रबंधन में ड्रोन की क्षमता का पता लगाना, दक्षता और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) में सुधार करना है। इन पहलों के अनुरूप विभाग ने NFDB के सहयोग से, कोलकाता के बैरकपुर में केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI), बिहार के पटना में ज्ञान भवन और केरल के कोच्चि सहित प्रमुख स्थानों पर ड्रोन प्रदर्शनों का आयोजन किया है।

3.6.8 इन्वेस्टर्स मीट 2024

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2024 को स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिरल डी के जोशी, और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, मत्स्यपालन विभाग के सचिव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव की गरिमामयी उपस्थिति में निवेशक सम्मेलन 2024ः मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप में निवेश के अवसर का आयोजन किया।

देश के विभिन्न भागों से ट्यूना मछली पकड़ने और समुद्री शैवाल से संबंधित प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखने वाले निवेशकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया जैसे मरचेंट वेंचुयर्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई, उदय एक्वा कनेक्ट्स

प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद, सैम्स डिस्कस इंडिया, मुंबई, एक्वालाइन एक्सपोर्ट्स, केरल, एएनईएमको प्राइवेट लिमिटेड, श्री विजयापुरम, सी6 एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर, एस राजा राव सी फूड्स, श्री विजयापुरम, जोकॉन्स मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गोवा, नीला मरीन एक्सपोर्ट, श्री विजयापुरम, लो नाउ कार्गो इंपोर्ट लिमिटेड, थाईलैंड, बाबला पर्ल्स, मुंबई, कॉन्टिनेंटल मरीन्स, विशाखापट्टनम, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड, पुणे, आर्बी बायोमरीन एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, मदरहुड फूड्स, बैंगलोर, जिलानी मरीन प्रोडक्ट्स, रत्नागिरी, जेड ए फूड प्रोडक्ट्स, कोलकाता, कैनारेस एक्वाकल्चर एलएलपी, कर्नाटक और ब्लू कैच, मुंबई ।

वैश्विक टूना उद्योग, जिसका मूल्य सालाना 40 बिलियन डॉलर से अधिक है, नीली अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 6 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र / एक्सक्लूसिव एकोनोमिक ज़ोन है जो उच्च मूल्य वाली टूना प्रजातियों से समृद्ध है और 60,000 मीट्रिक टन की अप्रयुक्त समुद्री क्षमता है। इसमें येलोफिन के लिए 24,000 मीट्रिक टन और स्किपजैक के लिए 2,000 मीट्रिक टन शामिल हैं, जबकि वर्तमान हारवेस्ट केवल 4,420 मीट्रिक टन है, अतः विस्तार के लिए पर्याप्त क्षमता है। दक्षिण पूर्व एशिया के पास रणनीतिक रूप से स्थित, ये द्वीप समुद्र और हवाई मार्ग के कुशल व्यापार मार्ग प्रदान करते हैं, और भारत को अपनी टूना निर्यात क्षमताओं का विस्तार करने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं।

इस संदर्भ में, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने PMMSY के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर के विकास की शुरुआत की, जिसमें टूना मत्स्य पालन में संचालन को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर, निवेशक भागीदारी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ।

3.6.9 विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 21 नवंबर 2024 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में इंडियास ब्लू ट्रांसफॉर्मेशनः स्ट्रेंगथेनिंग स्माल स्केल एण्ड सस्टेनेबल फिशरीस थीम के साथ विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 मनाया । इटली, रोम में भारतीय राजदूत सुश्री वाणी राव, एफएओ के मत्स्यपालन प्रभाग के एडीजी और निदेशक श्री मैनुअल बारंगे ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में 54 दूतावास प्रतिनिधियों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया। विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 के अवसर पर मत्स्यपालन विभाग ने निम्नलिखित ऐतिहासिक पहलों और परियोजनाओं को शुरू किया :

- डेटा अनुरूप नीति निर्माण के लिए 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना की शुरूआत,
- शार्क के स्थायी प्रबंधन के लिए शार्क पर राष्ट्रीय कार्य योजना और श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के सहयोग से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित / इल्लीगल, अन रिपोरटेड एण्ड अनरेगुलेटेड (IUU) मत्स्यन को रोकने के लिए फिशिंग पर क्षेत्रीय कार्य योजना पर भारत का समर्थन,
- समुद्री प्लास्टिक कूड़े (मरीन प्लास्टिक लिट्टर) से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन–खाद्य और कृषि संगठन (IMO-FAO) ग्लोलिटर पार्टनर्शिप प्रोजेक्ट और ऊर्जा–कुशल, कम लागत वाले मरीन फिशिंग फुएल्स को बढ़ावा देने के लिए रेट्रोफिटेड एलपीजी किट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
- तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा न्यू सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) तटीय जलीय कृषि फार्मों के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए शुरू की गई।
- वोलन्ट्री कार्बन मारकेट (वीसीएम) के लिए एक रूपरेखा को लागू करने के लिए एक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का भी आदान–प्रदान किया गया, जिससे इस क्षेत्र में कार्बन–सीक्वेस्ट्रिंग प्रेक्टीसेस का उपयोग किया जा सके।

3.6.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र सम्मेलन 2025

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग ने गुवाहाटी, असम में 6 जनवरी 2025 को 'पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों का सम्मेलन 2025' का आयोजन किया। इस आयोजन की अध्यक्षता मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी ने की। माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज

कुरियन, और माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, की गरिमामयी उपस्थिति रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में मात्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्री ने 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 50 प्रभावशाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 38.63 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश भी शामिल है। ये पहल क्षेत्र के मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। क्षेत्रीय विकास की गति को जारी रखने और बनाए रखने के लिए, मत्स्यपालन विभाग ने सिक्किम राज्य में जैविक मत्स्यपालन और जलीय कृषि के विकास के लिए सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को अधिसूचित किया।

इन परियोजनाओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

- असम में दरांग जिले में एक एकीकृत (इंटीग्रेटेड) एक्वा पार्क की स्थापना, जिससे सालाना 150 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होने की आशा है, जिससे 10–15 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा और **2,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।** कामरूप जिले में एक बड़ा मछली चारा संयंत्र सालाना 20,000 मीट्रिक टन चारा का उत्पादन करेगा, जबकि विभिन्न जिलों में हैचरी परियोजनाओं का लक्ष्य प्रति वर्ष 50 मिलियन स्पॉन का उत्पादन करना है, जिससे स्थानीय जलीय कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा।

- **मणिपुर** में थौबल और इंफाल जिलों में आईस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना की जाएगी, ताकि मत्स्य उत्पादन को संरक्षित किया जा सके और पोस्ट हारवेस्ट नुकसान को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली हैचरी जैव विविधता को संरक्षित करने और राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देंगी।

- **मेघालय** की परियोजनाएँ पूर्वी खासी हिल्स जिले में मनोरंजक मत्स्यपालन (रेकरीएशनल फिशरीस) को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। यह पहल, एक लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित है, जिससे आगंतुकों को आकर्षित करने, स्थानीय रोजगार पैदा करने और क्षेत्र के पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने की उम्मीद है।

- **नागालैंड** की तीन परियोजनाओं में मोकोकचुंग और किफिर जिलों में मीठे पानी की फिनफिश हैचरी का निर्माण शामिल होगा। ये हैचरी सामूहिक रूप से सालाना 21 मिलियन फ्राई का उत्पादन करेंगी, जो क्षेत्र के जलीय कृषि के लिए सहायक होंगी और आदिवासी समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करेंगी।

- **त्रिपुरा** में, परियोजनाओं में सजावटी मत्स्य पालन इकाइयों और फिनफिश हैचरी की स्थापना शामिल है । इन पहलों का उद्देश्य सजावटी मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाना, स्वदेशी मत्स्य संसाधनों का दोहन (हारनेस) करना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है।

- **सिक्किम** 24 परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा, जिसमें स्थायी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) की स्थापना, गंगटोक और अन्य शहरों में फिश कियोस्क का निर्माण और सजावटी मत्स्य पालन इकाइयों का विकास शामिल है। इन परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन और आजीविका के अवसरों में वृद्धि होने की आशा है।

3.6.11 गणतंत्र दिवस समारोह 2025

26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे महान राष्ट्र की विविधता और ताकत को दर्शाया गया। 'स्वर्णिम भारत – विरासत और विकास' के थीम को भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र गहराई से प्रतिध्वनित करता है क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों समाहित हैं – पारंपरिक रीतियाँ और ड्रोन और एआई जैसी आधुनिक प्रगति । समारोह के में, भारत सरकार ने देश भर के 106 मछुआरों और उनके जीवनसाथियों को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया।

शानदार गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भाग लेने के बाद, उत्तराखंड की श्रीमती बबीता राजेश, त्रिपुरा के श्री दिग्बिजय दास भौमिक और महाराष्ट्र की श्रीमती संगिनी सीताराम घायल सहित मछुआरों को श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल, माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, और श्री जॉर्ज कुरियन, माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से बातचीत करने का अवसर

मिला। इसके अलावा, श्री चंद्रशेखर प्रसाद, बिहार, श्रीमती फातिमा सुहरा, केरल, श्री रजनीश कुमार, उत्तर प्रदेश, श्रीमती फातिमा बानो, लद्दाख और श्री धुरूबज्योति ब्रह्मा, असम को मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

कुछ विशेष अतिथियों में करनूल, आंध्र प्रदेश से सुश्री पी. हेमा लाथन, पुरी, ओडिशा से श्री ज्ञान स्वरूप साहू, नंदुरबार, महाराष्ट्र से श्री योहन अरविंद गावित, आनंद, गुजरात से सुश्री शबनमबेन साजिदभाई वोरा, सोरेंग, सिक्किम से श्री समदुप भूटिया और दक्षिण अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सी. अर्जुन शामिल थे, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति से बातचीत करने का सौभाग्य मिला। इस बातचीत के दौरान, माननीय राष्ट्रपति ने मात्स्यिकी क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की और उन्हें स्थायी प्रथाओं को अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और अपने समुदायों को प्रेरित करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

*****

पीएमएमएसवाई की उपलब्धियाँ

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पीएमएमएसवाई भौतिक उपलब्धियाँ

31 दिसंबर 2024 तक पीएमएमएसवाई के तहत क्षेत्रवार उपलब्धियों का विवरण

अंतदेर्शीय मात्स्यिकी

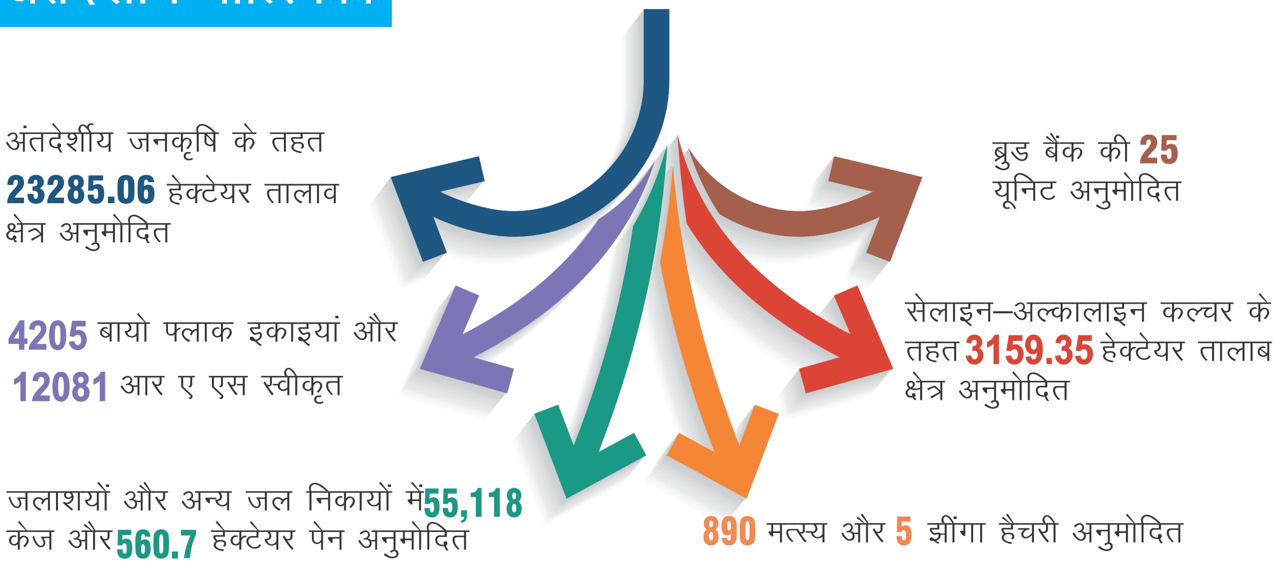

समुद्री मात्स्यिकी

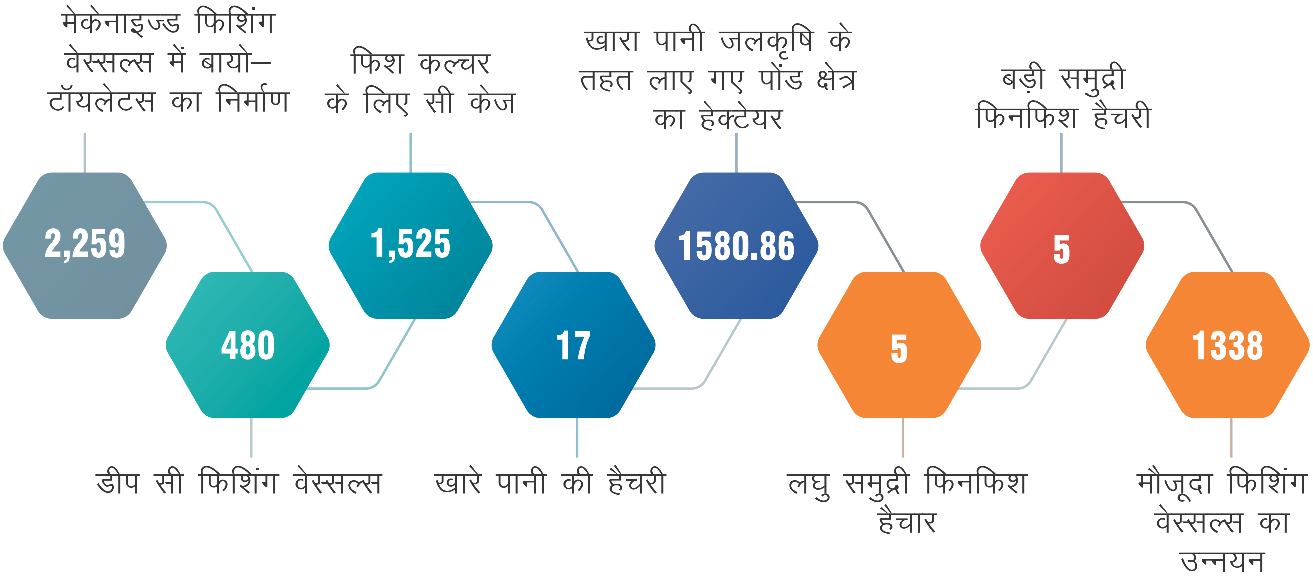

मछुआरों के लिए कल्याण कार्य

6,706
मछुआरों के लिए नावों और जाल की प्रतिस्थापना

फिशिंग बैन/लीन अवधि में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए **5,94,358** मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता

102
विस्तार और सहायता सेवाएं (मत्स्य सेवा केन्द्र)

मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर

634
आईस प्लांटस/कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत

1091
फिश फीड मील/प्लांटस

27,189
मत्स्य परिवहन सुविधा ईकाइयां स्वीकृत, जिनमें शामिल है

1243 लाईन फिश वेंडिंग सेंटर्स
10,924 मोटर साइकिल
9,412 आईस बॉक्स सहित बाई'साइकिल
3,860 ऑटो रिक्शा
1377 इंसुलेटेड ट्रक्स
373 रेफ्रीजरेटेड

मत्स्य खुदरा मार्केटस की **6,896** इकाइयां जिनमें **202** फिश कियोस्क और **6,694** ऑरनामेंटल कियोस्क शामिल है।

128
अब तक स्वीकृत मूल्य वर्धित उद्यम

फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स

12 नए फिशिंग हार्बर्स
2400 करोड़ रुपए

8 फिशिंग हार्बर्स का आधुनिकीकरण
400 करोड़ रुपए

25 फिश लैंडिंग सेंटर्स
625 करोड़ रुपए

ड्रेजिंग रखरखाव
65 करोड़ रुपए

3490
करोड़ रुपए फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स के लिए

जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबंधन

19
रोग निदान केंद्र और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं

31
मोबाइल केंद्र और परीक्षण प्रयोगशालाएं

6
जलीय रेफरल प्रयोगशाला

ऑरनामेंटल फिशरीज

2465 ऑरनामेंटल मत्स्यपालन इकाइयां अनुमोदित

207 एकीकृत ऑरनामेंटल मत्स्य इकाइयां (प्रजनन और पालन) अनुमोदित

सी–वीड कृषि

65,480 सी वीड कृषि के लिए मोनोलाइन टयूबनेट स्वीकृत

47,245 सी–वीड कल्टीवेशन के लिए राफ्ट स्वीकृत

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास

980.40 करोड़ रुपए के केंद्र अंशदान सहित **1722.79** करोड़ रुपए कुल परियोजना लागत

7063.29 हेक्टेयर नए तालाबों का निर्माण

5063.11 स्वीकृत फिश फार्मिंग

470 बायोफ्लाक इकाइयां

644 ऑरनामेंटल फिशरीज इकाइयां

231 हैचरी

148 रि–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस)

140 फीड मिल्स

6 ब्रुड बैंक

कोल्ड वॉटर फिशरीज

3399.69
हेक्टेयर
नए तालाब क्षेत्र

5038
नई रेसवे ईकाइयां

58
आर ए एस
इकाइयां

46
ट्राउट हैचरी
और निर्माण

रीवर रेंचिग

1007.58
लाख फिंगरलिंग्स की
रेंचिंग की गई

आर्टिफिशियल रीफ

937
रीफ ईकाइयां

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

2494
सागर मित्र

21
अति आधुनिक थोक बाजार

22
एकीकृत आधुनिक फिश लैंडिंग सेंटर्स

27
जलाशयों का एकीकृत विकास

11
एकीकृत आधुनिक तटीय फिशिंग ग्राम

2195
एफएफपीओ

एनसीडीसी	1070
एनएफडीबी	25
नेफेड	550
एसएफएसी	550

11
एकीकृत एक्वापार्क

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) गैलरी
पीएमएमएसवाई की चौथी वर्षगांठ

मत्स्यपालन विभाग गैलरी 2024-25

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय बैठक

विश्व मात्स्यिकी दिवस

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी 2024–25

विश्व मात्स्यिकी दिवस

वैरावल फिशिंग हार्बर दौरा

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

विश्व खाद्य, भारत–2024

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

फिशरीज सम्मर मीट

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

निवेशक बैठक

केसीसी अभियान

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

मिजोरम में परियोजनाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

ड्रोन प्रदर्शन, कोच्चि

ड्रोन प्रदर्शन, कोलकाता

मत्स्यपालन विभाग
गैलरी
2024–25

ड्रोन प्रदर्शन, पटना

एफएओ, क्षेत्रीय कार्यशाला

मत्स्यपालन विभाग

गैलरी

2024–25

मत्स्यपालन निर्यात संवर्धन पर 6 सितम्बर 2024 को विशाखापट्टनम में हितधारकों का परामर्श

अध्याय 4

मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संगठन

परिचय

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन अर्थात् राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद और एक नियामक निकाय यानि तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (सीएए), चेन्नई हैं जिन्हें उनके कार्यों के अनुरूप स्वायत्त/प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त है। इनके साथ ही, मत्स्यपालन विभाग के चार अधीनस्थ संस्थान हैं, अर्थात् (i) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (साईसेफ), बेंगलुरू (ii) केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोच्चि (iii) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुंबई (iv) राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट), कोच्चि। छह संगठनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

4.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

4.1.1 संस्थान का इतिहास

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की स्थापना 2006 में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, ताकि मत्स्य पालन क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग किया जा सके। एनएफडीबी ने कई विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की हैं, जिनसे इस क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और पोस्ट–हार्वेस्ट तथा विपणन सुविधाओं में सुधार हुआ है। एनएफडीबी के तत्वावधान में 2013 में ओडिशा के कौशल्यागंगा में नेशनल फ्रेशवॉटर फिश ब्रूड बैंक (एनएफएफबीबी) की स्थापना की गई थी, जो एनएफडीबी–पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनएफडीबी–ईआरसी) के रूप में भी काम करता है। एनएफडीबी–उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनएफडीबी–एनईआरसी) की स्थापना 2014 में गुवाहाटी में की गई थी।

4.1.2 अधिदेश

क) मात्स्यिकी और जलीय कृषि से संबंधित प्रमुख गतिविधियों पर केन्द्रित ध्यान देना और इनका प्रोफेशनल रूप से मेनेजमेंट करना

ख) केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली मात्स्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करना

ग) उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और मारकेटिंग में सुधार करना

घ) प्राकृतिक जलीय संसाधनों का सतत प्रबंधन (सस्टेनेबल मेनेजमेंट) और संरक्षण करना

ङ) उत्पादन और उत्पादकता को इष्टतम करने के लिए आधुनिक अनुसन्धानों को लागू करना

च) पर्याप्त रोजगार पैदा करना

छ) खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मत्स्य के योगदान को बढ़ाना

4.1.3 संगठनात्मक संरचना

एनएफडीबी का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं। कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी निकाय एनएफडीबी की गतिविधियों की देखरेख करता है। शासी निकाय और कार्यकारी समिति बोर्ड की गतिविधियों पर विचार करती है और निर्णय लेती है तथा मार्गदर्शन प्रदान करती है। मत्स्यपालन विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति, बोर्ड के मामलों और कार्यों का सामान्य अधीक्षण करती है और निर्देश और नियंत्रण प्रदान करती है।

शासी निकाय

- अध्यक्ष केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, भारत सरकार
- उपाध्यक्ष केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, भारत सरकार
- सदस्य (कृषि), नीति आयोग
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मत्स्यपालन के प्रभारी 31 मंत्री
- सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
- सचिव, कृषि और किसान कल्याण, भारत सरकार
- सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार
- सचिव वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
- सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उद्योग, भारत सरकार
- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
- मुख्य कार्यकारी, एनएफडीबी
- संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
- अध्यक्ष, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण
- अध्यक्ष, नाबार्ड
- मत्स्य किसानों, फिशिंग क्राफ्ट ऑपरेटर और निर्यातकों के समूहों और संघों के पंद्रह प्रतिनिधि

कार्यकारी समिति

- सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
- वित्तीय सलाहकार और अपर सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
- सलाहकार (कृषि) नीति आयोग
- संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार
- संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- प्रबंध निदेशक, नाबार्ड
- उप महानिदेशक (मात्स्यिकी), आईसीएआर
- अध्यक्ष, एमपीईडीए
- सदस्य सचिव, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण
- चार राज्य सरकारों के मत्स्यपालन के प्रभारी सचिव
- मुख्य कार्यकारी, एनएफडीबी

एनएफडीबी पदाधिकारी

- मुख्य कार्यकारी
- वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक
- कार्यकारी निदेशक
- वरिष्ठ कार्यकारी
- कार्यकारिणी
- कार्यकारी सहायक

एनएफडीबी की संगठनात्मक संरचना

4.1.4 एनएफडीबी गतिविधियां

वार्षिक कार्य योजना वित्त वर्ष 2023–24 के अनुसार, एनएफडीबी पीएमएमएसवाई के केंद्रीय क्षेत्र घटक और मत्स्यपालन विभाग द्वारा सौंपी गई गतिविधियों के तहत विभिन्न आवश्यकता–आधारित क्रियाकलाप कर रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एनएफडीबी कार्य योजना के तहत 187.06 करोड़ रुपए की कुल लागत से 12 परियोजना घटकों को लागू करने का प्रस्ताव है। इन्हें एनएफडीबी की 46वीं कार्यकारी समिति में मंजूरी दी गई थी और इसके बाद जनवरी 2023 में मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) द्वारा आदेश जारी किए गए थे। एनएफडीबी इन परियोजनाओं को मौजूदा परियोजनाओं और मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) द्वारा समय–समय पर सौंपी गई गतिविधियों के साथ लागू कर रहा है।

एनएफडीबी द्वारा की गई गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है तथा बाद में उनका विवरण दिया गया है।

क. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएम एसवाई) के तहत एनएफडीबी की गतिविधियां

क. पीएमएमएसवाई के तहत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन और परियोजनाओं/गतिविधियों की व्यवहार्यता के आधार पर आवश्यक सिफारिशें करना

ख. पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना

ग. पीएमएमएसवाई राज्य कार्य योजनाओं के तहत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और पीएमएमएसवाई की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को अद्यतन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक सहायता प्रदान करना

घ. उद्यमी मॉडल, बीमा योजनाएं, मत्स्य किसान उत्पादक संगठनध्कंपनियां आदि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी

ङ. रिवर रेंचिंग, नवाचार और अभिनव परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, स्टार्ट–अप आदि पर पायलट परियोजनाओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रमाणन, मान्यता, ट्रेसेबिलिटी और लेबलिंग के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी

च. पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि को बढ़ावा देना और विकास करना

छ. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाएं

ज. पीएमएमएसवाई और अन्य मात्स्यिकी और जलीय कृषि कार्यक्रमों पर जागरूकता और प्रचार अभियान

ख. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी

ग. फिश मार्केट मूल्य सूचना प्रणाली (एफएमपी आईएस) को लागू करना

4.1.5. पीएमएमएसवाई–परियोजना मूल्यांकन समिति/प्रोजेक्ट एप्रेसल कमेटी (पीएसी)

पीएमएमएसवाई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीएमएमएसवाई के केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक के अंतर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एनएफडीबी में एक परियोजना मूल्यांकन समिति/प्रोजेक्ट एप्रेसल कमेटी (पीएसी) का गठन किया गया है, जिसके लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय अनुमोदन और निगरानी समिति (एसएलएएमसी/यूटीएलएएमसी) का पूर्व अनुमोदन लिया गया है। समिति का नेतृत्व एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं। पीएसी द्वारा मूल्यांकन के बाद, सीएसएस के अंतर्गत व्यवहार्य परियोजनाओं/प्रस्तावों को अनुमोदन और स्वीकार्य केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) को अनुशंसित किया जाएगा। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के सीएस योजना घटक के अंतर्गत मत्स्यपालन मंत्रालय (भारत सरकार) से प्राप्त गतिविधियों/परियोजना प्रस्तावों का भी पीएसी के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है, ताकि उन्हें आवश्यक सिफारिशें करने के लिए पीएमएमएसवाई की केंद्रीय सर्वोच्च समिति (सीएसी) के समक्ष रखा जा सके।

एनएफडीबी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करने, गैर–लाभार्थी–उन्मुख परियोजनाओं जैसे कि एकीकृत जल पार्क, एकीकृत आधुनिक तटीय गांव, जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं, हॉलसेल फिश मार्केट्स, बंदरगाह, ब्रूड

बैंक, आर्टिफिकीयल रीफ्स और घरेलू मत्स्य उपभोग को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां आदि तैयार करने में तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

31 दिसंबर 2024 तक, एनएफडीबी ने 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 919 स्व–निहित प्रस्ताव (एससीपी)/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त किए और उनकी जांच की, एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में पीएसी की 18 बैठकें आयोजित कीं और 1998 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 4679 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर पीएमएमएसवाई के सीएसएस घटक के अंतर्गत 745 परियोजनाओं की सिफारिश मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) के समक्ष प्रस्तुत कीं ।

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठक की झलकियाँ

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठक की झलकियाँ

31 दिसंबर 2024 तक पीएसी द्वारा अनुशंसित प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं;

क. महाराष्ट्र, झारखंड और सिक्किम में ब्रूड बैंक– कुल 10

ख. हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड और मध्य प्रदेश में एंड–टू–एंड सोल्यूशन्स के साथ हब एण्ड स्कोप मॉडल में एकीकृत (इंटीग्रेटेड) एक्वा पार्क– कुल 4

ग. गुजरात और मेघालय में रेफरल प्रयोगशालाएँ

घ. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हॉलसेल फिश मार्केट्स – कुल 13

ङ. कर्नाटक, पुडुचेरी और दमन और दीव में फिशिंग हारबर का आधुनिकीकरण/विस्तार– कुल 8

च. मोबाइल इकोफ्रेंडली कियोस्क "मत्स्य वाहिनी" के माध्यम से डोमेस्टिक फिश की खपत को बढ़ावा देना– कुल 660

छ. केरल में इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल विल्लेजस – कुल 9

ज. आंध्र प्रदेश, गुजरात और लक्षद्वीप में आर्टिफिश्यल रीफ्स की स्थापना– कुल 49

4.1.6. पीएमएमएसवाई–प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएफडीबी की अध्यक्षता में पीएमएमएसवाई–परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) नियमित रूप से पीएमएमएसवाई के सीएस और सीएसएस घटकों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। पीएमयू सेल, एनएफडीबी ने पीएमएमएसवाई के दिशा–निर्देशों और फील्ड विजिट के लिए चेकलिस्ट के अनुसार डेटा संग्रह के लिए परियोजना निगरानी प्रारूप विकसित किए हैं। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए, एनएफडीबी ने एनएफडीबी अधिकारियों से युक्त पीएमयू–राज्य निगरानी दल का गठन किया है। प्रत्येक ऐसी टीम को 6 से 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। पीएमयू–राज्य निगरानी दलों द्वारा परियोजनाओं की आवधिक निगरानी फील्ड विजिट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठकों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रस्तुत भौतिक और वित्तीय आंकड़ों के आकलन के माध्यम से की जाती है।फील्ड विजिट और आयोजित तिमाही समीक्षा बैठकों के आधार पर, एनएफडीबी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को समय–समय पर मुख्य टिप्पणियां भेजता है।

31 दिसंबर 2024 तक, एनएफडीबी में पीएमयू ने पीएमएमएसवाई के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए 9 त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित कीं।

पीएमएमएसवाई–प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) बैठक की झलकियां

4.1.7. मात्स्यिकी और जलीय कृषि में उद्यमी मॉडल

एनएफडीबी पीएमएमएसवाई के सीएस घटक के अंतर्गत मात्स्यिकी और जलीय कृषि में उद्यमी मॉडल के लिए अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करना है। पीएमएमएसवाई के विभिन्न व्यक्तिगत उप–घटकों/गतिविधियों को एकीकृत किया जाएगा और आउटपुट और परिणामों को अधिकतम करने के लिए जहां भी संभव हो, एंड–टू–एंड समाधान प्रदान करने के लिए पैकेज किया जाएगा। ये मुख्य रूप से जरूरत आधारित लाभार्थी–उन्मुख मात्स्यिकी विकास गतिविधियाँ हैं जो मात्स्यिकी क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत तरीके से हैं जो पीएमएमएसवाई योजना के व्यापक ढांचे के भीतर पीएमएमएसवाई के तहत या तो पूरी नहीं हुई हैं या उप–इष्टतम/आंशिक रूप से पूरी नहीं हुई हैं। इस मॉडल के अंतर्गत सहायता प्राप्त गतिविधियाँ एकीकृत व्यवसाय मॉडल हैं जो उत्पादन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आदि के साथ विपणन को लक्षित करती हैं। मॉडल के उदाहरणों में रिक्रिएशनल फिशरीज का विकास, डोमेस्टिक फिश की खपत को बढ़ावा देना, इंटीग्रेटेड फिश एक्वापोनिक्स सिस्टम, सलाह और विपणन के लिए ई–प्लेटफॉर्म, हब और स्पोक मॉडल, प्रसंस्करण सुविधा के साथ झींगा की एकीकृत आरएएस और बायोफ्लोक कल्चर, मत्स्य फार्मों का आधुनिकीकरण, आईक्यूएफ और प्री–प्रोसेसिंग इकाइयाँ आदि शामिल हैं।

उद्यमी मॉडल के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की झलक

31 दिसंबर 2024 तक, 16 राज्यों में 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनका कुल परिव्यय 117.62 करोड़ रूपए है, जिसमें 31.44 करोड़ रुपए की पात्र सब्सिडी है। इनमें से 13 परियोजनाएँ महिला उद्यमियों को, 6 अनुसूचित जाति श्रेणी के उद्यमियों को और 6 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों को स्वीकृत की गई हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उद्यमी मॉडल के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

स्वीकृत उद्यमी मॉडल परियोजनाओं की संख्या	कुल परिव्यय (रु.)	एनएफडीबी सब्सिडी राशि (रु.)
10	40.18 करोड़	10.47 करोड़

4.1.8 समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस)

समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) मछुआरों का बीमा लाभार्थी–उन्मुख गतिविधियों के तहत पीएमएम एसवाई योजना के उप–घटकों में से एक है। इस योजना के तहत, 18 से 70 वर्ष की आयु के मत्स्य श्रमिक, मत्स्य किसान और अन्य हितधारक जो मत्स्यन और मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल हैं, वे बीमा कवरेज के लिए पात्र हैं:

क) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5 लाख रुपए,

ख) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2.5 लाख रुपए और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने पर 25000 रुपए।

यह योजना मेसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) के माध्यम से पहले दो वर्षों के लिए प्रति मछुआरे प्रति वर्ष 72.44 और तीसरे वर्ष के दौरान प्रति मछुआरे प्रति वर्ष 95 के बीमा प्रीमियम के साथ कार्यान्वित की जाती है।

जीएआईएस दावा निपटान राशि का वितरण

वर्ष	कवरेज अवधि		नामांकित मछुआरों की संख्या (लाख में)	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां से नामांकित मछुआरे संबंधित हैं		प्रीमियम राशि (रुपए करोड़ में)		कुल प्रीमियम राशि (रुपए करोड़ में)	*प्राप्त दावा प्रस्तावों की संख्या	*दिए गए दावों की संख्या	*दावों की समतुल्य राशि (रुपए करोड़ में) प्रदान की गई
	से	तक		राज्य	यूटी	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश				
1	26.07.21	25.07.22	29.12	18	7	10.41	6.32	16.73	410	341	16.72
2	26.07.22	25.07.23	33.21	24	7	14.74	8.78	23.52	598	358	17.70
3	26.07.23	31.05.24	34.54	23	7	20.33	12.03	32.36	126	28	1.35
कुल						45.48	27.13	72.61	1134	727	35.77

31 दिसबर 2024 तक

4.1.9. प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोशर और क्षमता निर्माण

एनएफडीबी पीएमएमएसवाई के तहत कौशल विकास/उन्नयन कार्यक्रमों सहित प्रशिक्षण, जागरूकता, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए नामित नोडल एजेंसी है। प्रशिक्षण आवश्यकताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए, मात्स्यिकी विषय के अंदर और बाहर कई संस्थानों की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की बढ़ती कौशल मांग को पूरा किया जा सके। कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए

एनएफडीबी के संस्थागत साझेदारों में आईसीएआर–केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर–सीएमएफआरआई), आईसीएआर–केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (आईसीएआर–सीआईएफई), राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर– एनबीएफ जीआर), केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीए आर–सीआईएफटी), शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय (आईसीएआर–डीसीएफआर), केंद्रीय मीठे पानी जलकृषि संस्थान (आईसीएआर–सीआईएफए), केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर– सीआईएफआरआई), केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), केंद्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी), राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए–नेटफिश), राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड (फिशकोपफेड), राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफ्फैट), भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राज्य मात्स्यिकी विश्वविद्यालय आदि।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम गहन मीठे पानी की जलकृषि, खारे पानी की जलकृषि, ठंडे पानी की मात्स्यिकी, ओर्नमेंटल फिशरीज, फिश प्रोसेसिंग और मारकेटिंग, प्रजाति–विशिष्ट (पंगासियस, मुर्रेल, मगुर, सिंघी, पर्ल स्पॉट, तिलापिया, स्कैम्पी, झींगा, सीबास, कोबिया और पोम्पानो) हैचरी/प्रजनन प्रौद्योगिकी और एकीकृत फिश फार्मिंग जैसे विषय क्षेत्र को कवर करते हैं। एनएफडीबी द्वारा सहायता प्रदान किए गए मत्स्य महोत्सवों ने देश में मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों की खपत को बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4.1.9.1 आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलकियां

वर्ष 2024 में, 31 दिसंबर तक, एनएफडीबी ने 228.93 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली 34 कार्यान्वयन एजेंसियों को 188.47 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की, ताकि 12275 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 269 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। इसके अलावा, एनएफडीबी ने 1650 अनुसूचित जाति के प्रतिभागियों के लाभ के लिए इस अवधि के दौरान एससीएसपी के तहत 5 सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों को 71.79 लाख रुपए की राशि के 53 जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए। फिश/श्रीम्प और मत्स्य से संबंधित उत्पादों की मत्स्य खपत बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए, एनएफडीबी ने 2024 में (31 दिसंबर 2024 तक) आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु, गोवा और त्रिपुरा में 6 मत्स्य महोत्सव प्रायोजित किए। इसी प्रकार, एनएफडीबी ने 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यशालाओं, सम्मेलनों, शिखर सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और समुद्री खाद्य शो सहित 59 कार्यक्रमों को प्रायोजित किया, जिसके माध्यम से 35000 आम लोगों तक पहुंच बनाई गई और पीएमएमएसवाई, मत्स्य उद्योग में स्टार्ट–अप अवसरों आदि के बारे में जागरूकता पैदा की गई।

4.1.10. आउटरीच गतिविधियाँ: पीएमएमएसवाई का प्रचार और घरेलू मत्स्य उपभोग को बढ़ावा देना

आउटरीच गतिविधियों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते एनएफडीबी ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है जैसे वेबिनार, आउटडोर अभियान, डिजिटल अभियान, मास मीडिया अभियान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार, सफलता की कहानियों के दस्तावेजीकरण द्वारा नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रसार, मोबाइल ऐप का विकास आदि। 31 मार्च 2024 तक एनएफडीबी द्वारा इस संबंध में की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे दी गई हैं।

क) आईसीएआर–सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवॉटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर–सीआईएफए) के साथ वर्चुअल लर्निंग मोबाइल ऐप "मत्स्य सेतु" विकसित करने में सहयोग किया गया (जुलाई 2021)

- 31 दिसंबर 2024 तक, इस ऐप के माध्यम से 57729 हितधारकों को वर्चुअली प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ख) उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए "मत्स्य सेतु" ऐप में एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस सुविधा "एक्वा बाजार" विकसित करने में आईसीएआर–सीआईएफए के साथ सहयोग किया (अगस्त 2022)

- 31 दिसंबर 2024 तक, 214 विक्रेताओं ने इस ऐप में अपने उत्पादों को सूचीबद्ध किया।

ग) घरेलू मत्स्य की खपत को बढ़ावा देने के लिए 28 जिंगल बनाए और इसे 16 राज्यों में 9 स्थानीय भाषाओं में प्रसारित किया।

घ) तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और गोवा में स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान (2022 से 2023) आयोजित करने में सहायता प्रदान की गई ।

ड) सागर परिक्रमा पर गीत विकसित किए (2 हिंदी में और 1 तमिल में)

च) वीडियो बनाए और जारी किए

- हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और गुजराती में भारत के माननीय प्रधान मंत्री के संदेश के साथ 9 साल की उपलब्धियाँ
- 9 स्थानीय भाषाओं में पीएमएमएसवाई और केसीसी के तहत लाभार्थियों की सफलता की कहानियाँ
- सी वीड कल्चर
- सजावटी मात्स्यिकी
- मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में बीमा

2024 में, 31 दिसंबर 2024 तक, एनएफडीबी ने विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की, जैसे:

क) मात्स्यिकी और जलीय कृषि बीमा पर राष्ट्रीय सम्मेलन। 17 जनवरी 2024, पूसा, नई दिल्ली।

ख) समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन। 27 जनवरी 2024, कच्छ, गुजरात

ग) सागर परिक्रमा यात्रा

- तटीय मछुआरों और मत्स्य किसानों से उनके घर जाकर मिलने, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने, सतत मत्स्यन

को बढ़ावा देने और भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए भारतीय तट पर एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम "सागर परिक्रमा यात्रा" चलाया गया। माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के नेतृत्व में इस कार्यक्रम ने भारतीय तट के साथ 12 तटीय राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में लगभग 114 स्थानों को कवर किया। यह यात्रा 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से शुरू हुई और 11 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में संपन्न हुई।

वित्त वर्ष 2023—2024 के दौरान सागर परिक्रमा के निम्नलिखित चरण आयोजित किए गए;

» महाराष्ट्र और गोवा के तट पर 17 से 18 मई 2023 तक चरण V

» अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर 29 मई 2023 को चरण VI

» केरल के तट पर 7 से 8 मई 2023 तक चरण VII

» केरल और तमिलनाडु के तट पर 30 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक चरण VII

» तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर 7 से 9 अक्टूबर 2023 तक चरण IX

» आंध्र प्रदेश के तट पर 1 से 6 जनवरी 2024 तक चरण X

» ओडिशा के तट पर 7 से 9 जनवरी 2024 तक चरण XI

» पश्चिम बंगाल के तट पर 10 से 11 जनवरी 2024 तक चरण XII

» सागर परिक्रमा पर कॉफी टेबल बुक और वीडियो का विमोचन समारोह। 15 मार्च 2024, राजकोट, गुजरात।

» एनएफडीबी ने मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और मत्स्यपालन विभाग, गुजरात के सहयोग से राजकोट, गुजरात में "सागर परिक्रमा" नामक कॉफी टेबल बुक और "सागर परिक्रमारू एक अनोखे इतिहास की रचना" नामक वीडियो के विमोचन के लिए एक समारोह आयोजित किया। श्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कॉफी टेबल बुक और वीडियो दोनों का विमोचन किया। पुस्तक और वीडियो में मछुआरों के सामने आने वाली चुनौतियों और तटीय मात्स्यिकी क्षेत्र में अब तक प्राप्त उपलब्धियों की जमीनी हकीकत को समझने के लिए 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तट पर 'सागर परिक्रमा यात्रा' के 12 चरणों का अवलोकन दर्शाया गया है।

इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 51.52 लाख मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों तक प्रभावी ढंग से पहुंच बनाई गई।

4.1.11 नवाचार और अभिनव परियोजनाएं/गतिविधियां, स्टार्ट—अप, इनक्यूबेटर और पायलट परियोजनाओं सहित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

एनएफडीबी ने इस क्षेत्र में उभर रही नई और अभिनव तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई पहल की हैं, ताकि देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके। 31 दिसंबर 2024 तक 2024 में कुल 430.21 लाख रुपए की परियोजना लागत पर निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सीआईएफटी ईंधन—कुशल वी—फॉर्म डबल स्लॉटेड ओटर बोर्ड (109.16 लाख रुपए) का लोकप्रियकरण

क) मछुआरों की वैकल्पिक आजीविका के लिए एकीकृत बहु—उष्णकटिबंधीय जलीय कृषि तथा कर्नाटक में तटीय जल में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि (52.28 लाख रुपए)

ख) भारत में मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों की प्राथमिकता, उपभोग पैटर्न तथा भविष्य की मांग (15.22 लाख रुपए)

ग) जेब्राफिश (डैनियो रेरियो) की जैव—संसाधन सुविधा की स्थापनारू वाइल्ड टाइप तथा इनब्रेड जेब्राफिश स्ट्रेन के लिए एक राष्ट्रीय आनुवंशिक भंडार (70 लाख रुपए)

घ) उत्तरी गुजरात तट पर उद्यमिता विकास के लिए समुद्री शैवाल खेती स्थलों का पायलट पैमाने पर मूल्यांकन (34 लाख रुपए)।

ड़) आईसीएटी की सुविधाओं पर विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों अर्थात एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी तथा बायोडीजल के साथ समुद्री इंजनों के संचालन के लिए प्रौद्योगिकियों/किटों का परीक्षण तथा आईसीएटी द्वारा उनकी सुरक्षा तथा दक्षता का प्रमाणन (137.90 लाख रुपए)।

च) रीगल पेस्का टेक, क्यूनकोलिम, सालसेटे, गोवा द्वारा वर्टिकल क्रैब कल्चर (11.312 लाख रुपए)

4.1.12. ओडिशा के बहबलपुर तट पर इंडियन पोम्पानो का केज कल्चर प्रदर्शन

'चांदीपुर तट पर इंडियन पोम्पानो का केज कल्चर प्रदर्शन' परियोजना की सफलता को देखने के बाद, एनएफडीबी ने परियोजना के विस्तार के लिए 75 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की। इस परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय अंश मछुआरा समिती/समितियों को शामिल करके परिचालन लागत के लिए एकमुश्त सब्सिडी सहायता के रूप में 45 लाख (60%) है और लाभार्थी का हिस्सा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत तय किए गए साझाकरण पैटर्न के अनुसार 30 लाख (40%) है। 30 केज के वितरण और बहबलपुर, बालासोर में केज कल्चर प्रदर्शन करने के लिए 36 लाभार्थियों (18 मछुआरों और 18 मछुआरा महिलाओं) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अपने पहले चरण में, मछुआरा समूह ने बहबलपुर, बालासोर में जलाका नदी के मुहाने पर 7 केज में 31000 सी बास फिंगरलिंग्स को स्टॉक किया। लगभग आठ महीने की खेती के बाद, उन्होंने 10 लाख की कीमत के साथ 3 मीट्रिक टन सी बास की कुल कैच हासिल की। सी बास और मुलेट कल्चर के लिए शेष 23 केज स्थापित करके परियोजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

4.1.13. रिवर रेंचिंग

रिवर रेंचिंग घटक को पीएमएमएसवाई के तहत शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य नदियों में देशी मत्स्य स्टॉक पर दबाव को कम करना, स्वदेशी प्रजातियों की पुनःपूर्ति के साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार करना है। यह एक सतत कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सतत मात्स्यिकी प्रबंधन, जैव विविधता का संरक्षण और सामाजिक–आर्थिक लाभों में सुधार करना है, इस योजना को नदी घाटियों में लागू किया जा रहा है। गंगा और गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी की सहायक नदियाँ और आसपास की नदियाँ, महानदी और महानदी नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ, वैनगंगा और वर्धा नदियाँ, कावेरी नदी और आसपास की नदियाँ, गोदावरी, नर्मदा और सिंधु नदी प्रणालियाँ। वित्त वर्ष 2022–23 में, इस योजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तक बढ़ा दिया गया। 17 राज्यों में 1080.94 लाख रेंच के लिए कुल लागत के लिए 30.43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, इनमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। 31 दिसंबर 2024 तक 30.43 करोड़ रुपए की लागत से 1080.94 लाख फिंगरलिंग्स रेंच किए गए।

श्रीमती एसएस ओलिश, माननीय विधायक, चंदेल (एसटी) एसी मणिपुर के चंदेल जिले में चकपी नदी में रिवर रेंचिंग कार्यक्रम में भाग लेती हुई।

श्रीमती एसएस ओलिश, माननीय विधायक, चंदेल (एसटी) एसी मणिपुर के चंदेल जिले में चकपी नदी में रिवर रेंचिंग कार्यक्रम में भाग लेती हुई

4.1.14. उत्तर पूर्वी राज्यों में देशी मत्स्य प्रजातियों की प्रजनन इकाइयों की स्थापना

उत्तर पूर्वी राज्यों में, मागुर, सिंघी, पाबड़ा और कोइ जैसी मछली प्रजातियों की उपभोक्ताओं द्वारा विशेष पसंद की जाती है और उन्हें उच्च बाजार मूल्य मिलता है। हालाँकि, फिश सीड उत्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में हैचरी की कमी, किसानों के बीच प्रजनन तकनीक के प्रसार की कमी और अन्य आवश्यक सहायता की कमी के कारण इन प्रजातियों का व्यावसायिक प्रजनन और प्रसार तथा संवर्धन विस्तार अभी भी कम है।

इस कमी को पूरा करने के लिए, एनएफडीबी ने वित्त वर्ष 2020–21 में 'उत्तर पूर्व भारत की स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के लिए प्रजनन इकाइयों की स्थापना' परियोजना शुरू की।

31 दिसंबर 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों में स्वीकृत देशी मत्स्य प्रजातियों की प्रजनन इकाइयों का विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या जिन्हें प्रजनन इकाइयाँ स्वीकृत की गई	स्वीकृत प्रजनन इकाइयों की संख्या	कुल व्यय (रु.)	एनएफडीबी सब्सिडी राशि (रु.)	परियोजना के अंतर्गत पूर्ण की गई तथा प्रचालनरत प्रजनन इकाइयों की संख्या	स्थापना के विभिन्न चरणों पर प्रजनन इकाइयों की संख्या
8	65	4.25 करोड़	2.33 करोड़	44	21

4.1.15. मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन/फिश फार्मर प्रोड्यूसर ओरगेनाईजेशन

एनएफडीबी, पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों/फिश फार्मर प्रोड्यूसर ओरगेनाईजेशन (एफएफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है, जिसने 53 आवेदनों की जांच और मूल्यांकन के बाद क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) के रूप में 6 एजेंसियों को चुना है। इन 6 सीबीबीओ को विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एफएफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया। 20 पंजीकृत एफएफपीओ में से 9 एफएफपीओ ने सीईओ और एकाउंटेंट नियुक्त किए हैं और अपनी व्यावसायिक योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। शेष 5 एफएफपीओ का गठन और लामबंदी का काम प्रगति पर है।

31 दिसंबर 2024 तक स्वीकृत एफएफपीओ का विवरण

सीबीबीओ के रूप में चयनित एजेंसियों की संख्या	सीबीबीओ को स्वीकृत एफएफपीओ की संख्या	राज्यों की संख्या जिनके लिए एफएफपीओ स्वीकृत किए गए	पंजीकृत एफएफपीओ की संख्या	पंजीकृत एफएफपीओ में नामांकित सदस्यों की संख्या
6	25	13*	20	2700

'आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश

4.1.16 मात्स्यिकी सहकारी समितियों का गठन

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, एनएफडीबी ने वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2032–33 तक उन ग्राम पंचायतों और गांवों में 12000 नई मात्स्यिकी सहकारी समितियों (एफसीएस) के गठन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जो इस दायरे से बाहर हैं। कार्य योजना में दो चरणों में इन नई एफसीएस के गठन की परिकल्पना की गई है, प्रत्येक चरण में 6000 का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, एनएफडीबी को 1000 नई एफसीएस के गठन का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 31 दिसंबर 2024 तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 582 का गठन किया जा चुका है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई

4.1.17. जलीय कृषि क्षेत्र में प्रमाणन, मान्यता, ट्रेसेबिलिटी और लेबलिंग

एनएफडीबी 6 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में पायलट स्केल पर पीएमएमएसवाई के तहत फिश हैचरीधफिश फार्म/ब्रूड बैंक/फीड मिल के प्रमाणन को लागू कर रहा है, जिसमें व्यक्तियों और समूहों सहित लगभग 3,040 लाभार्थी शामिल हैं और 4.52 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ हैचरी, फीड मिल और फिश फार्म की 1,711 इकाइयों को लक्षित किया गया है। तदनुसार, एनएफडीबी ने पीएमएमएसवाई के तहत फिश हैचरी/फिश फार्म/ब्रूड बैंक/फीड मिल के प्रमाणीकरण को लागू करने के लिए 8 प्रमाणन निकायों अर्थात ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सीयू इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटेकना इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वेस्ट सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पैनल में शामिल किया। वर्तमान में, चयनित राज्य इन प्रमाणन निकायों के माध्यम से योजना को लागू कर रहे हैं।

लाभार्थियों को क्रमशः (1) सामान्य, (2) एससी/एसटी/महिला, और (3) समूह/क्लस्टर श्रेणियों के तहत 18000 रुपए, 27000 रुपए और 60000 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है।

4.1.18. मत्स्य बाजार और मूल्य सूचना प्रणाली/ फिश मारकेट एंड प्राईज इंफोरमेशन सिस्टम

एनएफडीबी एक वेब/मोबाइल–आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से चयनित मत्स्य बाजारों से मत्स्य मूल्य डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए मत्स्य बाजार मूल्य सूचना प्रणाली/फिश मारकेट एंड प्राईज इंफोरमेशन सिस्टम (एफएमपीआईएस) पर एक परियोजना को लागू कर रहा है। यह पोर्टल नामित गणनाकर्ताओं के माध्यम से हमारे देश के 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शहरों और कस्बों के *65 चयनित रिटेल फिश मार्केट और *46 हॉलसेल फिश मार्केट्स से दर्ज मत्स्य मूल्य पर वास्तविक समय की ऑनलाइन जानकारी प्रदान करता है। ऐप के माध्यम से प्राप्त *138 व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के मत्स्य मूल्य डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। वर्तमान में लगभग *111 पंजीकृत गणनाकर्ता नामित मत्स्य बाजारों से डेटा दर्ज कर रहे हैं। बाजार मूल्य डेटा के अलावा, एनएफडीबी नेटफिश–एमपीईडीए से तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर से संबंधित प्रचलित समुद्री मत्स्य मूल्य डेटा भी प्राप्त कर रहा है और एफएमपीआईएस ऑनलाइन डेटा सिस्टम के साथ एकीकृत करता है।

4.1.19. जलीय पशु स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला

जलीय पशु स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (एएच और क्यूटीएल) एनएफडीबी के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला है। यह एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित प्रयोगशाला है जो मछुआरों, मत्स्य किसानों और मात्स्यिकी में अन्य हितधारकों को विभिन्न परीक्षण सेवाएँ प्रदान करती है। एएच और क्यूटीएल आणविक रोग पहचान, जीन अनुक्रमण, भारी धातुओं की मात्रा का निर्धारण, फीड नमूनों का समीपस्थ संरचना विश्लेषण, अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग आदि के लिए परिष्कृत उपकरणों के साथ पूर्णत संचालित है और पीसीआर और इसके अनुप्रयोगों, आरटी–पीसीआर और इसके अनुप्रयोगों, एक्वा फीड विश्लेषण, माइक्रो–बायोलॉजिकल तकनीकों और एचपीएलसी के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान एएच और क्यूटीएल द्वारा की गई परियोजनाओं और अध्ययन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

क) **पूर्ण परियोजना (पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) के सहयोग से):** तेलंगाना राज्य के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बैराज जैसे कालेश्वरम पोस्ट पर्यावरण निगरानी परियोजनाओं (पीपीईएम) की जलीय जैव विविधता का अध्ययन।

ख) **पूर्ण अध्ययनः** मचफी सॉल्यूशंस द्वारा प्रदान किए गए चरण परिवर्तन सामग्री (पीसीएम) पर तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, मछुआरों, डीलरों, एजेंटों और खुदरा विक्रेताओं के लिए लाभ लक्षित करना।

ग) **वर्तमान परियोजनाएँ:**

क. एनएसपीएएडी चरण II: एनएफडीबी का एएएच और क्यूटीएल रोग निगरानी कार्यक्रम को लागू करने के लिए वित्त वर्ष 2023–2025 की अवधि के लिए एनएसपीएएडी चरण II के अंतर्गत सहयोगी केंद्रों में से एक है।

ख. मत्स्य और जलीय फीड में पोषक तत्व और अवशिष्ट संदूषक प्रोफाइलिंग के साथ रोगजनक सूक्ष्मजीवों का आकलन।

4.1.20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ

एनएफडीबी, मत्स्यपालन विभाग तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल), हैदराबाद के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड के साथ तेलंगाना राज्य के चयनित जिलों के अंतर्देशीय मछुआरों को कौशल प्रशिक्षण और जीवन रक्षक उपकरण प्रदान करने पर एक परियोजना को लागू कर रहा है। 31 दिसंबर 2024 तक, 3 जिलों अर्थात कामारेड्डी, निजामाबाद और निर्मल को कवर करते हुए 2 जलाशय क्षेत्रों अर्थात निजामसागर और श्रीराम सागर से संबंधित 469 मछुआरों के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मात्स्यिकी जीवन रक्षक उपकरणों का प्रदर्शन

4.1.21. जलीय संगरोध सुविधा

2009 में, एनएफडीबी ने एमपीईडीए–आरजीसीए को, नीलंकरई, चेन्नई में जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) स्थापित करने के लिए वित्त पोषित किया, ताकि पेनेअस वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के विनियमित आयात और विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एपीएफ) झींगा सीड के उत्पादन किया जा सके। इस अवधि के दौरान, एक्यूएफ का धीरे–धीरे चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया। वर्तमान में, चरण IV में 6 क्वारंटीन क्यूबिक्ल और सपोर्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने के साथ, सुविधा में 7,33,400 आयातित पी. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक को समायोजित करने की वार्षिक क्षमता है। यह सुविधा 10 जनवरी, 2022 को चालू की गई थी।

एनएफडीबी ने एमपीईडीए–आरजीसीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक्यूएफ द्वारा उत्पन्न सकल राजस्व को एनएफडीबी के साथ 2.5ः प्रति वर्ष की दर से साझा किया जाएगा। तदनुसार, एनएफडीबी को नियमित रूप से एक्यूएफ राजस्व से अपना हिस्सा प्राप्त होता है। तदनुसार, एमपीईडीए–आरजीसीए ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 2063541 रुपए और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 2100404 रुपए की राशि एक्यूएफ से एनएफडीबी के हिस्से के रूप में साझा की।

4.1.22. आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मुलापोलम में तटीय जलकृषि सुविधा का विकास और संचालन

एनएफडीबी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से तटीय जलकृषि सुविधा के विकास और संचालन के चरण। के सिविल कार्य को पूरा किया। 36.52 एकड़ में विस्तृत इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरा हो चुका है, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएँ मौजूद हैं:

- नर्सरी कॉम्प्लेक्स (2 यूनिट, प्रत्येक यूनिट में 16 इनडोर और 16 आउटडोर टैंक):

इसमें नर्सरी क्षेत्र, जलाशय, ट्रीटमेंट कम ब्लोअर कम पैनल रूम, इस्तेमाल किए गए पानी के ट्रीटमेंट प्लांट, कार्यालय और कर्मचारियों के लिए आवास, मीठे पानी की टंकी, सेप्टिक टैंक और ओवरहेड टैंक शामिल हैं।

- ग्रो–आउट तालाब (2 ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक में 8 तालाब):

इसमें पंक्तिबद्ध तालाब, कार्यालय और कर्मचारियों के लिए आवास, पैनल कम ब्लोअर रूम, मीठे पानी की टंकी प्लेटफॉर्म और सेप्टिक टैंक शामिल हैं।

- जल प्रबंधन प्रणाली
  - » सी वॉटर इनटेक सिस्टमः इसमें इनटेक लाइन, पंप हाउस और मुख्य जल आपूर्ति लाइन शामिल हैं।
  - » जलाशय प्रणाली: इसमें जलाशय तालाब (4 संख्या), निस्पंदन प्रणाली के साथ अपव्यय बॉक्स, इनलेट के साथ फीडर नहरें और पंपिंग के लिए सम्प शामिल हैं।
- एक्सटर्नल सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर

इसमें आंतरिक सड़कें, जल निकासी प्रणाली और वर्षा जल और जल निकासी प्रणाली शामिल हैं, जिसमें पुलिया भी शामिल है।

- विद्युतीकरण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर

इस इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रीट लाइट, मुख्य उपभोक्ता ईबी यार्ड, एचटी केबल के लिए पाइप प्रणाली, ट्रांसफार्मर यार्ड, एमवी पैनल रूम, जनरेटर बेड आदि शामिल हैं।

मुलापोलम में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का निर्माण

4.1.23. मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड)

फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर में अंतर (गैप्स) को दूर करने के लिए, वित्त वर्ष 2018–19 में, भारत सरकार ने 7522.48 करोड़ रुपए के फंड आकार के साथ मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) बनाई। एफआईडीएफ पहचान की गई फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासनों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को रियायती वित्त/ऋण प्रदान करता है। एफआईडीएफ की प्रारंभिक कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2018–19 से वित्त वर्ष 2022–23 तक 5 वर्ष थी जिसे पहले से स्वीकृत 7522.48 करोड़ रुपए के फंड आकार के भीतर 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2026 तक 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है।

31 दिसंबर 2024 तक एनएफडीबी को 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 7978.78 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के लिए 259 प्रस्ताव प्राप्त हुए। एनएफडीबी ने केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएएमसी) को 123 प्रस्तावों की सिफारिश की। सीएएमसी ने 121 प्रस्तावों की सिफारिश की और डीओएफ (जीओआई) ने 31 दिसंबर 2024 तक 5585.51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। योजना विस्तार के बाद कुल 14 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 9 निजी और 5 सरकारी हैं, जिनकी कीमत 178.97 करोड़ रुपए है। सीएएमसी ने 203.45 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

तमिलनाडु के थिरुवोत्रियुरकुप्पम में टूना फिशिंग हारबर

मेसर्स हाईलैंड एग्रो, ओडिशा द्वारा श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार

एफआईडीएफ के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की झलक

4.1.24. उपकरण निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं का पैनलीकरण

एनएफडीबी ने 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न श्रेणियों जैसे कि जलकृषि, रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस)/बायोफ्लोक सी केज/जलाशय, केज/पेन, कोल्ड चेन सुविधा (कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट), फिश फीड मिल, हैचरी, समुद्री मात्स्यिकी, रेफ्रीजरेटीड वाहन/इंसुलेटेड वाहन, बायो टॉयलेट आदि के अंतर्गत 41 फर्मों को पैनल में शामिल किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए सूची एनएफडीबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

4.1.25 परामर्शदाताओं का पैनलीकरण

मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के लाभ के लिए, एनएफडीबी ने इस क्षेत्र में 67 परामर्शदाताओं (व्यक्तियों और परामर्शदाता फर्मों) को पैनल में शामिल किया है।

4.1.26. एनएफडीबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम

4.1.26.1 दूसरा फिशरीस सम्मर मीट –2024

द्वितीय फिशरीस सम्मर मीट –2024– का आयोजन 12 जुलाई 2024 को मदुरै, तमिलनाडु में किया गया। सम्मेलन के दौरान, 114 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पीएमएमएसवाई के तहत कुल 321 प्रभावशाली परियोजनाओं का केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्रीगण प्रो. एस. पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान, उद्घाटन स्थलों से मछुआरों के साथ लाइव वर्चुअल बातचीत की गई।

केंद्रीय मंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जिसमें विभिन्न जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, लाभार्थियों को केसीसी वितरित किए गए, लाभार्थियों को पीएमएमएसवाई उपलब्धि पुरस्कार पत्र प्रदान किए और ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर चयनित एफएफपीओ को सम्मानित किया गया, अर्थात गोरखपुर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, कापसी मत्स्य कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़, बनमनखी मत्स्य कृषक कंपनी लिमिटेड, बिहार, बस्तर पर्ल मत्स्य कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़, लारी मत्स्य उत्पादक कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश और कोंडापाका मत्स्य उत्पादक कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना।

4.1.26.2. विश्व मात्स्यिकी दिवस–2024

एनएफडीबी ने मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) के साथ मिलकर 21 नवंबर 2024 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 मनाया, जिसका विषय था इंडियाज ब्लू ट्रांसफोरमेशनरू स्ट्रेन्थिंग स्माल–स्केल एंड सस्टेंबल फिशरीज। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय, तथा मुख्य अतिथि श्री जॉर्ज कुरियन, राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय शामिल हुए। इटली, रोम में भारतीय राजदूत सुश्री वाणी राव, एफएओ के मत्स्यपालन प्रभाग के एडीजी और निदेशक श्री मैनुअल बारंगे ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में 54 दूतावास प्रतिनिधियों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में दो तकनीकी सत्र शामिल थे, अर्थात् (1) ''साउथ–साउथ और ट्रीएंगुलर कॉपरेशनः फूड सेफ्टी एंड सेक्युर्टी थ्रू सस्टेंबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर'', जिसमें छोटे पैमाने पर खेती, बढ़ी हुई आजीविका और खाद्य सुरक्षा सहित मात्स्यिकी में सतत विकास के लिए द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतियों की खोज की गई और (2) 'जलवायु परिवर्तनः मात्स्यिकी में चुनौतियां और आगे का रास्ता' जिसमें जलवायु प्रभाव, रेसिलिएंस– बिल्डिंग और शमन रणनीतियों को संबोधित किया गया।

इस अवसर पर, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने कई ऐतिहासिक पहलों और परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसेः

क) डेटा–संचालित (डेटा ड्रीवन) नीति निर्माण के लिए 5वीं समुद्री मात्स्यिकी जनगणना

ख) शार्क के स्थायी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय शार्क कार्य योजना और श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के साथ संयुक्त सहयोग से, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (आईयूयू) मत्स्यन को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना के लिए भारत का समर्थन,

ग) समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन–खाद्य और कृषि संगठन (आईएमओ–एफएओ) ग्लोलिटर भागीदारी परियोजना, और ऊर्जा–कुशल, कम लागत वाले समुद्री मत्स्यन के ईंधन को बढ़ावा देने के लिए रेट्रोफिटेड एलपीजी किट के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं।

घ) तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय जलीय कृषि फार्मों के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए न्यू सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस)।

ड़) वॉलंटरी कार्बन मार्केट (वीसीएम) के लिए एक रूपरेखा को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन, क्षेत्र में कार्बन–सीक्वेस्ट्रिंग प्रथाओं का उपयोग करना

इस अवसर पर, मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में प्रगतिशील राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), जिलों और व्यक्तियों को क्षेत्र के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 की झलकियाँ

4.1.26.3 पीएमएमएसवाई की चौथी वर्षगांठ समारोह: मत्स्यपालन विभाग और एनएफडीबी ने नई दिल्ली में पीएमएमएसवाई की चौथी वर्षगांठ का आयोजन किया। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम–एमकेएसएसवाई) के लिए परिचालन संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए। इस कार्यक्रम में लगभग 850 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया और देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 18 हजार राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, मछुआरों और अन्य हितधारकों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।

पीएमएमएसवाई की चौथी वर्षगांठ समारोह की झलकियां

4.1.26.4 ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनएफडीबी ने मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के संभावित लाभों को उजागर करने के लिए राष्ट्रव्यापी ड्रोन प्रदर्शन पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहला कार्यक्रम 24 सितंबर 2024 को आईसीएआर–केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), बैरकपुर में शुरू किया गया था और इसे सीआईएफआरआई और एनएफडीबी और मत्स्यपालन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था।

इसी तरह, 19 अक्टूबर 2024 को पटना–बिहार में मत्स्यपालन विभाग, बिहार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति रही।

सीआईएफआरआई और सीएमएफआरआई में ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम

तीसरा कार्यक्रम 8 नवंबर, 2024 को आईसीएआर–सीएमएफआरआई, एनएफडीबी और मत्स्यपालन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम श्री जॉर्ज कुरियन, माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन विभाग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। साथ ही गणमान्य व्यक्ति, वैज्ञानिक, राज्य मात्स्यिकी अधिकारी, मछुआरे और मछुआरिनें भी मौजूद थीं। तीनों कार्यक्रमों में लगभग 2800 मछुआरे और मत्स्य किसानों करने वाले मछुआरे, महिला मछुआरे वास्तविक रूप से और लगभग 20 हजार प्रतिभागी वर्चुअल रूप से विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, मात्स्यिकी संस्थानों, कॉलेजों, सहकारी समितियों, एफएफपीओ, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और अन्य हितधारकों से शामिल हुए।

4.1.26.5. पालघर में माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन परियोजनाओं में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वधावन पोर्ट की आधारशिला रखना और लगभग 1,560 करोड़ रुपए की लागत से 218 मात्स्यिकी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। "मोदी ने लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोलआउट ऑफ वेसेल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने फिशिंग हारबर, फिश लैंडिंग सेंटर और फिश मार्केट के निर्माण के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण सहित महत्वपूर्ण फिशरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मछुआरों के लाभार्थियों को ट्रांसपोंडर सेट और किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए ।

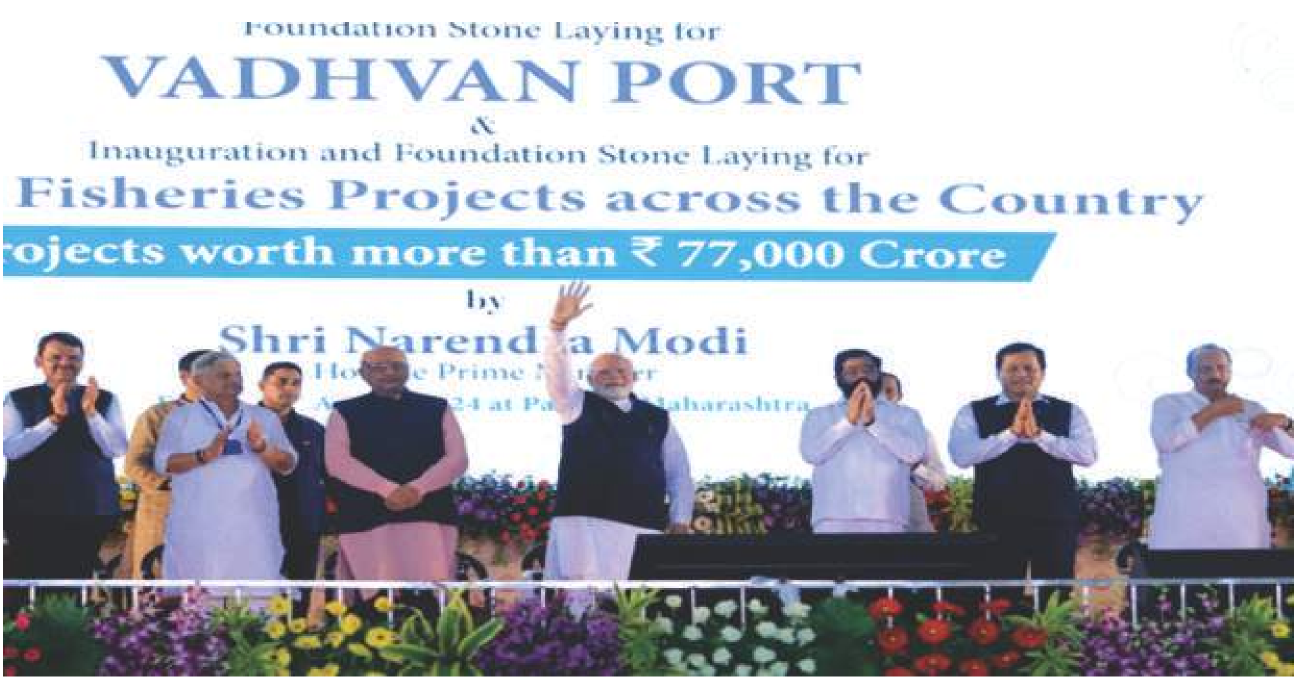

4.1.26.6. उपरोक्त के अलावा एनएफडीबी ने मत्स्यपालन विभाग के सहयोग से विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं जैसे कि

- 6 सितंबर 2024 को – मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, आंध्र प्रदेश के समन्वय में श्रीम्प फार्मिंग और एक्सपोर्ट वैल्यू चैन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मात्स्यिकी निर्यात संवर्धन पर हितधारकों के परामर्श।
- 8 सितंबर 2024 को मदुरै में ओर्नामेंटल फिशरीज क्लस्टर के विकास के लिए हितधारकों की बैठक आयोजित की गई।
- एनएफडीबी ने 19 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक विश्व खाद्य भारत 2024 में भाग लिया।
- 17 से 19 सितंबर 2024 तक इंडियन वॉटर वीक 2024 में भाग लिया भारत मंडपम, नई दिल्ली में 8वें इंडियन वॉटर वीक में भाग लिया।
- 14 नवंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवेशक सम्मेलन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- 15 नवंबर 2024 को एनएफडीबी ने दमन और मणिपुर में बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन किया और उसमें भाग लिया, जिसे जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

मात्स्यिकी निर्यात संवर्धन पर हितधारकों के साथ परामर्श

ओर्नामेंटल फिश क्लस्टर के विकास के लिए हितधारकों की बैठक

4.1.27. प्रकाशन

क. भारत की राज्य मछलियाँ और जलीय जीव 2024

ख. कॉफी टेबल बुक— सागर परिक्रमा

4.1.28. एनएफडीबी के क्षेत्रीय केंद्र

4.1.28.1. एनएफडीबी—पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, भुवनेश्वर

4.1.28.2. आनुवंशिक रूप से उन्नत (जेनेटिकेल्ली इंप्रूव्ड) स्कैम्पी ब्रूड बैंक

आनुवंशिक रूप से उन्नत (जीआई) स्कैम्पी बीज की मांग को पूरा करने के लिए, 74.36 लाख रुपए की परियोजना लागत पर एनएफडीबी—ईआरसी में जीआई स्कैम्पी के लिए एक ब्रूड बैंक स्थापित किया गया था। इसमें 20 नर्सरी टैंक हैं, जिनकी क्षमता 60000 जुवेनिलश/वर्ष उत्पादन करने की है। वित्त वर्ष 2023—24 में, एनएफएफबीबी ने आईसीएआर—सीआईएफए से 25150 जीआई स्कैम्पी पोस्ट लार्वा खरीदे, जिन्हें ब्रूडस्टॉक में रियर किया जा रहा है। इनमें से, 31 दिसंबर 2024 तक ओडिशा में 3 नेटवर्क वाली हैचरी को लगभग 138.8 किलोग्राम ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति की गई थी। शेष स्टॉक को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मल्टीप्लायर इकाइयों को ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए मिट्टी के तालाबों में रियर किया जा रहा है।

4.1.28.3. गुणवत्तापूर्ण प्रजनक सीड का उत्पादन एवं वितरण

नेशनल फ्रेश वॉटर ब्रूड बैंक (एनएफएफबीबी) की स्थापना एनएफडीबी—ईआरसी की गतिविधियों के हिस्से के रूप में देश भर में अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि को मजबूत करने के लिए की गई थी। केंद्र का उद्देश्य केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त आनुवंशिक रूप से बेहतर स्वदेशी मछली उपभेदों का गुणन करना, गुणवत्तापूर्ण प्रजनक सीड विकसित करना और इसे पहचानी गई, मान्यता प्राप्त हैचरी में वितरित करना है। इससे हैचरी गुणवत्तापूर्ण मछली बीज उत्पादन के लिए भरोसेमंद ब्रूडस्टॉक विकसित करने में सक्षम हो जाती है।

वर्ष 2024 में, 31 दिसंबर तक, एनएफडीबी—ईआरसी ने हैचरी, सीड उत्पादकों, राज्य सरकार के खेतों, केवीके, आईसीएआर संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को 25.96 करोड़ प्रजनक सीड (स्पॉन— 99: और फ्राई और फिंगरलिंग— 1:) और जयंती रोहू, इम्प्रूव्ड कतला, अमूर कॉमन कार्प, मृगल, ग्रास कार्प, जावा पुटी के 3.4 टन ब्रूडस्टॉक वितरित किए, जिसमें 149.9 किलोग्राम सीआईएफए—जेनेटिकली इम्प्रूव्ड (जीआई) स्कैम्पी ब्रूडस्टॉक शामिल है। एनएफडीबी—ईआरसी ने अखिल भारतीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण फिश सीड की आपूर्ति करने और उच्च मत्स्य उत्पादन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक देश भर में 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 79 हैचरी और 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 62 सीड उत्पादकों को पंजीकृत करके मत्स्य सीड के वितरण के लिए हैचरी के अपने नेटवर्क को मजबूत किया है।

4.1.28.4. पंगेसियस हैचरी का पैनलीकरण

एनएफडीबी—ईआरसी ने एनएफडीबी द्वारा निर्धारित मूल्य पर किसानों को पंगेसियस सीड की आपूर्ति के लिए एक समझौता करके 2 पंगेसियस हैचरी (एक ओडिशा में और दूसरी गुजरात में) को पैनल में शामिल किया है।

4.1.28.5 इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

एनएफडीबी—ईआरसी ने वित्त वर्ष 2023—24 में निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की गतिविधियाँ शुरू कीं।

क) प्रशिक्षण केंद्र, स्टोर सह प्रयोगशाला भवन का निर्माण।

ख) जीआई देसी मगुर हैचरी की स्थापनारू ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में सीड की मांग को पूरा करने के लिए आईसीएआर—सीआईएफई, बलभद्रपुरम, आंध्र प्रदेश से खरीदे गए आनुवंशिक रूप से उन्नत देसी मगुर के गुणन के लिए।

4.1.28.6. एनएफडीबी—उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी

एनएफडीबी—एनईआरसी एनएफडीबी की विस्तार और आउटरीच शाखा के रूप में कार्य करता है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के मत्स्य किसानों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में पूर्वोत्तर राज्यों की सहायता करता है और मात्स्यिकी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उनके साथ समन्वय करता है। एनएफडीबी—एनईआरसी क्षेत्र में जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2024 में, 31 दिसंबर तक, एनईआरसी ने 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 2 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें किसानों, उद्यमियों, छात्रों, राज्य विभाग के अधिकारियों आदि सहित पूरे क्षेत्र में 605 लोगों तक पहुँच बनाई गई। केंद्र ने 8 प्रदर्शनियों/एक्वा फेस्ट में भी भाग लिया और अपने स्टॉल लगाए। केंद्र ने पीएमएमएसवाई, जीएआईएस, एफएमपीआईएस आदि के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं पीएमएमएसवाई–पीएमयू बैठक का समन्वय किया। केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसके कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए विभिन्न परियोजना स्थलों का कई बार दौरा किया। एनएफडीबी–एनईआरसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के साथ–साथ पश्चिम बंगाल में एनएफडीबी सूचना स्टॉल के साथ आठ प्रदर्शनियों/एक्वाफेस्ट में भाग लिया। स्वच्छता अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में महिला समिति, मत्स्य व्यापारियों और मत्स्य श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ मत्स्य बाजार–सफाई अभियान का आयोजन किया गया। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे पीएमएमएसवाई, पीएम–एमकेएसएसवाई, एफआईडीएफ, उद्यमिता मॉडल, जीएआईएस, एक्वा फसल बीमा, केसीसी आदि को बढ़ावा देने के लिए एनएफडीबी–एनईआरसी द्वारा आईसीएआर संस्थानों, मात्स्यिकी संस्थानों, भारत सरकार – एफएसआई, सीआईसीईएफ, सिफनेट, एनआईपीएचएटी के समन्वय में व्यापक आउटरीच और जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें 07–16 दिसंबर, 2024 के दौरान सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें 18968 मछुआरों, मत्स्य किसानों और हितधारकों तक पहुंचा गया।

4.2 तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 'तटीय क्षेत्रों' के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में 'तटीय जलकृषि' गतिविधियों को और उनसे जुड़े या तत्संबंधी आकस्मिक मामलों को विनियमित करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 24, 2005) के तहत की गई थी। तटीय जलकृषि प्राधिकरण तटीय जलकृषि गतिविधियों और तटीय पर्यावरण और इसके विविध पारिस्थितिकी तंत्रों (इकोसिस्टम) के संरक्षण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। पर्यावरण कानून के एहतियाती सिद्धांतों का पालन करके, सीएए वैज्ञानिक रूप से आधारित दिशा–निर्देशों को लागू करता है जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और कुशल दोनों हैं, जिससे तटीय जलकृषि को बढ़ावा मिलता है और देश भर में लाखों ग्रामीण निवासियों की आजीविका सुरक्षित होती है।

4.2.1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना भारत की संसद द्वारा अधिनियमित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 24, 2005) के तहत की गई थी, इस अधिनियम को 23 जून 2005 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी ।

मूल अधिनियम के अधिनियमित होने के 18 वर्षों के पश्चात् तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 27) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया, जिसे 12 अगस्त, 2023 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 14 अगस्त, 2023 को अधिसूचित किया गया।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के इस अधिदेश के साथ कार्य कर रहा है कि तटीय जलकृषि से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, अधिनियम, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुपालन में जिम्मेदार तटीय जलकृषि को बढ़ावा दिया जाए तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की आजीविका की रक्षा की जाए।

श्रिम्प तटीय जलीय कृषि में प्रमुख व्यावसायिक प्रजाति है और पेनेअस मोनोडोन में रोग के प्रकोप के बाद, सीएए को पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी दिनांक 15 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना के तहत विदेशी श्रिम्प अर्थात एसपीएफ लिटोपेनियस के वाणिज्यिक आरंभ को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया था।

तटीय जलकृषि से श्रिम्प उत्पादन वर्ष 2008–09 के 84,000 मीट्रिक टन के स्तर से बढ़कर वर्ष 2023–24 के दौरान 11.60 लाख मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया है। तटीय जलकृषि की मौजूदा संभावनाओं को देखते हुए, इसके और भी विस्तार की उम्मीद की जाती है । यह उल्लखनीय है कि देश में किसी अन्य खाद्य उत्पादन क्षेत्र ने पिछले 16 वर्षों में तटीय जलकृषि जितनी उच्च वृद्धि दर हासिल नहीं की है।

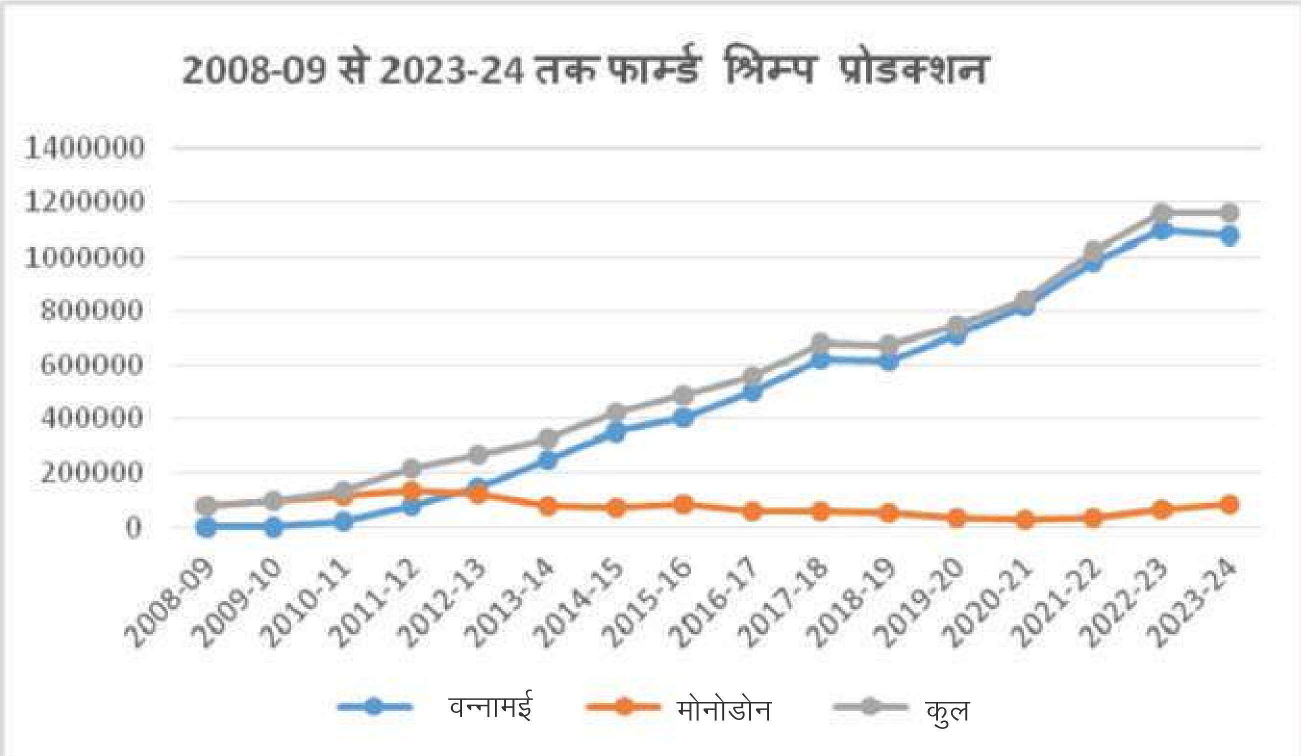

4.2.2. (जनवरी 2024–दिसंबर 2024) के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण की उपलब्धियां

4.2.2.1 फार्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण

सीएए अधिनियम, 2005 (2023 में संशोधित) की धारा 13 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, एक नियामक प्राधिकरण के रूप में सीएए, राजस्व, कृषि, वन, मत्स्यपालन, एमपीईडीए, सिंचाई और पंचायत राज विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सीएए नियम 2024 के नियम 10 के उप–नियम 3 के तहत 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित जिला स्तरीय समितियों (76) और उप–मंडल स्तरीय समितियों (157) की सहायता से तटीय जल कृषि फार्मों को पंजीकृत कर रहा है और सीएए अधिनियम, 2005, सीएए नियम, 2024, दिशानिर्देश और सीएए विनियम, 2008 के तहत निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्राधिकरण की स्वीकृति से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। तटीय जल कृषि फार्मों की पंजीकरण अवधि 5 वर्ष है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका नवीकरण किया जाएगा।

- वर्ष 2024 के दौरान, सीएए ने 1055.80 हेक्टेयर के कुल फार्म क्षेत्र (टीएफए) और 682.90 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) के साथ 865 नए तटीय जलीय कृषि फार्म पंजीकृत किए और 5847.48 हेक्टेयर के टीएफए और 4046.05 हेक्टेयर के डब्ल्यूएसए के साथ 3144 फार्मों का नवीनीकरण किया।
- सीएए की स्थापना (2005) से दिसंबर 2024 तक, देश में 71051.80 हेक्टेयर के कुल फार्म क्षेत्र (टीएफए) और 48360.20 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) को कवर करते हुए कुल 46,976 तटीय एक्वा फार्म सीएए के साथ पंजीकृत किए गए थे ।
- सीएए की स्थापना (2005) से दिसंबर 2024 तक, कुल 15,142 तटीय एक्वा फार्मों का नवीनीकरण किया गया, जिसमें कुल फार्म क्षेत्र (टीएफए) 30656.81 हेक्टेयर और जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) 21447.12 हेक्टेयर शामिल हैं।

दिसंबर 2024 तक सीएए के साथ पंजीकृत राज्यवार तटीय जलकृषि फार्म							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापना से दिसंबर 2024 तक			जनवरी 2024 से दिसंबर–2024 तक		
		फार्मों की संख्या	कुल फार्म क्षेत्र (हेक्टेयर)	जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	कुल फार्म क्षेत्र (हेक्टेयर)	जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	4	22.18	5.29	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	22744	33270.85	23174.03	129	152.38	108.28
3.	दीव और दमन	12	60.00	38.40	0	0	0
4.	गोवा	48	151.11	109.82	3	3.82	2.80
5.	गुजरात	1122	5237.32	3723.02	15	93.00	52.00
6.	कर्नाटक	316	462.54	351.56	0	0	0
7.	केरल	1532	2945.44	2024.09	41	59.68	37.06
8.	महाराष्ट्र	315	2342.56	1486.24	0	0	0
9.	ओडिशा	13485	15861.69	9865.23	498	489.07	306.35
10.	पुदुचेरी	86	126.87	95.26	0	0	0
11	तमिलनाडु	2374	6238.00	4544.64	90	224.72	148.53
12.	पश्चिम बंगाल	4938	4333.23	2942.62	89	33.13	27.88
	कुल योग	**46976**	**71051.80**	**48360.20**	**865**	**1055.80**	**682.90**

स्थापना से दिसंबर 2024 तक सीएए के साथ पंजीकृत राज्यवार तटीय जलीय कृषि फार्मों का नवीनीकरण							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापना से दिसंबर 2024 तक			जनवरी से दिसंबर–2024 तक		
		फार्मों की संख्या	कुल फार्म क्षेत्र (हेक्टेयर)	जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर)	फार्मों की संख्या	कुल फार्म क्षेत्र (हेक्टेयर)	जल विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	7569	12786.21	9118.47	1333	2492.35	1746.43
3.	दीव और दमन	9	45.00	28.80	0	0	0
4.	गोवा	47	143.13	105.94	2	1.81	1.42
5.	गुजरात	931	4264.12	3053.57	121	567.15	415.19
6.	कर्नाटक	129	217.77	162.35	17	32.21	18.07
7.	केरल	318	658.34	491.70	1	1.35	1.08
8.	महाराष्ट्र	174	1021.20	691.78	16	70.37	52.52
9.	ओडिशा	3916	5922.97	3663.19	1241	1569.54	979.35
10.	पुदुचेरी	46	91.52	67.96	1	2.71	1.56
11।	तमिलनाडु	1989	5494.35	4054.91	412	1109.99	830.43
12.	पश्चिम बंगाल	14	12.20	8.45	0	0	0
	कुल योग	**15142**	**30656.81**	**21447.12**	**3144**	**5847.48**	**4046.05**

4.2.2.2. बीज उत्पादन इकाइयों का पंजीकरण

- सीएए अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत सीएए को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी बीज उत्पादन इकाइयों जैसे हैचरी, नौप्ली रीयरिंग हैचरी (एनआरएच) और लाइव फीड इकाइयों को पंजीकृत करना अनिवार्य है।
- वर्ष के दौरान, नई इकाइयों के पंजीकरण के संबंध में, सीएए निरीक्षण समिति ने 14 हैचरी (एल. वन्नामेई –04य स्कैम्पी–01, पॉलीचेट–02, पी. मोनोडॉन –6 और अनुसंधान संस्थान की एक इकाई) और 09 नौप्ली रियरिंग हैचरी (एनआरएच) का निरीक्षण किया और उनके पंजीकरण के लिए सिफारिश की।
- वर्ष के दौरान, मौजूदा इकाइयों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में, निरीक्षण समिति ने 15 हैचरी (एल. वन्नामेई – 13; पी. मोनोडोन –02), एल. वन्नामेई के लिए 41 एनआरएच और एक लाइव फीड यूनिट का निरीक्षण किया तथा उनके पंजीकरण के नवीकरण की सिफारिश की गई।
- स्थापना (2005) से दिसंबर 2024 तक, तटीय राज्यों में स्थित एसपीएफ एल. वन्नामेई और पी. मोनोडोन बीज उत्पादन इकाइयों के लिए कुल 324 हैचरी और 214 नौप्ली रियरिंग हैचरी (एनआरएच) सीएए द्वारा अनुमोदित की गई, जिनमें एल. वन्नामेई और पी. मोनोडोन के बीज उत्पादन के लिए कुल उत्पादन क्षमता लगभग 1.01 लाख मिलियन बीज (एनआरएच सहित) है।
- वर्ष के दौरान सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एल. वन्नामेई के 1,63,377 एसपीएफ ब्रूडस्टॉक और पी. मोनोडॉन के 8,037 एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आयात किया गया।
- आरम्भ से लेकर अब तक, हैचरी संचालकों द्वारा सीएए के सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से कुल 27,07,328 एसपीएफ एल. वन्नामेई और पी. मोनोडोन ब्रूडस्टॉक का आयात किया गया।

दिसंबर 2024 तक सीएए के साथ पंजीकृत बीज उत्पादन इकाइयाँ

क्रम. संख्या	प्रजाति/राज्य	पंजीकृत हैचरी	बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन बीज)	एनआरएच पंजीकृत	एनआरएच की बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन बीज)	कुल बीज उत्पादन इकाइयाँ (हैचरी +एनआरएचएस)	कुल बीज उत्पादन क्षमता (हैचरी +एनआरएचए स) (प्रति वर्ष मिलियन बीज)
क	**एल. वन्नामई बीज उत्पादन इकाइयाँ**						
1	आंध्र प्रदेश	213	52740	170	17140	383	69880
2	तमिलनाडु	77	14980	18	2800	95	17780
3	ओडिशा	6	1410	12	1190	18	2600
4	गुजरात	3	780	0	0	3	780
5	पश्चिम बंगाल	1	300	0	0	1	300
	कुल एल. वन्नामेई	**300**	**70210**	**200**	**21130**	**500**	**91340**
ख	**पी.मोनोडोन बीज उत्पादन इकाइयाँ**						
1	आंध्र प्रदेश	15	4190	6	1590	21	5780
2	तमिलनाडु	7	1690	5	700	12	2390
3	ओडिशा	0	0	1	80	1	80
4	गुजरात	2	900	1	480	3	1380
5	कर्नाटक	0	0	1	60	1	60
	कुल पी. मोनोडोन	**24**	**6780**	**14**	**2910**	**38**	**9690**

दिसंबर 2024 तक सीएए के साथ पंजीकृत बीज उत्पादन इकाइयाँ							
क्रम. संख्या	प्रजाति/राज्य	पंजीकृत हैचरी	बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन बीज)	एनआरएच पंजीकृत	एनआरएच की बीज उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन बीज)	कुल बीज उत्पादन इकाइयाँ (हैचरी +एनआरएचएस)	कुल बीज उत्पादन क्षमता (हैचरी +एनआरएचएस) (प्रति वर्ष मिलियन बीज)
ग	**समुद्री फिनफिश बीज उत्पादन इकाइयाँ**						
1	आंध्र प्रदेश	2	20	0	0	2	20
2	कर्नाटक	1	5	0	0	1	5
3	गुजरात	1	200	0	0	1	200
4	पश्चिम बंगाल	1	60	0	0	1	60
	कुल समुद्री फिनफिश	5	285	0	0	5	285
घ	**मैक्रोब्रैकियमरोसेनबर्गी बीज उत्पादन इकाइयाँ**						
1	आंध्र प्रदेश	1	240	0	0	1	240
2	तमिलनाडु	1	30	0	0	1	30
	कुल एम.रोसेनबर्गी	2	270	0	0	2	270
ङ	**अनुसंधान संस्थान (बहुप्रजाति) इकाइयाँ**						
1	केरल	3	अनुसंधान कार्यक्रम के लिए	0	अनुसंधान कार्यक्रम के लिए	3	0
2	तमिलनाडु	3		0		3	0
	कुल	6		0		6	0
	कुल योग	**337**	**77545**	**214**	**24040**	**551**	**101585**

4.2.2.3. एसपीएफ ब्रूडस्टॉक / पीपीएल आपूर्तिकर्ताओं का पैनलीकरण

- सीएए,आईसीएआर–सीआईबीए, एमपीईडीए, एनएफडीबी और एनबीएफजीआर के सदस्यों के साथ गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर सीएए देश में एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक्स/पीपीएल की आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करता है ।
- तकनीकी मूल्यांकन समिति, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन, उनके संयंत्र में स्थापित आनुवंशिक आधार, एसपीएफ स्थिति और जैव–सुरक्षा सुविधाओं के आधार पर करती है तथा उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए सीएए को सिफारिश करती है।
- सीएए ने अब तक एल. वन्नामेई के लिए 14 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और पी. मोनोडॉन के लिए 02 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को पैनल में शामिल किया है , ताकि सीएए–पंजीकृत हैचरी और बीएमसी को पैनल में शामिल आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल आयात करने में सुविधा हो सके।
- किसानों के लाभ के लिए सीएए वेबसाइट (www.caa.gov.in) पर एसपीएफ श्रिम्प ब्रूडस्टॉक/पीपीएल का आयात करने वाली हैचरी/बीएमसी का विवरण अपडेट कर रहा है।

4.2.2.4.ए.क्यू.एफ संचालन की तकनीकी निगरानी

- एसपीएफ एल. वन्नामी और एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक ध्पीपीएल का आयात देश में तटीय जलीय कृषि के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमपीईडीए–आरजीसीए देश के लिए प्रवेश पोर्ट के रुप में चेन्नई हवाई अड्डा में जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) का संचालन कर रहा है। आयातित एसपीएफ ब्रूडस्टॉक/पीपीएल को निर्बाध रूप से संगरोध करने के

लिए सीएए एक तकनीकी समिति के माध्यम से एक्यूएफ की गतिविधियों की तकनीकी रूप से निगरानी कर रहा है।

- एक्यूएफ, सीएए द्वारा सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सभी सीएए–पंजीकृत हैचरियों और बीएमसी को एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक/पीपीएल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- सीएए पंजीकृत हैचरियों को पैनल में शामिल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ श्रिम्प ब्रूडस्टॉक का आयात करने हेतु उनकी सुविधाओं और बीज उत्पादन क्षमताओं के आधार पर वार्षिक आवंटन आदेश जारी करता है।
- वर्ष के दौरान आयातित एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक और पोस्ट पैरेंटल लार्वा (पीपीएल) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रजातियाँ	आयातित एसपीएफ श्रिम्प ब्रूडस्टॉक (सं.)	आयातित पोस्ट पैरेन्टल लार्वा (पीपीएल) (संख्या)
1	एसपीएफ एल.वन्नामेई	1,63,377	4,51,009
2	एसपीएफ पी.मोनोडोन	8,037	87,782
	कुल	**1,71,414**	**5,38,791**

4.2.2.5.सरवेल्लेन्स और पर्यावरण मॉनिटरिंग

पर्यावरण निगरानी सीएए के प्रमुख कार्यों में से एक है और यह उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तटीय जलकृषि गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषित न हो। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। सीएए के फील्ड स्टाफ नियमित रूप से तटीय जल कृषि फार्मों और हैचरी की निगरानी करते हैं और तटीय जिलों में फार्मों और हैचरी से जल और जीव नमूने एकत्र करते हैं।

- वर्ष 2024 के दौरान, सीएए के तकनीकी अधिकारियों और सलाहकारों ने 7055 तटीय जल कृषि फार्मों और हैचरी का दौरा किया, 620 जल नमूने एकत्र किए और नमूनों का सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया गया।
- सीएए अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों ने एमपीईडीए अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित 443 हैचरी का दौरा किया और वर्ष 2024 के दौरान एनआरसीपी कार्यक्रम के तहत 95 नमूने एकत्र किए।

निगरानी की गई फार्म/हैचरी		एनआरसीपी नमूनाकरण	
निगरानी किए गए फार्मों/हैचरी की संख्या	एकत्रित नमूनों की संख्या	दौरा किए गए हैचरी की संख्या	एकत्रित नमूनों की संख्या
7055	620	443	95

4.2.2.6. सीएए नियम, 2024 की अधिसूचना

सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में किए गए प्रावधानों और संशोधनों के अनुरूप, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 को सभी प्रावधानों के साथ 08 जनवरी 2024 को व्यापक रूप से अधिसूचित किया गया।

4.2.2.7. सात नए दिशा–निर्देशों की अधिसूचना

तटीय पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए टिकाऊ तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सात दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए:

क. तटीय जल कृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1496 (ई) दिनांक 20.03.2024)

ख. विशिष्ट रोगजनक मुक्त एल. वन्नामेई के बीज उत्पादन और संवर्धन के लिए हैचरीज और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश (एस.ओ. 1457(ई) दिनांक 15.03.2024

ग. विशिष्ट रोगजनक मुक्त पी. मोनोडोन के बीज उत्पादन और संवर्धन के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1429(ई) दिनांक 15.03.2024)

घ. भारत में तटीय जल कृषि इकाइयों और स्टॉक की स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट

रोगाणु मुक्त प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1479 (ई) दिनांक 15.03.2024)

ङ. एक्वाकल्चर इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र हेतु दिशानिर्देश (एसओ 1456(ई) दिनांक 15.03.2024)

च. भारत में न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र और ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश (एस.ओ. 1459(ई) दिनांक 15.03.2024)

छ. तटीय जल कृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश (एसओ 1458 (ई) दिनांक 15.03.2024)।

4.2.2.8. सीएए नियम, 2024 के प्रावधानों में संशोधन

सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, सीएए ने तटीय जल कृषि के सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में लाने के लिए ग्यारह नए दिशा–निर्देश तैयार किए हैं और अधिसूचना के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं। तदनुसार, सीएए नियम, 2024 के नियम 3 में 4 दिसंबर 2024 को जीएसआर 750 (ई) द्वारा संशोधन किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित ग्यारह नए दिशा–निर्देशों की अधिसूचना के लिए प्रावधान शामिल है:

ज. क्रैब के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

झ. मरीन फिनफिश के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

ञ. समुद्री और खारे पानी में स्वदेशी श्रिम्प प्रजातियों के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

ट. समुद्री/खारे पानी के ऑरनामेंटल जीवों के लिए हैचरी और रेयरिंग इकाइयों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

ठ. समुद्री और खारे पानी में सी वीड सीड उत्पादन और फार्मिंग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

ड. समुद्री/खारे पानी की जल कृषि प्रजातियों की केज और पेन कल्चर को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

ढ. तटीय जलकृषि में लाइव फिड कल्चर इकाइयों और उनके प्रबंधन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

ण. बायो–फ्लोक,रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), और नर्सरी–आधारित एक्वा फार्मिंग सिस्टम को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

त. जल क्षेत्रों (एक्वाजोन) को अधिसूचित करने और एक्वा मैपिंग के लिए दिशानिर्देश;

थ. समुद्री और खारे पानी में बाइवैल्व फार्मिंग और बीज उत्पादन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश;

द. पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए लागत आकलन और तोड–फोड की लागत के आकलन तथा पर्यावरण निगरानी निधि की उपयोगिता के लिए दिशानिर्देश

4.2.2.9. तटीय जल कृषि फार्मों और मेरीकल्चर इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन का विकास

डीपीआईआईटी–एनएसडब्ल्यूएस–इन्वेस्ट इंडिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी सहयोग से जनहित में तटीय जल कृषि फार्मों और मेरीकल्चर इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया है। माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री भारत सरकार ने 21 नवंबर 2024 को "विश्व मात्स्यिकी दिवस" की पूर्व संध्या पर तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन का शुभारंभ किया ।

4-2-3- प्राधिकरण बैठकें और अन्य तकनीकी बैठकें

4.2.3.1. सीएए प्राधिकरण की बैठकें

सीएए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की चार बैठकें (76 वीं , 77 वीं, 78 वीं और 79 वीं) प्राधिकरण के सदस्यों के साथ क्रमशः दिनांक 12.02.2024, 30.04.2024, 18.07.2024 और 21.10.2024 को आयोजित की गईं।

4.2.3.2. सीएए दिशानिर्देश पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की बैठक

संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार की अध्यक्षता में तकनीकी समिति के सदस्यों के साथ तकनीकी विशेषज्ञ समिति की बैठक 8 फरवरी , 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें 7 मसौदा दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने विस्तृत चर्चा के बाद, 7 सीएए दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के लिए अंतिम रूप दिया।

4.2.3.3. नए सीएए दिशानिर्देश के प्रारूपण पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की बैठक

सीएए के 11 नए दिशा–निर्देशों का मसौदा तैयार करने पर संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में 7 मई 2024, 3 जून 2024, 28 जून 2024, 25 जुलाई 2024, 6 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तकनीकी समिति के सदस्यों के साथ तकनीकी विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाई गई थी। सभी सदस्यों ने विस्तृत चर्चा के बाद 11 नए सीएए दिशा–निर्देशों को मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के लिए अंतिम रूप दिया।

4.2.3.4. ए.क्यू.एफ. के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए तकनीकी समिति की 24वीं बैठक

सीएए के सचिव सह एक्यूएफ की तकनीकी समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जलीय संगरोध के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए तकनीकी समिति (टीसी) की 24 वीं बैठक 29 नवंबर 2024 को आईसीएआर – सीआईबीए, एमपीईडीए–आरजीसीए, एक्यूसीएस, एनएफडीबी, डीओएफ, आरजीसीए–एक्यूएफ, एआईएसएचए और सीएए के प्रतिनिधियों के साथ हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।

4.2.3.5. सीएए दिशा–निर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की बैठक

संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी समिति सदस्यों के साथ जल कृषि इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र के दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों पर विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाई और विशेषज्ञों से तकनीकी जानकारी प्राप्त की ।

4.2.4. प्रमुख आयोजन / कार्यक्रम

4.2.4.1. "श्रिम्प क्रॉप हार्वेस्ट" पर कार्यशाला

निदेशक तकनीकी ने सीएए के तकनीकी अधिकारी के साथ सोसाइटी फॉर एक्वाकल्चर प्रोफेशन्स (एसएपी) द्वारा 6 जनवरी 2024 को चेन्नई में आयोजित "श्रिम्प क्रॉप हार्वेस्ट" पर कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में वर्ष 2023 के दौरान, भारत में क्षेत्रवार श्रिम्प उत्पादन की समीक्षा की गई।

4.2.4.2. गोवा सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित ''एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल – 2024''

निदेशक (तकनीकी) ने मत्स्यपालन विभाग, गोवा सरकार द्वारा ओपन फील्ड ग्राउंड, एसएजी कैम्पल , पणजी, गोवा में आयोजित एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2023–24 के 7वें संस्करण में भाग लिया और 4 फरवरी 2024 को आयोजित एक्वाकल्चर मीट में ''भारत में तटीय जल कृषि की स्थिति और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 और सीएए नियम, 2024 की मुख्य बातों''पर प्रस्तुति दी ।

गोवा में एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल में निदेशक (तकनीकी), सीएए की प्रतिभागिता

4.2.4.3. मत्स्यपालन और पशु संसाधन विकास विभाग (एफएंडएआरडी), ओडिशा सरकार द्वारा मत्स्य–प्राणी समावेश ओडिशा (एमपीएसओ)–2024 का आयोजन

सीएए के निदेशक (तकनीकी) और कर्मचारियों ने ओडिशा सरकार के मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग द्वारा 16 से 18 फरवरी 2024 तक जनता मैदान, भुवनेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय मेले 'मत्स्य–प्राणी समावेश ओडिशा (एमपीएसओ) –2024' में भाग लिया । समावश का आयोजन ''मत्स्यपालन और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि''की थीम पर किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और एफएंडएआरडी क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और शिक्षित करना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। सीएए ने कार्यक्रम स्थल पर पोस्टरों के माध्यम से सीएए की गतिविधियों और उपलब्धियों को बताते हुए एक प्रदर्शनी स्टाल लगाया और आगंतुकों को ब्रोशर वितरित किए।

4.2.4.4.अमेरिकी अधिकारियों का सीएए, ए क्यू एफ और श्रिम्प फार्मों का दौरा

यूएसडीए और एपीएचआईएस के अमेरिकी अधिकारियों ने 06 से 07 मार्च 2024 तक तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई का दौरा किया। इस दौरान, अमेरिकी अधिकारियों ने यूएसए से भारत को निर्यात किए गए लार्वा श्रिम्प के जीवन चक्र को समझने के लिए जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ), चेन्नई का दौरा किया।

अमेरिकी टीम ने 6 मार्च , 2024 को सीएए कार्यालय में हितधारकों के साथ बैठक की। प्रतिनिधियों ने जैव सुरक्षा मुद्दों, रोग की रोकथाम, पशु औषधि विनियमन, एएमआर, अमेरिका में हैचिंग सुविधाएं और अमेरिका से निर्यात आदि जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी और उद्योग के समक्ष आने वाले मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में भारतीय प्रॉन किसान संघ, अखिल भारतीय श्रिम्प हैचरी संघ, सी–फूड निर्यातक संघ और एसएपी के प्रतिनिधि, आरजीसीए के निदेशक, आईसीएआर–सीआईबीए के वैज्ञानिक और सीएए के निदेशक (तकनीकी) और कर्मचारी शामिल हुए।

टीम ने 7 मार्च 2024 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के विदावलुर मंडल के मुदिवर्ती गांव में स्थित श्रिम्प फार्मों का दौरा किया और जैव – सुरक्षा प्रोटोकॉल और बेहतर जल कृषि प्रथाओं को अपनाने पर किसान के साथ विस्तृत चर्चा की।

4.2.4.5. एक्वाकल्चर फसल बीमा पर कार्यशाला

निदेशक (तकनीकी), सीएए ने सीआईबीए, चेन्नई द्वारा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ 13.04.2024, 03.05.2024 और 24.10.2024 को सीआईबीए चेन्नई में आयोजित एक्वाकल्चर फसल बीमा पर कार्यशाला में भाग लिया और देश में तटीय जल कृषि की स्थिति और तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी।

4.2.4.6. मात्स्यिकी/बीमा पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

निदेशक (तकनीकी),सीएए ने आईसीएआर—सीआईबीए और सीआईएफई द्वारा संयुक्त रूप से मत्स्यपालन/बीमा पेशेवरों के साथ 3 मई 2024 को आईसीएआर—सीआईएफई, मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने तटीय जलकृषि इकाइयों के पंजीकरण और नवीकरण के लिए सीएए की गतिविधियों और वैधानिक प्रावधानों पर प्रस्तुति दी।

4.2.4.7. 12 जुलाई 2024 को मदुरै , तमिलनाडु में आयोजित फिशरीज समर मीट —2023

सीएए के निदेशक (तकनीकी) और कर्मचारियों ने मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2024 को मदुरै, तमिलनाडु में आयोजित ''फिशरीज समर मीट—2024'' में भाग लिया। सीएए ने कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी स्टाल लगाया, जिसमें पोस्टरों के माध्यम से सीएए की गतिविधियों और उपलब्धियों को दर्शाया गया तथा आगंतुकों को ब्रोशर वितरित किए गए।

4.2.4.8. निवारक सतर्कता पर कार्यशाला

सीएए के तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों ने निदेशक (सतर्कता और प्रशासन),मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2024 को सिफनेट, चेन्नई में आयोजित "निवारक सतर्कता पर कार्यशाला" में भाग लिया।

4.2.4.9. आईसीएआर—सीआईबीए द्वारा श्रिम्प किसानों के साथ काकद्वीप, पश्चिम बंगाल में आयोजित तीसरा श्रिम्प किसान सम्मेलन

निदेशक (तकनीकी), सीएए ने 10 अगस्त, 2024 को आईसीएआर—सीआईबीए द्वारा श्रिम्प किसानों के साथ पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में आयोजित तीसरे श्रिम्प

किसान सम्मेलन में भाग लिया और तटीय कृषि के पंजीकरण की प्रक्रिया, सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों और प्रावधानों, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों और पश्चिम बंगाल राज्य में सीएए के साथ पंजीकृत तटीय जल कृषि इकाइयों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। सम्मेलन में लगभग 200 श्रिम्प किसानों, महिला समूहों, छात्रों, आईसीएआर–सीआईबीए और सीआईएफई के वैज्ञानिक समुदाय, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों ने सहभागिता की।

4.2.4.10. यूएसएफडीए द्वारा एफडीए सीफूड ट्रैसेबिलिटी पर सेमिनार

यूएसएफडीए अधिकारियों और सीएए ने संयुक्त रूप से हाइब्रिड मोड के माध्यम से 26 अगस्त 2024 को सीएए, चेन्नई में एफडीए सीफूड ट्रेसेबिलिटी पर सेमिनार आयोजित किया। एफडीए टीम ने सीएए कार्यालय चेन्नई में सीफूड ट्रेसेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेसेबिलिटी कैंपेन, सीफूड सुरक्षा आदि पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन किया। सीएए, एफएसएसएआई, एमपीईडीए, ईआईसी और भारतीय मसाला बोर्ड के प्रतिनिधियों ने प्रत्क्षय रूप से और विभिन्न राज्यों/संस्थानों के अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

4.2.4.11. कैनबरा फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाई जैव–सुरक्षा प्रणाली पर संगोष्ठी में प्रतिभागिता

डॉ. पी. शंकर राव, निदेशक (तकनीकी), सीएए ने 26 अगस्त से 30 अगस्त, 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में ''कैनबरा फेलोशिप कार्यक्रम'' के तहत ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा प्रायोजित ''ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय जैव–सुरक्षा पर संगोष्ठी'' में भाग लिया। एक्सपोजर विजिट के दौरान, भारत के प्रतिनिधियों ने पोस्ट एंट्री क्वारंटीन सुविधा का दौरा किया–जो मेलबर्न में जीवों जीवों और पौधों के लिए उनकी अत्याधुनिक केंद्रीकृत संगरोध सुविधा है। इसके बाद उनके देश में जैव–सुरक्षा के लिए शीर्ष फोरम गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलियाई जैव–सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया और कृषि, डेयरी और जल कृषि में दुनिया के

अग्रणी उत्पादकता स्तर वाले फार्म पर अनुभव प्राप्त किया। इन नीतिगत अनुभव के अलावा, प्रतिभागियों को ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और आतिथ्य का सबसे अच्छा अनुभव मिला।

4.2.4.12. श्रिम्प फार्मिंग और निर्यात मूल्य संवर्धन पर फोकस के साथ मात्स्यिकी निर्यात संवर्धन पर हितधारकों के साथ परामर्श

सीएए के सचिव और निदेशक (तकनीकी) ने 6 सितंबर 2024 को विशाखापत्तनम में सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागाध्यक्षों और माननीय राज्य मत्स्य मंत्रियों के साथ माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित ''श्रिम्प फार्मिंग और निर्यात मूल्य संवर्धन पर फोकस करते हुए मात्स्यिकी निर्यात संवर्धन पर हितधारकों के साथ परामर्श'' में भाग लिया और सीएए के सचिव ने ''सतत श्रिम्प फार्मिंग को विनियमित करने और बढ़ावा देने में सीएए की भूमिका'' पर प्रस्तुति दी।

4.2.4.13. राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) द्वारा स्थापित श्रिम्प मूल्यांकन अध्ययन इकाई का निरीक्षण

सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने तकनीकी और निरीक्षण समिति के अन्य सदस्यों के साथ 24 और 25 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के राजक्कमंगलरन में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए पीएमएमएसवाई के तहत स्थापित एमपीईडीए–आरजीसीए के टाइगर श्रिम्प के लिए श्रिम्प मूल्यांकन अध्ययन इकाई के निरीक्षण में भाग लिया, जिसका नेतृत्व निदेशक, आईसीएआर–सीआईबीए ने किया और निरीक्षण रिपोर्ट मत्स्यपालन विभाग को सौंपी।

4.2.2.14 राजभाषा पर कार्यशाला

सभी सीएए कर्मचारियों ने 3 अक्तूबर 2024 को सीएए कार्यालय, चेन्नई में सुश्री रेशमी, सहायक निदेशक (राजभाषा), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित "राजभाषा पर कार्यशाला" में भाग लिया।

4.2.2.15.आईसीएआर–सीआईबीए द्वारा श्रिम्प हार्वेस्टिंग कार्यक्रम का आयोजन

सीएए के निदेशक (तकनीकी) और कर्मचारियों ने आईसीएआर–सीआईबीए द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को मुटुक्कडू में आयोजित श्रिम्प हार्वेस्टिंग कार्यक्रम और सुपर–इंटेंसिव प्रिसिजन एंड नेचुरल झींगा फार्मिंग (एसआईपीएनएसएफ) पर हितधारक की बैठक में भाग लिया। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, आईसीएआर के उप महानिदेशक, एमपीईडीए के अध्यक्ष, एनएफडीबी के मुख्य कार्यपालक, आईसीएआर–सीआईबीए के निदेशक और अन्य हितधारकों ने बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने सीएए के मुख्य कार्यों पर प्रस्तुति दी।

4.2.4.16. डीजी (एसएएनटीई) 2024–8027– मात्स्यिकी उत्पादों के लिए भारत का ऑडिट

सीएए अधिकारियों ने यूरोपीय संघ के डीजी (एसएएनटीई) मिशन 2024 के एक भाग के रूप में तकनीकी, उद्घाटन और समापन बैठकों में भाग लिया। सीएए के अधिकारियों ने तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में स्थित फार्मों के ऑडिट में भी भाग लिया और यह ऑडिट यूरोपीय संघ की ऑडिट टीम द्वारा ईआईए, एमपीईडीए और राज्य के अधिकारियों के साथ 11 से 22 नवंबर 2024 तक किया गया।

4.2.4.17. विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 समारोह

सीएए स्टाफ ने 21 नवंबर 2024 को सुष्मा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस, 2024 में भाग लिया। समारोह के दौरान, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री , भारत सरकार द्वारा तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए एनएसडब्ल्यूएस–सीएए ऑनलाइन एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया।

4.2.4.18. ''मात्स्यिकी उत्पादों में मूल्य वृद्धि और निर्यात संवर्धन'' पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की अंतर–सत्र बैठक

निदेशक (तकनीकी), सीएए ने 13 दिसंबर 2024 को संसद भवन, एनेक्सी बिल्डिंग, नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में "मत्स्य उत्पादों में मूल्य वृद्धि और निर्यात संवर्धन" पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी

मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की अंतर सत्र बैठक में भाग लिया ।

4.2.5. आउटरीच कार्यक्रम

क. आंध्र प्रदेश के प्रॉन फार्मर्स फेडरेशन और मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 8 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हितधारकों की बैठक का आयोजन किया गया था और सीएए के निदेशक तकनीकी ने फार्मों, हैचरी के पंजीकरण और जल कृषि इनपुट के प्रमाणीकरण पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को सीएए अधिनियम और नियमों के हाल ही में किए गए संशोधनों पर प्रस्तुति दी।

ख. एमपीईडीए, सीएए और मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 11 जनवरी 2024 को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में श्रिम्प फार्मर्स की बैठक आयोजित की गई और इसमें फार्मों, हैचरी के पंजीकरण और जल कृषि इनपुट के प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और सीएए के निदेशक तकनीकी ने प्रतिभागियों के समक्ष सीएए अधिनियम और नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों पर प्रस्तुति दी।

ग. तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में 12.02.2024 से 14.02.2024 तक तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण पर किसानों के साथ क्षेत्र–स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से लगभग 100 किसान और एमपीईडीए, एनएसीएसए और राज्य मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों, डॉ. जे. जयललिता तमिलनाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, नागपट्टिनम के छात्रों ने प्रतिभागिता की।

तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले में मत्स्यपालन किसानों के साथ आयोजित जागरूकता शिविर

घ. तटीय जलकृषि फार्मों, हैचरी के पंजीकरण और जलकृषि इनपुट के प्रमाणन पर हाइब्रिड मोड के माध्यम से 20.02.2024 को राज्य मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों, किसानों, हैचरी संचालकों, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जलकृषि इनपुट निर्माताओं और वितरकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 500 अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया।

ड. निदेशक (तकनीकी), सीएए ने 22.02.2024 को बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों, क्षेत्र अधिकारियों और हितधारकों के साथ सीआईबीए द्वारा आयोजित ''रिस्क मैनेंजमेंट सर्वे एंड लॉस असेसमेंट इन श्रिम्प फार्मिंग'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था और ''तटीय जलीय कृषि की वर्तमान स्थिति – चुनौतियां और भावी योजना'' पर प्रस्तुति दी।

च. सीएए के निदेशक (तकनीकी) और कर्मचारियों ने श्रिम्प फार्मर्स एसोसिएशन और मत्स्यपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1 मार्च 2024 को आयोजित आंध्र प्रदेश के ओंगोल और बापटला में श्रिम्प फार्मर्स और अन्य हितधारकों की बैठक में भाग लिया। सीएए निदेशक ने हितधारकों की बैठक के दौरान सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023 और सीएए नियम, 2024 के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों पर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मत्स्यपालन विभाग के लगभग 500 हितधारकों और अधिकारियों ने भाग लिया।

छ. सीएए के निदेशक (तकनीकी) ने स्टाफ के साथ 11 मार्च 2024 और 12 मार्च 2024 को सचिव मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्यों⁄केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप–योजना ष्प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजनाष (पीएमएमकेएसएसवाई) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक परामर्श बैठक में भाग लिया था।

ज. एसडीएलसी / डीएलसी सदस्यों, राज्य मत्स्यपालन अधिकारियों, एमपीईडीए के अधिकारियों ने गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पुदुचेरी, गोवा, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के किसानों और अन्य हितधारकों के साथ सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों के तहत हाल में किए गए संशोधनों और प्रावधानों तथा तटीय जलीय कृषि फार्मों, हैचरी के पंजीकरण और नवीनीकरण और जल कृषि इनपुट के प्रमाणीकरण की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्रमशः 02.04.2024, 21.05.2024, 22.05.2024, 06.06.2024, 18.06.2024, 20.06.2024, 24.06.2024, 05.07.2024 और 30.07.2024 को ओरिएंटेसन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

झ. निदेशक (तकनीकी), सीएए और एसटीए ने एक्वाकल्चर हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एएचएमए) के सदस्यों के साथ विजयवाड़ा में 13 जून 2024 को आयोजित बैठक में भाग लिया और एंटीबायोटिक्स मुक्त एक्वाकल्चर इनपुट के प्रमाणीकरण की अनिवार्यता और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों के तहत किए गए

हाल के संशोधनों और एक्वाकल्चर इनपुट संबंधी अनुपालन के प्रमाण पत्र जारी करने पर जारी अधिसूचना पर जागरूक किया। मत्स्यपालन विभाग और एमपीईडीए के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठकों के दौरान निदेशक (तकनीकी) ने प्रस्तुति दी।

ण. निदेशक (तकनीकी), सीएए और एसटीए ने भीमावरम, आंध्र प्रदेश में एक्वा इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ 14 जून 2024 को आयोजित बैठक में भाग लिया और एंटीबायोटिक मुक्त एक्वाकल्चर इनपुट के प्रमाणीकरण की अनिवार्यता और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और दिशानिर्देशों के तहत किए गए हाल के संशोधनों और एक्वाकल्चर इनपुट के अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने पर जारी अधिसूचना के बारे में जागरूक किया। बैठक में मत्स्यपालन विभाग और एमपीईडीए, एनएसीएसए के अधिकारी भी शामिल हुए।

ट. सीएए कार्यालय में तटीय जल कृषि फार्मों और समुद्री कृषि इकाइयों के पंजीकरण के लिए 31 जुलाई 2024 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से ऑनलाइन एप्लिकेशन पर एक डेमों सत्र आयोजित किया गया और एसडीएलसी, डीएलसी और अन्य राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों को आवेदन की प्रक्रिया, प्रत्येक स्तर पर कार्य प्रवाह पर लाइव डेमो दिया गया और नोडल अधिकारियों के साथ इसका आयोजन 9 अक्टूबर 2024 को किया गया। इस सत्र में एनएसडीएलएस टीम और सभी तटीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 120 अधिकारियों ने भाग लिया।

तटीय जलकृषि इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर डेमो

ठ. सीएए ने 7 अक्टूबर 2024 को "पैनल में शामिल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और बीएमसी ऑपरेटरों द्वारा सीएए पंजीकृत हैचरी को एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति" पर वीसी के माध्यम से एक बैठक बुलाई। निदेशक आरजीसीए, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर–सीआईबीए, उपायुक्त, डीओएफ, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, एआईएसएचए के प्रतिनिधियों, हैचरी संचालकों और किसान संघ के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सम्पन्न बैठक में भाग लिया।

ड़. सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों हेतु तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन के प्रसंस्करण पर द्वितीय डेमो कार्यक्रम 9 अक्टूबर 2024 को सीएए मुख्यालय चेन्नई में आयोजित किया गया। एनएस डब्ल्यूएस और टीसीएस के सकांय सदस्यों ने प्रतिभागियों को ऑनलाइन आवेदन का प्रदर्शन किया, 6 तटीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से 13 नोडल अधिकारियों और सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 155 मत्स्यपालन अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में भाग लिया।

ढ. ऑल इंडिया श्रिम्प हैचरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और श्रिम्प ब्रूडस्टॉक/पीपीएल के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ 20 दिसंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितधारकों की बैठक हुई। बैठक के दौरान, एक्यूएफ में और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के देश में आयातित श्रिम्प ब्रूडस्टॉक और पीपीएल में उभरती बीमारी टीपीडी की जांच से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

ण. एमपीईडीए–एनएसीएसए और मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएए स्टाफ ने 18 से 24 नवंबर, 2024 तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) जागरूकता सप्ताह में भाग लिया और श्रिम्प एक्वा किसानों, हैचरी संचालकों और अन्य हितधारकों के बीच रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम पर जागरूक किया।

उन कार्यक्रमों का तिथिवार विवरण जिनमें सीएए कर्मचारियों ने भाग लिया है:

क्रम सं.	आयोजन की तिथियाँ	आयोजक का स्थान
1.	18.11.2024	विश्वनाथपल्ली गांव, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश
2.	19.11.2024	चिंटुवलसा गांव, गारा मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश
3.	21.11.2024	कराईमेडु गांव, सिरकाली तालुक, मयिलादुथुराई जिला, तमिलनाडु
4.	22.11.2024	गंगापट्टनम गांव, इंदुकुरपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश
5.		मुथुपेट्टई गांव, तिरुवरूर जिला, तमिलनाडु
6.	23.11.2024	निज़ामपट्टिनम गाँव, बापटला जिला, आंध्र प्रदेश
7.		तल्लेरावु गांव, काकीनाडा जिला, आंध्र प्रदेश
8.	26.11.2024	सखीनेट्टीपल्ली गांव, डॉ.बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिला, आंध्र प्रदेश
9.	28.11.2024	नवदुरु गांव, वीरवासरम मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश

त. निदेशक (तकनीकी) और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने मात्स्यिकी विभाग, ओडिशा राज्य द्वारा तटीय मात्स्यिकी अधिकारियों, किसानों और अन्य हितधारकों के साथ ओडिशा राज्य के मात्स्यिकी निदेशक की अध्यक्षता में 19.12.2024 को मात्स्यिकी आयुक्त कार्यालय, कटक, ओडिशा राज्य में ''तटीय जल कृषि फार्मों के पंजीकरण और नवीकरण पर राज्य स्तरीय संवेदीकरण (सेंसिटिसटिव) बैठक'' में भाग लिया। बैठक में एमपीईडीए के उप निदेशक, तटीय मात्स्यिकी अधिकारीयों और किसानों ने भाग लिया। बैठक के दौरान निदेशक (तकनीकी), सीएए ने ''सीएए के साथ पंजीकृत तटीय जलीय कृषि इकाइयों और नवीनीकरण के लिए लंबित फार्मों की स्थिति और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024 और अधिसूचित दिशा—निर्देशों की मुख्य विशेषताओं'' पर प्रस्तुति दी।

थ. निदेशक (तकनीकी), सीएए ने एमपीईडीए, एनएसीएसए द्वारा 23.11.2024 को काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, 25.11.2024 को तमिलनाडु, 10.12.2024 को बापटला , आंध्र प्रदेश, 16.12.2024 को पांडिचेरी और 30. 12.2024 को गुजरात में जल कृषि और हैचरी तकनीशियनों के साथ आयोजित संवेदीकरण कार्यक्रम में संकाय के रुप में भाग लिया और सीएए (संशोधन) अधिनियम, 2023, सीएए नियम, 2024, सीएए दिशानिर्देश, जैव—सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाने और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के प्रमुख संशोधनों पर प्रस्तुति दी।

2.8 तटीय जलकृषि प्राधिकरण के संबंध में अव्ययित शेष राशि और उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का विवरण (आंकड़े करोड़ में)

योजना का नाम	31 मार्च, 2024 तक			31 दिसंबर, 2024 तक		
	2023-24 तक देय यूसी	यूसी देय नहीं	अव्ययित शेष राशि	यूसी 2023-24 तक देय	यूसी देय नहीं	अव्ययित शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
तटीय जलकृषि प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0

सीएए में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

सीएए में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में विशेष अभियान, ''स्वच्छता ही सेवा'' में भाग लिया

4.3 केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (साईसेफ), बेंगलुरु

4.3.1. परिचय

केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (साईसेफ), बेंगलुरु की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ/यूएन) के सहयोग से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1968 में प्री—इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फिशिंग हार्बर (पीआईएस एफएच) के रूप में की गई थी। संस्थान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यांत्रिक मत्स्यन जलयानों (एमएफवी) को फिशरी हार्बर सुविधाएं प्रदान करने हेतु भारतीय तट के साथ उपयुक्त स्थलों पर फिशरी हार्बर के विकास के लिए इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच करना और तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना था। एफएओ/यूएन सहयोग की समाप्ति के पश्चात, संस्थान को जनवरी 1974 से 2 वर्षों की अवधि के लिए स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (एसआईडीए) से इक्विपमेंट और एक्सर्पट कंसल्टेंसी सर्विसिज के रूप में तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। अगस्त 1983 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (साईसेफ) कर दिया गया। इसकी तकनीकी विशेषज्ञता को बाद के वर्षों में और विकसित किया गया और अगस्त 1983 से, संस्थान भारतीय तट के साथ तटीय एक्वाकल्चर फार्म के विकास के लिए एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा है। संस्थान को तटीय एक्वाकल्चर फार्मों के विकास के लिए 1986 से 1991 तक इक्विपमेंट और कंसल्टन्ट के रूप में यूएनडीपी/एफएओ से सहायता प्राप्त हुई।

4.3.2 संगठन

निदेशक संस्थान का प्रमुख होता हैं और तकनीकी और प्रशासनिक कर्मियों सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 47 है। पदों का विवरण इस प्रकार हैः

समूह	गैर योजना	
	तकनीकी	गैर-तकनीकी
क	10	-
ख (राजपत्रित)	03	**01**
ख (गैर-राजपत्रित)	09	**02**
ग	07	**15**
कुल	**29**	**18**

इस संस्थान में फिशरी हार्बर, फिश लैंडिंग सेन्टर और खारे पानी के श्रिम्प फार्मों के विकास के लिए साइटों की पहचान करने, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, परियोजनाओं के लिए विस्तृत निर्माण योजनाएं बनाने और अन्य सहायक सुविधाओं के लिए आवश्यक प्री–इन्वेस्टमेंट अध्ययन करने के लिए विशिष्ट ज्ञान और क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले इंजीनियरों और अर्थशास्त्रियों की एक अंत:विषय टीम कार्यरत है।

संस्थान का संगठनात्मक चार्ट नीचे दर्शाया गया है:

4.3.3. संस्था का संगठनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:

संगठनात्मक चार्ट

4.3.4. अधिदेश

फिशरी हार्बर/फिश लैंडिंग सेन्टर और तटीय एक्वाकल्चर फार्मों के विकास के संबंध में संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- प्राथमिकता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए पुनरीक्षण सर्वेक्षण/पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन करना,इसके पश्चात विस्तृत इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच करना तथा तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।
- प्रारंभिक निर्माण योजनाएं और सहायक सुविधाएं आदि तैयार करना।
- आवश्यकतानुसार, इंजीनियरिंग और आर्थिक पहलुओं पर तकनीकी सलाह देना।
- मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण की प्रगति की मांनीटर करना।

4.3.5. संस्थान की उपलब्धियां

संस्थान ने दिसंबर, 2024 के अंत तक 104 स्थलों पर जांच की है और फिशरी हार्बरधफिश लैंडिंग सेन्टर के विकास के लिए 127 (संशोधित और आधुनिकीकरण योजनाओं सहित) परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

यूएनडीपी/एफएओ सहायता के दौरान, चार प्रायोगिक खारे पानी के श्रिम्प फार्म और एक श्रिम्प सीड हैचरी विकसित की गई। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त श्रिम्प कल्चर परियोजना के तहत, संस्थान ने 9,640 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को कवर करते हुए 13 स्थलों पर सर्वेक्षण और उप–मृदा जांच की। 3,826 हेक्टेयर के कुल उत्पादक तालाब क्षेत्र को कवर करते हुए 10 स्थलों के संबंध में तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई। पश्चिम बंगाल में दीघा, कैनिंग और दिघिरपार और आंध्र प्रदेश में भैरवपालम में ट्रायल कल्चर आपरेशन किए गए।

4.3.6. 2024–25 के दौरान उपलब्धियां

4.3.6.1 पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन

1. निम्नलिखित के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की गई।

क. आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के पुदीमदका और श्रीकाकुलम जिले के बुडागट्लापलेम में फिशरीस हार्बर का विकास

ख. पुदुचेरी के कराईकल क्षेत्र में टीआर पट्टिनम (पट्टिनाचेरी) में फिश लैंडिंग केंद्र का विकास

ग. आंध्र प्रदेश में लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फिशरीस हार्बर का विकास

2. श्रीलंका के जाफना जिले में प्वाइंट पेड्रो में फिशरी हार्बर के विकास पर प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई और श्रीलंका सरकार सहित सभी हितधारकों की टिप्पणियों और सहमति के लिए प्रस्तुत की गई।

4.3.6.2. दिशानिर्देश/अवधारणा नोट

1. भारत में स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास पर एक अवधारणा नोट तैयार और प्रस्तुत किया गया, जो परिचालन को अनुकूलित करने, स्थिरता को बढ़ाने और तटीय समुदायों के कल्याण में सुधार करने के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच है।
2. स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर (ग्रीनफील्ड स्मार्ट पोर्ट और ब्राउनफील्ड फिशिंग हार्बर का विस्तार) के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) – मॉडल टेम्पलेट तैयार और प्रस्तुत किया गया।

4.3.6.3. टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीईएफआर)

स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्लू पोर्ट्स, ग्रीन पोर्ट्स और स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर के अन्य सभी घटकों सहित फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए निम्नलिखित तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार और प्रस्तुत की गई।

1. दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव के संघ शासित प्रदेश में वनकबारा फिशिंग हार्बर।

अपेक्षित परिणाम:

यह फिशरी हार्बर 248 मशीनीकृत फिशिंग वेसल्स को लैंडिंग और संबंधित तट–आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें 14.8 मीटर के 51 ट्रॉलर, 20.0 मीटर के 172 ट्रॉलर, 24.5 मीटर के 20 ट्रॉलर और 18.0 मीटर के 5 टूना लॉन्ग–लाइनर शामिल हैं। तथा

2. पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कराईकल फिशरी हार्बर चरण II।

अपेक्षित परिणाम:

यह फिशरी हार्बर 1,465 मशीनीकृत फिशिंग वेसल्स को

लैंडिंग और संबंधित तट–आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें 14.0 मीटर के 187 ट्रॉलर, 17.0 मीटर के 1,276 ट्रॉलर और 20.0 मीटर के 2 टूना लॉन्ग–लाइनर शामिल हैं।

3. तमिलनाडु में चिन्नामुत्तोम फिशरी हार्बर। यह फिशरी हार्बर

अपेक्षित परिणामः

374 मशीनीकृत फिशिंग वेसल्स को लैंडिंग और संबंधित तट–आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें 15.0 मीटर लॉग लाइनर के 50 जहाज, 18.0 मीटर के 204 ट्रॉलर और 23.0 मीटर के 100 ट्रॉलर और 25.0 मीटर के 20 ट्रॉलर शामिल हैं ।

4.3.6.4. फील्ड विसिट

1. एचईडी इंजीनियरों और सीडब्ल्यूपीआरएस वैज्ञानिकों के साथ वामनपुरम नदी के मुहाने से संबंधित समस्या के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के मुथलापोझी में स्थित मौजूदा फिशरी हार्बर का क्षेत्र दौरा किया गया और उपचारी उपाय सुझाए गए। मुथलापोझी फिशरी हार्बर के विस्तार के लिए स्मार्ट और एकीकृत फिशरी हार्बर घटकों का प्रस्ताव रखा गया।

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के मुथलापोझी में स्थित फिशरीस हार्बर का क्षेत्र दौरा

2. केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में कोल्लमकोड और परुथियूर समुद्री–अपरदन(सी इरोजन) स्थलों का क्षेत्रीय दौरा किया और उपचारी उपाय सुझाए।

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में कोल्लमकोड और परुथियूर समुद्री–अपरदन(सी इरोजन) स्थलों का क्षेत्र दौरा

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम

संस्थान ने श्स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छताश थीम के साथ संस्थान परिसर और कर्नाटक के मैंगलोर, मालपे के फिशरी हार्बर पर 17–09–2024 से 02–10–2024 तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया ।

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम

मैंगलोर फिशरी हार्बर पर स्वच्छता ही सेवा

4.4 केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, (सिफनेट)

4.4.1. प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद भारतीय मात्स्यिकी में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग और प्रोत्साहन से उल्लेखनीय तकनीकी विकास हुआ है। इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक उन्नत डीप सी फिशिंग वेसल्स की शुरूआत थी, जिसके लिए उनके संचालन के लिए योग्य और प्रमाणित कर्मियों की भारी मांग की आवश्यकता थी। मात्स्यिकी उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मात्स्यिकी प्रशिक्षण प्रणाली के आयोजन की तत्काल आवश्यकता और महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम (1958) में निर्धारित डीप सी फिशिंग वेसल्स की वैधानिक मानव संसाधन आवश्यकताओं और सहायक तटीय प्रतिष्ठानों में आवश्यक कुशल कर्मियों की पूर्ति के लिए 1963 में कोच्चि में केंद्रीय मात्स्यिकी नौवहन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) की स्थापना की। इस संस्थान का मूल नाम सेन्ट्र्ल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑपरेटिव्स (सीआईएफओ) था तथा इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी, बाद में 1976 में इसका नाम बदलकर सिफनेट कर दिया गया। मर्चेंट शिपिंग (संशोधन) अधिनियम 1987 में यह निर्धारित किया गया कि यांत्रिक प्रणोदन(मैकेनिकल प्रोपल्सन) वाले सभी फिशिंग वेसल्स को विधिवत प्रमाणित कर्मियों द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक है ताकि पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति,जो जहाजों के प्रकार और वर्ग को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम हों के साथ, फिशिंग के विविधीकरण और डीप सी फिशरिज के विकास को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। तत् पश्चात, देश में प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए 1968 में चेन्नई और 1981 में विशाखापत्तनम में संस्थान की दो इकाइयाँ स्थापित की गईं।

4.2.2. अधिदेश

i) महासागरगामी डीप सी फिशिंग वेसल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए तकनीकी जनशक्ति का सृजन करना ।

ii) मात्स्यिकी प्रतिष्ठान के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का सृजन करना।

iii) नीली क्रांतिध्प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से तटीय राज्यों के मछुआरों को प्रशिक्षित करना।

iv) समुद्रीवर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े मछुआरा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए तकनीकी प्राध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

v) मत्स्यन प्रौद्योगिकी के सुधार को त्वरित करने के लिए फिशिंग क्राफ्ट, फिशिंग गियर और उपकरणों पर अध्ययन करना और मछुआरों की उत्पादकता और समुद्री मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।

vi) दक्षिण–पूर्व एशियाई, मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्रों में विकासशील देशों को समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए तकनीकी जनशक्ति सृजित करने में सहायता प्रदान करना।

vii) तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में सभी मामलों में तकनीकी परामर्श सेवा प्रदान करना।

4.4.3. सिफनेट की संगठनात्मक संरचना

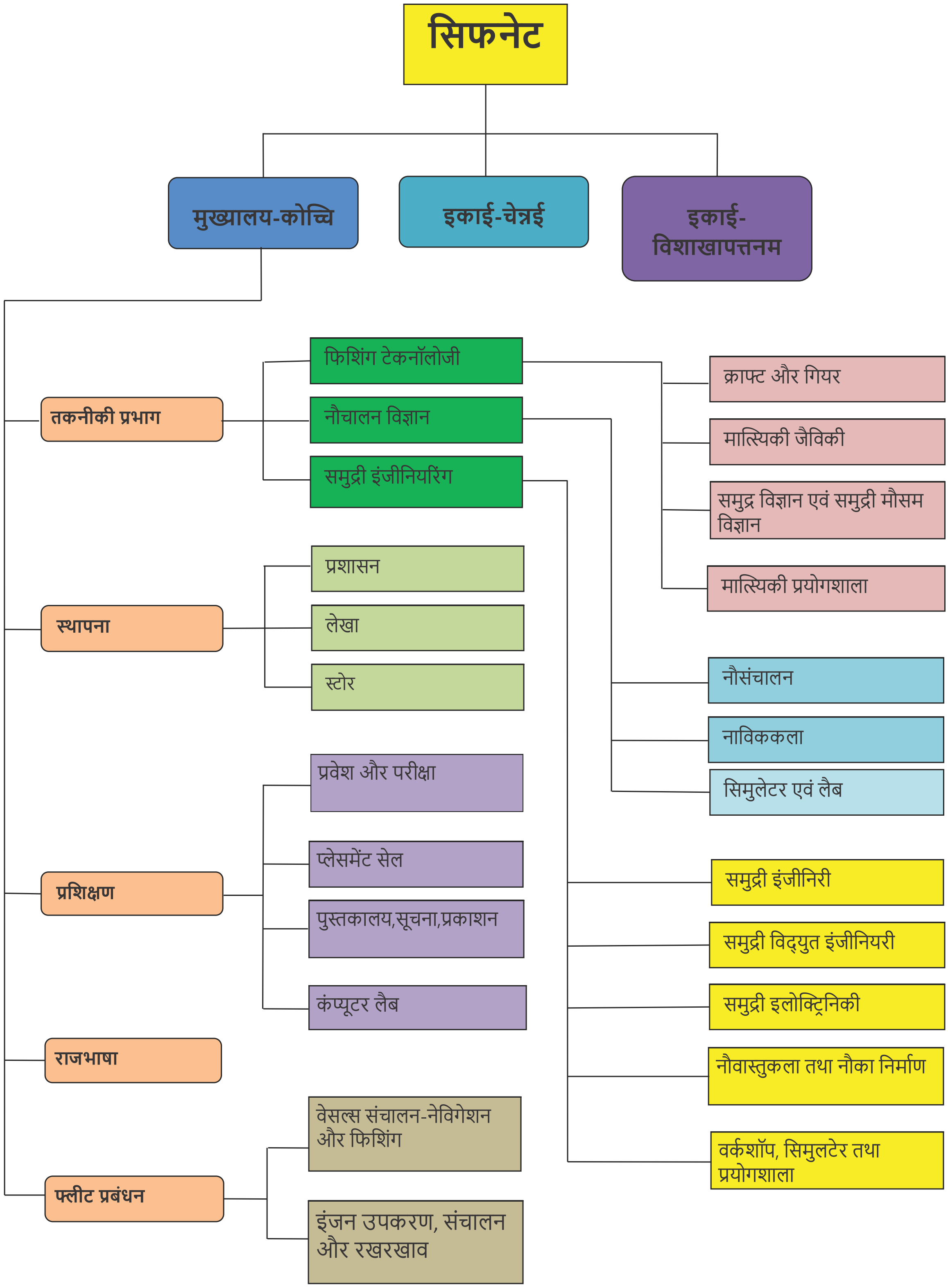

तीनों केन्द्रों के अंतर्गत कार्यरत सिफनेट कर्मचारियों की स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

1 दिसंबर 2024 तक सिफनेट के कुल कर्मचारी, स्वीकृत पद, भरे हुए एवं रिक्त पद आदि की संख्या

पद की श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए पद	कुल रिक्त पद
वर्ग "क"	40	21	19
वर्ग "ख"(राजपत्रित)	6	3	3
वर्ग "ख" (अराजपत्रित)	66	28	38
वर्ग "ग"	167	87	80
कुल	**279**	**139**	**140**

4.4.4. सिफनेट द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

संस्थान नीचे बताए अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है:

i) यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एडं टेक्नॉलोजी, कोच्चि द्वारा अनुमोदित और संबद्ध, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस(नॉटिकल साइंस)

ii) नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से संबद्ध श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 2 वर्ष की अवधि के दो ट्रेड कोर्स, वेसल नेविगेटर कोर्स (वीएनसी) और मरीन फिटर कोर्स (एमएफसी)।

iii) पीएमएमएसवाई के तहत आउटरीच और इन–हाउस कार्यक्रमों के माध्यम से तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मछुआरों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम।

iv) राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्य विभागों, सहयोगी संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षक– प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम और तटरक्षक अधिकारियों और वी एच एस एस और व्यावसायिक कॉलेजों के छात्रों के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम।।

v) प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए 1 वर्ष की अवधि का अनुषंगी पाठ्यक्रम 'शोर मैकेनिक कोर्स (एसएमसी)'।

vi) मांग के अनुसार एलेमेंटरी फिशिंग टेक्नॉलजी पाठ्यक्रम(एएफटीसी) तथा एडवांस्ड फिशिंग टेक्नॉलजी पाठ्यक्रम(ईएफटीसी) नामक दो सांविधिक पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गैर–सिफनेट (निजी) उम्मीदवारों के लिए मेट फिशिंग वेस्सल परीक्षा में शामिल होने के लिए ईएफटीसी अनिवार्य है। एमएमडी द्वारा आयोजित स्किपर ग्रेड I और II फिशिंग वेस्सल परीक्षा में बैठने के लिए एडवांस्ड फिशिंग टेक्नोलॉजी कोर्स (एएफटीसी) अनिवार्य है।

दिसंबर 2024 तक सिफनेट के नियमित पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या

प्रशिक्षण केंद्र	वेस्सल नेविगेटर पाठ्यक्रम (वीएनसी)		मरीन फिटर कोर्स (एमएफसी)		बीएफएससी (एनएस)				कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीयवर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थवर्ष	
कोच्चि	20	18	20	16					74
					शून्य	शून्य	40	35	75
चेन्नई	20	19	20	19	-				78
विजाग	20	10	20	15	-				**65**
	60	47	60	50	शून्य	शून्य	40	35	292
कुल	**107**		**110**		**75**				

प्रशिक्षण और वेस्सल टारगेट और उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2024–25 (दिसंबर 2024 तक) के लिए प्रशिक्षण और परिचालन मापदंडों सहित सिफनेट का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।

सिफनेट 2024-2025 का निष्पादन (दिसंबर 2024 तक)			
क्र.सं.	**पैरामीटर**	**वार्षिक लक्ष्य 2024-2025**	**कुल उपलब्धि दिसंबर 2024 तक**
I. संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य			
1	डिग्री कोर्स– बीएफएससी. (एनएस) के अंतर्गत छात्रों की संख्या	75	75
2	ट्रेड कोर्स (एनसीवीटी) वेस्सल नेविगेटर कोर्स/मरीन फिटर कोर्स के तहत छात्रों की संख्या	240	217
3	सहायक पाठ्यक्रम (शोर मैकेनिक्स कोर्स) के अंतर्गत छात्रों की संख्या (मांग के अनुसार)	20	--
4	सांविधिक एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रम (मांग के अनुसार)	10	2
II. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य			
5	**लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एसटीसी)**	1700	**1515**
(क)	मछुआरों का प्रशिक्षण (इन हाउस)		433
(ख)	मछुआरों के लिए विस्तार प्रशिक्षण (आउटरीच)		1045
(ग)	अधिकारियों (तट रक्षक, मत्स्य अधिकारी) के लिए एसटीसी		37
(घ)	व्यावसायिक छात्र/वीएचएसएस		--
III. मत्स्य प्रशिक्षण वेसल्स के लिए लक्ष्य			
1	समुद्र में बिताए दिन	400	31
2	मत्स्यन के दिन	320	25
3	मत्स्यन प्रयास(घंटे)	1100	51.30
4	मत्स्यन प्रयास (हुक)	3500	--
5	कैच (किलोग्राम)	12000	28
6	संस्थागत प्रशिक्षु दिन	2500	310
7	पोस्ट संस्थागत प्रशिक्षु दिन	3500	249

सिफनेट के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारांश (अप्रैल–दिसंबर 2024)

क्रम सं.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम**	**प्रतिभागियों की कुल संख्या**			**कुल**
		कोच्चि	**चेन्नई**	**विशाखा पत्तनम**	
1	मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन हाउस)	154	199	80	433
2	मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आउटरीच)	500	465	80	1045
5	सहयोगी संगठनों के पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम	37	--	--	37
	कुल	691	664	**160**	**1515**

अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए सिफनेट द्वारा संचालित अल्पावधि पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

सरकारी अधिकारियों के लिए अल्पकालिक कार्यक्रम

क्रम सं.	अल्पावधि / विस्तार पाठ्यक्रम शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	प्रायोजक	अवधि	केंद्र
1	सहायक कमांडेंट के लिए मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम।	12	तटरक्षक कमांडेंट	01.07.2024 से 05.07.2024 तक	सिफनेट कोच्चि
2		25		16.12.24 से 20.12.24 तक	

सिफनेट द्वारा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरों के लिए आयोजित अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण 2024–25 (दिसंबर 2024 तक)

क्रम सं.	अल्पावधि / विस्तार पाठ्यक्रम शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	प्रायोजक	अवधि		केंद्र
				से	तक	
I. पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण						
			कोच्चि			
1	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत "सीमैनशिप, नेविगेशन, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मूल बातें और इंजनों का रखरखाव " विषय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	43	तमिलनाडु से मछुआरे	08.07.2024	10.07.2024	सिफनेट, कोच्चि
2	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत "सीमैनशिप, नेविगेशन, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मूल बातें और इंजनों का रखरखाव " विषय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	62	तमिलनाडु से मछुआरे	24.07.2024	26.07.2024	सिफनेट, कोच्चि
3	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत "सीमैनशिप, नेविगेशन, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मूल बातें और इंजनों का रखरखाव " विषय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	49	तमिलनाडु से मछुआरे	29.07.2024	31.07.2024	सिफनेट, कोच्चि
4	"जीवन रक्षक और अग्निशमन उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण" पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	नेटफिश-एमपीईडीए द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को एनएफडीबी, हैदराबाद द्वारा वित्त पोषित किया गया था	23.07.2024	25.07.2024	मंगरोल, गुजरात
5	"नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" विषय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	50		23.07.2024	25.07.2024	मंगरोल, गुजरात
6	"समुद्र में सुरक्षा, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजनों का रखरखाव" पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	100		26.07.2024		मंगरोल,गुजरात

क्रम सं.	अल्पावधि / विस्तार पाठ्यक्रम शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	प्रायोजक	अवधि से	तक	केंद्र
I. पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण						
7	"समुद्र में सुरक्षा, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजनों का रखरखाव" विषय पर कौशल विकास विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम	100		27.07.2024		सतपती, महाराष्ट्र
8	"जीवन रक्षक एवं अग्निशमन उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण" विषय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	नेटफिश-एमपीईडीए द्वारा प्रायोजित, एनएफडीबी, हैदराबाद द्वारा वित्तपोषित	29.07.2024	31.07.2024	धाक्ति, दहानु, महाराष्ट्र
9	जीवन रक्षक एवं अग्निशमन उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	50		05.11.2024	07.11.2024	कारवार, कर्नाटक
10	"समुद्र में सुरक्षा, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजनों का रखरखाव" पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	100		08.11.2024		कारवार, कर्नाटक
	कुल, कोच्चि	***654***				
चेन्नई						
1	मछुआरों के लिए "फिशिंग वेसल्स पर संचार और नेवीगेशनल उपकरण"	105		26-04-2024		नेट्टुकुप्पम, एन्नोर, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु
2	नाव इंजन के दोष और समस्या निवारण"	100		30.04.2024		पेरियाकुप्पम, एन्नोर चेन्नई
3	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत "नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" पर तीन दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (इनहाउस)	52		01.05.2024	03.05.2024	सिफनेट यूनिट, चेन्नई।
4	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत "नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" पर तीन दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (इनहाउस)	45		08.05.2024	10.05.2024	सिफनेट यूनिट, चेन्नई
5	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत "नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" पर तीन दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (इनहाउस)	39		14.05.2024	16.05.2024	सिफनेट यूनिट, चेन्नई
6	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत "नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" पर तीन दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन-हाउस)	16		20.05.2024	22.05.2024	सिफनेट यूनिट, चेन्नई।

क्रम सं.	अल्पावधि / विस्तार पाठ्यक्रम शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	प्रायोजक	अवधि		केंद्र
				से	तक	
I. पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण						
7	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत " फिशिंग वेसल्स पर संचार और नौवहन उपकरण" विषय पर एक दिवसीय विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम (आउटरीच/जागरूकता)	100		27.05.2024		पुथुपट्टिनम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु
	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत"सीमैनशिप, नेविगेशन, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मूल बातें और इंजनों का रखरखाव" पर तीन दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (इनहाउस)	47		28-05-2024	30-05-2024	सिफनेट यूनिट, चेन्नई
	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत "नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" पर कौशल विकास/जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम (विस्तार)	50 मछुआरों को एनएफडीबी द्वारा वित्त पोषित किया गया		10.09.2024	12.09.2024	पुदुचेरी
	"नाव इंजन का दोष सुधार और रखरखाव"	60		03.10.2024	05.10.2024	पुदुचेरी
	पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत "नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	एनएफडीबी, हैदराबाद द्वारा वित्त पोषित	10.12.2024	12.12.2024	कराईकल में
	कुल - चेन्नई	***664***				
विजाग(विशाखापत्तनम)						
1	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत फिशिंग वेसल्स पर संचार और नेविगेशन उपकरणों पर 3 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मछुआरों के लिए आयोजित किया गया।	40		20.05.2024	22.05.2024	सिफनेट यूनिट, विजाग
2	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत "नाव इंजन का रखरखाव और फिशिंग प्रैक्टिस" पर 3 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	40		27.05.2024	29.05.2024	सिफनेट यूनिट, विजाग
3	पीएमएमएसवाई के तहत "नाव इंजन का दोष सुधार और रखरखाव";	40		08-08-24		यानम
4	पीएमएमएसवाई के तहत नाव इंजन का दोष सुधार और रखरखाव	40		08.08.2024	10.08.2024	यानम
	कुल-विजाग	**160**				

4.4.5. सिफनेट द्वारा आयोजित मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियां

नेट्टुकुप्पम, एन्नोर, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 26–04–2024 को पीएमएमएसवाई योजना के तहत "फिशिंग वेसल्स पर संचार और नेविगेशनल उपकरण" विषय पर 105 मछुआरों के लिए एक दिवसीय विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम (आउटरीच / जागरूकता कार्यक्रम)।

पेरियाकुप्पम, एन्नोर चेन्नई में 30.04.2024 को पीएमएमएसवाई योजना के तहत ''नाव इंजन की खराबी और समस्या निवारण पर 100 मछुआरों के लिए एक दिवसीय विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम ''

01.05.2024 से 03.05.2024 तक पीएमएमएसवाई योजना के तहत "नाव इंजन के दोष सुधार और रखरखाव" पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (इनहाउस सिफनेट यूनिट, चेन्नई में) 52 मछुआरों के साथ आयोजित किया गया।

सिफनेट यूनिट, विजाग में पीएमएमएसवाई के तहत विशाखापत्तनम , आंध्र प्रदेश के 40 मछुआरों के लिए फिशिंग वेसल्स पर संचार और नेविगेशन उपकरणों पर 3 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 20.05.2024 से 22.05. 2024 तक आयोजित किया गया।

पुथुपट्टिनम , चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 27.05.2024 को पीएमएमएसवाई योजना के तहत 100 मछुआरों के लिए ''फिशिंग वेसल्स पर संचार और नौवहन उपकरण'' विषय पर एक दिवसीय विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम(आउटरीच / जागरूकता) आयोजित किया गया था।

सिफनेट यूनिट, विजाग में पीएमएमएसवाई के तहत विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के 40 मछुआरों के लिए "नाव इंजन का रखरखाव और फिशिंग प्रैक्टिस" पर 3 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 27.05.2024 से 29.05.2024 तक आयोजित किया गया।

सिफनेट, कोच्चि में 08.07.2024 से 10.07.2024 तक की अवधि के लिए पीएमएमएसवाई के तहत "सीमैनशिप, नेविगेशन, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बुनियादी बातें और इंजनों के रखरखाव" विषय पर आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग तमिलनाडु के 43 मछुआरों ने लिया है ।

सिफनेट, कोच्चि में 29.07.2024 से 31.07.2024 तक की अवधि के लिए पीएमएमएसवाई के तहत "सीमैनशिप, नेविगेशन, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बुनियादी बातें और इंजनों के रखरखाव" विषय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में तमिलनाडु के 49 मछुआरों ने भाग लिया है।

सिफनेट कोच्चि में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत ''सीमैनशिप, नौवहन, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मूल बातें और इंजनों के रखरखाव'' विषय पर 24.07.2024 से 26.07.2024 तक की अवधि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में तमिलनाडु के 62 मछुआरों ने भाग लिया ।

सिफनेट ने मंगरोल, गुजरात में मछुआरों के लिए विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

महाराष्ट्र के सतपति में 100 मछुआरों के लिए ''समुद्र में सुरक्षा, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजनों का रखरखाव'' विषय पर 27.07.2024 को कौशल विकास विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भारतीय तटरक्षक के सहायक कमांडेंटों के लिए सिफनेट, कोच्चि में 01.07.2024 को मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

4.4.6. सिफनेट में आयोजित अन्य कार्यक्रम

4.4.6.1. सिफनेट द्वारा आयोजित कार्यक्रम

क) सिफनेट द्वारा मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

मंत्रालय के निर्देशानुसार, सिफनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की तीसरी वर्षगांठ पर ''मत्स्य सम्पदा जागरूकता अभियान'' का आयोजन किया, जो पूरे भारत में उत्पादन बढ़ाने और 'लास्ट मील कनेक्टिविटी' सुनिश्चित करने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम है। सिफनेट ने 23.01.2024 को सिफनेट, कोच्चि, चेन्नई और विजाग में कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम मछुआरा हितधारकों, मत्स्य अधिकारियों, छात्रों और आम जनता के लिए आयोजित किया गया था। इस संबंध में, तीनों केंद्रों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें मछुआरों और अन्य हितधारकों के लिए पीएमएमएसवाई पर कार्यशालाओं का आयोजन, संस्थान का ओपन हाउस, रक्तदान शिविर, पुस्तकों और रिपोर्टों का विमोचन आदि कार्यक्रम शामिल हैं।

ख. फिशिंग वेसल्स के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला

''फिशिंग वेसल्स के पंजीकरण, सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण'' पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन तथा सिफनेट की नई वेबसाइट का शुभारंभ भारत सरकार के माननीय अल्पसंख्यक मामले और मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद, आईएएस, संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) भारत सरकार ने की।

मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा महानिदेशक शिपिंग के सहयोग से दिनांक 8.11.24 को सिफनेट कोच्चि में "फिशिंग वेसल्स के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद कार्यशाला का तकनीकी सत्र नौवहन महानिदेशालय, भारतीय नौवहन रजिस्टर, भारतीय नौवहन निगम के विशेषज्ञों तथा राज्य एवं केंद्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतियों के साथ शुरू हुआ।

ग. ''सी वीड कल्टीवेशन और पर्ल कल्चर''पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

मंत्रालय के निर्देशानुसार, सिफनेट ने तटीय राज्यों के मछुआरों के लिए पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत "सी वीड कल्टीवेशन और पर्ल कल्चर" विषय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में 24.06.2024 से 26.06.2024 तक सिफनेट के 11 अधिकारियों और संकायों ने तमिलनाडु के मंडपम स्थित सी.एस.एम.सी.आर.आई. के मरीन एलगी अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टी.ओ.टी.) में भाग लिया , ताकि मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संकाय सदस्य सैद्धांतिक और व्यावहारिक कक्षाएं संचालित करने में सक्षम हो सकें और समुद्री इंजीनियरिंग संकाय सदस्य केज के डिजाइन और रखरखाव को समझ सकें।

घ. वीएनसी छात्र को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया

चेन्नई सिफनेट इकाई के वेसल्स नेविगेटर प्रशिक्षु श्री स्टिविन लोयड को तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन से अखिल भारतीय टॉपर मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ङ. सिफनेट के संकायों, कर्मचारियों और छात्रों ने माह के दौरान सिफनेट, कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सिफनेट के संकाय, कर्मचारियों और छात्रों ने कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के संबंध में 02.04.2024 को आयोजित वॉकथॉन में भाग लिया। एनएमडीसीसी, कोच्चि द्वारा सिफनेट, कोच्चि में 03.04.2024 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिफनेट के संकाय और छात्रों और उपरोक्त संगठनों के छात्रों ने रक्तदान किया। सिफनेट कोच्चि में 01.04.24 को स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई।

च. सिफनेट में राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी आयोजित

सिफनेट मुख्यालय, कोच्चि में 27.03.2024 को एक राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान श्रीमती अनिता हरिगणेश, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, कोच्चि ने "हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में" विषय पर व्याख्यान दिया तथा श्री किरण औय्यर. वी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सीमा शुल्क, कोच्चि ने "प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी को अपनाना" विषय पर पीपीटी के साथ व्याख्यान दिया।

छ. अखिल भारतीय सिफनेट एथलेटिक मीट का आयोजन 24.03.2024 को एसएच कॉलेज ग्राउंड, एर्नाकुलम में किया गया।सिफनेट के निदेशक श्री एम . हबीबुल्लाह ने स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। सिफनेट ने कोच्चि और विजाग इकाइयों (ट्रेड कोर्स के छात्र) के बीच ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं के लिए हीट और सेलेक्शन ट्रायल आयोजित किए और साथ ही बीएफएससी के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के छात्रों के बीच प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। ओवरऑल चौम्पियनशिप (एमएफसी/वीएनसी) सिफनेट, कोच्चि ने जीती। बीएफएससी की ओवरऑल चौम्पियनशिप बीएफएससी द्वितीय वर्ष ने जीती।।

ज. सिफनेट, कोच्चि में 25.03.2024 को **सिफनेट सांस्कृतिक कार्यक्रम–2024** मनाया गया। कोच्चि, चेन्नई और विशाखापत्तनम के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बीएफएससी श्रेणी में, बीएफएससी. तृतीय वर्ष ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी जीती है। वीएनसी/एमएफसी श्रेणी में, सिफनेट , कोच्चि ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता है।

4.4.6.2. सरकारी कार्यक्रमों में सिफनेट की भागीदारी

क. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 अभियान

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सिफनेट के सभी कर्मचारियों ने सतर्कता शपथ ली, निवारक सतर्कता विषय पर कई क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यशालाएं और कक्षाएं भी आयोजित की गईं। सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता और ड्राईंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं । सिफनेट द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी प्लेकार्ड और बैनर के साथ एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें सिफनेट के सभी कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया।

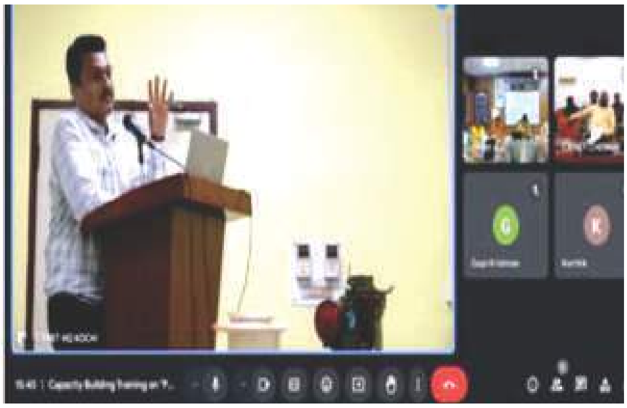

ख. सिफनेट में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024

सिफनेट ने सितंबर 2024 और अक्तूबर 2024 माह के दौरान सिफनेट में स्वच्छता ही सेवा 2024 और विशेष अभियान 4.० का आयोजन किया। अभियान के दौरान कर्मचारियों और छात्रों द्वारा कार्यालय परिसर, आस–पास की सार्वजनिक सड़कों, समुद्र तटों की सफाई की गई। अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान किया गया , रद्दी वस्तुओं की पहचान की गई और उन्हें हटाया गया, फाइलों की छंटाई की गई। थीम के भाग रूप में छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं जैसे कि प्रश्नोत्तरी, आशुभाषण, चित्रकला प्रतियोगिता आदि। एसएचएस 2024 के संबंध में सेमिनार (कार्यशाला) का आयोजन किया गया। सिफनेट के सभी केंद्रों पर वॉकथन आयोजित किए गए। चरण II अभियान अक्तूबर 2024 महीने के सभी दिनों में निर्धारित है।

समुद्री तट पर सफाई अभियान

कार्यालय परिसर की सफाई

वॉकथॉन

फाइलों की छँटाई की गई

वॉकथॉन

ग. सिफनेट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, जून 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के एक भाग रुप में सिफनेट के तीनों केंद्रों पर एक पखवाड़े तक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

घ. सिफनेट में 05.06.2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया

सिफनेट मुख्यालय, कोच्चि में 05ध्06ध्2024 को डॉ. बिजॉय नंदन , पूर्व कुलपति , कन्नूर विश्वविद्यालय, ने विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन किया । समारोह के एक भाग के रूप में वीएनसीध्एमएफसी छात्रों के लिए पर्यावरण से संबंधित विषयों जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों और मैंग्रोव पर पीपीटी प्रस्तुति आयोजित की गई । इसके अलावा डॉ. विपिन पीएम, आई (एफटी) ने अधिकारियों और कर्मचारियों को "मैंग्रोव वन क्षेत्रों में विभिन्न मत्स्य प्रजातियों में सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण" और "व्यावसायिक ट्रॉलिंग कार्यों के दौरान कार्बन का जीवन चक्र आकलन" विषयों पर कक्षाएं दीं।, इस संबंध में, सिफनेट चेन्नई इकाई में पीपीटी प्रस्तुति कार्यक्रम , काशीमेडु समुद्र तट पर पौधारोपण और समुद्र तट की सफाई का आयोजन किया गया। सिफनेट विशाखापत्तनम इकाई में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया । समारोह के एक भाग के रूप में, सिफनेट विशाखापत्तनम इकाई में संगोष्ठी प्रस्तुति, पौधारोपण और वॉकथॉन का आयोजन किया गया ।

ङ. सिफनेट द्वारा प्लांट 4 मदर अभियान

सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि के दौरान 'प्लांट 4 मदर' के वैश्विक अभियान के एक भाग के रूप में, सिफनेट में 17.10.2024 को निदेशक श्री एम. हबीबुल्लाह, और मध्य क्षेत्र की सहायक वन संरक्षक श्रीमती वीणादेवी के.आर द्वारा पौधारोपण के साथ अभियान का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा ष वन और पर्यावरण के संरक्षण का महत्वष विषय पर एक जागरूकता व्याख्यान दिया गया।

च. सिफनेट कोच्चि में 31.10.24 को राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजित किया गया। निदेशक श्री एम. हबीबुल्लाह ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को शपथ दिलवाई । तत्पश्चात लौह पुरुष श्री

सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, सिफनेट–यूनिट, चेन्नई के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं द्वारा शपथ ली गई, तत्पश्चात सरदार वल्लभभाई पटेल को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई तथा एकता के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया।

छ. सिफनेट में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन

मंत्रालय के निर्देशानुसार, सिफनेट इकाई, विशाखापत्तनम ने मात्स्यिकी निदेशालय, ओडिशा सरकार के सहयोग से दिनांक 06.08.2024 को फिशिंग हार्बर, पारादीप में "मात्स्यिकी क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग" शीर्षक से एक वैचारिक कार्यशाला का आयोजन करके" राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस–2024" मनाया। श्री हृषिकेश बिसोई, उप निदेशक, (सिफनेट) इकाई, विशाखापत्तनम ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सिफनेट, विशाखापत्तनम से श्री सुभाष भालसे, प्रशिक्षक (इलेक्ट्रॉनिक्स) और श्री रिजेश परक्कल, बोसुन , मछुआरा प्रतिनिधियों, फिशिंग वेसल्स के मालिकों, सागर मित्रों ने भाग लिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र हुए और मछुआरों को फिशिंग वेसल्स संचार और नेविगेशन उपकरणों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) की भूमिका का प्रदर्शन और इसके कार्यों को समझाया गया। समुद्री क्षेत्र के लिए सीओएम–एनएवी प्रणाली पर व्याख्यान और समुद्री यातायात निगरानी प्रणाली, सागरमित्र – मछुआरों के लिए आपातकालीन संदेश प्रणाली का समर्थन करने के लिए एक नेटवर्क पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सिफनेट, विशाखापत्तनम के उप निदेशक ने रिमोट सेंसिंग प्रणाली के माध्यम से संभावित फिशिंग जोन के बारे में बताया। कार्यक्रम में मछुआरों, नाव मालिकों, सागरमित्रों आदि जैसे लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ट्रांसपोंडर प्रदर्शन ओम बसुदेव पोत पर आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में, इसरो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के साथ अगस्त माह में देशभर में समारोह आयोजित कर रहा है। इस संबंध में 05.08.24 को सिफनेट मुख्यालय, कोच्चि में एमएफसी/वीएनसी/बीएफएससी (एनएस) छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। सिफनेट चेन्नई इकाई के सभी प्रशिक्षुओं और संकायों ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह–2024 की पूर्व गतिविधियों, मात्स्यिकी क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर संगोष्ठी और प्रदर्शन में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। यह कार्यक्रम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, चेन्नई द्वारा मत्स्यपालन विभाग, तमिलनाडु सरकार के सहयोग से 07.08.24 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, चंद्रयान –3 की सफलता के उपलक्ष्य में, 13.08.2024 को सिफनेट के सभी कर्मचारी और छात्र ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री.राजीव रंजन सिंह, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

4.5. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

4.5.1.परिचय

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण भारतीय ईईजेड के समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एफएसआई के छह परिचालन बेस हैं: पश्चिमी तट पर मुम्बई, मोरमुगाओ और कोच्चि, पूर्वी तट पर, चेन्नई और विशाखापत्तनम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर है। मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और निगरानी के लिए कुल 11 महासागरीय ऑनगोइंग सर्वेक्षण वेसल्स तैनात किए गए थे। संसाधन सर्वेक्षणों के अलावा, एफएसआई विनियमन और प्रबंधन के उद्देश्य से मात्स्यिकी संसाधनों की निगरानी करता है, डीप सी और ओशीऐनिक फिशिंग के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और गियर की उपयुक्तता का आकलन करता है, सिफनेट प्रशिक्षुओं को इन–वेसल्स प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह मत्स्यन समुदाय, उद्योग, अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं आदि को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मात्स्यिकी संसाधनों पर जानकारी प्रसारित करता है। संस्थान का सर्वेक्षण बेड़ा क्रमशः बॉटम ट्रॉल सर्वेक्षण, मध्य–जलध्स्तंभ संसाधन सर्वेक्षण तथा डिमर्सल, स्तंभ और महासागरीय टूनाध्महासागरीय शार्क के लिए लॉन्ग लाइन सर्वेक्षण करता है।

4.5.2. अधिदेश

संस्थान के अधिदेश को समय–समय पर मात्स्यिकी क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों के साथ–साथ राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। संस्थान का अधिदेश नीचे दिया गया है:

- अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण, फिशिंग ग्राउंडस का चार्ट तैयार करना, भारतीय ईईजेड और समीपवर्ती उच्च समुद्रों में फिश स्टॉक का आकलन और उस पर अनुसंधान, इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर विशिष्ट सर्वेक्षण।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सम्मेलनों और समझौतों और अन्य संबद्ध गतिविधियों में निहित मात्स्यिकी प्रबंधन मुद्दों पर सलाह प्रदान करने के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की क्षमता का डेटा संग्रह और आवधिक पुनर्मूल्यांकन ।
- कोरल रीफ्स सहित उपयोगी क्षेत्रों में मात्स्यिकी संसाधनों का मॉनिटरिंग सर्वेक्षण, मत्स्यन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए निगरानी, नियत्रंण और निगरानी (एमसीएस) का अनुप्रयोग और भारतीय ईईजेड में जिम्मेदार मात्स्यिकी के लिए कॉड ऑफ कंडक्ट (सीसीआरएफ) को बढ़ावा देना।
- डेटा बैंक बनाए रखना और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक मात्स्यिकी संसाधनों के बारे में जानकारी प्रसारित करना तथा समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन और संबंधित पहलुओं के लिए राज्यध्संघ राज्य क्षेत्रों और मत्स्यपालन, पशुपालन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- मरीन हैबिटेट के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के विशेष संदर्भ में मत्स्यन गियर, सहायक उपकरण और उपकरणों की उपयुक्तता का आकलन ।
- आनुवंशिक उपकरणों और तकनीकों के अनुप्रयोग सहित फिश स्टॉक की पहचान और जैव विविधता अध्ययन।
- आर्टिसन, मशीनीकृत और औद्योगिक क्षेत्रों के लाभ के लिए रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग सहित समुद्री मात्स्यिकी पूर्वानुमान ।
- फिशिंग ऑपरेटिव , मछुआरों, मत्स्य अधिकारियों और छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास ।

4.5.3. संस्थान के कुल कर्मचारियों के विस्तृत विवरण सहित संस्थान का संगठनात्मक चार्ट,

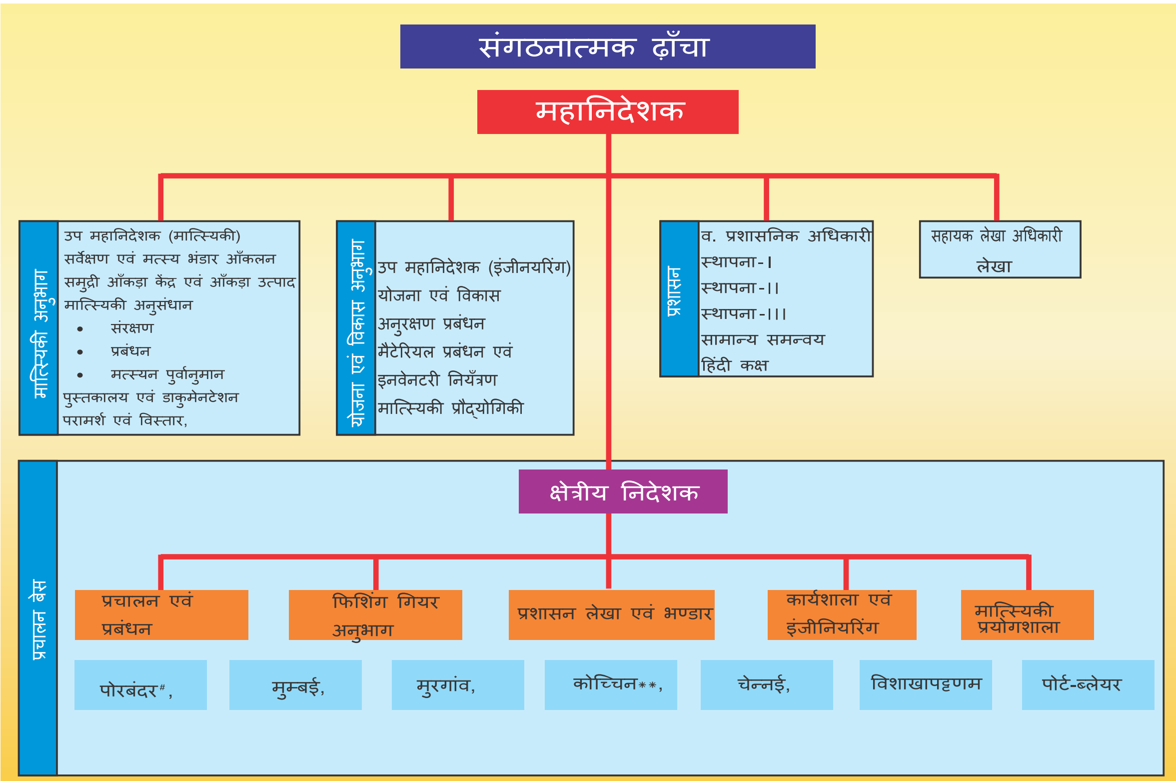

#	बेस वर्तमान में प्रचालन में नहीं है
**	मैरीन इंजीनयरिंग डिवीजन के साथ स्लिपवे कॉम्प्लेक्स तथा कर्मशाला इस बेस के साथ संलग्न है।

4.5.4. कर्मचारियों की संख्या (दिसंबर, 2024 तक)

समूह	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
क	वैज्ञानिक	24	10	14
	तकनीकी	16	12	4
	प्रशासनिक	1	0	1
ख	वैज्ञानिक	29	20	9
	तकनीकी	35	21	14
	प्रशासनिक	28	21	7
	फ्लोटिंग	89	25	64
ग	वैज्ञानिक	1	0	1
	तकनीकी	158	61	97
	प्रशासनिक	117	64	53
	फ्लोटिंग	184	37	147
	कुल	**682**	**271**	**411**

4.5.5.वर्ष के दौरान लक्ष्यों की तुलना में प्रमुख पहलें और उपलब्धियां

4.5.5.1. वेसल्स का लक्ष्य और उपलब्धियां

2024–25 के दौरान (दिसंबर 2024 तक) मत्स्य दर्शिनी को छोड़कर, शेष जहाज (वेसल्स) अपने लक्ष्य के प्रति ड्राईडॉकिंग मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मत्स्य दर्शिनी द्वारा समुद्र में 100 दिन, मत्स्यन दिन 78, बॉटम ट्रॉलिंग के प्रयास (घंटे) 136.5 और मैमल सर्वेक्षण के 274 घंटे आदि का लक्ष्य हासिल किया गया हैं।

4.5.5.2. व्यय

2024–25 में दिसंबर 2024 तक व्यय 36.63 करोड़ रुपए हैं।

4.5.5.3. बैठक

- वर्ष 2024–25 के लिए एफएसआई की परिचालन और वैज्ञानिक गतिविधियों (आरओएसए) की अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक 25–26 नवंबर 2024 को मुंबई, एफएसआई, (मुख्यालय) में डॉ. श्रीनाथ के. आर., महानिदेशक, एफएसआई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यालय के अधिकारियों और बेस प्रभारियों के साथ–साथ सभी बेसों के इंजीनियरों ने भाग लिया।

एफएसआई की परिचालन और वैज्ञानिक गतिविधियों की अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक 25–26 नवंबर 2024 को मुंबई, एफएसआई, (मुख्यालय) में आयोजित की गई।

4.5.6. वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशाला/ओपन हाउस/सेमिनार

विस्तार गतिविधियों के भाग रूप में, एफएसआई बेसस ने वर्ष के दौरान 17 क्षेत्रीय कार्यशालाएँ /ओपन हाउस का आयोजन किया। कार्यशाला में मछुआरों, स्कूल/कॉलेज के छात्रों और राज्य के अधिकारियों सहित कुल 763 प्रतिभागियों ने भाग लिया । सर्वेक्षण वेसल्स और कार्यालय परिसर में आयोजित ओपन हाउस से 4401 आगंतुकों को लाभ हुआ।

मुंबई बेस द्वारा 28.11.2024 को मुंबई में "मत्स्य वृष्टि" जहाज पर एक ओपन हाउस का आयोजन

26.09.2024 को मोरमुगाओ बेस द्वारा कसाबा , कासरगोड , केरल में एक कार्यशाला का आयोजन

जीआरएफटीएचएसएस और वीएचएसई, थेवारा, एर्नाकुलम में 05.06.2024 को 'समुद्री प्रदूषण के प्रभाव' पर कार्यशाला का आयोजन

एफएसआई कोचीन बेस कार्यालय में 08.11.2024 को एक ओपन हाउस और समुद्री प्रदर्शनी का आयोजन ।

विशाखापत्तनम बेस द्वारा ''मत्स्य शिकारी'' और ''मत्स्य दर्शिनी'' जहाज पर 27.09.2024 को ओपन हाउस का आयोजन।

पोर्ट ब्लेयर बेस द्वारा पांडिचेरी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 16.10.2024 को एक इंटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन

4.5.7. ''मरीन प्लास्टिक लिटर'' पर जागरूकता कार्यक्रम

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण और इसके केन्द्रों ने अभियान, रैलियों और समुद्र तट की सफाई के माध्यम से स्थानीय मछुआरों और छात्रों के लिए **''मरीन प्लास्टिक लिटर (समुद्री प्लास्टिक कूड़े)''** पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एफएसआई (मुख्यालय) और बेस कार्यालयों ने 51 विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए, जिसके तहत 5042 लाभार्थियों तक पहुंच बनाई गई।

मुंबई बेस द्वारा सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर (एसबीएमपीएल) पर 5 जून 2024 को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

चेन्नई बेस में थेंगैथिट्टू, पुडुचेरी में "मरीन प्लास्टिक लिटर" पर 13.11.2024 को एक कार्यशाला का आयोजन।

विशाखापत्तनम बेस द्वारा विशाखापत्तनम में "मरीन प्लास्टिक लिटर" पर 30.05.2024 को एक कार्यशाला का आयोजन

हैडो, पोर्ट ब्लेयर में 20.06.2024 को "मरीन प्लास्टिक लिटर" पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

4.5.8. भारत में समुद्री स्तनपायी (मैमल) स्टॉक मूल्यांकन

एफएसआई ने प्रधानमंत्री मत्स्य **संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत** आईसीएआर–सीआईएफटी (केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान) और एमपीईडीए–एनईटीएफआई एसएच (समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के सहयोग से ''मरीन मैमल स्टॉक असेसमेंट इन इंडिया'' परियोजना शुरू की है।

एफएसआई के विशाखापत्तनम बेस के पोत एमएफवी मत्स्य दर्शिनी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों पर समुद्री स्तनपायी स्टॉक मूल्यांकन सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण अभियान के दौरान, कुल 1967 स्पिनर डॉल्फिन और इंडो–पैसिफिक बॉटलनोज दर्ज किए गए।

क. भारत के ऊपरी पूर्वी तट पर ब्लैक–हेडेड गूल (क्रोइकोसेफालस रिडीबंडस) का दिखाई पड़ना

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, विशाखापत्तनम द्वारा किए गए समुद्री स्तनपायी (मरीन मैमल) सर्वेक्षण के दौरान, विभागीय सर्वेक्षण वेस्सल एमएफवी मत्स्य दर्शिनी को अप्रैल 2024 में ओडिशा तट पर तैनात किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान, तटीय और गहरे पानी में कई प्रवासी पक्षी देखे गए। ब्लैक–हेडेड गूल, क्रॉइकोसेफालस रिडीबंडस (लिनियस, 1766) प्रजाति को पानी की सतह पर आराम करते या शिकार (मछलियों के समुह) का पीछा करते हुए झुंड में देखा गया।

ख. अप्रैल 2024 की यात्रा के दौरान एमएफवी मत्स्य दर्शिनी पर कचरा निपटान

08 अप्रैल से 27 अप्रैल 2024 तक समुद्री स्तनपायी (मरीन मैमल) सर्वेक्षण के दौरान , समुद्र में वेस्सल के संचालन से जमा हुए कचरे यानी प्लास्टिक की बोतलें, बाल्टियाँ, पॉलीथीन बैग, कार्डबोर्ड बॉक्स आदि को एकत्र किया गया। यात्रा पूरी होने के बाद, कूड़े को ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) को सौंप दिया गया।

ग. भीमुनिपट्टनम और पुदीमदका, कलिंगपट्टनम आंध्र प्रदेश के अपतटीय जल से समुद्री कूड़े कों निकाला गया

विभागीय सर्वेक्षण वेस्सल एमएफवी मत्स्य दर्शिनी को आंध्र प्रदेश तट पर समुद्री स्तनपायी (मरीन मैमल) सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया था। मई 2024 और जून 2024 के दौरान, आंध्र प्रदेश के भीमुनिपट्टनम, पुदिमदका और विशाखापत्तनम के अपतटीय जल में 54 मीटर और 2480 मीटर की गहराई पर समुद्री कूड़ा(लिटर) निकाला गया। यह एक धातु की ग्रिल के साथ एक हजार लीटर क्षमता वाला समुद्री डीजल इंजन ऑयल टैंक था। वेस्सल के तट पर पहुंचने पर, निकाले गए पदार्थ को निपटान के लिए ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) को सौंप दिया गया।

घ. अन्वेषणात्मक मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश तट पर पोस्ट यूनीफार्म फिशिंग बैन की बेहतर पकड़ दर दर्शाता है।

एफएसआई, विशाखापत्तनम के सर्वेक्षण वेस्सल एमएफवी मत्स्य दर्शिनी को जून 2024 के दौरान मात्स्यिकी संसाधनों के वितरण, प्रचुरता और आंध्रप्रदेश तट पर पोस्ट–यूनीफार्म फिशिंग बैन जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तैनात किया गया था। 10 जून 2024 को, क्षेत्र में अक्षांश 1748'N / देशांतर 8334'E (भीमुनिपट्टनम

के दक्षिण में) 46 मीटर की गहराई पर, एक ही बार (90 मिनट जाल खींचने का समय) में 218 किलोग्राम मत्स्य पकड़ की गई। मत्स्य पकड़ में पोनी फिश, रिबनफिश, बाराकुडा, स्क्विड, क्रोकर्स, ग्रन्ट्स, गोटफिश आदि शामिल थीं।। फिशिंग ग्राउंड स्थान तट से 7 से 8 मील दूर है और स्थानीय मछुआरे इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त स्थान पर जा सकते हैं। पोस्ट बैन अवधि में प्रारंभिक सर्वेक्षण आंध्रप्रदेश तट पर बेहतर पकड़ दर का संकेत करता है।

ङ. आंध्र प्रदेश के जलक्षेत्र में नेमिप्टेरस जैपोनिकस (ब्लोच, 1791) से परजीवी आइसोपॉड अर्गाथोना प्रजाति (स्टेबिंग, 1905) का नया रिकॉर्ड

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विशाखापत्तनम बेस के वेस्सल एमएफवी मत्स्य दर्शिनी पर बॉटम ट्रॉल ऑपरेशन के दौरान अक्षांश 1800.3'N, देशांतर 8359.2'E (श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में) और 52 मीटर की गहराई पर, आइसोपॉड परजीवी अर्गाथोना एसपी. (स्टेबिंग, 1905) नेमिप्टेरस जैपोनिकस (ब्लोच, 1791) को संक्रमित करते हुए पाया गया, जिसे आमतौर पर जापानी थ्रेडफिन ब्रीम के रूप में जाना जाता है। परजीवी पोषिता (होस्ट) के गिल रेकर्स को संक्रमित करते हुए पाया गया। परजीवी की लंबाई 10 मिमी और चौड़ाई 4 मिमी थी। वर्तमान अवलोकन आंध्र प्रदेश के जलक्षेत्र में नेमिप्टेरस जैपोनिकस से प्राप्त आर्गाथोना वंश के लिए नया रिकार्ड है।

नेमिप्टेरस जैपोनिकस (ब्लोच, 1791)

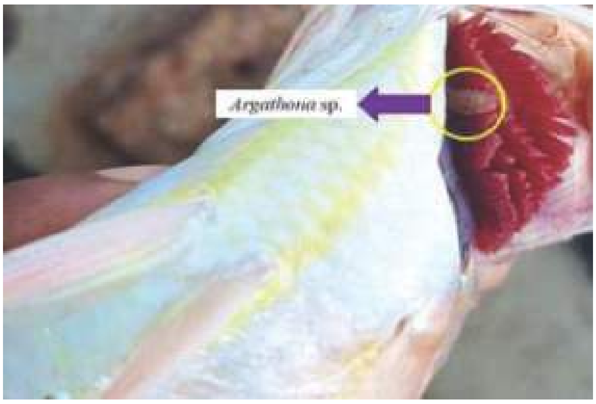

अर्गाथोना एसपी. (पृष्ठीय दृश्य)

अर्गाथोना एसपी. (वेंट्रल दृश्य)

4.5.9. शैक्षिक टूरिज्म

विशाखापत्तनम बेस से जुड़े नव पुनर्निर्मित मरीन म्यूजियम को जिला पर्यटन और संस्कृति कार्यालय, क्षेत्रीय पर्यटक विशाखापत्तनम द्वारा शैक्षिक पर्यटन में शामिल किया गया है।

4.5.10. प्रकाशन

एफएसआई के विशाखापत्तनम जोनल बेस कार्यालयों द्वारा जनवरी–मार्च 2024 तिमाही के लिए संसाधन सूचना श्रृंखला/रिसॉर्स इन्फॉर्मेशन सिरीज (आरआईएस) खंड XXVIII संख्या 04 और खंड XXIX संख्या 01 और 02 को त्रिभाषी (यानी तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी) में प्रकाशन 07.05.2024 और 23.08.2024 को किया गया।

4.5.11. इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण कॉलेज छात्रों के लिए उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम के भाग रुप में इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। तमिलनाडु, लक्षद्वीप द्वीप और केरल राज्य के विभिन्न कॉलेजों के कुल 81 डिग्री और स्नातकोत्तर छात्रों ने इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। चेन्नई और कोचीन बेस के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने उन्हें मात्स्यिकी जीव विज्ञान के विभिन्न तरीकों, फिश टैक्सोनॉमी, स्टॉक मूल्यांकन, फिशिंग गियर सामग्री आदि पर प्रशिक्षित किया।

4.5.12. आकांक्षी जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) का गैप विश्लेषण अध्ययन दौराः

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 6 समूहों में एफएसआई अधिकारियों को पीएमएमएसवाई, एफआईडीसी, केसीसी के तहत किए गए प्रयासों का उपयोग करने और 07 से 20 अक्टूबर 2024 के दौरान जिलों में गैप(अंतराल) विश्लेषण का पता लगाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) के दौरे पर तैनात किया गया था।

4.5.13. सूचना का प्रसार

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विशाखापत्तनम और मुम्बई बेस ने आकाशवाणी, विशाखापत्तन और आकाशवाणी, मुम्बई के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं (मछुआरों) तक समृद्ध मत्स्यन क्षेत्रों की जानकारी प्रसारित की।

श्री अशोक एस. कदम, वरिष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक ने ''मरीन प्लास्टिक लिटर'' और ''आर्टिफिशियल रिफ का प्रबंधन और महत्व'' विषय पर आकाशवाणी मुंबई को एक साक्षात्कार दिया और श्री डी. भामी रेड्डी, मैकेनिकल मरीन इंजीनियर ने ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), विशाखापत्तनम में ''ग्लो–लिटर परियोजना के तहत सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर (एसबी–एमपीएल)/ परित्यक्त लुप्त रद्द फिशिंग गियर (एएलडीएफजी)'' पर एक व्याख्यान दिया।

4.5.14. कौशल विकास

सिफनेट द्वारा प्रायोजित 13 अभ्यर्थियों को एमएफवी मत्स्य वर्षिणी और एमएफवी लावणिका पर डेक साइड और इंजन साइड पर आवधिक आधार पर फिटर (कार्यशाला) और इन–वेसल प्रशिक्षु के रूप में तैनात किया गया।

4.5.15. गणमान्य दौरा

- श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद, आईएएस, संयुक्त सचिव (मरीन) ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दिनांक 12.11.2024 को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पोर्ट ब्लेयर बेस का दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से टूना क्लस्टर और अंडमान एवं

निकोबार द्वीपसमूह में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास में एफएसआई की भूमिका पर चर्चा की गई यह दौरा दिनांक 13.11.2024 को बेस गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए सचिव (मात्स्यिकी) के दौरे के सिलसिले में किया गया।

- डॉ. अभिलक्ष लिखी, आईएएस, माननीय सचिव भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ने 13.11.2024 को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पोर्ट ब्लेयर बेस का दौरा किया, जहाँ उन्होंने टूना क्लस्टर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास में एफएसआई की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने जंगलीघाट फिश लैंडिंग सेंटर का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने नाव मालिकों के संघों और स्थानीय मछुआरों के साथ फिशिंग वेस्सल और फिश लैंडिंग सेंटर में उपलब्ध इन्फ्रस्ट्रक्चर सुविधाओं के बारे में बातचीत की। इसके बाद, उन्होंने जंगलीघाट मरम्मत घाट पर खड़े विभागीय वेस्सल एमएफवी ब्लू मार्लिन का दौरा किया।
- एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, ने 26 सितंबर, 2024 को कोच्चि में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) का दौरा किया। इस दौरे के अवसर पर, उन्होंने तीन नए प्रकाशन जारी किएरू ट्रेजर्स ऑफ द डीपः एन एटलस ऑफ इंडियाज मेजर फिशरी रिसोर्सेज एंड फिशिंग ग्राउंड्स , एटलस ऑफ मरीन मैमल्स ऑफ इंडिया, और हिंदी एटलस ऑफ डीप–सी फिशरी रिसोर्सेज ऑफ द साउथवेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया,
- माननीय राज्य मंत्री एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली ने 27.12.2024 को एफएसआई, मोरमुगाओ बेस का दौरा किया।
- श्री बिनोद कुमार, मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली ने 12.04.2024 को इस बेस का दौरा किया।
- विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएमआरडीए) की संयुक्त निदेशक श्रीमती वी. शिल्पा और उप निदेशक श्री ए.एस चौतन्य ने 29.08.2024 को विशाखापत्तनम बेस का दौरा किया।
- श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं प्रशासन) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली ने 06.09.2024 को विशाखापत्तनम बेस का दौरा किया।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के माननीय न्यायाधीश श्री रंगास्वामी नटराज ने 31.12.2024 को विशाखापत्तनम बेस का दौरा किया।

एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, द्वारा 26 सितंबर, 2024 को कोच्चि बेस में जारी तीन नए प्रकाशन

श्री सागर मेहरा , संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं प्रशासन) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का 06.09.2024 को विशाखापत्तनम बेस का दौरा।

डॉ. अभिलक्ष लिखी , आईएएस, सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने 13.11.2024 को टूना क्लस्टर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास में एफएसआई की भूमिका पर

डॉ. अभिलक्ष लिखी, आईएएस, सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, ने 13.11.2024 को एफएसआई वेस्सल एमएफवी ब्लू मार्लिन का दौरा किया।

4.5.16. छात्रों द्वारा बेस और वेसल्स का दौरा

- रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों के शिक्षकों के साथ कुल 2367 छात्रों ने भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के विभिन्न बेसो का दौरा किया और विभिन्न परिचालन पद्धतियों और नौवहन/समुद्री सुरक्षा उपकरण , फिशिंग गियर और सहायक उपकरण आदि का प्रदर्शन किया गया। साथ ही , उन्हें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, इसके कार्य, अधिदेश और विस्तार गतिविधियों संबंधी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई।

4.5.17. व्यापार मेले/प्रदर्शनी में प्रतिभागिता

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रदर्शिनी और व्यापार मेलों में भाग लिया। प्रदर्शिनी के दौरान विभिन्न प्रकार की फिशिंग बोट्स, गियर, सर्वेक्षण गतिविधियों पर चार्ट, सर्वेक्षण बेड़ा, मत्स्यन पद्दतियों, मात्स्यिकी संसाधन आदि का प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनियों से विभिन्न हितधारकों, छात्रों और आम जनता को लाभ हुआ ।

क्रंम.सं	बेस	कार्यक्रम	स्थान और दिनांक
1		14वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में प्रतिभागिता	मुजफ्फरपुर , बिहार 26-28 अक्तूबर 2024
2	मुंबई	15वें एग्रोविज़न में प्रतिभागिता	नागपुर, महाराष्ट्र 22-25 नवंबर, 2024
3		कोली सीफूड फेस्टिवल, वर्सोवा में प्रतिभागिता	वर्सोवा, मुंबई 17-19 मार्च 2024।
4	कोचीन पर	सेक्रेड हार्ट कॉलेज में आयोजित " अर्थ 2024" समुद्री प्रदर्शनी	थेवरा, 06.12.2024 से 07.12.2024 तक
5		केवीएएसयू परिसर में आयोजित 'ग्लोबल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव 2024' में समुद्री प्रदर्शनी,	वायनाड,केरल 20.12.2024 से 29.12.2024 तक
7		वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट - 2024 प्रदर्शनी में प्रतिभागिता	गुवाहाटी, असम 19 से 21 सितंबर 2024।
8	विशाखापत्तनम	आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित 65वें किसान मेले में प्रतिभागिता	अनकापल्ले आंध्र प्रदेश 13.12.2024
9		राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी (15 वाँ कृषि मेला 2024) में प्रतिभागिता	पुरी, ओडिशा, 21-25 दिसंबर 2024

26–28 अक्तूबर 2024 को बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रतिभागिता ।

वायनाड, केरल में 20.12.2024 से 29.12.2024 तक आयोजित 'ग्लोबल लाइवस्टॉक कॉन्क्लेव 2024' में समुद्री प्रदर्शनी

विशाखापत्तनम बेस ने 19 से 21 सितंबर 2024 तक गुवाहाटी में "वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट" – 2024 प्रदर्शनी में भाग लिया

विशाखापत्तनम बेस ने 21 से 25 दिसंबर 2024 के दौरान पुरी, ओडिशा में राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी में भाग लिया

4.5.18. आउटरीच और प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित मछुआरों के साथ इंटरेक्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कॉलेज के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम।

क्र.सं.	बेस	कार्यक्रम	स्थान और दिनांक
1	मोरमुगाओ	एफएसआई, मोरमुगाओ, गोवा में तथा एमएफवी सागरिका और एमएफवी येलो फिन वेसल्स पर मछुआरों की बैठक	मोरमुगाओ , गोवा 21.11.2024
2	कोचीन	मोरमुगाओ , गोवा में फैब्रिकेशन गियर्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	एफएसआई, मोरमुगाओ , गोवा में 13.11.2024
		मात्स्यिकी विकास योजनाएँ(भारत सरकार)संबंधी अभियान स्थान: मत्स्यपालन विभाग, नागालैंड	आइजोल, मिजोरम, कोहिमा नागालैंड 11.12.2024
3	चेन्नई	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई के छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रेसीडेंसी कॉलेज और पचैयप्पा कॉलेज, चेन्नई 10.05.2024 से 10.06.2024
4	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मछुआरा समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अध्ययन के लिए मछुआरों के साथ बातचीत	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 05.08.2024 .
5		मत्स्यपालन विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन के नवनियुक्त मात्स्यिकी निरीक्षकों और मात्स्यिकी क्षेत्र सहायकों को प्रशिक्षण	पोर्ट ब्लेयर दिनांक 02.04.2024

चेन्नई बेस एफएसआई द्वारा 10.05.2024 से 10.06.2024 तक आयोजित इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम

कोहिमा, नागालैंड में 11.12.2024 को मात्स्यिकी विकास योजनाओं (भारत सरकार) पर आउटरीच अभियान

दिनांक 02.04.2024 को मात्स्यिकी विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर के नवनियुक्त मात्स्यिकी निरीक्षकों और मात्स्यिकी क्षेत्र सहायकों को प्रशिक्षण

एमएफवी सागरिका और एमएफवी येलो फिन वेसल्स पर 21. 11.2024 को "मछुआरों की बैठक"

4.5.19. राजभाषा गतिविधियाँ

4.5.19.1. हिंदी पखवाड़ा/कार्यशालाएं

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुख्यालय, मुंबई और इसके बेस कार्यालयों ने 14.09.2024 को " हिंदी दिवस " और 14 से 28 सितंबर 2024 के दौरान " हिंदी पखवाड़ा " मनाया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कार्यालयी कार्य और वित्तीय प्रबंधन, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण और प्रारूपण, राजभाषा सामान्य ज्ञान, अंताक्षरी, हिंदी कविता पाठ आदि आयोजित की गईं। कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लाभार्थ विभिन्न विषयों पर कुल 13 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

मुंबई बेस द्वारा 29.05.2024 को आयोजित हिंदी कार्यशाला

मोरमुगाओ बेस द्वारा दिनांक 26.06.2024 को आयोजित हिंदी कार्यशाला

कोचीन बेस द्वारा 24.09.2024 को आयोजित हिंदी पखवाड़ा

चेन्नई बेस द्वारा 26.09.2024 को आयोजित हिंदी कार्यशाला

4.5.19.2. बेस कार्यालयों द्वारा प्राप्त हिंदी पुरस्कार/शील्ड

कोचीन बेस को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 23.10.2024 को श्रेष्ठ राजभाषा रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया ।

विशाखापत्तनम बेस को श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 24.05.2024 को दूसरी बार सम्मानित किया गया

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

विश्व महासागर दिवस

पोर्ट ब्लेयर बेस द्वारा 14.06.2024 को
विश्व रक्तदाता दिवस–2024

4.6. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट—हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट)

4.6.1. परिचय

निफेट का प्रथम कार्यक्रम यानि एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना, वर्ष 1952 में क्विलोन में इंडो—नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट के रूप में भारत, नॉर्वे और यूएनडीपी की सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के परिणाम के रूप में की गई थी। मूल उद्देश्य क्षेत्र और समुदायों को विशेष रूप से मात्स्यिकी में विकसित करना था। नार्वे के विशेषज्ञों के साथ परियोजना का मुख्यालय 1963 में कोच्चि में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव के कारण, बाद के वर्षों में केरल के कन्नूर, कर्नाटक के कारवार और तमिलनाडु मंडपम में परियोजना की समान इकाइयों की स्थापना की गई। 1972 में संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे जाने तक इन इकाइयों ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं ।

कोच्चि में परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा ले लिया गया और इसका नाम बदलकर एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना (आईएफपी) कर दिया गया और इसने कृषि मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की योजना के रूप में कार्यक्रम जारी रखा। भारत सरकार ने भारतीय मात्स्यिकी के विकास में परियोजना की गतिविधियों और मात्स्यिकी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए इसकी स्थायी आवश्यकता को पहचानते हुए, 26 नवंबर 1974 से एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना को एक स्थायी संगठन के रूप में घोषित किया। तत्पश्चात परियोजना के कार्यक्रमों और नीतियों को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तैयार और कार्यान्वित किया गया था।

2005 में कैडर समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आईएफपी के जनादेश को कृषि मंत्रालय द्वारा पुनर्निर्धारित और पुनर्परिभाषित किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रसंस्करण, विपणन और प्रशिक्षण प्रभाग, प्रशीतन और सिविल इंजीनियरिंग अनुभागों को आईएफपी में बनाए रखा गया जबकि अन्य प्रभागों को कृषि मंत्रालय के अधीन अन्य अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) और केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत सरकार ने दिनांक 3 मई 2008 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 937 के अनुसार एकीकृत मात्स्यिकी

परियोजना (आईएफपी) का नाम बदलकर राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट) कर दिया।

4.6.2. मिशन और अधिदेश

क. पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक का उन्नयन और परामर्श, जॉब वर्क और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण मछुआरा समुदाय, लघु उद्योग, निर्यात प्रसंस्करण सदन और छात्रों जैसे लाभार्थियों को इसका हस्तांतरण

ख. कम मूल्य, अपरंपरागत और प्रचुर मौसमी मत्स्यों सहित मत्स्य की सभी किस्मों की प्रक्रिया और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास

ग. पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी, प्रशीतन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य वर्धित उत्पादों में प्रशिक्षण प्रदान करना

घ. मत्स्य प्रसंस्करण में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए परामर्श सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना, स्थानीय मत्स्य किसानों, मछुआरा समुदाय के स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत मछुआरा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना

ड. कम मूल्य, अपरंपरागत प्रजातियों और मौसम में प्रचुर मौसमी मत्स्यों सहित मत्स्य की किस्मों से मूल्यवर्धित उत्पादों का सार्वजनिकिकरण और परीक्षण विपणन

च. नए क्षेत्रों में मूल्य वर्धित उत्पादों की लोकप्रियता और परीक्षण विपणन के माध्यम से गतिविधियों का विस्तार और सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में बाजार विकसित करना और उद्यमियों को समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने के लिए उत्साहित करना।

4.6.3.नए उत्पाद विकसित किए गए और विश्व खाद्य भारत 2024 – प्रदर्शनी

खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की पहल और पीएमएमएसवाई ने देश में तिलापिया कृषि और समुद्री शैवाल कृषि को बढ़ावा दिया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट) ने तिलापिया और समुद्री शैवाल से छह नए विविध उत्पाद विकसित किए हैं। मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में एक पहल के रूप में कैनिंग प्रक्रिया से प्राप्त ट्रिम्ड मीट से एक पालतू जीव खाद्य पदार्थ भी विकसित किया गया था। इन सभी उत्पादों को आधिकारिक तौर पर विश्व खाद्य भारत 2024 प्रदर्शनी में लॉन्च किया गया। वे उत्पाद हैं:

क. समुद्री शैवाल खीर

ख. तिलापिया मछली करी

ग. तिलापिया खीमा / मींस्ड मीट

घ. तिलापिया मछली कटलेट

ड. तिलापिया मछली मोमो

च. तिलापिया मछली नगेट

छ. हैप्पी पपी – डॉग फीड

क) समुद्री शैवाल (सी वीड) खीर

समुद्री शैवाल खीर एक समृद्ध और मलाईदार, स्वादिष्ट मिठाई है, जो समुद्री शैवाल के स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। समुद्री शैवाल में सूजन–रोधी (एंटी–इन्फ्लेमेटरी) गुण होते हैं, यह हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करता है, आंत के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है और इसका फाइबर वजन घटाने में सहायक होता है। इस प्राकृतिक खीर को गुड़ से मीठा किया जाता है और इसमें किसी भी तरह की परिष्कृत चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समृद्ध मलाईदार बनावट प्राकृतिक नारियल के दूध के कारण है और यह लैक्टोज इनटोलरेंट व्यक्तियों तैयार रूप में होता है। यह उत्पाद खाने के लिए तैयार है और इसकी शेल्फ लाइफ आठ महीने है।

ख) तिलापिया करी

उत्तर भारतीय शैली में तिलापिया मछली करी एक स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजन है जो तिलापिया के हल्के

स्वाद को पारंपरिक भारतीय मसालों के साथ पूरी तरह से मिश्रित करता है। करी में टमाटर का उपयोग एक तीखा, थोड़ा मीठा स्वाद जोड़ता है, जिससे एक समृद्ध सॉस बनती है। जीरा पाउडर एक प्रमुख घटक है, जो एक मिट्टी जैसा, थोड़ा मसालेदार और पौष्टिक प्रोफाइल प्रदान करता है जो टमाटर को खूबसूरती से पूरक करता है और अन्य मसालों की गर्मी को संतुलित करता है। यह उत्पाद खाने के लिए तैयार रूप में होता है और इसकी शेल्फ लाइफ आठ महीने है।

ग) तिलापिया खीमा

फ्रोजन तिलापिया खीमा, चुनिंदा ताजा गुणवत्ता वाली तिलापिया मछली से बनाया जाता है। यह फरोजन मिंस्ड फिश मीट कटलेट, नगेट्स, फिश फिंगर्स और फिश बॉल्स तैयार करने के लिए आदर्श माना जाता है। ग्राहक की पसंद के अनुसार मसालों को समायोजित करके पकवान के स्वाद को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तिलापिया का स्वाद हल्का होता है, जिसमें मसालेदार और सुगंधित से लेकर हल्के और नमकीन तक कई तरह के मसालों को मिलाया जा सकता है। इस उत्पाद की शेल्फ लाइफ आठ महीने है।

घ) तलापिया फिश कटलेट

फ्रोजन तिलापिया फिश कटलेट मछली, सब्जियों और प्रामाणिक भारतीय मसालों का एक क्रोकेट है जिसे अंडे और ब्रेडक्रंब में लपेटा जाता है। यह बाहर से क्रिस्पी और क्रंची होता है, जबकि अंदर से नरम और नम होता है। तिलापिया मीट उच्च प्रोटीन और कम वसा सामग्री के साथ स्वस्थ संतुलित आहार है। यह उत्पाद तलने के लिए तैयार रूप में है और इसकी शेल्फ लाइफ आठ महीने है।

ड.) तिलापिया फिश मोमो

फ्रोजन तिलापिया फिश मोमो स्वादिष्ट तिलापिया मछली और सब्जी से बनाया जाता है, जिसमें ताजा गोभी, गाजर और हरी प्याज की खुशबू होती है, जो इसे एक पौष्टिक खाद्य बनाती है। यह उत्पाद पकाने के लिए तैयार रूप में है और इसकी शेल्फ लाइफ आठ महीने है।

च) तिलापिया फिश नगेट

फ्रोजन तिलापिया फिश नगेट तिलापिया फिश मीट के साथ चुनिंदा सब्जियों और मसालों, बैटर और ब्रेड, अजवायन की पत्ती के के साथ बनाया जाता है। यह बाहर से बहुत कुरकुरा और अंदर से रसदार होता है। इसे स्टार्टर या शाम के नाश्ते के रूप में परोसा जा सकता है।

यह उत्पाद तलने के लिए तैयार रूप में है और इसकी शेल्फ लाइफ छह महीने है।

छ) हैप्पी पप्पी – डॉग फीड

हैप्पी पप्पी डॉग फीड पालतू जानवरों के लिए एक आदर्श खाद्य है और इसे टूना मीट (42:), गाजर (5:) और कद्दू (5:) से तैयार किया जाता है। कैनिंग प्रक्रिया से प्राप्त ट्रिम्ड मीट का उपयोग मछली की बर्बादी को कम करने के लिए किया गया था। टूना मीट प्रोटीन और आवश्यक तत्वों से भरपूर है। यह पालतू जानवरों के स्वस्थ मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा, हड्डियों की मजबूती और घनत्व को बढ़ाता है। इस उत्पाद की शेल्फ लाइफ आठ महीने है।

4.6.4. 2024–25 (01 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2024) के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ और निष्पादन

4.6.4.1. प्रसंस्करण अनुभाग

यह अनुभाग क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित अधिदेशों को पूरा करता है

यह अनुभाग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता और आर्थिक रूप से व्यवहार्य, उपभोक्ता के अनुकूल और सुविधाजनक फ्रोजन उत्पादों जैसे कि विभिन्न किस्मों से आईक्यूएफ होल फिश, स्लाइस, ड्रेस्ड फिश और फिश खीमा से निरंतर उत्पादन पर जोर देता है,

फिश कटलेट, फिश पिकल, फिश वेफर, फिश मिक्सचर और फिश करी आदि जैसे विविध मूल्य वर्धित उत्पाद के विकास के लिए वॉक–इन कूलर, साइलेंट कटरध्चॉपर, मॉडिफाइड एटमॉस्फियर पैकेजिंग (एमएपी) मशीन और चेस्ट फ्रीजर से सुसज्जित प्लांट में पायलट स्केल किचन के साथ उपरोक्त सुविधा का उपयोग नए उत्पादों के अनुसंधान, विकास और मानकीकरण के लिए किया जाता है।

निफेट के कैनिंग प्लांट में प्री–कुकिंग चौंबर, एग्जॉस्टिंग चौंबर, डबल सीमिंग मशीन, स्टरलाइजेशन चौंबरध्काउंटर प्रेशर ऑटोक्लेव और बॉयलर जैसी मशीनरी हैं। इन सुविधाओं के भीतर, तेल में टूना, पानी में डाइट टूना, तेल में टूना फ्लेक्स, तेल में मैकेरल, रिटॉर्ट पाउच आदि जैसे तैयार उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ताजा मत्स्य निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार और विपणन उपाय के रूप में सूखे पट्टे के आधार पर देश से मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात करने वाले उद्यमियों को टूना प्रसंस्करण संयंत्र उपलब्ध कराया जाता है।

वित्त वर्ष 2024–25 (31 नवंबर 2024 तक) के दौरान निफेट द्वारा कुल 98.66 टन कच्चे माल (26.12 टन उत्पाद को आगे मूल्यवर्धन के लिए उपयोग किया गया) को संसाधित किया गया था। 74.84 टन विभिन्न फ्रोजेन उत्पादों, सूखे उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों और कैंड उत्पादों का विकास किया गया।

4.6.4.2. विपणन अनुभाग

यह अनुभाग उत्पाद विकास और प्रशिक्षण गतिविधियों के संबंध में विकसित उत्पादों का परीक्षण विपणन करता है

दूसरों की तुलना में निफेट की विशिष्टता पायलेट स्केल उत्पादन और परीक्षण विपणन सुविधाएं हैं। यह उन्नत संस्करण प्रयोगशाला स्तर से अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बराबर है जो वास्तविक व्यावसायिक उत्पादन स्तर पर आसानी से दोहराया जा सकता है। प्रशिक्षुओं के अलावा मछुआरिन, एसएचजी और विश्वविद्यालय के छात्रों दोनों को उत्पादन के दौरान बड़ी मात्रा में कच्चे माल के रखरखाव में शामिल जटिलताओं से अवगत कराया जाता है। परीक्षण विपणन अनुभाग के माध्यम से प्राप्त उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया उत्पादों के निरंतर सुधार में भी सहायता करती है। इन सभी गतिविधियों के लिए कच्चा माल विपणन अनुभाग द्वारा विभाग के जलयानों और मछुआरा सहकारी समितियों से लैंडिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

इस वर्ष के दौरान, कोच्चि और विशाखापत्तनम इकाई में मछुआरा सहकारी समितियों और विभाग के जलयानों से कुल 71.56 टन (नवंबर 2024 तक) उतरा।

कुल 40.60 टन (नवंबर 2024 तक) मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का परीक्षण विपणनएर्नाकुलम स्टॉल, पाला स्टॉल, डीलर्स और विशाखापत्तनम इकाई के माध्यम से किया गया और इससे 134.92 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

4.6.4.3. प्रशिक्षण अनुभाग

यह अनुभाग क्रम संख्या 3 और 4 में उल्लिखित अधिदेशों संबंधी गतिविधियाँ करता है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में, इस अनुभाग में दो अलग–अलग लक्ष्य समूह हैं, विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्र और मछुआरिन स्वयं सहायता समूह (संयंत्र और साइट पर संचालित)

क. मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी में ऑन–जॉब/इन–प्लांट प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य या खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। भले ही छात्र कक्षाओं से अपेक्षित सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम वास्तविक क्षेत्र स्तर पर लागू होने पर मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक पहलुओं की

जानकारी प्रदान करता है। निफैट ने क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ प्रशिक्षुओं को मात्स्यिकी उद्योग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक, इन–प्लांट/व्यावहारिक और ऑडियो–विजुअल सत्र शामिल हैं। अनुमोदित निर्यात इकाइयों, लैंडिंग केंद्रों, अन्य मात्स्यिकी संस्थानों आदि के क्षेत्रीय दौरे उन्हें उद्योग के वर्तमान परिदृश्यों के बारे में व्यापक जानकारी देते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों के 195 विद्यार्थियों तथा व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (वीएचएसई) के 59 विद्यार्थियों ने संस्थान के ऑन–जॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। संस्थान के इन–प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रम में 342 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

ख) मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण

निफ्फैट, कोच्चि ने 21.08.2024 से 23.08.2024 तक समुद्री खाद्य से मूल्य वर्धित उत्पाद विकास पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्थान और हरियाणा के मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के 11 सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को कृषि विकास सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रशिक्षण के दौरान, प्रतिभागियों को समुद्री खाद्य जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तु के रखरखाव में स्वच्छतापूर्ण तरीके से रखरखाव के महत्व के बारे में बताया गया। प्रशिक्षुओं को विभिन्न समुद्री खाद्य मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे फिश कटलेट, फिश फिंगर, फिश समोसा, फिश रोल, फिश अचार, फिश वेफर्स, फिश मिक्सचर, फिश करी आदि के उत्पादन की जानकारी भी दी गई।

ग. समुद्री खाद्य के सूक्ष्मजैविक विश्लेषण पर प्रशिक्षण

संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधा अद्वितीय है और समुद्री खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान के व्यावहारिक पहलुओं को सीखने के इच्छुक छात्रों के लिए एक आदर्श है। इस सुविधा का उपयोग कच्चे माल और विकसित उत्पादों के आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान, उद्योग और विभिन्न कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले 13 प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।

घ. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण

यह एक वर्षीय कार्यक्रम है जो विशेष रूप से व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रशिक्षण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय, त्रिवेंद्रम के सहयोग से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ मात्स्यिकी विशेषज्ञों का एक कैडर तैयार करना है। कार्यक्रम के दौरान, प्रशिक्षुओं को सभी प्रसंस्करण गतिविधियों, गुणवत्ता आश्वासन, माइक्रोबियल विश्लेषण और समुद्री खाद्य की स्वच्छता पूर्वक हैंडिलिंग का व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है। छात्रों को उनके जेब खर्च की पूर्ति के लिए मासिक वजीफा भी दिया जाता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान, कार्यक्रम में 3 छात्र भाग ले रहे हैं।

4.6.5. मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता

निफैट ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित 5 प्रदर्शनियों और मेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसका उद्देश्य निफैट द्वारा विकसित विभिन्न मत्स्य उत्पादों को लोकप्रिय बनाना और परीक्षण के माध्यम से विपणन करना है, जिसका संदेश है ''मछली एक स्वस्थ भोजन है।'

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 12.07.2024 को इडा स्कडर ट्रेड सेंटर, मदुरै में द्वितीय मात्स्यिकी समर मीट 2024 का आयोजन किया गया। श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री और श्री जॉर्ज कुरियन, माननीय मत्स्यपालन राज्य मंत्री, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन राज्य मंत्री, डॉ. अभिलाक्ष लिखी, माननीय सचिव, श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन विभाग ने निफ्फैट स्टॉल का दौरा किया।

सीसीएस एंड कंपनी द्वारा युवाओं के लिए 11.09.2024 से 14.09.2024 तक साइंस सिटी, कोलकाता में राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस एवं एक्सपो का आयोजन किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 19.09.2024 से 22.09.2024 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 के दौरान निफ्फैट के नए समुद्री खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, माननीय संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद और माननीय संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी और प्रशासन) श्री सागर मेहरा और अन्य अधिकारियों ने निफ्फैट स्टॉल का दौरा किया।

कालीकट ट्रेड सेंटर, कालीकट में 03.11.2024 से 07.11.2024 तक जन्मभूमि द्वारा आयोजित निफैट स्टॉल ''एसडब्ल्यूए'' ज्ञान महोत्सव

सीयूएसएटी, एर्नाकुलम में 08.04.2024 से 10.04.2024 तक आयोजित मैरिकॉन–2024– समुद्री विज्ञान में फ्रंटियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, समुद्री विज्ञान स्कूल सीयूएसएटी और एनसीपीओआर

4.6.6. शैक्षणिक दौरे

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान, देश भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 498 छात्रों और 33 संकायों ने संस्थान का दौरा किया। दौरे के दौरान, वे संस्थान की सुविधाओं और गतिविधियों से परिचित हुए।

4.6.7. 22 मई 2024 को निफैट में नॉर्वेजियन राजदूत का दौरा।

भारत में नॉर्वे की राजदूत महामहिम सुश्री मे–एलिन स्टेनर, द्वितीय सचिव सुश्री फिलिपा ब्रारुड और भारत में नॉर्वे के दूतावास के वरिष्ठ सलाहकार श्री आशीष अग्रवाल ने 22.05.2024 को निफैट का दौरा किया और मात्स्यिकी क्षेत्र में उपयोगी चर्चा की।

4.6.8. 18 जून 2024 को निफेट में माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन का दौरा

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने 18.06.2024 को निफेट का दौरा किया और संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। मंत्री ने संस्थान की विभिन्न पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों को देखा और प्रशिक्षुओं से बातचीत की। दौरे के दौरान संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई।

त्रिपुरा के मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों का दौरा

औद्योगिक मात्स्यिकी स्कूल, सीयूएसएटी के छात्रों का दौरा

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के छात्रों का दौरा

सीएमएलआरई द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षुओं का दौरा

4.6.9. वर्ष 2024–25 के लिए निष्पादन (1 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2024 तक)

क्र.सं.	विवरण	31.11.2024 तक की उपलब्धि
1	प्रसंस्कृत कच्चा माल (टन में)	98.66
2	विकसित मत्स्य उत्पाद (टन में)	74.82
3	विकसित कंस की संख्या	14966
4	मछुआरों की सहकारी समितियों से प्राप्त/उतारी गई मछलियाँ (टन में)	71.56
5	मत्स्य उत्पाद का विपणन (टन में)	40.60
6	परीक्षण विपणन के माध्यम से उत्पन्न राजस्व (रु. लाख में)	104.59
7	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या	650
8	स्वयं सहायता समूहों और छात्रों के लिए प्रशिक्षु दिवसों की संख्या	5420
9	प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व (रु. लाख में)	5.59
	सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व (रुपए लाखों में)*	112.03

***पीएओ के साथ मिलान नहीं हुआ**

*****

अध्याय 5

व्यापार संबंधी मामले

पशुधन और पशुधन उत्पादों, जिसमें मत्स्य/मात्स्यिकी उत्पाद शामिल हैं, का व्यापार जिसे वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति– निर्यात आयात नीति (ईएक्सआईएम) के अनुसार विनियमित किया जाता है। हालांकि, पशुधन और पशुधन उत्पादों के साथ–साथ मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के आयात के माध्यम से बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 और धारा 3क के प्रावधान के अनुसार मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ऐसे उत्पादों में व्यापार को विनियमित करता है। विभाग मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए स्वच्छता और पादप स्वच्छता मुद्दों की देखरेख करता है।

मत्स्य सहित जीवित पशुओं का आयात एग्जिम (ईएक्सआईएम) नीति के अनुसार प्रतिबंधित सूची (आयात करने में छूट नहीं) की श्रेणी में आता है, आयात के लिए आयातक को मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) की सिफारिश पर डीजीएफटी से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) जोखिम विश्लेषण और संबंधित जर्मप्लाज्म नीति के आधार पर डीजीएफटी की सिफारिश पर निर्णय लेता है।

केंद्र सरकार को लाइव–स्टॉक आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात को विनियमित, प्रतिबंधित और निषिद्ध करने का अधिकार है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पशुधन आयात अधिनियम की धारा 3 के तहत दिनांक 10 जून, 2014 की अधिसूचना एस.ओ. 1495 (ई) और 1496 (ई) जारी की गई थी। इन अधिसूचनाओं में पशुओं की उन श्रेणियों को परिभाषित किया गया है जिन्हें "लाइव–स्टॉक" माना जा सकता है तथा उनके आयात और जीवित पशुओं की संगरोध प्रक्रिया के लिए जीव चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

पशुधन और मत्स्य/मात्स्यिकी उत्पादों को एग्जिम (ईएक्सआईएम) नीति के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस संबंध में, मंत्रालय ने पशुधन उत्पादों और पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया को सूचीबद्ध करते हुए 17 अक्टूबर, 2014 को अधिसूचना एस.ओ. 2666 (ई) जारी की है। इन उत्पादों का आयात स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) के अधीन है, जो पशुधन उत्पादों के साथ दिए जाने वाले पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के माध्यम से किए गए जोखिम विश्लेषण द्वारा निर्देशित होता है। मत्स्यपालन विभाग पशुधन और मत्स्य उत्पादों के लिए एसआईपी जारी करता है जो उत्पादों की प्रकृति के आधार पर एक वर्ष या छह महीने के लिए वैध होते हैं और कई खेपों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

पशुओं/मत्स्य और पशु/मत्स्य उत्पादों के आयात की अनुमति केवल बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई के निर्दिष्ट समुद्री बंदरगाहों/हवाई बंदरगाहों के माध्यम से है जहां पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं/व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के समुद्री बंदरगाह, कोच्चि के समुद्र और हवाई अड्डे और पेट्रापोल में (केवल बांग्लादेश से आयात के लिए) भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से मत्स्य उत्पादों के आयात की अनुमति है। हालांकि, इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, मंत्रालय व्यापार करने में आसानी के लिए बंदरगाहों को भी अधिसूचित कर रहा है।

आयात की प्रक्रियाः मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में जोखिम विश्लेषण संबंधी समिति की स्थापना की गई है। यह मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए एसआईपी जारी करने के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार करती है। दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना एस.ओ. 2666 (ई) में आवश्यक संशोधन के बाद, मत्स्यपालन मंत्रालय ने एसआईपी आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने, उनके प्रसंस्करण और जारी करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। रिपोर्टिंग अवधि (1 अप्रैल 2024 से 15 जनवरी 2025) के दौरान मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) की व्यापार इकाई ने विभिन्न फर्मों/संगठनों को विभिन्न मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए 1639 स्वच्छता आयात परमिट जारी किए हैं।

प्रतिबंधित मात्स्यिकी वस्तुओं के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) आयातकों को आयात

लाइसेंस जारी करने से पहले मत्स्यपालन विभाग से टिप्पणियां मांगता है। यदि मामले जीवित विदेशी जलीय जीवों के आयात से संबंधित हैं, तो मामलों को संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) की अध्यक्षता में मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) में भारतीय जल में विदेशी जलीय प्रजातियों के शुभारंभ पर राष्ट्रीय समिति को भेजा जाता है। उक्त समिति की सिफारिश और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जांच और अवलोकन के आधार पर, आवेदनों को मंजूरी दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि (1 अप्रैल 2024 से 15 जनवरी 2025) के दौरान, लाइव ओर्नामेंटल फिश, ट्राउट आईड ओवा, फिश बॉडी ऑइल और मदर ऑफ पर्ल आदि जैसी प्रतिबंधित श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 31 आवेदनों को संसाधित किया गया और अनुमति दी गई।

मात्स्यिकी क्षेत्र में व्यापार को सुविधा जनक बनाने के लिए, मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) ने सीएए अनुमोदित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ झींगा ब्रूड स्टॉक के आयात और भारत में मत्स्य और संबंधित तेल के आयात के लिए एसआईपी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हालांकि, प्रवेश के बंदरगाह पर, एक्यूसीएस निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पूर्व–बोर्डर संगरोध प्रमाण पत्र और अतिसंवेदनशील प्रजातियों के डब्लूओएएच सूचीबद्ध रोगज़नक़ से मुक्ति की घोषणा करने वाले एक अन्य प्रमाण पत्र की पुष्टि करने के बाद सीमा शुल्क को एनओसी जारी करेगा।

इसके अलावा, समुद्री शैवाल क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एफ. संख्या 1503529/5/2024 दिनांक 21 अक्तूबर 2024 के माध्यम से 'भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिए दिशानिर्देश' अधिसूचित किए हैं । इस संबंध में उठाए गए कदम से विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाले बीज सामग्री या जर्मप्लाज्म के आयात की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे घरेलू गुणन को सक्षम किया जा सकेगा और किसानों को गुणवत्ता वाले बीज स्टॉक तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।

*****

अध्याय 6

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

मत्स्यपालन विभाग का उद्देश्य अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों और महिलाओं की एक बड़ी आबादी मात्स्यिकी क्षेत्र की गतिविधियों में लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

नीति आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, दिनांक 15 दिसंबर, 2010 को जारी अ.शा. पत्र सं. एन–11016/12(1)/2009–पीसी अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत 16.6 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। विभाग ने एससीएसपी घटक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत संशोधित अनुमान में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 250.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में 31 जनवरी, 2025 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि 122.30 करोड़ रुपए खर्च हो चुकी है। विभाग ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 3340 लाभार्थियों को 33.39 करोड़ रुपए के केंद्रीय व्यय के साथ कुल परियोजना लागत 85.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

विभाग को वित्त वर्ष 2017–18 तक जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के अंतर्गत धनराशि निर्धारित करने से छूट दी गई थी। वित्त वर्ष 2018–19 से टीएसपी के तहत 8.60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। विभाग ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए संशोधित अनुमान में 188.50 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें से 173.68 करोड़ रुपए (31 जनवरी, 2024 तक) पहले ही खर्च हो चुके हैं। विभाग ने पीएमएमएसवाई के तहत 8950 लाभार्थियों को 48.54 करोड़ रुपए के केंद्रीय व्यय के साथ 101.68 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत को मंजूरी दी है।

*****

अध्याय 7

महिलाओं का सशक्तिकरण

7.1 मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

महिलाएँ भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएँ समुद्री मात्स्यिकी और जलीय कृषि, विशेषकर लघु उद्योग, पोस्ट–हार्वेस्ट तथा कारीगर मात्स्यिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह अनुमान है कि लगभग 5.4 मिलियन लोग पूर्णतः मात्स्यिकी गतिविधियों से जुड़ें हुए हैं, जिनमें से 3.90 मिलियन मछुआरे हैं और 1.50 मिलियन मछुआरिनें हैं। वे दुनिया भर में कुल कामकाजी आबादी का आधा हिस्सा हैं, जिसमें मत्स्यपालन, जलीय कृषि, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और सभी संबंधित सेवाएँ शामिल हैं।

महिलाओं द्वारा की जाने वाली वैतनिक और अवैतनिक, गतिविधियाँ, प्री एंड पोस्ट–हार्वेट गतिविधियों सहित मूल्य श्रृंखला में फैली हुई हैं। इसमें समुद्री शैवाल (सी–वीड) और शैलफिश संग्रह, मत्स्यन, जाल बुनना और जाल की मरम्मत करना, प्रसंस्करण, बिक्री, स्थानीय और अंतर–क्षेत्रीय व्यापार शामिल हैं। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में महिलाएं क्लैम, केकड़े, फिश फ्राई, समुद्री शैवाल (सी–वीड) आदि मत्स्य पकड़ती हैं।

छोटे पैमाने पर मत्स्यपालन करने वाली महिलाएँ घरेलू स्तर पर वित्त का प्रबंधन करने और सामुदायिक स्तर पर जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वदेशी और स्थानीय तटीय समुदायों की महिलाओं के पास व्यापक स्थानीय और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान है, जो समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग और संरक्षण में योगदान देता है।

छोटे पैमाने और कारीगर मत्यसिकी क्षेत्र में महिलाओं को श्रमिक के रूप में अपने अधिकारों को सुरक्षित करने में कठिनाई होती है क्योंकि उनकी भूमिका को अक्सर पहचाना नहीं जाता है। उनके पास सामाजिक सुरक्षा, पूंजी और ऋण तक सीमित पहुंच है या कोई पहुंच नहीं है और उन्हें भूमि अधिकारों की सुरक्षा और मात्स्यिकी संसाधनों तक पहुंच में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें असुरक्षित, अस्वच्छ और अनुचित कार्य स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश स्थानों पर, पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों में महिलाएँ लैंडिंग केंद्रों और बाजारों में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लगातार संघर्ष कर रही हैं। हार्वेस्टिंग में उनकी भूमिकाएँ संग्रहण, हाथ से चुनने और छोटे जल निकायों से मत्स्यन तक सीमित हैं, जबकि रोजगार के अवसर आम तौर पर मौसमी प्रकृति के होते हैं और कम मजदूरी के साथ होते हैं। पुरुषों और महिलाओं द्वारा अर्जित आय में भी काफी अंतर है, महिलाओं की आय काफी कम है।

विभाग का प्रयास पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में लगी महिलाओं को लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना रहा है। विभाग, देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में काम कर रहा है और यह भी सुनिश्चित करता है कि महिला उद्यमियों/किसानों को अच्छी तरह से सहायता और प्रोत्साहन मिले। इसने तटीय क्षेत्रों में समुद्री शैवाल की खेती से लेकर ओर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग में लगी महिला एसएचजी को प्रोत्साहित करने, तालाबों और टैंकों में फूड फिश के कल्चर, धान–सह–मत्स्यपालन, जलाशयों, तटीय क्षेत्रों में केज कल्चर, बैकयार्ड आरएएस इकाइयों की स्थापना, पूर्वोत्तर राज्यों में देशी प्रजातियों के लिए प्रजनन इकाइयों की स्थापना, जलीय पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (एएएचएल), फिश ट्रांसपोर्टेशन वाहनों की खरीद, कोल्ड चेन प्रबंधन, फिश ड्राईंग और प्रसंस्करण के अलावा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं/ सेमिनार, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम, मात्स्यिकी सहकारी समितियों का गठन, महिलाओं को स्टार्टअप/उद्यमी के रूप में विकसित करने के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की है।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 3,463.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के माध्यम से कुल 60,048 महिला लाभार्थियों को लाभ मिला है। इस प्रकार, इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देने के लिए, कई सफल और उद्यमी महिला लाभार्थियों को कई कार्यक्रमों और मंचों पर सम्मानित किया गया है।

7.2 मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

7.2.1 मीठे पानी में पर्ल कल्चर

मीठे पानी में पर्ल कृषि जलीय कृषि प्रणालियों में एक विविध गतिविधि है। यह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर (सीआईएफए), भुवनेश्वर द्वारा विकसित एक प्राचीन तकनीक है। तीन पहचानी गई पर्ल मसल प्रजातियाँ हैं, जिनका नाम है लैमेलिडेंस मार्जनेलिस, एल. कोरियनलिस और पैरेसिया कॉरगेट। इन विभिन्न किस्मों के पर्लस को तीन अलग–अलग सर्जिकल प्रक्रियाओं का उपयोग करके संवर्धित किया जाता है। इस तकनीक ने महिलाओं सहित कई ग्रामीण, कारीगर और उद्यमी समुदायों को आकर्षित किया है। इसलिए, महिलाओं के समूहों को वैकल्पिक आय स्रोत के लिए पर्ल कृषि के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

7.2.2 बैकयार्ड ओर्नमेंटल फिश कल्चर

ओर्नमेंटल फिश कल्चर की प्रथा को एक आकर्षक और स्थिर व्यवसाय के रूप में देखा जाता है जिसे दूरदराज के गांवों में महिलाओं द्वारा अपनाया जा सकता है। महिलाओं को नवीन और आर्थिक रूप से लाभप्रद तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2.3 सामुदायिक तालाब जलकृषि

तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे और पिछवाड़े के तालाबों का उपयोग नहाने, कपड़े धोने और डंपिंग ग्राउंड के रूप में किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। महिलाओं को मत्स्य फ्राई, फिंगरलिंग्स की अल्पकालिक फसलें उगाने के लिए उपेक्षित जल निकायों को विकसित करने में नियोजित और प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन पहलों से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

7.2.4 बीज संग्रहण और ग्रेडिंग

वैकल्पिक आय स्रोतों के रूप में, महिलाओं द्वारा बीज एकत्र और ग्रेडिंग की जा सकती है। महिलाओं के पास जुवेनाइल समुद्री बास, केकड़ों, मसल्स, पर्ल और सीप को मोटा करने के लिए मौजूदा कौशल हैंय ग्रेडिंग में भागीदारी से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी।

7.3 जलकृषि में प्रमुख लैंगिक मुद्दे

वर्तमान में, महिलाओं को बाजार से संबंधित जानकारी से अवगत कराने के लिए कोई निर्धारित तंत्र या मंच नहीं है। घरेलू प्राथमिकताओं के कारण समय की कमी भी महिलाओं को आगे आने और मात्स्यिकी को एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में अपनाने से रोकती है। हालांकि, प्रौद्योगिकी प्रसार, समय–कुशल प्रौद्योगिकियों और तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करके इस तरह के मुद्दों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसलिए, महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

7.4 पोस्ट हार्वेस्ट में व्यावसायिक भूमिकाएँ

भारत की मछुआरियाँ स्थानीय बाजारों में बिक्री के लिए समुद्र तट से विभिन्न प्रकार की मछलियों को छाँटने और वर्गीकृत करने में शामिल हैं। पारंपरिक पद्धति–आईटीके (स्वदेशी तकनीकी ज्ञान) जैसे कि स्मोकिंग फिश का काम अपनाया जाता है और उत्पादों को आस–पास के बाजारों में बेचा जाता है। महिलाएँ मत्स्य की पैकिंग और पोस्ट हार्वेस्ट की अन्य प्रसंस्करण विधियों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाएँ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रूप में खुद को संगठित करती हैं और प्रदर्शनियों, मेलों के माध्यम से अपने मूल्यवर्धित उत्पादों को बेचती हैं और आजकल उनके उत्पाद सुपरमार्केट में देखे जाते हैं और निर्यात भी किए जाते हैं।

7.5 जेंडर बजट प्रकोष्ठ

मत्स्यपालन विभाग में जेंडर बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों में इस तरह से बदलाव लाना और उसे प्रभावित करना है जिससे जेंडर असंतुलन से निपटा जा सके, जेंडर समानता को बढ़ावा दिया जा सके और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इसका नेतृत्व संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी और प्रशासन) करते हैं। विभाग ने महिला घटक के लिए कोई विशेष निधि निर्धारित नहीं की है, हालांकि, विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कार्यान्वयन एजेंसियों को विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा केंद्र प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए आवंटित निधियों का लगभग 30 प्रतिशत उपयोग करने की सलाह दे रहा है। जेंडर बजट सेल ने निम्नलिखित योजनाओं की पहचान

की है जिनके तहत महिला लाभार्थियों के लिए निधि आवंटित की जाती हैः

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएम एसवाई)
- मात्स्यिकी अवसंरचना विकास निधि (एफआई डीएफ)
- प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (पीएम–एमकेएसएसवाई)

*****

अध्याय 8

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी)

8.1 संक्षिप्त विवरण

मात्स्यिकी क्षेत्र देश और इस पर निर्भर बड़ी आबादी के सतत और आर्थिक विकास की दिशा में अपार संभावनाएं प्रदान करता है। 2022 के दौरान, कुल वैश्विक मात्स्यिकी और जलकृषि उत्पादन जिसमें 223.2 मिलियन टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया, 185.4 मिलियन टन जलीय जीवों और 37.8 मिलियन टन (गीले वजन) शैवाल(एलगी) शामिल है। इसमें 2020 की तुलना में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर– रिपोर्ट 2024)

वैश्विक स्तर पर, मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र में अकेले प्राथमिक उत्पादन में अनुमानित 62 मिलियन लोग जुड़े हैं और जलीय पशु खाद्य पदार्थो की अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत 20.7 किलोग्राम है। सबसे अधिक कारोबार वाली खाद्य वस्तुओं में से जलीय उत्पाद प्रथम स्थान पर बना हुआ हैं, जिसमें 230 से अधिक देश और क्षेत्र शामिल हैं और 2022 में 195 बिलियन अमरीकी डॉलर का रिकॉर्ड उत्पादन किया है।

अनुमान है कि 2030 तक दुनिया की आबादी 8.5 बिलियन तक पहुँच जाएगी। इस बढ़ती हुई आबादी के लिए पर्याप्त भोजन, पोषण और आजीविका प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच महत्वपूर्ण निवेश और रणनीतिक सहयोग की आवश्यकता होगी। जबकि जल कृषि अपनी परिवर्तनकारी तकनीकों के साथ जलीय खाद्य पदार्थों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने की क्षमता रखती है, वैश्विक स्तर पर जलीय खाद्य क्षेत्र के भविष्य के विस्तार में स्वस्थ महासागरों और अंतर्देशीय जल निकायों से स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने वाली स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है।

तदनुसार, मात्स्यिकी के सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और सतत मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। इसमें मत्स्य के भंडार को स्थायी रूप से फिर से भरने, भावी पीढ़ियों के लिए जलीय संसाधनों को संरक्षित करने, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सहयोग को प्रोत्साहित करने, सार्थक सहयोग स्थापित करने, सभी देशों के लिए समान संसाधन पहुँच सुनिश्चित करने, हितधारकों के हितों को संतुलित करने वाले उचित नियमों को लागू करने और समावेशी शासन को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। ये प्रयास सामूहिक रूप से एक सतत और उत्पादक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) इन कारकों को संबोधित करने और इस क्षेत्र में सतत विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मत्स्य संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और वैश्विक स्तर पर जलीय संसाधनों की स्थिरता की दिशा में मिलकर काम करने के लिए एक कुशल मंच के रूप में कार्य करता है। 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' प्रभावी समझौतों, संसाधनों की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता, संबंधित हितधारकों के हितों का ध्यान, तुलनात्मक लाभ और महासागर और समुद्रों के सतत भविष्य और इस पर निर्भर लोगों की समग्र भलाई के लिए आवश्यक सहयोग और सहभागिता के माध्यम से काम करता है। वर्तमान में इस दिशा में प्रतिबद्धताओं और समझौतों को बनाने के लिए बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास चल रहे हैं।

भारत कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का एक पक्षकार है, जिनमें 1982 का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस), 2001 का संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता (यूएनएफएसए), संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (1995), उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए एफएओ आचार संहिता (सीसीआरएफ) और समुद्री मात्स्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना (1995) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत क्योटो घोषणा और कार्य योजना (1995), समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) मानकों और पानी के नीचे जीवन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 14 (एसडीजी 14) का पालन करता है। इसके अतिरिक्त, भारत कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संधियों और समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता है, साथ ही क्षेत्रीय मात्स्यिकी निकायों (आरएफबी) का एक सक्रिय सदस्य है, यह मात्स्यिकी क्षेत्र के अन्तर्गत कई अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए प्रतिवद्ध है।

भारत विभिन्न क्षेत्रीय मात्स्यिकी निकायों का भी सदस्य है, जिनमें एशिया–प्रशांत मत्स्य आयोग (एपीएफआईसी), एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक्वाकल्चर केन्द्रों का नेटवर्क (एनएसीए), हिंद महासागर टूना आयोग (आईओटीसी), दक्षिण हिंद महासागर मात्स्यिकी समझौता (एसआईओएफए) और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर–सरकारी संगठन (बीओबीपी–आईजीओ) शामिल हैं। इसके अलावा, यह पर्यावरण से संबंधित अन्य क्षेत्रीय निकायों (जैसे दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) और व्यापार (बहु–क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल–बिम्सटेक) का भी सदस्य है। यहां तक कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) जैसी आर्थिक और भू–राजनीतिक व्यवस्थाओं ने भी समय–समय पर मात्स्यिकी और पर्यावरण से संबंधित मामलों में पहल की है।

अधिकांश क्षेत्रीय संगठन, जिनमें भारत भी शामिल है (बीओबीपी–आईजीओ और एनएसीए) और उनके कार्य नीति की वकालत और क्षमता निर्माण तक ही सीमित हैं।

8.2 क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठनों (आरएफएमओ) के साथ सहभागिता:

क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन (आरएफएमओ) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन किसी क्षेत्र में मत्स्यन के हितों वाले देशों द्वारा किया जाता है। उनमें से कुछ एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी मत्स्य स्टॉक का प्रबंधन करते हैं, जबकि अन्य विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में विशेष रूप से उच्च प्रवासी प्रजातियों, विशेष रूप से टूना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संरक्षण और प्रबंधन उपायों पर कई आईओटीसी संकल्प हैं जो इसके सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं।

मात्स्यिकी प्रबंधन में अंतर–सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन (आरएफएमओ) महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हैं। हिंद महासागर टूना आयोग (आईओटीसी) आरएफएमओ के रूप में कार्य करता है जो हिंद महासागर में टूना और टूना जैसी प्रजातियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, जहां भारत अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अधिदेश रखता है।

भारत आईओटीसी में अनुबंध और सहकारी पक्ष (सीपीसी) के रूप में सदस्य है तथा विभाग की विशेष रूप से आईओटीसी में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की योजना है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) और आईसीएआर–केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) के विशेषज्ञों के साथ विभाग के अधिकारियों ने आईओटीसी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और देश के राष्ट्रीय हितों और छोटे मछुआरे समुदायों की रक्षा के लिए आवश्यक हस्तक्षेप सहित क्षेत्रीय विज्ञान आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन में योगदान दिया है।भारत ने आईओटीसी की कुछ महत्वपूर्ण बैठकों की भी मेजबानी की है, जैसे 28 नवंबर से 02 दिसंबर, 2023 के दौरान डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वां कार्यकारी दल (डब्ल्यूपीडीसीएस19) और 04–08 दिसंबर, 2023 के दौरान मुंबई में वैज्ञानिक समिति का 26वां सत्र (एससी26)। भारत हाल ही में 2023 में दक्षिण हिंद महासागर मात्स्यिकी समझौते (एसआईओएफए) में गैर–अनुबंधित पक्ष (सीएनसीपी) के रूप में शामिल हुआ है, जो दक्षिणी हिंद महासागर में टूना और अत्यधिक प्रवासी प्रजातियों के अलावा अन्य मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन करने वाला एक महत्वपूर्ण आरएफएमओ है। विभाग के अधिकारियों ने एसआईओएफए बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, तथा विभाग एसआईओएफए का एक अनुबंधित पक्ष बनने के लिए कदम उठा रहा है।

8.3 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ सहभागिता

मत्स्य दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार की जाने वाली खाद्य वस्तुओं में से एक है। जलीय पशु उत्पादों का वैश्विक व्यापार मूल्य की दृष्टि से काफी बढ़ गया है, निर्यात 1976 में 7.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 192 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर नॉमिनल के संदर्भ में 7.2 प्रतिशत और वास्तविक रूप में 4.0 प्रतिशत है (स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्च– रिपोर्ट 2024)

लगभग 260 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री मात्स्यिकी (मरीन फिशरीज) पर निर्भर हैं। दुनिया भर के देश अपने समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र को अरबों डॉलर की सब्सिडी प्रदान करते हैं। कई अध्ययन इस बात को इंगित करते हैं कि समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र को दी जाने वाली कुछ क्षमता वर्धन सब्सिडी ओवरफिशिंग और ओवरकैपेसिटी, ओवरफिश्ड स्टॉक (स्टॉक की कमी) और अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मत्स्यन को बढावा देती हैं। अनुमान

है कि 1974 में 10% की तुलना में कम से कम 34% वैश्विक स्टॉक का अत्यधिक दोहन किया गया है, जिसका अर्थ है कि उनका इतनी तेजी से दोहन किया जा रहा है कि मत्स्य की आबादी में वृद्धि नहीं हो पा रही है। अनुमान है कि वर्तमान में मात्स्यिकी के लिए सरकारी वित्तपोषण वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 35 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसमें से लगभग 22 बिलियन अमरीकी डॉलर मात्स्यिकी की क्षमता को अस्थिर रूप से बढ़ाता है। इसलिए, डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के ढांचे के भीतर मात्स्यिकी सब्सिडी से निपटने के लिए एक समाधान खोजने का निर्णय लिया और मात्स्यिकी सब्सिडी पर मौजूदा डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) नियम को स्पष्ट करने और सुधारने के लिए मात्स्यिकी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ वार्ता शुरू की गई।

संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 14.6 में कहा गया है, ''वर्ष 2020 तक, मात्स्यिकी सब्सिडी के कुछ रूपों पर प्रतिबंध करें जो ओवरकैपेसिटी और ओवरफिशिंग में योगदान करते हैं, और उन सब्सिडी को समाप्त करें जो अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मत्स्यन में योगदान करते हैं और ऐसी नई सब्सिडी शुरू करने से परहेज करें, यह स्वीकार करते हुए कि विकासशील और कम विकसित देशों के लिए उपयुक्त और प्रभावी एस एंड डी टी डब्ल्यूटीओ मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता वार्ता का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।''

कई सदस्यों के एजेंडे में हानिकारक मात्स्यिकी सब्सिडी को रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन का कार्य सबसे ऊपर है। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी) है, जो आमतौर पर हर दो साल में होता है। जिनेवा में 12–17 जून 2022 को आयोजित 12वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी12) में, सदस्यों ने 2001 से डब्ल्यूटीओ की वार्ता में इन मुद्दों पर काम करने के बाद मात्स्यिकी सब्सिडी (मुख्य रूप से आईयूयू फिशिंग और ओवरफिश्ड स्टॉक के स्तंभों पर) पर ऐतिहासिक समझौते को अपनाया। इस दिशा में, भारत ने विकासशील देशों में लघु और आर्टिसनल मात्स्यिकी के हितों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मत्स्यपालन विभाग देश और गरीब मछुआरों के हितों को सुरक्षित करने के लिए वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। विभाग ने वाणिज्य विभाग, विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के साथ सचिव स्तर पर परामर्श किया है। इसके अतिरिक्त, विश्व व्यापार संगठन के मामलों पर एक टास्क फोर्स ने भी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में परामर्श बैठकें आयोजित कीं, जिसमें अंतर–मंत्रालयी और राज्य प्रतिनिधि शामिल थे। इन चर्चाओं का उद्देश्य मात्स्यिकी सब्सिडी विषयों पर वार्ता में भारत के लिए एक उपयुक्त रुख निर्धारित करना है, जिसमें भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा और समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में विकासात्मक आकांक्षाओं के लिए नीतिगत स्थान को संरक्षित करने के लिए उपयुक्त और प्रभावी विशेष और विभेदक उपचार (एसएंडडीटी) सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों ने विश्व व्यापार संगठन के मात्स्यिकी सब्सिडी पर श्मत्स्य सप्ताहश के दौरान वार्ता के ''दूसरे चरण'' के साथ–साथ इस संबंध में अंतर–सत्रीय और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। वार्ता का दूसरा चरण तीसरे स्तंभ पर केंद्रित था, अर्थात ओवरकैपेसिटी और ओवरफिशिंग में योगदान देने वाली सब्सिडी को लक्षित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था तैयार करना, साथ ही विकासशील और कम विकसित देश के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष और विभेदक उपचार के लिए संबंधित प्रावधान शामिल करना।

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 फरवरी से 01 मार्च 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ के 13 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी–13) में भाग लिया, जिसमें मत्स्यपालन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। एमसी13 के दौरान श्ओवरकैपेसिटी और ओवरफिशिंगश के लिए सब्सिडी पर रोक लगाने के मुख्य मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के कई सदस्य देशों की स्थिति भिन्न–भिन्न थी। इसलिए, भारत सहित डब्ल्यूटीओ के सदस्य ओवरकैपेसिटी और ओवरफिशिंग स्तंभ के तहत सब्सिडी पर रोक लगाने सहित लंबित मुद्दों पर भविष्य में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं।

भारत पशु स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का भी सदस्य है, जिसे पहले ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज (ओआईई) के नाम से जाना जाता था। डब्ल्यूटीओ के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों पर समझौते (एसपीएस समझौते) के तहत मान्यता प्राप्त यह संगठन जलीय पशु स्वास्थ्य

और मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएस ओ) अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, जो मात्स्यिकी क्षेत्र से भी संबंधित है। आईएसओ/टीसी 234 मात्स्यिकी और जलीय कृषि एक विशेष तकनीकी समिति है जो मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित वैश्विक मानकों को विकसित करती है।

8.4. मात्स्यिकी में संभावित देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू):

मात्स्यिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में, विभाग के पास वर्तमान में मात्स्यिकी में द्विपक्षीय सहयोग के लिए बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे विभिन्न संभावित देशों के साथ सक्रिय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हैं। इन समझौता ज्ञापनों के तहत प्रगति संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर है। इसके अलावा, विभाग इंडोनेशिया, मोरक्को और वियतनाम के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण की प्रक्रिया में भी है। कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मालदीव, सिंगापुर, फिलीपींस, अंगोला, गाम्बिया और फरो आइलैंड्स के साथ एक मसौदा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन मुद्दों पर भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की एक व्यवस्था मौजूद है।

इस क्षेत्र के उच्च आर्थिक मूल्य के कारण, मात्स्यिकी को भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे कई अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित विभिन्न समझौता ज्ञापनों के तहत द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में शामिल किया गया है।

8.5 ग्लोलिटर:

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्लास्टिक लिटर(एमपीएल) और विशेष रूप से समुद्र आधारित समुद्री प्लास्टिक कूड़े (लिटर) (एसबीएमपीएल) की रोकथाम और इसमें कमी लाने के उद्देश्य से आईएमओ–एफएओ ग्लोलिटर पार्टनरशिप (जीएलपी) परियोजना में एक प्रमुख भागीदार देश (एलपीसी) के रूप में भाग ले रहा है, ताकि प्लास्टिक के त्याग और नुकसान के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को बदला जा सके। भारत ने 27.02.2024 को ग्लोलिटर पार्टनरशिप परियोजना के तहत समुद्र आधारित समुद्री प्लास्टिक कूड़े के प्रबंधन और रोकथाम के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीरू 2024–2026) प्रकाशित की।

समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने विश्व मात्स्यिकी दिवस 2024 पर आईएमओ–एफएओ ग्लोलिटर भागीदारी परियोजना ग्लोलिटर का शुभारंभ किया है।मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार,,भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुंबई और अन्य प्रमुख हितधारकों के सहयोग से एनएपी गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहा है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मछुआरों, मत्स्यन उद्योग के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, छात्रों, राज्य सरकार के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और आम जनता के लक्षित समूहों के लिए कुल 69 जागरूकता कार्यक्रम, अभियान और रैलियां आयोजित की गईं और इसमें लगभग 4,420 लाभार्थी पहुंचे।

8.6. ब्राजील की अध्यक्षता में जी20 में भागीदारी

ब्राजील की अध्यक्षता में जी–20 के तहत, मत्स्यपालन विभाग ने वैश्विक मात्स्यिकी और जलकृषि पर उच्च स्तरीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) के दायरे में सस्टेनेबल प्रैक्टिस और खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया। विभाग ने संयुक्त सचिव स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि स्थायी मात्स्यिकी प्रबंधन, समान संसाधन वितरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मात्स्यिकी के एकीकरण पर भारत की स्थिति का बचाव करते हुए पर्याप्त विचार–विमर्श किया। भारत के सुझाव के बाद, एसडीजी 14.6 को शामिल किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''विकासशील और कम विकसित देशों के लिए विशेष और डिफरेंशियल ट्रिटमेंट डब्ल्यूटीओ मात्स्यिकी सब्सिडी वार्ता का एक अभिन्न अंग होना चाहिए''। भारत ने पाठ से ''की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर आधारित है'' पंक्ति को हटाने का सुझाव दिया। इस प्रविष्टि के पीछे भारत का यह विश्वास है कि छोटे स्तर के मछुआरों को एसएंडडी उपचार से लाभ मिलेगा, जो उनकी आजीविका की रक्षा करेगा और कठोर नियमों और प्रोटोकॉल से बचाएगा।

यह सर्वविदित तथ्य है कि छोटे और आर्टिसन मछुआरे जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक बेड़ों द्वारा अत्यधिक मत्स्यन (ओवर फिशिंग) से जूझ रहे हैं और उनके पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

ये चर्चाएँ व्यापक जी20 एजेंडे, विशेष रूप से एफएओ के नेतृत्व में ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन पहल के साथ संरेखित थीं, जिसका उद्देश्य जलीय खाद्य प्रणालियों की स्थिरता को बढ़ाना, समान आजीविका को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना है। विभाग की भागीदारी ने सतत मात्स्यिकी और जलकृषि को आगे बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर छोटे मछुआरों और मत्स्य किसानों की आजीविका का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

8.7 मात्स्यिकी और जलकृषि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में विभाग द्वारा की गई प्रतिभागिता वाली बैठकों और सहयोगात्मक पहलों सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैं:

1. ग्रीस में 09.01.2024 से 11.01.2024 तक आयोजित आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग के कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा तैयार करने पर कार्यशाला में सहभागिता।
2. नेगोम्बो, श्रीलंका में 19.01.2024 से 20.01.2024 तक आयोजित बीओबीपी–आईजीओ और बीओबीएलएमई उप–क्षेत्रीय योजना की 12वीं गवर्निंग काउंसिल में सहभागिता।
3. जिनेवा, स्विटजरलैंड में 22.01.2024 से 26.01.2024 के दौरान आयोजित मत्स्य माह की बैठक में भाग लेने के लिए मात्स्यिकी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ में सहभागिता।
4. जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 05.02.2024 से 09.02.2024 के दौरान मत्स्य माह में भाग लेने के लिए मात्स्यिकी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ में सहभागिता।
5. अबू धाबी, यूएई में 26.02.2024 से 29.02.2024 के दौरान विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) का 13 वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी–13) आयोजित किया गया।
6. मत्स्यपालन विभाग ने हनोई, वियतनाम में 04.03.2024 से 08.03.2024 के दौरान आयोजित ग्लोलिटर टास्क फोर्स मीटिंग और रेगलिटर इंसेप्शन मीटिंग में भाग लिया।
7. फांगचेंगगांग, गुआंग्शी, चीन में, 09.04.2024 से 11.04.2024 के दौरान एशिया में ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव (बीपीआई) पर क्षेत्रीय सेमिनार और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहभागिता
8. ला रियूनियन (फ्रांस) में 02.05.2024 से 04.05.2024 तक अवैध अनरिपोर्टेड और अनियमित (आईयूयू) मात्स्यिकी पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) दिशानिर्देशों के विकास पर दूसरी कार्यशाला आयोजित की गई।
9. बैंकॉक, थाईलैंड में 08.05.2024 से 10.05.2024 तक मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में एएमआर निगरानी पर क्षेत्रीय बेंचमार्किंग कार्यशाला में सहभागिता।
10. बैंकॉक, थाईलैंड में 13.05.2024 से 17.05.2024 के दौरान हिंद महासागर टूना आयुक्त (आईओटीसी) के 28 वें सत्र में सहभागिता ।
11. न्यूयॉर्क, यूएसए में 15.05.2024 से 17.05.2024 के दौरान स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक और अत्यधिक प्रवासी फिश स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित 10 दिसंबर 1982 के यूएनसीएलओएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समझौते के लिए राज्य पक्षकारों के अनौपचारिक परामर्श (आईसीएसपी) का 17वें दौर में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
12. पेरिस, फ्रांस में 26–30 मई, 2024 को डब्लयूओएएच के प्रतिनिधियों की विश्व सभा के 91वें आम सत्र में सहभागिता।
13. नैरोबी, केन्या में 27.05.2024 से 30.05.2024 के दौरान डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर भारत महासागर टूना आयोग (आईओटीसी) (डब्ल्यूपीडीसीएस) कार्य दल का आयोजन किया गया।
14. टोक्यो, जापान में 27.05.2024 से 06.07.2024 तक ''सतत मात्स्यिकी विकास के लिए क्षमता वर्धन'' पर ज्ञान सह–सृजन कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व किया।
15. सैन जोस, कोस्टा रिका में 05.06.2024 से 08.06.2024 तक तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन

(यूएनसीओ3) के अग्रदूत के रूप में उच्च स्तरीय महासागर कार्रवाई कार्यक्रम का आयोजन (एचएलईओए) किया गया।

16. ब्रासीलिया, ब्राजील में 11.06.2024 से 12.06.2024 के दौरान ''मात्स्यिकी और जलकृषि पर नियमन और सार्वजनिक नीतियों'' पर तीसरी जी 20 एडब्ल्यूजी बैठक का आयोजन किया गया।

17. रोम, इटली में 18.06.2024 से 19.06.2024 तक फिश–वेट डायलॉग II: एक स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

18. बैंकॉक, थाईलैंड में 24.06.2024 से 28.06.2024 तक मत्स्य हानि के मेजरिंग जेन्डर रेस्पोन्सिव अप्रोचः पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में सहभागिता।

19. सियोल, कोरिया में 01.07.2024 से 05.07.2024 तक दक्षिणी हिंद महासागर मात्स्यिकी समझौते (एसआईओएफए) के पक्षों की 11 वीं बैठक (एमओपी11) आयोजित की गई।

20. मात्स्यिकी समिति (सीओएफआई) का 36 वां सत्र 08.07.2024 से 12.07.2024 तक रोम, इटली में आयोजित किया गया।

21. 16.07.2024 से 25.07.2024 तक इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजराइल की एजेंसी मशाव द्वारा आयोजित ''इन्टेंसिव फिश फार्मिंग'' में सहभागिता

22. गोल्ड कोस्ट में 26.08.2024 से 30.08.2024 तक विक्टोरिया और क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा फेलोशिप कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलियाई जैव सुरक्षा संगोष्ठी में सहभागिता।

23. जी–20 प्रेसीडेंसी के तहत 4वीं कृषि कार्य समूह की बैठक 10.09.2024 से 11.09.2024 तक माटो ग्रोसो, ब्राजील में आयोजित की गई।

24. इटली सरकार द्वारा' ग्रीनटेक ग्लोबल फोरम' आयोजित किया गया और रोम, इटली में 16.09.2024 से 17.09.2024 तक ''आईओआरए–इटली साझेदारीः सतत विकास और नीली अर्थव्यवस्था'' पर पैनल डिस्कशन में सहभागिता।

25. बाली, इंडोनेशिया में 01.10.2024 से 03.10.2024 तक मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच से संबंधित आर्थिक और पोस्ट हार्वेस्ट अवसरों और चुनौतियों पर एफएओ क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

26. बाली, इंडोनेशिया में 01.10.2024 से 03.10.2024 के दौरान अवैध अनरिर्पोटेड और अनियमित (आईयूयू) मत्स्यन पर आईओआरए दिशानिर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया।

27. एम्स्टर्डम (नीदरलैंड), बॉन (जर्मनी) और ब्रूसेल्स (बेल्जियम) में 22.10.2024 से 26.10.2024 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कृषि सहकारी समितियों के विकास के लिए नेटवर्क (एनईडीएसी) की बैठक आयोजित की गई।

28. सिंगापुर में 29.10.2024 से 01.11.2024 तक ड्ब्ल्यूओएएच द्वारा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए जलीय जीवों में उभरती बीमारियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया, और जल कृषि में रोगाणुरोधी के उपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं में सहभागिता।

29. भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मछुआरों के मुद्दों पर भारत–श्रीलंका संयुक्त कार्य दल की 29.10.2024 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित छठी बैठक में सहभागिता की।

30. दक्षिण पूर्व एशियाई मत्स्य विकास केंद्र और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर–सरकारी संगठन (एसईएएफडीईसी/बीओबीपी–आईजीओ) क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निगरानी नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) के लिए क्षमता वर्धन कार्यक्रम 19.11.2024 से 22.11.2024 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया।

31. एनुअल एक्वाकल्चर अफ्रीका (एएफआरएक्यू) 2024 सम्मेलन 20.11.2024 से 21.11.2024 तक हम्मामेट, ट्यूनीशिया में आयोजित किया गया।

32. भारत महासागर टूना आयोग (आईओटीसी) की वैज्ञानिक समिति का 27 वां सत्र 02.12.2024 से 06.12.2024 तक केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया।

33. केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 06.01.2025 से 17.01.2025 के दौरान फिशिंग वेसल्स बोर्डिंग ऑपरेशन पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मात्स्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार असम और ओडिशा राज्य सरकार के साथ ''एकीकृत जलीय कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा (ईआईएए)'' परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार भी है। ईआईएए आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के लिए जर्मन संघीय की विशेष पहल ''कृषि और खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन'' एक वैश्विक कार्यक्रम है। भारत में, इसका उद्देश्य एसडीजी 1, 3 में योगदान देना और मात्स्यिकी में कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं को समर्थन देना है।

विभाग ने ''आंध्र प्रदेश जलकृषि को एक सतत, फुट प्रिंट में कमी और जलवायु–लचीली खाद्य प्रणाली में बदलाव'' नामक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एफएओ के तहत वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) परिषद के साथ सहयोग किया है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा और इसका उद्देश्य सतत खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना है जो प्रकृति के अनुकूल, लचीली और कम प्रदूषण वाली हों।

विश्व बैंक और एएफडी के सहयोग से प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना नामक एक नई उप–योजना अस्तित्व में आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अगले चार वर्षों यानी 2023–24 से 2026–27 तक कार्यान्वयन के लिए 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक नई उप योजना के रुप में मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य विक्रेताओं सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों को कार्य–आधारित पहचान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर असंगठित मात्स्यिकी क्षेत्र के औपचारिककरण में समर्थन करना है। पीएम–एमकेएसएसवाई संस्थागत ऋण तक पहुंच, जलीय कृषि बीमा, मात्स्यिकी मूल्य–श्रृंखला दक्षताओं को बढ़ाने, घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं को सुरक्षित मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को अपनानेय और इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन और रखरखाव की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

विभाग ने एएफडी (एजेंसी फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट– फ्रांसीसी विकास एजेंसी) से अनुदान सहायता के साथ एक तकनीकी परियोजना के रूप में श्सतत मात्स्यिकी विकास के लिए फिशिंग हार्बर के ब्लू ट्रांसफॉर्मेशनश पर भारत–फ्रांस संस्थागत तकनीकी सहयोग शुरू किया है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, भारत में ब्लू पोर्ट्स के सुदृढ़ीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। टीसीपी का उद्देश्य भारत में वनकबारा (दीव) और जकाहाऊ (गुजरात) में स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर की दो पायलट परियोजनाओं को लाभान्वित करना है, जो पर्यावरणीय स्थिरता, दक्षता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिशिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। फिशिंग हार्बर में स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से परिचालन में सुधार, सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।

विभाग एफएओ और इसके संबद्ध निकायों, जैसे कि मात्स्यिकी समिति (सीओएफआई), जलीय कृषि उप–समिति (सीओएफआई–एक्यू) और मत्स्य व्यापार उप–समिति (सीओएफआई–एफटी) के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग करता है। यह क्षेत्र के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने हेतु सहयोग और सहकारिता के लिए आगे के अवसर का पता लगाने के लिए समर्पित है।

*****

अध्याय 9

मत्स्यपालन विभाग का लेखा संगठन

अवलोकन

मत्स्यपालन विभाग के सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं।

2. सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा मुख्य लेखा प्राधिकारी की ओर से निम्नलिखित जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा:—

क. सिवाय उन मामलों को छोड़कर, जहां आहरण एवं संवितरण अधिकारी कुछ प्रकार के भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं, सभी भुगतानों का भुगतान वेतन एवं लेखा कार्यालय/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करवाना।

ख. मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन एवं समेकन करना तथा निर्धारित प्रपत्र में उन्हें लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करना; अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, उनका विधिवत् लेखा परीक्षण करवाना तथा मुख्य लेखा प्राधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर के साथ महालेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

ग. विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान एवं लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेन—देन से संबंधित रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण करना ।

3. मत्स्यपालन विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक अपने मुख्यालय में 2 लेखा नियंत्रक, 1 सहायक लेखा नियंत्रक, 9 प्रधान लेखा अधिकारियों (प्रशासन/स्थापना, लेखा, कोषागार भुगतान, आईएडब्ल्यू और आईएपी) और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 11 वेतन एवं लेखा कार्यालयों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में आंचलिक आंतरिक लेखा परीक्षा दल भी कोच्चि में तैनात है जो आईएडब्ल्यू (मुख्यालय) के नियंत्रण में काम करता है। प्रधान लेखा कार्यालय सहित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के सभी अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रोल पर हैंय अतः क्रमशः पशुपालन और डेयरी विभाग तथा मत्स्यपालन विभाग के विभागीय लेखा संगठन में मैन—पॉवर बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य के वितरण के बारे में विवरण एक्सिहिबिट 'क' में दिया गया है। मत्स्यपालन विभाग में 04 सीडीडीओ और 13 एनसीडीडीओ हैं। गैर—चेक आहरण डीडीओ भुगतान की पूर्व—जांच प्रणाली के तहत बिल भुगतान और लेखा कार्यालयों को जमा करते हैं। लेखांकन जानकारी प्रवाह चार्ट एक्सिहिबिट 'ख' में दिया गया है।

4. मंत्रालय/विभाग में लेखा संगठन के प्रमुख के रूप में मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की भूमिका और जिम्मेदारियां

सिविल लेखा मैनुअल, संशोधित चतुर्थ संस्करण (2024) के परिशिष्ट—'1.1' के पैरा 1.3 के अनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (प्रभारी) संबंधित मंत्रालयों/विभागों में लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। उनके व्यापक कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:—

क. प्राप्तियाँ, भुगतान और लेखे:

i. मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण के साथ प्रभावी और कुशल प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित करना ।

ii. चेक ड्राइंग डीडीओ तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से किए गए भुगतान और प्राप्ति लेनदेन का पर्यवेक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वे निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप किए जाएं ।

iii. सभी पात्र दावेदारों (सरकारी कर्मचारी, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता, अनुदानकर्ता और ऋणदाता संस्थान आदि) को समय पर भुगतान की निगरानी करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कोडल प्रावधानों के अनुसार खरीद GeM के माध्यम से हो।

iv. यह सुनिश्चित करना कि लेखें दक्ष, सटीक हों और सीजीए कार्यालय में मासिक और वार्षिक लेखा समय पर प्रस्तुत किया जाए।

v. समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

vi. यह सुनिश्चित करना कि मासिक रिपोर्ट सटीक हो और समय पर सीजीए कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।

vii. मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से मंत्रालय/विभाग को प्रभावी सेवा की निगरानी करना तथा सरकारी खातों में वसूली की समय पर प्राप्ति के लिए उनके निष्पादन की निगरानी करना।

viii. निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी करना।

ix. यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालयधविभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित वार्षिक विनियोग लेखें सीजीए कार्यालय में समय पर प्रस्तुत हों।

x. अपने मंत्रालय/विभाग के लिए वार्षिक 'लेखा–जोखा एक नजर में' तैयार किया जाना सुनिश्चित करना।

xi. भारत के लोक लेखा में नव सृजित निधि के संबंध में व्यक्तिगत जमा खाता खोलने या लेखा प्रक्रिया तैयार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव की जांच करना तथा उनके सुचारू संचालन की निगरानी करना।

xii. समय–समय पर सीजीए कार्यालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमाओं के अनुसार भुगतान मंजूरियों (जीएसटी रिफंड मंजूरी सहित) की समीक्षा करना।

xiii. ऋण, जमा, उचंत (सस्पेंस) एवं धनप्रेषण (डीडीएसआर) शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि के निपटान की निगरानी करना तथा इन शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि के निपटान के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय करना।

xiv. व्यय विभाग द्वारा वस्तु शीर्षों के निर्धारित लेखा चार्ट तथा मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों (एलएमएमएचए) की सूची के अनुसार नई योजनाओं/व्यय के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों को खोलने की निगरानी करना।

xv. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समय पर और सटीक प्राधिकरण की निगरानी करना।

xvi. खरीद और संगत भुगतान से संबंधित मामलों पर ळमड स्थायी समिति के साथ समन्वय करना

xvii. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (प्रभारी) पीएफएमएस मामलों के लिए मंत्रालय के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

xviii. ऋण और ब्याज की अदायगी के संबंध में ऋणदाता से संपर्क बनाए रखना।

उपरोक्त जिम्मेदारियों के संबंध में, लेखा संगठन के प्रमुख अर्थात प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रकध लेखा नियंत्रक(प्रभारी) सीजीए के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

ख. परिणाम बजट सहित बजट निर्माणः

i. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक(प्रभारी) बजटीय प्रस्तावों की तैयारी की निगरानी और उसमें सहायता करेंगे तथा प्रत्येक कार्यक्रम/उप–कार्यक्रम के व्यय और रूपरेखा के विश्लेषण के आधार पर बजटीय सीमा के भीतर बेहतर पारस्परिक कार्यक्रम प्राथमिकता/आवंटन में प्रशासनिक मंत्रालयोंधविभागों की सहायता करेंगे।

ii. वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय–सारिणी/दिशानिर्देशों के अनुसार परिणाम बजट/आउटपुट–परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) तैयार करने में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।

iii. बजट प्रभाग को लोक लेखा लेनदेन के संबंध में बजट अनुमान प्रस्तुत करना और बजट प्रभाग द्वारा नियंत्रित समग्र मांगों को बजट में शामिल करना।

iv. आरक्षित निधि सहित लोक लेखा में विभिन्न जमाराशियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि पर ब्याज के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।

v. बजट दस्तावेजों से संबंधित सभी रिपोर्टों और विवरणों की निगरानी करना।

ग. गैर–कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान:

प्रशासनिक प्रभागों के साथ मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न गैर–कर राजस्व प्राप्तियों की आवधिक समीक्षा में वित्तीय सलाहकार की सहायता करना तथा बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को गैर–कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान प्रस्तुत करना।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षा/जोखिम आधारित लेखापरीक्षा:

i. पीएसी, सीएंडएजी और आंतरिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा पैराओं और सहवर्ती अनुपालन/सुधार की समीक्षा करने के लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ii. वे मुख्य लेखा प्राधिकारी अथवा सीजीए के निर्देशानुसार मंत्रालयों/विभागों में विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक(प्रभारी) के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाला आंतरिक लेखा परीक्षा विंग अनुपालन/विनियामक लेखा परीक्षा के मौजूदा तंत्र से आगे बढ़ेगा और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

   क. सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन, तथा विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता और वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन;

   ख. जोखिम कारकों (परिणाम बजट/ओओएमएफ फ्रेमवर्क में शामिल कारकों सहित) की पहचान और निगरानी

   ग. पैसे का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण की मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण मूल्यांकन तथा

   घ. मध्य–कोर्स सुधार की सुविधा के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली प्रदान करना।

iii. योजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन प्रस्तुत करना तथा नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी करना।

iv. जहां आवश्यक हो, संगठनों में सरकारी लेनदेन के संबंध में ई–एफपीबीएस सहित मान्यता प्राप्त बैंकों, अधिकृत/अन्य बैंकों/सीपीपीसी और फोकल प्वाइंट बैंक शाखाओं की लेखापरीक्षा करना ।

v. वार्षिक लेखा परीक्षा योजना और वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा समीक्षा तैयार किया जाना सुनिश्चित करना।

उपरोक्त कार्य सीजीए द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे ।

ङ. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और आईटी परियोजनाएं:

i. पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा वित्तीय सलाहकार को यह सुनिश्चित करने में सहायता करना कि पीएफएमएस पर जारी दिशा–निर्देशों/निर्देशों का पालन/ कार्यान्वित किया जाए तथा पीएफएमएस के प्रभावी संचालन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

ii. भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के अंतर्गत अंतिम स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी तक निधियों के प्रवाह और उसके उपयोग पर नजर रखने के उद्देश्य से समय पर, सटीक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मंत्रालय और सीजीए कार्यालय के पीएफएमएस प्रभाग के साथ समन्वय सहित पीएफएमएस और इसके विभिन्न मॉड्यूलों के उपयोग की निगरानी करना।

iii. सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) की स्थापना के लिए डाटा बेस और प्रक्रियाओं के एकीकरण का समन्वय करना ।

iv. प्रणाली के दृष्टिकोण और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करना।

v. पीएफएमएस के अभिगम नियंत्रण एवं अन्य संबंधित सुरक्षा पहलुओं के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा प्रणाली की नियमित निगरानी द्वारा डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

vi. सटीक व्यय रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की लेखा बास्केट का सही मानचित्रण सुनिश्चित करना।

vii. पीएफएमएस में रिपोर्टों और सूचनाओं की नियमित समीक्षा करना तथा निर्णय लेने के लिए उसे कार्यकारी के समक्ष प्रस्तुत करना ।

viii. अपने–अपने मंत्रालयों में योजनाओं के निष्पादन से संबंधित रिपोर्टों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर प्रासंगिक पीएफएमएस रिपोर्ट और डैशबोर्ड की निगरानी करना ।

ix. एजेंसियों आदि के निष्क्रिय पंजीकरण को समय पर समाप्त करने की निगरानी करना।

च. व्यय और नकदी प्रबंधनः

वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जारी नकदी प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों (मासिक व्यय योजना ख एमईपी,ध त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) सीमा, स्वायत्त निकायों को समय पर धन जारी करने के लिए टीएसए प्रणाली के कार्यान्वयन के अनुपालन के लिए मंत्रालयोंधविभागों के साथ समन्वय करना।

छ. एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं।

अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण विवरण तैयार करने में सहायता करना, ताकि उन्हें समग्र रूप से सरकार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित समेकित विवरण में शामिल किया जा सके।

ज. परिसंपत्तियों और देनदारियों की निगरानीः

परिसंपतियों और देनदारियों के विस्तृत रिकॉर्ड के रख–रखाव के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना तथा प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सरकारी गारंटियों के रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव करना।

झ. वित्त मंत्रालय और वित्तीय सलाहकारों के बीच बातचीतः

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (प्रभारी) सचिव (व्यय) के साथ वित्तीय सलाहकारों की त्रैमासिक बैठक के लिए आवश्यक सामग्री और सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा वित्तीय सलाहकारों द्वारा समय–समय पर अपेक्षित अन्य वित्तीय इनपुट भी उपलब्ध कराएंगे।

ञ. सामान्य प्रशासन एवं समन्वयः

i. लेखा संगठन के विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना तथा प्रशासन और स्थापना संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होना।

ii. नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में प्रयोग की जाने वाली सांविधिक शक्तियों के संदर्भ में जिम्मेदारियों का निर्वहन।

iii. अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा विभागीय लेखों की समग्र गुणवत्ता एवं रखरखाव पर उचित निगरानी रखना।

टिप्पणीः

क. उन मंत्रालयों/विभागों में, जिनका नेतृत्व प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक करते हैं, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का यह विशेषाधिकार होगा कि वे ऊपर सूचीबद्ध उत्तरदायित्वों में से किसी को भी उनकी प्रशासनिक सुविधा और आवश्यकता के अनुसार, तथा स्थापित संहिता प्रावधानों के अधीन, मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (प्रभारी) सौंप सकते हैं।

ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त, लेखा संगठन के प्रमुख अर्थात प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रकध मुख्य लेखा नियंत्रकध लेखा नियंत्रक(प्रभारी) जैसा भी मामला हो, मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य उत्तरदायित्व के लिए भी जिम्मेदार होंगे ।

ग. इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के बजट अनुभाग को सामान्यतः मुख्य लेखा नियंत्रक के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए और मुख्य लेखा नियंत्रक से अपेक्षा की जाती है कि वे पीएफएमएस के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करें, अन्य बातों के साथ–साथ, वित्तीय सलाहकार एवं सचिव (व्यय) के दिनांक 13/06/2023 के डीओ पत्र संख्या 23(3)/ई.कोऑर्ड/2018 के तहत जारी वित्तीय सलाहकार चार्टर के पैरा 43 और पैरा 44 के अनुसार इसके सुचारू कार्य और प्रभावी संचालन से संबंधित मुद्दों का समाधान करें ।

5. बैंकिंग व्यवस्था

मत्स्यपालन विभाग में वेतन एवं लेखा कार्यालयों और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भारतीय स्टेट बैंक मान्यता प्राप्त बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई–भुगतान सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में निपटाए जाते हैं और कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा

जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं। रसीदें संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा गैर–कर–प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा मान्यता प्राप्त बैंकों को भी भेजी जाती हैं। मान्यता प्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में 11 (ग्यारह) वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं। पांच वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्लीध्एनसीआर में, दो मुंबई में, एक–एक चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि और नागपुर में स्थित हैं। विभागध्मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालयों से जुड़े वेतन एवं लेखा अधिकारियों/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने क्लेम/बिल नामित वेतन एवं लेखा अधिकारियो/सीडीडीओ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल लेखा मैनुअल, प्राप्ति एवं भुगतान नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद चेक जारी करते हैं/ई–भुगतान जारी करते हैं।

6. आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श गतिविधि है जिसे किसी संगठन के संचालन में मूल्य जोड़ने और उसे बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करना है। यह वस्तुनिष्ठ आश्वासन और सलाह प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण भी है जो मूल्यों को जोड़ता है, शासन को बढ़ाने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं की सहायता करता है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार करता है। सचिव (मत्स्यपालन विभाग) की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। स्वायत्त निकायों और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों को छोड़कर मत्स्यपालन विभाग में 17 लेखापरीक्षित इकाइयाँ/डीडीओ हैं।

7. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की शुरुआत 2008–09 में तत्कालीन योजना आयोग की सीपीएसएमएस नामक प्लान योजना के रूप में हुई थी।

i. कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूलः

इस मॉड्यूल को मत्स्यपालन विभाग के आहरण एवं संवितरण कार्यालय में लागू किया गया है।

ii. पीएफएमएस का ईएटी मॉड्यूलः

मत्स्यपालन विभाग के सभी स्वायत्त निकायों को पीएफएमएस के एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रान्सफर (ईएटी) मॉड्यूल पर शामिल किया गया है।

iii. गैर–कर राजस्व संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारत कोष)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में एनटीआरपी पोर्टल अप्रैल, 2017 से कार्यात्मक है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31.12.2024 तक मत्स्यपालन विभाग के गैर–कर राजस्व का संग्रह 19.80 करोड़ रुपए है, जिसे एनटीआर ई–पोर्टल पर भारत कोष के माध्यम से एकत्र किया गया है।

एनटीआरपी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट लिंक http://cga.nic.in//Page/FAQs.aspx पर उपलब्ध हैं।

8. वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा नई पहल

क. 'ई–बिल सिस्टम'

क) केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें सिविल अकाउंट्स दिवस पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई–बिल सिस्टम लॉन्च किया। नई ई–बिल प्रणाली बिलों की कागज रहित प्रस्तुति और एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग को सक्षम करेगी।

ख) चरणबद्ध तरीके से, नई प्रणाली बिलों की प्रस्तुति और बैकएंड प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित और पारदर्शी बनाएगी। इस प्रकार, यह

"डिजिटल इंडिया" के विजन को साकार करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ग) इस प्रणाली के उद्देश्य हैं:

i) सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं से भी अपने बिल/क्लेम प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना।

ii) आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच वास्तविक संपर्क को समाप्त करना।

iii) बिलों/क्लेम के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाना।

iv) "फस्ट–इन–फस्ट–आउट" (एफआई एफओ) पद्धति के माध्यम से बिलों के प्रसंस्करण में विवेकाधिकार को कम करना।

घ) वर्तमान में, सरकार को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में अपने बिलों की वास्तविक, इंक से हस्ताक्षरित प्रतियाँ जमा करनी होती हैं। इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों को भी अपने क्लेम की हार्ड कॉपी जमा करनी होती है। बैकएंड पर भी, बिलों की प्रोसेसिंग वास्तविक और डिजिटल मोड की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को बिल देने के लिए कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है। इसके अलावा, वे अपने बिलों की प्रोसेसिंग की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम हैं।

ड) नई शुरू की गई ई–बिल प्रणाली के तहत, विक्रेताध्आपूर्तिकर्ता अपने बिलों को सहायक दस्तावेजों के साथ अपने घर/कार्यालयों से कभी भी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं, उनके लिए आधार का उपयोग करके ई–साइन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं को अब इस उद्देश्य के लिए संबंधित कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

च) बैकएंड पर भी, प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक बिल को अधिकारियों द्वारा हर चरण में डिजिटल रूप से संसाधित किया जाएगा और अंत में, भुगतान विक्रेता के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अपने बिलों की प्रोसेसिंग की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, नई प्रणाली प्रणाली में बहुत अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाएगी और यह भारत सरकार का एक बड़ा नागरिक–केंद्रित निर्णय है।

छ) ई–बिल प्रणाली को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। बिलों का प्रसंस्करण पहले फस्ट–इन–फस्ट–आउट (एफआईएफओ) पद्धति से किया जाएगा।

ज) व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और लाखों विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के अलावा, ई–बिल प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे सालाना करोड़ों कागज के बिल जमा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी और इस तरह हर साल टनों कागज की बचत होगी। ई–बिल प्रणाली में दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति और एक मजबूत ऑडिट ट्रेल के लिए एक विस्तृत डिजिटल स्टोरेज सुविधा है।

ख. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करने की संशोधित प्रक्रिया:

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी और फ्लोट को कम करने के लिए। व्यय विभाग ने सीएसएस के अंतर्गत निधि जारी करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है और प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी।

एसएनए मॉडल की प्रक्रिया पर संक्षिप्त जानकारी:

क) प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित करेगी। एसएनए राज्य स्तर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

(ख) योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का शून्य शेष वाला सहायक खाता (सब्सीडियरी एकाउंट) खोलने या उन्हें एसएनए के खाते से आहरण अधिकार सौंपने से पहले, सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने खातों में पड़ी सभी अप्रयुक्त राशियों को एसएनए के एकल नोडल खाते में वापस करना होगा।

ग) एसएनए को यह सुनिश्चित करना होगा कि जारी की गई धनराशि से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार आनुपातिक आधार पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए।

घ) एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि वर्ष 2022—23 के लिए किसी राज्य को केन्द्रीय योजना के अंतर्गत जारी की जाने वाली संभावित राशि (राज्य के हिस्से सहित) के 25ः से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ड) एसएनए और आईए अनिवार्य रूप से पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का उपयोग करेंगे या अपने सिस्टम को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएफएमएस पर जानकारी प्रत्येक आईए द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक बार अद्यतन की जाए।

(च) यदि केन्द्रीय योजना में राज्य का कोई हिस्सा नहीं है और जहां योजना के दिशा—निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही धनराशि जारी की जाती है, तो संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से राज्य स्तर पर एकल नोडल एजेंसी अधिसूचित करने और एकल नोडल खाता खोलने की आवश्यकता से छूट मिल सकती है।

ग. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करने की संशोधित प्रक्रियाः

विगत सभी जारी आदेशों के स्थान पर, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने दिनांक 09 मार्च 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.1(18)/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 जारी किया है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधि जारी करने के संबंध में केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को नामित करके केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रवाह के लिए दिशा—निर्देश/प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रवाह के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी प्रक्रिया को दो मॉडलों में विभाजित किया गया है:—

I) ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से कार्यान्वयन I— यह मॉडल उन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में लागू होगा जिनका वार्षिक परिव्यय 500 करोड़ रुपए से अधिक है और जिन्हें राज्य एजेंसियों की भागीदारी के बिना लागू किया जाता है। ऐसी योजनाओं को ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) मॉडल के माध्यम से लागू करना अनिवार्य होगा।

II) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के माध्यम से कार्यान्वयन मॉडल II— यह मॉडल उन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में लागू होगा जिनमें (क) 500 करोड़ रुपए से कम वार्षिक परिव्यय है या (ख) योजनाओं को राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से या केंद्रीय एजेंसियों के अतिरिक्त कार्यान्वित किया जा रहा है या (ग) अन्य योजनाएं जो मॉडल—1 में शामिल नहीं हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रक्रिया प्रवाह पर संक्षिप्त जानकारीः

क) मॉडल I या मॉडल II के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पहचान।

ख) केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में एबी/सीपीएसई/कार्यान्वयन एजेंसियों की अधिसूचना।

ग) मॉडल I के तहत प्रत्येक योजना के लिए आरबीआई (ई—कुबेर) के साथ असाइनमेंट खाता खोलें।

घ) मॉडल II के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में प्रत्येक योजना के लिए एक खाता खोलें।

ड) सीएनए और एसए के मौजूदा बैंक खातों को सूचीबद्ध करना और बंद करना।

च) मॉडल I के अंतर्गत खाते में शेष राशि को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और योजना की अप्रयुक्त राशि को सभी उप एजेंसियों (एसए) द्वारा मॉडल II के अंतर्गत सीएनए खाते में वापस कर दिया जाना चाहिए।

छ) निधियों से अर्जित ब्याज मॉडल II के अंतर्गत भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में भेजा जाता है।

ज) पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग या पीएफएमएस के साथ उनके सिस्टम का एकीकरण।

वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक परिवर्तन/सुधार (वित्त वर्ष– 2023–24)

1) 'सीएनए मॉडल' पर दिनांक 21.05.2024 का मास्टर सर्क्युलर ।

क) मॉडल – 1: ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के माध्यम से कार्यान्वयन

यह मॉडल उन योजनाओं के लिए लागू होगा जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिन्हें आरबीआई में खाता खोलने के लिए पात्र केवल दो स्तर की केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। एजेंसियां केंद्रीय स्वायत्त निकाय या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम या राज्य सरकार की एजेंसी हो सकती हैं।

ख) मॉडल–1 क: हाइब्रिड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के माध्यम से कार्यान्वयन

यह मॉडल उन योजनाओं पर लागू होता है जिनका बजट अनुमान एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, और जहां योजना के कार्यान्वयन में एक निजी उप–एजेंसी (एसए) शामिल है जो आरबीआई में खाता नहीं खोल सकती है औरध्या जहां योजना के कार्यान्वयन में दो से अधिक स्तर की सरकारी/निजी एसए शामिल हैं क्योंकि आरबीआई तीसरे और उससे नीचे के स्तर की एजेंसियों के लिए खाते खोलने की सुविधा प्रदान नहीं करता है।

ग) मॉडल–2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के माध्यम से कार्यान्वयन

यह मॉडल 100 करोड़ रुपए से कम बजट अनुमान वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए लागू होगा। हालांकि, मंत्रालय/विभाग ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए मॉडल 1/1क का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस मॉडल के तहत, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को नामित करेगा और सीएनए प्रत्येक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक केंद्रीय नोडल खाता (बचत बैंक खाता) खोलेगा।

2) एसएनए स्पर्श मॉडल– भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के फंड को "जस्ट–इन–टाइम" जारी करना, जैसा कि क्रमशः व्यय विभाग द्वारा उनके दिनांक 13.07.2023, 21.05.2024, 04.10.2024 और 17.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रख्यापित किया गया है।

व्यय विभाग के दिनांक 17.12.2024 के आदेश 1(27)/पीएफएमएस/2020 के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को एसएनए स्पर्श के माध्यम से 26 राज्यों (21 मौजूदा और 5 नए) में लागू किया जाना है।

3) केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया– केंद्रीय एसएनए (सीएसएनए) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

व्यय विभाग के दिनांक 24.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 1(13)/पीएफएमएस/2021 के अनुसरण में पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए द्वारा एसएनए–केंद्रीय की एक सुविधा विकसित की गई है, ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जा सके, जिसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं है। पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.05.2024 के अनुसार सीएसएनए मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। मत्स्यपालन विभाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय क्षेत्र घटक के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद को सीएसएनए के रूप में नामित किया गया है।

घ. पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देशः

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने दिनांक 30.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1–17016/1/2022–आईटीडी–सीजीए/10985/229 के माध्यम से पीएफएमएस का उपयोग करते समय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समेकित निर्देश जारी किए हैंरू

क) एक्सेस मैनेजमेंटः

i) पीएफएमएस के पीएओ और डीडीओ मॉड्यूल से डीलिंग अधिकारियों के नए उपयोगकर्ता पंजीकरण

के लिए, केवल एनआईसी/जीओवी डोमेन ईमेल आईडी की अनुमति होगी। एक ही ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही पीएओ कोड के भीतर अधिकतम चार उपयोगकर्ता आईडी के लिए किया जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में उपयोगकर्ताओं द्वारा संभाले जाने वाले विभिन्न प्रभारों को ध्यान में रखते हुए सभी पीएओ कोडों के लिए तीन अतिरिक्त उपयोगकर्ता आईडी की व्यवस्था की गई है।

ii) उपयोगकर्ता के निर्माण के लिए दो स्तरीय अनुमोदन और अनुमोदन के लिए उपयोगकर्ता के निर्माण पर ई–मेल/एसएमएस अलर्ट की एक प्रणाली को सिस्टम में बनाया गया है।

iii) पीएफएमएस में 45 दिनों से अधिक निष्क्रिय उपयोगकर्ता आईडी को अक्षम के रूप में चिह्नित करना लागू किया जा रहा है।

iv) किसी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी को कार्यमुक्त करते समय जो पीएफएमएस में उपयोगकर्ता है, जैसे सीसीए स्तर का उपयोगकर्ता, पीएओ प्रकार का उपयोगकर्ता, उसका डिजिटल हस्ताक्षर और उपयोगकर्ता आईडी निष्क्रिय किया जाना चाहिए।

v) यदि उपयोगकर्ता द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले सिस्टम के अलावा किसी अन्य सिस्टम में लॉगइन किया जाता है तो उपयोगकर्ता को परिवर्तन के बारे में सचेत करने के लिए एक अधिसूचना दी जाती है।

ख) पीएफएमएस में पासवर्ड पॉलिसी:

i) पासवर्ड की लंबाई कम से कम 8 अक्षरों की होनी चाहिए।

ii) पासवर्ड में अनिवार्य रूप से स्पेशल और साथ ही अल्फा न्यूमेरिक अक्षर दोनों शामिल होने चाहिए।

iii) पासवर्ड में उपयोगकर्ता नाम या उपयोगकर्ता नाम के किसी भाग से समानता नहीं होनी चाहिए।

ग) भुगतान की प्रक्रिया:

i) प्रधान लेखा अधिकारी की आई की/डीएससी को सीसीए स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए, जबकि पीएओ की आई की/डीएससी को प्रधान लेखा अधिकारी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा और सीडीडीओ की आई की/डीएससी को पीएओ स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सत्र के लिए आई की/डीएससी डालने की टाइमआउट प्रक्रिया पीएफएमएस में बनाई गई है।

ii) पीएओ को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यालय के बाहर स्थापित कंप्यूटरों से पीएओ/डीडीओ मॉड्यूल का उपयोग न करें तथा भुगतान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग न करें।

iii) भुगतान करने के लिए निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाना चाहिए, जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोगकर्ता के लिए स्पष्ट निर्देशों द्वारा निर्धारित न किया गया हो।

iv) भुगतान करने के लिए अधिकृत सभी वेतन और लेखा अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करने से पहले बैच की प्रत्येक भुगतान फाइल को संबंधित वास्तविक बिल/ई–बिल के साथ सत्यापित करेंगे।

घ) नेटवर्क सुरक्षा:

i) हमेशा मूल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के लिए नवीनतम अपडेट/पैच इंस्टॉल करें

ii) फायरवॉल सक्षम करें, कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता विशेषाधिकार सीमित करें, फाइल अटैच्मन्ट खोलने से पहले ईमेल प्रेषक आईडी और वेब लिंक की जांच और सत्यापन करें

iii) मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, सोशल इंजीनियरिंग हमलों से सुरक्षा करें।

iv) केवल आधिकारिक रूप से सप्लाई की गई न्ठ (यूएसबी) स्टोरेज मीडिया का ही उपयोग करें।

v) उपयोगकर्ताओं को समय–समय पर साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

vi) पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें।

vii) संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों/पत्राचारों के ड्राफ्टिंग/स्टोरिंग के लिए इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ङ. बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 23.02.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 1(22)–बी(एसी)/2022 के तहत प्रख्यापित 'नई सेवा'/'नई सेवा साधन' से संबंधित मामलों के निर्धारण में वित्तीय सीमाओं पर संशोधित दिशानिर्देश।

च. **निधियों का पुनर्विनियोजन–** इस विषय पर संशोधित दिशानिर्देश व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 28.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 01(14)/2016–ई.II(ए)(भाग–III) के तहत जारी किए गए हैं।

छ. सिविल अकाउंट मैनुअल, संशोधित चतुर्थ संस्करण सीजीए कार्यालय द्वारा फरवरी 2024 में प्रकाशित किया गया है, जिसे वित्त सचिव द्वारा सिविल लेखा दिवस, 2024 पर जारी किया गया था।

ज. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 2024 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गया है।

I. कुछ अन्य नई पहल–

- टीएसए/एसएनए/सीएनए/एसएनए स्पर्श/हाइब्रिड टीएसए एवं सीएसएनए पर डीओई(व्यय विभाग) के दिशानिर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन।
- योजनावार व्यय, अप्रयुक्त शेष राशि, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र, राजकोष से एसएनए को अतिरिक्त/कमी के हस्तांतरण की योजनावार और राज्यवार एमआईएस, एसएनए खाते में उपलब्ध निधि, सीएफआई को प्रेषित ब्याज का विवरण, लिगेसी डेटा की स्थिति का विवरण साप्ताहिक आधार पर कार्यक्रम प्रभाग के साथ साझा किया जा रहा है ताकि निधि प्रवाह की निगरानी की जा सके और उन्हें समय पर (जेआईटी) जारी करने में मदद मिल सके।
- प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रभागीय प्रमुखों सहित सभी हितधारकों के लिए पीएफएमएस के ई–बिल और टीएसए मॉड्यूल पर प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।
- प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा बकाया एमईए डेबिट दावों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया।
- सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) में विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को भुगतान में देरी और पीएफएमएस के अनुसार ब्लॉक बजट के संदर्भ में लंबित बिल की स्थिति के बारे में संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जा रहा है, जिसकी एक प्रतिलिपि सचिव के पीपीएस और एएस एवं एफए को भेजी जा रही है, ताकि व्यय विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर भुगतान जारी किया जा सके।
- सीजीए ओएम के अनुसार मुख्य लेखा प्राधिकरण यानी सचिव (मात्स्यिकी) की अध्यक्षता में इंटरनल ऑडिट कॉमिटी का गठन किया गया है। 2023–24 में लंबित इंटरनल ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और साप्ताहिक आधार पर सचिव की अध्यक्षता में एसओएम में लंबित पैरा की आवधिक समीक्षा की गई है।
- एनपीएस पर्यवेक्षण तंत्र के लिए समिति की स्थापना और वित्तीय सलाहकार की टिप्पणियों के साथ एनपीएस डैशबोर्ड में तिमाही रिपोर्ट अपलोड करना।
- प्रधान–सह–वेतन एवं लेखा कार्यालय के सभी अधिकारियों के लिए पदनाम आधारित ई–मेल खोल दिया गया है।
- आरटीआई, पीजी और वीआईपी संदर्भों सहित लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0।
- 2023–24 में पीएफएमएस की इलेक्ट्रॉनिक बिल सिस्टम (ई–बिल) के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षण सह रोल–आउट योजना।
- डीएफपीआर के नियम (8) के तहत संशोधित/नए वस्तु शीर्षों का संचालन डीओई अधिसूचना दिनांक 12.12.2022 और सीजीए कार्यालय दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से जारी किया गया और इस संबंध में प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।
- आंतरिक नियंत्रण में सुधार और कौशल उन्नयन के लिए, प्रधान–सह–वेतन एवं लेखा कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सीवीसी, डीओपीटी के दिशा–निर्देशों और सीजीए कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार स्थानांतरित किया गया है।

- पीएफएमएस के एक्सेस के लिए एफआईडीओ डिवाइस के माध्यम से द्वितीय कारक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने के लिए और टीएसए/एसएनए/सीएनए के अलावा अन्य स्वायत्त निकायों को जीआईए (वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन) जारी करने के लिए योजनावार बैंक खाता खोलना
- 01.04.2023 से 07.04.2023 तक सिविल लेखा सप्ताह का आयोजन।
- साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर पीएफएमएस की टीएम–02 रिपोर्ट (पेमेंट टैब में सीएएम रिपोर्ट के अंतर्गत) की मॉनिटरिंग के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करना।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, पीएफएमएस प्रभाग के दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पीआर.एओ (प्रशासन)/पीएफएमएस सेल/2024–25/1228–56 के अनुसरण में पीएफ एमएस से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए पीडी और आईएफडी के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में सीए की अध्यक्षता में प्रधान सह वेतन एवं लेखा कार्यालय में पीएफएमएस सेल का गठन।
- सीजीए दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त विभाग की योजनाओं का रिस्क बेस्ड ऑडिट
- पीएफएमएस के स्वीकृति मॉड्यूल में मौजूदा जावा बेस्ड यूटिलिटी के स्थान पर नई विंडो बेस्ड डिजिटल साइनिंग यूटिलिटी का कार्यान्वयन।
- केंद्रीय सिविल पेंशन नियम, 2021 के नियम 32 के अनुसार पीएओ के परामर्श से कार्यालय प्रमुख द्वारा सरकारी कर्मचारी को समय पर योग्यता सेवा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान।
- मासिक आधार पर पीएओ और डीडीओ के बीच व्यय का मिलान।
- पेंशन मामलों को संवेदनशीलता से और समय पर निपटाना।
- सीजीए और सीएंडएजी ऑडिट पैरा के परिसमापन के लिए विशेष अभियान।
- पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट एडवाईज (ई–आईजीएए) के प्रसंस्करण की शुरूआत।
- सीजीए कार्यालय के दिनांक 19.07.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किसी भी वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर निवारक उपाय।

9. बजट अनुमान 2024–25 के संदर्भ में 31 दिसम्बर, 2024 तक का व्यय एक्सहिबिट–ग में दिया गया है।

*****

एक्सहिबिट - 'क'

मत्स्यपालन विभाग में लेखा संगठन की व्यवस्था

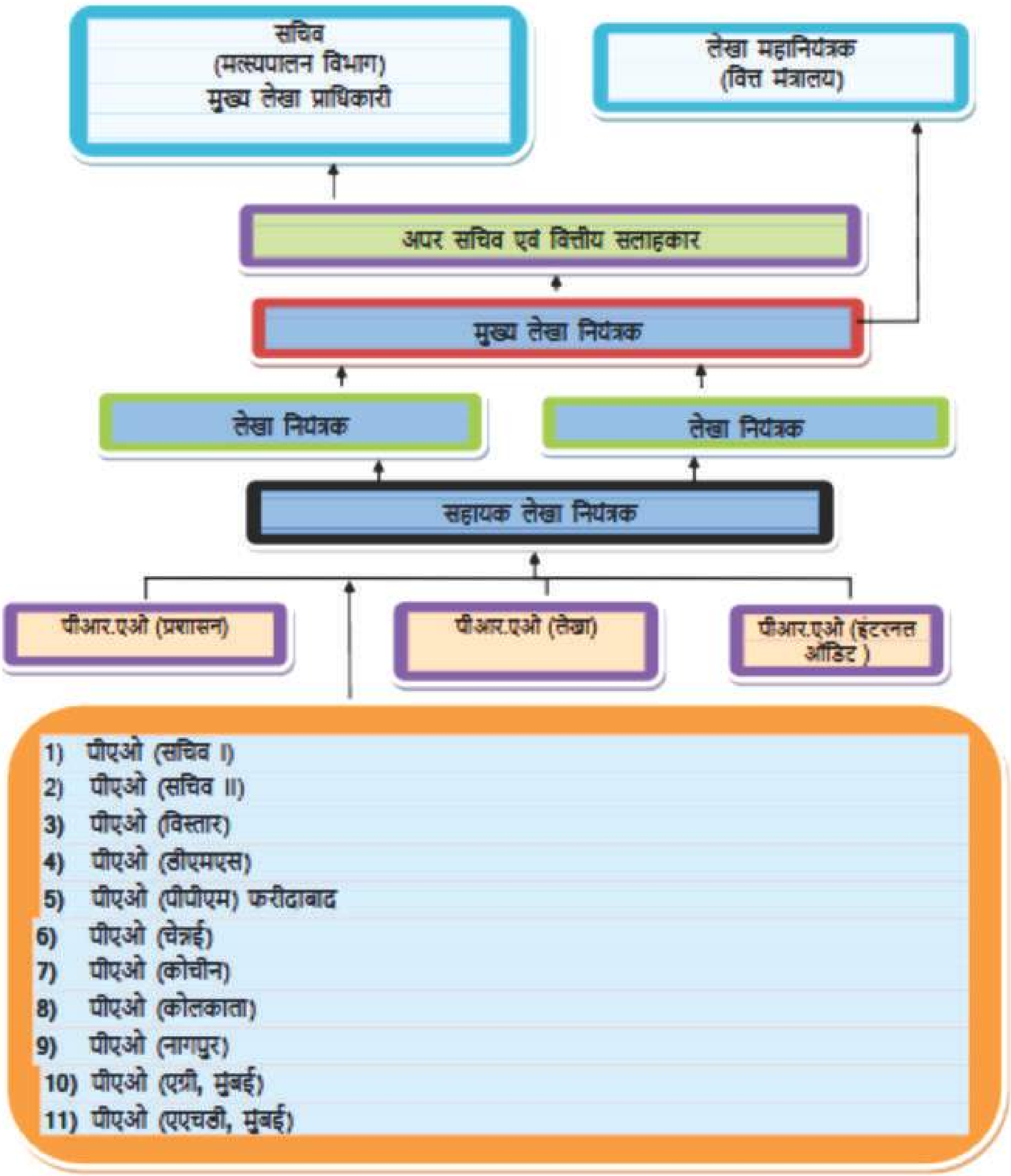

एक्सहिबिट-ख

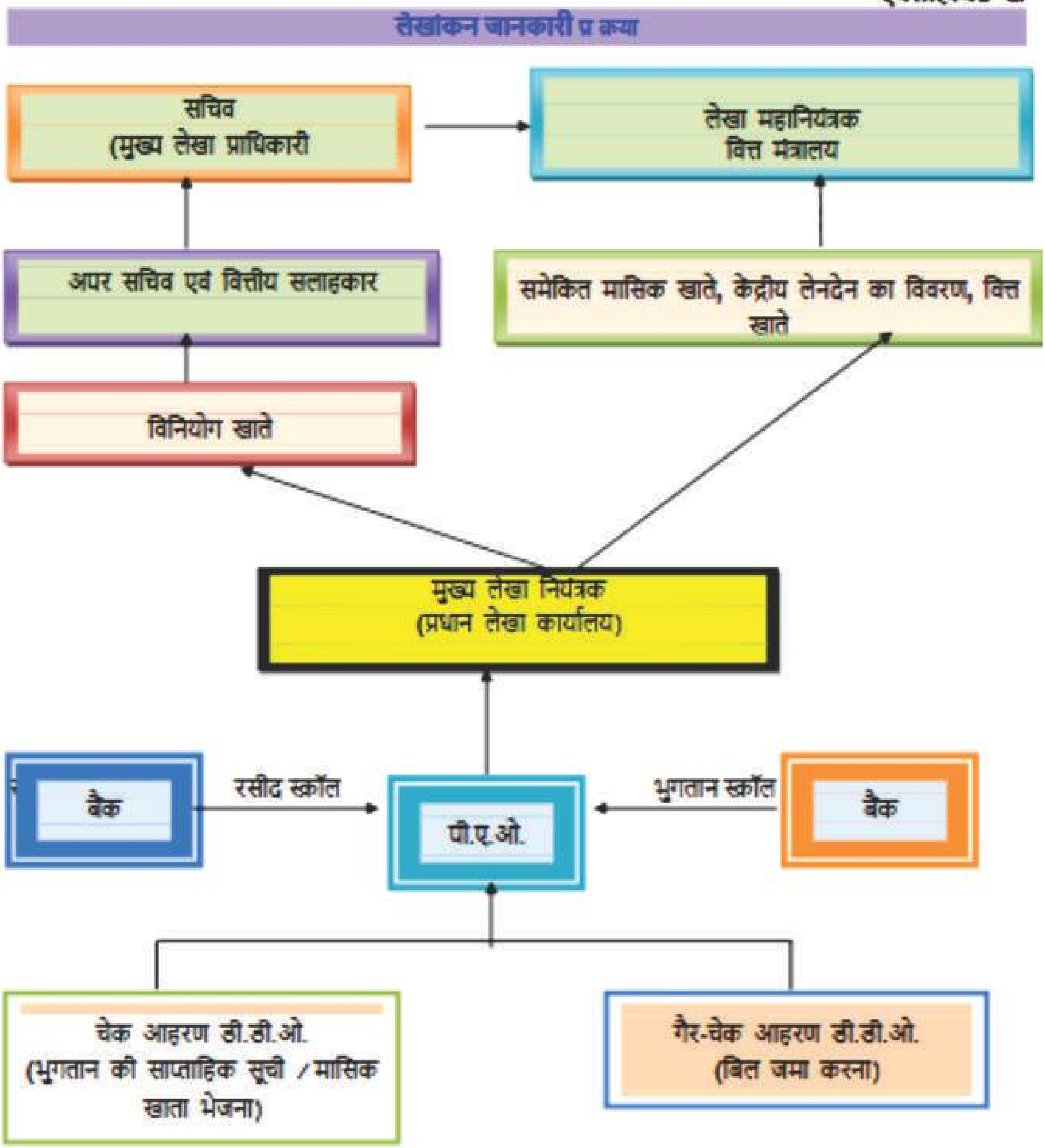
लेखांकन जानकारी प्र क्रया
सचिव
(मुख्य लेखा प्राधिकारी
लेखा महानियंत्रक
वित्त मंत्रालय
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
समेकित मासिक खाते, केंद्रीय लेनदेन का विवरण, वित्त खाते
विनियोग खाते
मुख्य लेखा नियंत्रक
(प्रधान लेखा कार्यालय)
बैंक
रसीद स्क्रॉल
पी.ए.ओ.
भुगतान स्क्रॉल
बैंक
चेक आहरण डी.डी.ओ.
(भुगतान की साप्ताहिक सूची /मासिक खाता भेजना)
गैर-चेक आहरण डी.डी.ओ.
(बिल जमा करना)

एक्सहिबिट -ग

अनुदान संख्या 43
मत्स्यपालन विभाग

बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के आलोक में व्यय की निगरानी
अवधि: 01.04.2024 से 31.12.2024

(रुपए करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम/विवरण	बाहट अनुमान (बीई) 2024 -25	प्रगतिशील व्यय 31.12.2024 तक	बजट अनुमान पर व्यय का प्रतिशत
	1	2	3	4
1	**केंद्रीय प्रशासनिक व्यय**			
1.1	सचिवालय	68.92	21.80	31.63%
1.2	मात्स्यिकी संस्थान	143.02	58.24	40.72%
	कुल – केंद्रीय प्रशासनिक व्यय	**211.94**	**80.04**	**37.77%**
2	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं**			
(*) 2.1	मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि	30.00	0.00	0.00%
	कुल - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**30.00**	**0.00**	**0.00%**
3	**अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय**			
3.1	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	16.78	9.00	53.64%
3.2	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	5.72	2.86	50.00%
	कुल - अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय	**22.50**	**11.86**	**52.71%**
4	**केंद्र प्रायोजित योजनाएं**			
4.1	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	2352.00	243.83	10.37%
	कुल - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	**2352.00**	**243.83**	**10.37%**
	कुल (अनुदान संख्या 43)	**2616.44**	**335.73**	**12.83%**

अनुबंध

अनुबंध – I

मत्स्यपालन विभाग की संघठनात्मक संरचना

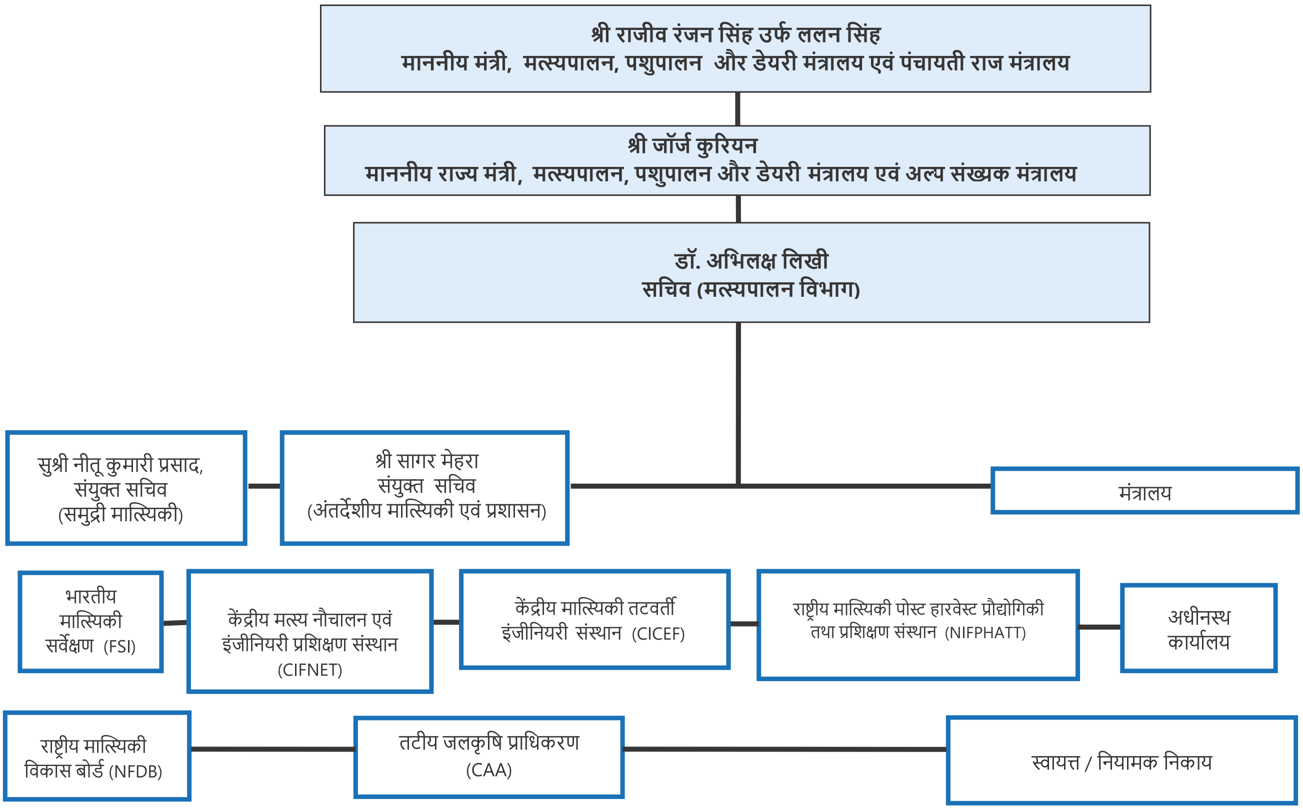

अनुबंध II

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय

31 जनवरी, 2025 तक वास्तविक व्यय
(रुपए करोड़ में)

बजटीय घटक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अंतिम आवश्यकता	निधि सहमति
प्रधान मंत्री मस्त्या संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	2,352.00	1500.00	361.34	955.11
मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)	30.00	25.00	0.00	7.38
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)	16.78	11.50	9.00	9.00
राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान (निफेट)	17.02	13.22	11.62	11.62
भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)	79.81	43.67	34.61	34.61
केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान (साईसेफ)	6.04	5.68	4.43	4.43
केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट)	31.14	20.73	17.85	17.85
जलीय पशु स्वास्थ्य और संगरोध निदेशालय	9.00	1.46	0.00	1.40
तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए)	5.72	5.00	4.29	4.29
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	68.92	40.19	26.35	26.35
कुल योग	**2,616.44**	**1,666.47**	**469.51**	**1,072.06**

संयुक्त सचिवों को कार्य का आबंटन (अंतर्देशीय एवं समुद्री) मत्स्यपालन विभाग

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं अंतर्देशीय मात्स्यिकी)

प्रशासन–I, प्रशासन–II, नकद, सामान्य प्रशासन, ट्रेड एवं कोडेक्स एलिमेंटेरियस, योजना समन्वय, सामान्य समन्वय, लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राजभाषा, सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी, एफ.आई.डी.एफ., एन.एफ. डी.बी., फिशकोफेड से संबंधित सभी मामले, ऑर्नामेंटल एवं कोल्ड वॉटर फिशरिज, एफएओ, ओआईई, ड्ल्यल्यूटीओ आदि ट्रेड–एसआईपी से संबंधित मामले, अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए आई.सी.ए.आर. संस्थानों, सी.आई.एफ.आर.आई., सी.आई.एफ.ए., सी.आई. एफ.ई., डी.सी.एफ. आर. एन. बी. एफ. जी. आर. एवं अंतर्देशीय मात्स्यिकी से संबंधित अन्य संस्थान के साथ समन्वय, अंतर्देशीय मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन बाजार, फिश लैंडिंग सेंटर एवं अन्य पोस्ट हार्वेस्ट ओपेरेशन्स, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सभी राज्यों में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, अंतर्देशीय मछुआरा कल्याण योजना एवं कार्यक्रम, के.सी.सी., मत्स्यपालन विभाग का प्रशासन (मात्स्यिकी संस्थानों एवं सी. ए. ए. के प्रशासन से संबंधित मामलों के अलावा), बजट एवं लेखा, मात्स्यिकी सांख्यिकी, अंतर्देशीय मात्स्यिकी, कोर्ट मामले, प्रेस/इंफार्मेशन सोशल मीडिया, वेबसाईट/डैशबोर्ड से संबंधित कार्यकलाप, संसदीय कार्य एवं समन्वय, सचिव (मत्स्यपालन विभाग) द्वारा सौंपे गए अन्य मामले।

संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी)

समुद्री मात्स्यिकी, तटीय जलकृषि एवं मैरीकल्चर (समुद्री कृषि) से संबंधित सभी मामले, सीएए के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में आने वाले तटीय क्षेत्रों के मामले, संगरोध एवं रोग–विनियमन, निगरानी एवं नियंत्रण, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सिफनेट, साईसेफ, निफेट मात्स्यिकी संस्थानों से संबंधित मामले, प्रशासनिक मामलों के अलावा आई.सी. ए.आर. के सी.एम.एफ.आर.आई., सी. आई.बी.ए., सी.आई. एफ.टी., एन.आई.ओ., एन.आई.ओ. टी., सी. एस. आर.आई., एन.बी.एफ.जी.आर. संस्थानों एवं समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित अन्य संस्थानों के साथ समन्वय, तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.), फिशिंग हारबर्स, फिश लैंडिंग सेन्टर्स एवं अन्य पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालन जैसे कोल्ड चेन, बाजार इत्यादि सहित मरीन फिशिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्यात प्रोत्साहन, एम.पी.ई.डी.ए., आर. जी.सी.ए. इ. आई.ए. के मामले, आई.ओ.टी.सी., एफ. ए.ओ., ओ.आई.सी., डब्लू. टी. ओ. इत्यादि से संबंधित मामले, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, सभी समुद्री राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत योजना की मॉनिटरिंग, नियंत्रण एवं निगरानी, समुद्री मछुआरा कल्याण योजना एवं कार्यक्रम, कोर्ट मामले – समुद्री मात्स्यिकी, एवं सचिव (मत्स्यपालन विभाग) द्वारा सौंपे गए अन्य मामले।

संक्षिप्तियाँ

संक्षिप्त रुप	पूर्ण रुप
एएक्यूयू	जलीय जंतु संगरोध इकाई
एएफटीसी	उन्नत मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम
एआईसी	जलीय नवाचार केंद्र
एकेएएम	आजादी का अमृत महोत्सव
एओसी	एक्वा वन सेंटर
एपीएफआईसी	एशिया–प्रशांत मत्स्य आयोग
एपीएफआईसी	एशिया–प्रशांत मत्स्य आयोग
एक्यूसीएस	पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं
एक्यूएफ	जलीय संगरोध सुविधा
एएससीएम	सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौता
बीई	बजट अनुमान
बिम्सटेक	बहु–क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
बीएमसी	ब्रुड स्टॉक गुणन केंद्र
बीओबीपी–आईजीओ	बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर–सरकारी संगठन
सीएए	तटीय जलकृषि प्राधिकरण
सीबीएफ	कृषि आधारित मत्स्य पालन
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीआरएफ	जिम्मेदार मत्स्य पालन के लिए आचार संहिता
सीजीएफएम	मात्स्यिकी प्रबंधन पर क्लस्टर समूह
सीआईसीईएफ	मत्स्य पालन के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान
सीआईएफए	मीठे पानी के जलीय कृषि के लिए केंद्रीय संस्थान
सिफनेट	केंद्रीय मत्स्य पालन समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान
सीआईएफओ	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑपरेटिव्स
सीएमएफआरआई	केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
सीओएफआई	मत्स्य पालन समिति
सीओएफआ–एक्यू	जलीय कृषि पर उप–समिति
सीओएफआई–एफटी	मछली व्यापार पर उप–समिति
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

सीएस	केंद्रीय क्षेत्र योजना
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजना
डीएएचक्यू	जलीय जंतु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीडीएल	रोग निदान प्रयोगशाला
डीडीओ	आहरण और वितरण अधिकारी
डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीएलसी	जिला स्तरीय समिति
डीओएफ	मत्स्य पालन विभाग
डीपीआईआईटी	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीएसएफएस	डीप सी फिशिंग स्टेशन
ईएपी	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
ईएटी	व्यय, अग्रिम और स्थानांतरण
ईई	पात्र संस्थाएं
ईईजेड	विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
ईआईएस	कर्मचारी सूचना प्रणाली
ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विकलांग व्यक्ति
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफएओ/यूएन	खाद्य और कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र
एफएफपीओ/सीएस	मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां
एफआईडीएफ	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
फिशकोफेड	नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड
एफएलसी	मछली लैंडिंग केंद्र
एफएमपीआईएस	मछली बाजार मूल्य सूचना प्रणाली
एफएसआई	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
जीएआईएस	समूह दुर्घटना बीमा योजना
जीएपी	अच्छा जलीय कृषि अभ्यास
जीएलपी	ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट

जीवीए	सकल मूल्य जोड़ा गया
जीएफसी	ग्लोबल फिशरीज कान्फ्रेंस
आईए	कार्यान्वयन एजेंसियां
आईसीसी	निवेश निकासी प्रकोष्ठ
आईआईएसएफ	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमसी	भारतीय मेजर कार्प
आईएमओ	अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन
इन्फोफिश	एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मात्स्यिकी उत्पादों के लिए सूचना और तकनीकी सलाहकार सेवाएं
आई ओ आर ए	हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
आईओटीसी	हिंद महासागर ट्यून आयोग
आईएसओ	इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन
आईटीके	स्वदेशी तकनीकी ज्ञान
आईयूयू	अवैध, असूचित और अनियमित
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य समूह
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
एलपीसी	लीड पार्टनरशिप कंट्री
एमएपी	संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग
एमसीएस	निगरानी, नियंत्रण और निगरानी
एमएफसी	समुद्री फिटर कोर्स
एमएफवी	मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमएमटी	मिलियन मीट्रिक टन
एमओए	समझौते का ज्ञापन
एमएससीएस	बहु–राज्य सहकारी समिति
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीए	एशिया और प्रशांत में जलीय कृषि केंद्रों का नेटवर्क
एनबीसी	न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर
एनबीएफजीआर	मछली आनुवंशिक संसाधन के राष्ट्रीय ब्यूरो

एनसीडीसी	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनसीवीटी	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद
एनएफडीबी	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड
एनजीआर	नियमों के बातचीत समूह
एनआईएफपी	राष्ट्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि नीति
निफ्फट	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज पोस्ट–हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग
एनएलई	नोडल ऋण देने वाली संस्थाएं
एन एम पी	राष्ट्रीय समुद्री कृषि नीति
एनआरसीपी	राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम
एनएसपीएएडी	जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम
एनटीआरपी	गैर–कर रसीद पोर्टल
ओआईई	ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीस
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीएसी	परियोजना मूल्यांकन समिति
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय/प्रधान लेखा कार्यालय
पीडीसी	परियोजना विकास प्रकोष्ठ
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीआईएसएफएच	फिशिंग हार्बर्स का पूर्व–निवेश सर्वेक्षण
पी एल	लार्वा पोस्ट करें
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
पीएमयू	परियोजना निगरानी इकाई
आरएएस	री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफबी	क्षेत्रीय मत्स्य निकाय
आरएफएमओ	क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरओएसए	परिचालन और वैज्ञानिक गतिविधियों की समीक्षा
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एस एंड डीटी	विशेष और विभेदक उपचार

सार्क	क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ
एससीपी	स्वयं निहित प्रस्ताव
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप योजना
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्यों
एसजीओ	सचिवों का क्षेत्रीय समूह
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईडीए	स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी
एसआईपीओ	सिंगापुर–भारत भागीदारी कार्यालय
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएलसी	राज्य स्तरीय समिति
एसएमसी	शोर मैकेनिक कोर्स
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीएफ	विशिष्ट रोगजनक मुक्त
एसपीएस	स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय
टीईएफआर	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट
यूएनसीएलओएस	समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूएनएफएसए	संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वीएनसी	वेसल नेविगेटर कोर्स
डब्ल्यूएएडब्ल्यू	विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह
डब्ल्यूजीएमएसएस	समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा पर कार्य समूह
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

सत्यमेव जयते

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार